INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

Ministry of Shipping, Government of India

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार

"राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का क्षमता संवर्धन"

(जल मार्ग विकास परियोजना)

समेकित सामाजिक प्रभाव आकलन सह सामाजिक प्रबंधन योजना/पुनर्वास कार्य योजना

15 अक्टूबर 2016

हिन्दी और अंग्रेजी पाठ के किसी भी अंश में किसी तरह की विसंगति आने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

विषय सूची

कार्यपालक सार-संक्षेप 1
अध्याय 1 : परिचय 16
1.1. **परिचय और परियोजना विवरण** 16
1.2. **परियोजना के लाभ** 18
1.3. **स्थल परियोजनाओं की विकास योजनाएं** 19
1.4. **पुनर्वास का न्यूनीकरण** 26
अध्याय 2 : कार्य पद्धति 29
अध्याय 3 : प्रभाव क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक स्वरूप और परियोजना प्रभावित परिवारों पर प्रभाव 31
3.1 सामाजिक आर्थिक स्वरूप 31
3.2 **प्रभावित क्षेत्र में परियोजना के प्रभाव** 32
3.3 **संरचनाओं पर प्रभाव** 36
3.4 **पेड़ों पर प्रभाव** : 39
3.5 **आजीविका पर प्रभाव** : 39
3.6 **पशुधन पर प्रभाव** 40
अध्याय 4 : जन परामर्श 41
4.1 **केआईआई, एफजीडी और परामर्श बैठकों के अवलोकन** 41
4.2 **अन्य हितधारकों के सुझाव** 48
4.3 **घोषणा और परामर्श योजना** 50
अध्याय 5 : प्रमुख कानून और विनियम 52
5.2 **विश्व बैंक सुरक्षा नीतियां** 56
5.3 **भूमि और अन्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया** 67
5.4 **परियोजना केंद्रित आरऐंडआर (R&R) नीति** 69
अध्याय 6 : पुनर्स्थापन योजना 78
6.1 **उपपरियोजना में भौतिक विस्थापन और पुनर्स्थापन** 78
अध्याय 7 : आजीविका संवर्धन योजना 84
7.1 **साहेबगंज में परियोजना प्रभावित परिवारों का कौशल विकास** 84
अध्याय 8 : महिला विकास कार्य योजना 85
8.1 **परियोजना के साथ लैंगिक स्वरूप** 85
8.3 **साहेबगंज में महिला विकास और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करना** 87
अध्याय 9 : श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा 90

9.1 **निर्माण चरण में श्रमिकों के लिए प्रावधान** 90
अध्याय 10 : बजट 92
अध्याय 11 : **क्रियान्वयन ढांचा और सांस्थानिक व्यवस्थाएं** 95
11.2 **प्रभारी अधिकारी सह पुनर्वास अधिकारी** 95
11.3 **पीआईयू में सामाजिक अधिकारी** 95
11.4 **आरएपी (**RAP**) क्रियान्वयन टीम** 96
11.5 **ठेकेदार** 97
12.1 **सीपीजीआरएएम** (CPGRAM) **पर शिकायत दर्ज करना** :..... 99
12.2 **शिकायत पर कार्यवाही की प्रक्रिया** :..... 100
12.3 **आईडब्ल्यूएआई (**IWAI**) में शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी** : 100
12.4 **परियोजना संबंधी शिकायतों का निपटारा** : 100
12.5 **अ-समाधान की स्थिति में** : 100
12.6 **समय सीमाएं** :..... 100
12.7 **वर्तमान प्रणाली का विस्तार और उसे शिकायतों के फोन आधारित रजिस्ट्रेशन से जोड़ना** : 100
12.8 **टोल फ्री शिकायत प्रणाली के माध्यम से शिकायतों के निवारण का प्रक्रिया प्रवाह** : 101
अध्याय 13 : नागरिक विनियोजन तंत्र 104
13.1 **फीडबैक या प्रतिपुष्टि तंत्र** 104
13.2 **परामर्श के लिए योजना** 104
अध्याय 13 : निगरानी और मूल्यांकन योजना 105
14.1 **आंतरिक निगरानी** 105
14.2 **बाह्य आवधिक मूल्यांकन और समवर्ती निगरानी** 110

<u>सारणियों की सूची</u>

सारणी 1.1 : **स्थान, क्षेत्र के संबंध में प्रस्तावित टर्मिनल स्थल** 22
सारणी 1.2 : **स्थल, क्षेत्र के संबंध में प्रस्तावित नौवहन लॉक स्थल** 26
सारणी 1.3 : **फरक्का में विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण** 28
सारणी 3.1 : **प्रभावित परिवार के विवरण** 33
सारणी 3.2 : **प्रभावित परिवारों की सामाजिक श्रेणी** 33
सारणी 3.3 : **धार्मिक श्रेणी** 33
सारणी 3.4 : **पीएपी का साक्षरता स्तर** 34
सारणी 3.5 : **पीएपी की वैवाहिक स्थिति** 34

सारणी 3.6 : **प्रभावित आबादी की उपजीविका का स्वरूप** 35
सारणी 3.7 : **मासिक आय** 35
सारणी 3.8 : **कुल अधिग्रहीत भूमि** 36
सारणी 3.9 : **भू उपयोग का स्वरूप** 36
सारणी 3.10 : **संरचनाओं पर प्रभाव** 37
सारणी 3.11 : **संरचनाओं का प्रकार** 37
सारणी 3.12 : **संरचनाओं का उपयोग** 37
सारणी 3.13 : **मुख्य संरचना का प्ररूप विज्ञान** 38
सारणी 3.14 : **अन्य संपत्तियों पर प्रभाव** 38
सारणी 3.15 : **वृक्षों के प्रकार** 39
सारणी 3.16 : **आजीविका का स्वरूप** 40
सारणी 3.17 : **पशु धन** 40
सारणी 4.1 : **केंद्रित समूह चर्चाओं का सार-संक्षेप** 42
सारणी 4.2 : **पीसीएम के विवरण** 47
सारणी 4.3 : **एफजीडी का सार-संक्षेप** 48
सारणी 5.1 : **संबंधित प्रासंगिक विधि-विधान** 52
सारणी 5.2 : **विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियां** 56
सारणी 5.3 : **अस्वैच्छिक पुनर्वास पर विश्व बैंक ओपी 4.2 और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 का तुलनात्मक विश्लेषण** 58
सारणी 5.4 : **जल मार्ग विकास परियोजना के लिए पात्रता मैट्रिक्स** 69
सारणी 6.1 : **स्थान परिवर्तन कार्यक्रम** 81
सारणी 8.1 : **परियोजना क्षेत्र में महिला पीएपी का शैक्षिक स्तर** 85
सारणी 8.2 : **महिला प्रधान घर-परिवारों का स्वरूप** 86
सारणी 8.3 : **महिला समूह के साथ एफजीडी के परिणाम** 87
सारणी 10.1 : **आर ऐंड आर की लागत** 92
सारणी 14.1 : **आंतरिक निगरानी के लिए रूपरेखा** 106
सारणी 13.2 : **आरऐंडआर क्रियान्वयन और शिकायत निवारण के लिए निगरानी संकेतक** 109
सारणी 14.3 : **बाह्य निगरानी की रूपरेखा** 112

<u>चित्र सूची</u>

चित्र 1.1 : **राष्ट्रीय जलमार्ग-1** 19
चित्र 1.2 : **रामनगर टर्मिनल - राजस्व नक्शा जिसमें टर्मिनल के लिए प्रभावित भूखंड तथा प्रस्तावित संपर्क सड़क चिह्नित की गई है** 21

चित्र 1.3 : गूगल मानचित्र में दुर्गाचक पर प्रस्तावित हल्दिया टर्मिनल 24
चित्र 1.4 : गूगल मानचित्र में फरक्का पर प्रस्तावित फरक्का नौवहन बांध 25
चित्र 1.5 : परियोजना क्षेत्र – फरक्का नौवहन लॉक या बांध 25
चित्र 1.6 : प्रस्तावित नौवहन लॉक स्थल और उसके आसपास की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित चित्रों में दर्शाई गई हैं। 26
चित्र 11.1 : संगठनात्मक ढांचा 98

अनुलग्नक सूची

अनुलग्नक-I 113
अनुलग्नक-II 116
(अधिसूचनाएं और घोषणाएं) 116
अनुलग्नक-III 123
PAF पीएएफ सूची (संरचनाएं) 123
अनुलग्नक-IV 138
PAF पीएएफ सूची (भूमि स्वामी) 138
अनुलग्नक-V 144
पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा 144

संक्षिप्ताक्षर	
EA ईए	EXECUTING AGENCY कार्यपालक एजेंसी
EIA ईआईए	ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT पर्यावरण प्रभाव आकलन
EMP ईएमपी	ENVIRONMENT MITIGATION PLAN पर्यावरण उपशमन योजना
ESMF ईएसएमएफ	ENVIRONMENT AND SOCIAL MITIGATION FRAMEWORK पर्यावरण और सामाजिक उपशमन रूपरेखा
FGD एफजीडी	FOCUS GROUP DISCUSSION केंद्रित समूह चर्चा
GOI जीओआई	GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
GoJ जीओजे	GOVERNMENT OF Jharkhand झारखंड सरकार
IA आईए	IMPLEMENTATION AGENCY क्रियान्वयन एजेंसी
IWAI आईडब्ल्यूएआई	INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
IWT आईडब्ल्यूटी	INLAND WATER TRANSPORT अंतर्देशीय जल परिवहन
KII केआईआई	KEY INFORMANT INTERVIEW प्रमुख सूचनादाता का साक्षात्कार
NGO एनजीओ	NON GOVERNMENT ORGANISATION गैर सरकारी संगठन
PAF पीएएफ	PROJECT AFFECTED FAMILIES परियोजना प्रभावित परिवार
PAP पीएपी	PROJECT AFFECTED PERSON परियोजना प्रभावित व्यक्ति
PAH पीएएच	PROJECT AFFECTED HOUSEHOLD परियोजना प्रभावित घर-परिवार
PCM पीसीएम	PUBLIC CONSULTATION MEETING जन परामर्श बैठक
RFCTLARRA 2013 आरएफसीटीएलएआरआरए 2013	RIGHT TO FAIR COMPENSATION &TRANSPERENCY IN LAND ACQUISITION AND REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन और पुनर्वास में क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम

RPF आरपीएफ	RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK पुनर्वास नीति रूपरेखा
RAP आरएपी	REHABILITATION ACTION PLAN पुनर्स्थापन कार्य योजना
SMP एसएमपी	SOCIAL MITIGATION PLAN सामाजिक उपशमन योजना

कार्यपालिक सार-संक्षेप

क. परियोजना का विवरण

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (वाराणसी से हल्दिया तक) पर नौवहन के क्षमता संवर्धन के लिए जल मार्ग विकास परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। प्राथमिक रूप से प्रस्तावित क्षमता संवर्धन में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास अर्थात यथोचित माल की प्रबंध क्षमता के साथ नदी टर्मिनल या अंतिम स्थान और यातायात के अन्य साधनों के साथ जोड़ने की सुविधा के लिए उपकरण; एक नौवहन लॉक या बांध, नौवहन सहायक उपकरणों का प्रावधान; नदी सूचना प्रणाली; रो-रो घाट; किनारों की सुरक्षा / ढलान की सुरक्षा; नदी प्रशिक्षण कार्य; दो माल लदान नौकाएं; अंतर्देशीय जहाज; राहत नौकाओं और सर्वे उपकरणों सहित सर्वे नौकाएं और तलमार्जन सुविधाएं शामिल हैं। मध्यावर्तनों के बीच छह आईडब्ल्यूटी टर्मिनलों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से तीन टर्मिनलों और एक नौवहन लॉक या बांध के स्थलों की पहचान कर ली गई है। परियोजना विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और निवेश सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। आईडब्ल्यूएआई (IWAI) क्रियान्वयन एजेंसी (IA) है। उपलब्ध एलएडी (LAD) और माल की मांग के दृश्य पर विचार करते हुए आईडबल्यूएआई वर्तमान में चरण-1 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हल्दिया से वाराणसी के बीच के फैलाव पर ध्यान दे रहा है।

ख. भूमि अधिग्रहण की व्यापकता

4 बड़ी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की पहचान और नियोजन किया गया है जिनमें वाराणसी, साहेबगंज और हल्दिया में बहु-साधन या मल्टीमोडल टर्मिनल और फरक्का में नौवहन बांध या लॉक शामिल है। चिह्नित उप परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता का सार-संक्षेप नीचे प्रस्तुत है :

वाराणसी – टर्मिनल के निर्माण और टर्मिनल को एनएच-7 से जोड़ने वाले पहुंच मार्ग के लिए कुल 7.001 हेक्टेयर की आवश्यकता है। इसमें 5.586 हेक्टेयर भूमि जो पहले से ही आईडब्ल्यूएआई के कब्जे में है और परियोजना के चरण-1 में सड़क से जोड़ने के लिए 1.415 हेक्टयर अतिरिक्त भूमि शामिल है। सुविधाओं के विकास का कार्य दो चरणों में हाथ में लिया जाएगा। चरण 1(ए) में अपतटीय सुविधाओं का विकास उस 5.586 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा जिसका अधिग्रहण 2010 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन किया था। चरण 1(बी) के अंतर्गत सड़क संयोजकता या कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए 1.415 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है और भूमि स्वामियों के साथ मोलभाव समझौते के माध्यम से खरीदी जा रही है।

साहेबगंज – सड़क और रेल संयोजकता के साथ टर्मिनल के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता 78.91 हेक्टेयर आंकी गई है। सुविधा का विकास दो चरणों में किया जाएगा। चरण-1 में टर्मिनल के निर्माण के लिए लगभग 23.98 हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। टर्मिनल का विस्तार करने और सड़क संयोजकता प्रदान करने के लिए 54.93 हेक्टेयर की आवश्यकता होगी, जिसे चरण 1(बी) में हाथ में लेना प्रस्तावित है।

तथापि जिला प्रशासन, साहेबगंज ने टर्मिनल के लिए आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के तहत 45.20 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही आरंभ कर दी है। इसके अलावा 2.89 हेक्टेयर सरकारी भूमि भी आईडब्ल्यूएआई को हस्तांतरित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं के विवरण नीचे दिए गए हैं:

प्रभावित गांव	अधिग्रहीत की जाने वाली निजी भूमि	आरएफसीटीएलएआरआर 2013 की धारा 11(1) के अनुसार अधिसूचना की तिथि	आरएफसीटीएलएआरआर 2013 की धारा 19(1) के अनुसार घोषणा की तिथि
समदानाला	40.49 हेक्टेयर	04.07.2015	29.10.2015
रामपुर	4.71 हेक्टेयर	08.07.2015	29.10.2015

हल्दिया – कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने हल्दिया गोदी कॉम्प्लेक्स में 24.68 हेक्टेयर भूमि जून 2015 में आईडब्ल्यूएआई को 30 वर्ष की लीज पर आवंटित और हस्तांतरित कर दी है।

फरक्का – मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद और आईडब्ल्यूए द्वारा भूमि के हस्तांतरण के लिए 2.35 करोड़ रुपये जमा करवा दिए जाने के बाद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय ने फरक्का बांध परियोजना में 14.86 हेक्टेयर भूमि 2 मार्च 2016 को पोत परिवहन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी है, जिसका अभिरक्षक या कस्टोडियन आईडब्ल्यूएआई है।

बाद की उपपरियोजनाओं के लिए आरएपी (RAP) स्थलों का निर्धारण करने के बाद तैयार किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद फरक्का के नए नौवहन बांध के लिए इसे अद्यतन भी किया जा सकता है।

ग. परियोजना के प्रभावों का सार-संक्षेप

प्राथमिकता क्षेत्रों के सभी चार स्थलों पर सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया था। इस आकलन से पता चला कि केवल साहेबगंज की परियोजना का लोगों पर प्रभाव पडेगा। कृषि और वासभूमि सहित कुल 45.2 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण से 275 प्रभावित होंगे। इनमें से 235 परिवार अपनी आवासीय संरचनाएं खो देंगे और उन्हें पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

भूमि की आवश्यकता का सार-संक्षेप और एसआईए की गुंजाइश संक्षेप में नीचे दिया गया है :

उपपरियोजना का नाम	आवश्यक भूमि (हेक्टे)	मांगी गई निजी भूमि (हेक्टे)	सरकारी भूमि (हेक्ट)	एसआईए पूरा हो गया (हेक्टे)	विस्थापित परिवारों की संख्या (संरचनाएं गंवाने वाले)	परियोजना प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या
मल्टीमोडल टर्मिनल वाराणसी चरण (1ए)	5.586	-	5.586	5.586	-	-	0
सड़क संयोजकता	1.415						
मल्टीमोडल टर्मिनल	23.997	45.02	2.89	48.09	235	275	1397

साहेबगंज चरण-1							
सड़क संयोजकता	3.5	*					
आरओबी	6.11	0**					
मल्टीमोडल टर्मिनल हल्दिया	24.68		24.68	24.68	-	-	0
फरक्का में नया नौवहन बांध या लॉक	14.86		14. 86	14.86	-	-	0
योग***	80.148	45.02	48.016	93.216****	235	275	1397

* भूमि के विवरणों और आवश्यकता का सत्यापन चल रहा है।

** डीपीआर परामर्शदाताओं के अनुसार आवश्यकता को अंतिम रूप देने का कार्य जारी।

*** संभावित है और अन्य हस्तक्षेपों के कारण परियोजना की अंतिम रूपरेखा के अनुसार बदल सकता है।

**** साहेबगंज और वाराणसी में सड़क संयोजकता, साहेबगंज में आरओबी और अतिरिक्त टर्मिनलों और रो-रो सुविधाओं के लिए एसआईए जमीन की आवश्यकता तथा स्थलों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद पूरा किया जाएगा।

निजी भूमि की हानि :

क्रम संख्या	**भूमि का प्रकार**	**अधिग्रहीत किया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)**	**कुल निजी भूमि की प्रतिशतता**
1.	बगीचों वाली भूमि	18.935 हेक्टे	41.79
2.	बंजर भूमि	6.879 हेक्टे	15.22
3.	संरचनाओं वाली भूमि	9.611 हेक्टे	21.26
4.	अ-सर्वेक्षित	9.821 हेक्टे	21.73
5.	योग	45.2 हेक्टे	100

संरचना की हानि :

क्रम सं.	**संरचनाओं का प्ररूप विज्ञान**	**संरचनाओं की संख्या**

1.	आवासीय संरचनाएं	235
2.	साझा संपत्ति संसाधन	2
3.	सरकारी संरचनाएं	2
	योग	239

प्रभावित परिवारों में से 40 परिवार दूरवासी भूस्वामी हैं, जो बगीचों और कृषि भूमियों के स्वामी हैं। 235 विस्थापित परिवारों में से 32 परिवार अपनी कृषि और वासभूमि दोनों गंवा देंगे। शेष 203 विस्थापित परिवार संरचना या निर्मित आवास सहित केवल अपनी वासभूमि खोएंगे, और 2 आवासीय भूमि सह व्यावसायिक संरचना गंवा देंगे। इन परिवारों को प्रभावित क्षेत्र के निकट एक वासस्थान में पुनर्स्थापित किया जाएगा।

भूमि की हानि : 40 दूरवासी स्वामित्वधारियों में से 21 बगीचों (15.635 हेक्टेयर) के और शेष 19 खाली / बंजर भूमि (3.297 हेक्टेयर) के मालिक हैं। विस्थापितों में से 32 विस्थापित लोग 4.58 हेक्टेयर कृषि भूमि और 3.2 हेक्टेयर वासभूमि गंवा देंगे। शेष रहे 203 विस्थापित 6.411 हेक्टेयर वासभूमि तथा आवासीय भूखंडों के आसपास 2.253 हेक्टेयर खाली पड़ी जमीन गंवा देंगे।

प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल : 738 वयस्कों सहित कुल 1397 व्यक्ति प्रभावित होंगे। सभी 235 परियोजना प्रभावित परिवार हिंदू थे और 87 प्रतिशत से अधिक अन्य पिछड़े वर्गों में आते हैं। प्रभावित क्षेत्र में कामकाजी आबादी के बहुतायत पुरुष नजदीक की पत्थर खदानों में काम में लगे दिहाड़ी मजदूर हैं, जबकि महिला श्रमिक आबादी आसपास के गांवों में कृषि मजदूरी के काम में लगी हैं। आवासीय ढांचों में 65 प्रतिशत 'कच्चे' हैं जो मुख्यतः मिट्टी की दीवारों और छप्पर की छतों से बने हैं।

अन्य स्थलों पर जमीन बाधाओं से रहित है।

घ. जन परामर्श

सभी चार चिह्नित स्थलों पर हितधारकों के साथ परार्मश और समूह चर्चाएं सितंबर-नवंबर 2015 के दौरान आयोजित की गई। परियोजना स्थल के गांववालों, नगरपालिक अधिकारियों, मछुआरों और पास-पड़ोस के गांवों के नदी के अन्य उपयोगकर्ताओं सहित अनेक हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया। आसपास के गांवों में आजीविका के अवसरों पर परियोजना के प्रभावों और मछली के शिकार पर प्रभावों से संबंधित मुद्दे फरक्का, हल्दिया और वाराणसी में व्यक्त की गई चिंताओं में प्रमुख थे। साहेबगंज में एक औपचारिक जन परामर्श बैठक आयोजित की गई और परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों में मकानों और पेड़ों के लिए मुआवजे की मात्रा और प्रदान की जाने वाली पुनर्स्थापन सुविधाएं शामिल थीं। इनका जवाब आईडब्ल्यूएआई और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया, जिन्होंने जमीन, ढांचों और पेड़ों के लिए मुआवजे या क्षतिपूर्ति की गणना के लिए मूल्यांकन के तरीकों का खुलासा किया और पुनर्स्थापना स्थल के विवरणों की जानकारी दी।

ङ कानूनी रूपरेखा

भूमि अधिग्रहण और प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अंगीकार की गई कानूनी रूपरेखा भारत सरकार के मौजूदा विधि-विधानों और नीतियों, अस्वैच्छिक पुनर्वास पर विश्व बैंक की ऑपरेशन पॉलिसी या परिचालन नीति संख्या 4.12, मूल या देशज लोगों पर परिचालन नीति संख्या 4.10 और सांस्कृतिक संपत्ति या कल्चरल प्रॉपर्टी पर परिचालन नीति 4.11 से दिशानिर्देशित है। राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों के विश्लेषण से पता चलता है कि ये मोटे तौर पर विश्व बैंक की सुरक्षा संबंधी परिचालन नीतियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसी के अनुसार, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों से संबंधित कानूनों और विनियमनों और प्रक्रियाओं का खाका बनाते हुए पुनर्वास नीति की रूपरेखा (आरपीएफ RPF) तैयार की गई है।

उचित और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अधिनियम में संशोधन अध्यादेश 3 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था। अध्यादेश में पांच श्रेणियों की परियोजनाओं को छूट दी गई थी, अर्थात (i) रक्षा; (ii) ग्रामीण आधारभूत ढांचा; (iii) सस्ते आवास; (iv) औद्योगिक गलियारे; और (v) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी PPP) सहित अवसंरचनात्मक परियोजनाएं जिनमें केंद्र सरकार जमीन की स्वामी है। इन 5 श्रेणियों की परियोजनाओं को निजी परियोजनाओं के लिए प्राप्त की जाने वाली 80 प्रतिशत भूस्वामियों की सम्मति और पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्राप्त की जाने वाली 70 प्रतिशत भूस्वामियों की सम्मति की आवश्यकता से और साथ ही सामाजिक प्रभाव आकलन करने की आवश्यकता से एक अधिसूचना के माध्यम से छूट दी गई थी। इस संदर्भ यह परियोजना श्रेणी (v) के अंतर्गत आएगी। इसी के अनुरूप, साहेबगंज के लिए आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLARR) 2013 के अध्याय II के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता से आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLARR) अधिनियम 2013 से जुड़े झारखंड राज्य नियमों के नियम 5 के अनुसार छूट दी गई थी। इसके होते हुए भी, अच्छी प्रथा के रूप में, विश्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन का कार्य हाथ में लिया गया और लागू होने वाले राष्ट्रीय कानूनों और नियमों पर विचार करते हुए जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रारंभ में अधिसूचित क्षेत्र के लिए एक सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना / पुनर्वास कार्य योजना तैयार की गई है।

च. क्रियान्वयन ढांचा

एसएमपी/आरएमपी (SMP/RAP) का क्रियान्वयन क्रियान्वयन एजेंसी (आईडब्ल्यूएआई) की जिम्मेदारी है। परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) में एक सामाजिक विकास विशेषज्ञ एसएमपी/आरएपी के समग्र समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा। क्षेत्रीय कार्यालय में परियोजना क्रियान्वयन इकाई का सामाजिक अधिकारी एसएमपी/आरएपी के क्रियान्वयन से जुड़ी मैदानी गतिविधियों में समन्वय का कार्य करेगा।

साहेबगंज में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार, अपर समाहर्ता को आर ऐंड आर (R&R) का 'प्रशासक' मनोनीत किया गया है। जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (DLAO) नोडल अधिकारी होगा जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यवाहियां करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होगा। डीएलएओ अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिसूचनाओं और घोषणाओं का प्रकाशन, अवॉर्ड की तैयारी, प्रभावित संरचनाओं के मूल्य का निर्धारण, मुआवजे या क्षतिपूर्ति का वितरण, पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान और पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। सभी भूमि अधिग्रहण (LS) और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन (R&R) गतिविधियों के लिए जिला प्रशासन के साथ निकट संपर्क के लिए एक प्रभारी अधिकारी सह पुनर्वास अधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

एसएमपी/आरएपी, सामुदायिक सहायता और आजीविका संवर्धन योजनाओं और विभिन्न स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा श्रम संबंधी सुरक्षा उपायों आदि के क्रियान्वयन के लिए एक आरएपी (RAP) क्रियान्वयन दल नियुक्त किया जाएगा जिसमें भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता, आजीविका विशेषज्ञ और एमआईएस (MIS) विश्लेषक होंगे। यह दल परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों (पीआईयू PIU) के सामाजिक अधिकारियों को सहायता प्रदान करेगा। तकनीकी सहायता सेवा सलाहकार अतिरिक्त रूप से एसएमपी/आरएपी के क्रियान्वयन की देखरेख करेंगे।

छ. शिकायत निवारण तंत्र

परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान मोट तौर पर परियोजना से जुड़े पुनर्स्थापन और पुनर्वास के मामलों से संबंधित शिकायतें, निर्माण की वजह से होने वाले प्रभावों से संबंधित शिकायतें, परियोजना स्थलों के आसपास पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित शिकायतें आदि अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 51-67 के अनुसार एक पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना करने और क्षतिपूर्ति तथा आरऐंडआर सहायता के संवितरण के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों में कलेक्टर की जिम्मेदारी निर्धारित करने के संदर्भ में राज्य सरकार की जिम्मेदारी निरूपित करती है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 60 निरूपित करती है कि प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो सिविल संहिता प्रक्रिया 1908 के अंतर्गत सिविल कोर्ट को प्राप्त होते हैं। भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन से संबंधित किसी भी विवाद और शिकायत से निपटने के लिए आरऐंडआर प्राधिकरण निर्दिष्ट प्राधिकरण है।

इसके अतिरिक्त केंद्रीयकृत शिकायत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम CPGRAMs), जो प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी DARPG), भारत सरकार द्वारा आयोजित साझा ऑनलाइन पोर्टल है, स्थापित किया गया है और आईडब्ल्यूएआई द्वारा अपनाये गये शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्यशील है। नागरिक और असंतुष्ट पक्ष आईएडब्ल्यूएआई (IWAI) और जेएमवीपी (JMVP) द्वारा निवारण किये जाने के लिए अपनी शिकायतें या व्यथा सीपीजीआरएएम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। शिकायतें पितृ मंत्रालय (पोत परिवहन मंत्रालय) द्वारा पोर्टल के माध्यम से आईएडब्ल्यूएआई और जेएमवीपी को अग्रेषित की जाती हैं और प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए समय सीमाएं आवंटित की जाती हैं। पितृ मंत्रालय समाधान होने तक प्रत्येक शिकायत की निगरानी करता है। इससे अलावा, कमजोर तबकों और प्रभावित व्यक्तियों को पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक टोल फ्री नंबर के साथ मौजूदा निवारण तंत्र को और संवर्धित करने की योजना है। प्रक्रिया में शामिल महत्त्वपूर्ण अधिकारियों का विस्तृत कार्य प्रवाह आरएपी और आरपीएफ में दिया गया है।

ज. पुनर्वास योजना

चूंकि परियोजना के कारण साहेबगंज में 235 आवासीय संरचनाएं विस्थापित होंगी, इसलिए 235 प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन के लिए स्थल नियोजन और विकास का कार्य जिला प्रशासन द्वारा आरंभ किया गया है। सभी परियोजना प्रभावित परिवारों से अपर समाहर्ता और डीएलएओ (DLAO) द्वारा विचार-विमर्श किया गया है और उन्होंने पुनर्वास कॉलोनी में बसाये जाने पर सम्मति दी है। इन प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन के लिए एक संभावित समय सीमा प्रस्तावित की गई है। पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण पीडब्ल्यूडी, निर्माण विभाग के विनिर्देशों के अनुसार एक ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जिसका चयन खुली बोली की प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जिसकी निविदा जिला प्रशासन

द्वारा जारी की जाएगी। पुनर्वास कॉलोनी में मकानों का आवंटन पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लॉटरी निकालने की प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा और पुनर्वास कॉलोनी के सुचारू कार्यकलाप के लिए एक सांस्थानिक व्यवस्था कायम करने में विस्थापित समुदाय की सहायता की जाएगी।

उन्हें विकास योजनाओं और सरकारी वित्तीय संस्थाओं में मौजूद अन्य ऋण सुविधाओं से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। अपनी भूमि और मकान गंवाने वाले लोगों को प्राप्त मुआवजे की धनराशि का निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसरों के बारे में सलाह-मशविरा दिया जाएगा। पीएपी का सत्यापन करने के बाद प्रत्येक प्रभावित परिवार को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।

झ. आजीविका संवर्धन योजना

वाराणसी, हल्दिया और फरक्का में पास-पड़ोस के समुदायों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि पास-पड़ोस की बस्तियों के लोगों का कौशल बढ़ाने की योजना बनाई जा सके। वर्तमान कौशल आधार के अनुसार, जिन लोगों की दिलचस्पी होगी, उन्हें राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान में माल की साज-संभाल और/या टर्मिनल सुरक्षा पर अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का विकल्प प्रदान किया जाएगा। साहेबगंज में एसएमपी/आरएपी क्रियान्वयन एजेंसी परामर्श सत्रों को आसान बनाने का कार्य करेगी, विशेष रूप से महिलाओं के साथ, ताकि परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आर ऐंड आर सहायता का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। परियोजना प्रभावित परिवारों की जरूरतों और अभिलाषाओं के अनुसार तकनीकी और सेवा कार्य के क्षेत्रों में कौशल संवर्धन के उद्देश्य से कार्यरत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

ञ. महिला विकास कार्य योजना

परियोजना से प्रभावित महिलाओं की कुल संख्या 642 है। प्रभावित क्षेत्र में 16 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिलाएं हैं। परियोजना के बारे में उनके बीच जागरूकता सुनिश्चित करने और परियोजना को लेकर उनकी चिंताओं को समझने और यदि उनकी कोई विशिष्ट जरूरतें हो जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता हो तो उन्हें जानने के लिए महिलाओं के साथ विशेष रूप से सलाह-मशविरा किया गया। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत परियोजना प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई वैकल्पिक आवासीय सुविधा में महिलाओं को "संयुक्त स्वामित्वधारण" अधिकार दिया जायेगा। इसी के अनुसार, साहेबगंज की केंद्रित समूह चर्चाओं में महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। परियोजना प्रभावित परिवारों की महिलाओं को पुनर्वास कॉलोनी में समुदाय निर्माण गतिविधियां हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया और परामर्श दिया जाएगा। पुनर्वास के दौरान सहायता प्रदान करते समय इन महिला घर-परिवारों या डब्ल्यूएचएच (WHHs) की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। टर्मिनल स्थलों (विशेष रूप से साहेबगंज और वाराणसी में) के पास-पड़ोस के क्षेत्रों में समुदाय अवसंरचना पहलों जैसे शौचालयों और स्ट्रीट लाइटों के निर्माण पर आगे के सलाह-मशविरे में और बजटीय आवंटन उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा। महिला विकास कार्य योजना में विभिन्न गतिविधियों के लिए बजट आरएपी/एसएमपी की लागत में शामिल किया गया है।

ट. श्रमिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

परियोजना क्रियान्वयन चरण के दौरान श्रमिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें जोखिम हो सकता है और उपशमन के उपायों की योजना बनाना आवश्यक है। भारत सरकार के सभी श्रम

कानूनों तथा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 में अनुबद्ध आवश्यक अवसंरचनात्मक तथा कल्याण सुविधाओं के प्रावधानों के अनुपालन के लिए निर्माण ठेकेदार जिम्मेदार होगा। पीआईयू के सामाजिक अधिकारी और पटना तथा कोलकाता स्थित तकनीकी सहायता सेवा परामर्शदाता इन कानूनों की निगरानी और अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

ठ. बजट

आरएपी के क्रियान्वयन के लिए समग्रतः कुल लगभग 62 करोड़ रुपये की लागत का आकलन किया गया है। क्रियान्वयन अवधि के लिए लागत की पूर्ति पोत परिवहन मंत्रालय के लिए मांग अनुदानों के अंतर्गत किए गए बजटीय आवंटन के माध्यम से की जाएगी।

ड. निगरानी और मूल्यांकन

परियोजना नियमित रूप से आईडब्ल्यूएआई, पीआईयू के सामाजिक अधिकारियों और पीएमयू के सामाजिक विशेषज्ञ तथा आरएपी का क्रियान्वयन करने वाले दल के साथ आंतरिक निगरानी के लिए उत्तरदायी है। पीआईयू श्रम कानूनों, सहायता राशि के वितरण, सुगमित आजीविकाओं और शिकायत निवारण के संबंध में अनुपालन की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ढ. नागरिकों की प्रतिपुष्टि और विनियोजन तंत्र

आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध एक मॉड्यूल के माध्यम से फीडबैक या प्रतिपुष्टि का निवेदन किया गया है जहां नागरिक अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं और उत्तर तथा प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इससे उत्पन्न फीडबैक की निगरानी ईडीपी प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है और फीडबैक को संबोधित करने के लिए नोडल अधिकारी सचिव, आईडब्ल्यूएआई हैं।

इसके अतिरिक्त, जेएमवीपी के लिए एक स्वतंत्र वेबसाइट की योजना बनाई जा रही है। परियोजना से संबंधित प्रमुख परामर्शों के समाचार, अद्यतन जानकारी, विवरण और प्रमुख बातें नियमित रूप से जेएमवीपी की वेबसाइट पर रखी जाएंगी। वेबसाइट में जिज्ञासाओं, प्रश्नों और टिप्पणियों के रूप में प्रतिपुष्टि देने का विकल्प भी होगा और इसका संचालन पीएमयू के संचार दल द्वारा किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन चरण के दौरान परामर्श के लिए समय सीमाओं और कर्ताओं के साथ एक विस्तृत योजना पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा (RPF) में अनुलग्न की गयी है।

अध्याय 1 : परिचय

1.1. परिचय और परियोजना विवरण

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की स्थापना भारत सरकार द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 1985 के माध्यम से पोत परिवहन तथा नौवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास तथा विनियमन के लिए की गई थी। यह 27 अक्टूबर 1986 को अस्तित्व में आया। प्राधिकरण अपने विकास जनादेश के अंग के रूप में राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल अवसंरचना के विकास और रखरखाव की परियोजनाएं हाथ में लेता है।

इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (एनडब्ल्यू-1) घोषित किया गया है, जो 1,620 किमी लंबा है और भारत के चार राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। आईडब्ल्यूएआई ने इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के नौवहन आधारभूत ढांचे के क्षमता संवर्धन के लिए जल मार्ग विकास परियोजना का कार्य हाथ में लिया है।

टिकाऊ जलमार्ग विकास और प्रबंधन के लिए मध्यवर्ती तथा दीर्घ कालिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि विभिन्न जल उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक परिवहन प्रणाली की ढुलाई क्षमता के उद्देश्यों को अर्जित किया जा सके। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास के लिए नौवहन तथा उससे जुड़े आधारभूत ढांचे में सुधार और विकास की आवश्यकता है। नौवहन को टिकाऊ बनाने के लिए जलमार्गों को गहराई, निर्गम, चौड़ाई, मार्गरेखा तथा जलमार्ग धारा संवेग और गति से जुड़ी कुछ निश्चित भौतिक लाक्षणिकताओं के साथ सुरक्षित और विश्वसनीय होना ही चाहिए। नदी के पारिस्थितिकीय चरित्र और पर्यावरणिक गुणवत्ता को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जलमार्गों को उनके पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े कार्यों (उनकी प्राकृतिक भौतिक, रासायनिक और जीववैज्ञानिक प्रक्रियाओं) को अवश्य कायम रखना ही चाहिए।

एनडब्ल्यू-1 पर आईडब्ल्यूटी में सर्वाधिक किफायती, विश्वसनीय, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल यातायात का साधन निर्मित करने की क्षमता है। भरोसेमंद अधिकृत मार्गों पर संचालन करने वाले आधुनिक जहाजों द्वारा इस्तेमाल के लिए विकसित किया जाए, तो यह रेल और सड़क अवसंरचना में निवेश की जरूरत को कम कर सकता है, प्राकृतिक जलधाराओं के तट पर स्थित राज्यों की आर्थिक रणनीतियों में और अधिक अनुपूरकताओं को बढ़ावा दे सकता है, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ा सकता है और बड़े पैमाने की बढ़ी हुई किफायतों के माध्यम से यातायात की लागतों में अच्छी-खासी कमी ला सकता है, जिसका लाभ समूची अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को मिलेगा।

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर परिवहन की बढ़ती मांग के प्रमाण पहले से ही मौजूद हैं, विशेष रूप से शुष्क तथा द्रवीय थोक सामानों के लिए। इसमें कोयला, फ्लाई-ऐश, सीमेंट तथा क्लिंकर या धातु की कतरनें, स्टोन चिप्स, खाद्य तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न और अत्यधिक विमितीय मालों के लिए तापीय विद्युत संयंत्रों, सीमेंट कंपनियों, उर्वरक कंपनियों, तेल कंपनियों, भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य की मांगें शामिल हैं।

एनडब्ल्यू-1 पर व्यवहार्य अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल या आईडब्ल्यूटी की एक सीमा कमजोर नौवहन अवसंरचना का होना है। वर्तमान में आईडब्ल्यूएआई का सबसे कम उपलब्ध गहराई का लक्ष्य लेकर

चल रही है : त्रिवेणी और फरक्का के बीच 3.0 मी.; फरक्का और बाढ़ के बीच 2.5 मी. गहराई; बाढ़ और गाजीपुर के बीच 2.0 मी.; और गाजीपुर तथा इलाहाबाद के बीच 1.5 मी.। चैनल या वाहिका की न्यूनतम चौड़ाई 45 मी. है। इन दोनों नदियों की स्थितियां अपेक्षया बड़े आधुनिक जहाजों के वर्ष भर नौवहन को बाधित करती हैं, जो यातायात के अन्य साधनों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकते हैं।

ऐसी बाधाओं से उबरने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वैधानिक निकाय आईडब्ल्यूएआई जल मार्ग विकास परियोजना के माध्यम से वाराणसी और हल्दिया के बीच जलपथ का विकास करके और इस परियोजना के लिए आवश्यक सिविल, संरचनात्मक, लॉजिस्टिक्स और संचार मध्यावर्तन प्रदान करके गंगा नदी की नौवहनीयता या पोत परिवहन क्षमता में सुधार की योजना बना रहा है।

जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित मध्यावर्तन प्रस्तावित और नियोजित किए गए हैं।

- जलमार्ग/चैनल में और टर्मिनल सुविधा पर एलएडी प्रदान करने के लिए तलमार्जन का रखरखाव।
- उन्नत नौवहन आधारभूत ढांचा और नौवहन सहायक सुविधाएं तथा उपकरण
    - 10 रो-रो घाटों तथा सवारी नौका घाटों का निर्माण। इन घाटों के स्थल की पहचान अभी की जानी है।
    - 6 टर्मिनलों का निर्माण : साहेबगंज, वाराणसी और हल्दिया में 3 टर्मिनलों के स्थलों की पहचान और योजना का काम पूरा कर लिया गया है। टर्मिनलों के विकास के लिए 2 और संभावित स्थलों की पहचान गाजीपुर और कालू घाट में की गई है। ये दो स्थल अंतिम रूप देने के लिए अब भी विचाराधीन हैं और अभिकल्पना या डिजाइन की योजना भी अभी आरंभिक चरण में है। एनडब्ल्यू-1 पर एक और टर्मिनल के स्थल की पहचान की जा रही है।
    - फरक्का, पश्चिम बंगाल में एक और नौवहन बांध या लॉक का निर्माण।
    - टो बार्जेज या खिंचाव नौकाओं, अंतर्देशीय जहाजों, राहत नौकाओं और सर्वे उपकरणों सहित सर्व जहाजों का प्रावधान। कम भारवाहक कार्गो का विकास।
    - दिन और रात के समय नौवहन सुविधा के लिए एनडब्ल्यू-1 के साथ-साथ सहायक नौवहन सुविधाओं का विकास।
- सभी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के साथ सक्षम नदी सूचना प्रणाली का विकास।
- महत्त्वपूर्ण स्थलों के लिए किनारों की सुरक्षा/ ढलान सुरक्षा और नदी प्रशिक्षण कार्यों का प्रावधान।
- परियोजना 6 शहरों (इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, हल्दिया, कोलकाता) में 18 स्थलों पर यात्री टर्मिनलों के विस्तृत डिजाइन तैयार करने में सहायता प्रदान करेगी, जिनके लिए स्थलों की पहचान अभी की जानी है।
- परियोजना परिचालन चरण में जलयानों की संख्या और आवृत्ति में यथेष्ठ बढ़ोतरी करेगी जिसके कारण मछुआरों की आजीविका पर सीमित प्रभाव पड़ सकता है। आईडब्ल्यूएआई ने संवेदनशील स्थलों पर पर्यावरण और सामाजिक आकलन करने तथा यदि आवश्यक हो तो उपशमन योजनाएं तैयार करने के लिए केंद्रीय अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की सेवाएं ली हैं।

परियोजना में सड़कों और रेलमार्गों जैसे सतह यातायात के अन्य साधनों के साथ जोड़ने के अवसरों के निर्माण और उन्नयन की संभावनाओं का भी ध्यान रखा गया है, ताकि जलमार्गों को विभिन्न

सुसज्जित टर्मिनलों और घाटों के माध्यम से जोड़कर लॉजिस्टिक्स या संचालनतंत्र श्रृंखला की कुल क्षमता में वृद्धि की जा सके। परियोजना का क्रियान्वयन विश्व बैंक की वित्तीय और तकनीकी सहायता से किया जा रहा है और आईडब्ल्यूएआई इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है।

परियोजना की तैयारी के आरंभिक चरण में ही अंतर्देशीय जलमार्ग विकास के पर्यावरणिक और सामाजिक पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है ताकि परियोजना के टिकाऊ यातायात और पर्यावरणिक उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस कार्यक्रम के अंग के रूप में आईडब्ल्यूएआई ने एनडब्ल्यू-1 के नौवहन उन्नयन से जुड़े संभावित पर्यावरणिक और सामाजिक प्रभावों को समझने तथा उनका खाका बनाने के लिए और परियोजना से जुड़े प्रभावों के प्रभावी उपशमन तथा प्रबंधन की योजना तौयार करने के लिए अध्ययनों का कार्य सौंपा था।

1.2. परियोजना के लाभ

पूरे राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर इलाहाबाद तक क्षमता संवर्धन की प्रबल मांग है, क्योंकि जहाजों से माल भेजने वाली कई संभावित कंपनियों ने (तापीय ऊर्जा संयंत्र, सीमेंट कंपनियां, उर्वरक कंपनियां और खाद्य तेल कंपनियां) एनडब्ल्यू-1 के उपयोग करने में दिलचस्पी प्रकट की है, बशर्ते इस पर पर्याप्त आधारभूत ढांचे का विकास किया जाए जिससे 1200-1500 पूर्ण भार टन (डेड वेट टनेज या डीडब्ल्यूटी) के ज्यादा बड़े जहाजों का नौवहन आसान हो सके। एनडब्ल्यू-1 पर आधारभूत ढांचे का विकास होने की वजह से इस पर हल्दिया से इलाहाबाद के बीच बड़े जहाजों पर माल यातायात बढ़ सकता है, माल प्रेषकों के लिए यातायात लागत में कमी आ सकती है, राजमार्गों पर भीड़भाड़ और दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं और नदी यातायात को यातायात के अन्य साधनों अर्थात सड़क यातायात और रेल यातायात के साथ जोड़ा जा सकता है और एनडब्ल्यू-1 पर यातायात में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। इस प्रकार प्रस्तावित परियोजना से भारत में समग्र यातायात प्रणाली को लाभ मिलेगा, माल-असबाब के कुल प्रवाह में आसानी होगी और क्षेत्र में आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी।

स्रोत : डीपीआर

चित्र 1.1 : राष्ट्रीय जलमार्ग-1

1.3. स्थल परियोजनाओं की विकास योजनाएं

4 बड़ी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की पहचान की गई और योजना बनाई गई है जिनमें वाराणसी, साहेबगंज और हल्दिया में बहु-साधन या मल्टीमोडल टर्मिनल और फरक्का में नौवहन बांध या लॉक शामिल हैं। वाराणसी और साहेबगंज में कार्य दो चरणों में हाथ में लिया जाएगा। प्रत्येक स्थल के लिए विशिष्ट योजनाएं निम्नानुसार हैं:

a. वाराणसी

वाराणसी जिले की रामनगर तहसील में लगभग 5.586 हेक्टेयर क्षेत्र में मल्टी-मोडल टर्मिनल का निर्माण प्रस्तावित है (स्थल और राजस्व मानचित्र का अधिग्रहीत नक्शा नीचे देखें)। इस टर्मिनल के लिए भूमि एलएए (LAA) 1894 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई थी। धारा

4(1) के अंतर्गत अधिसूचना 2 सितंबर 2009 को जारी की गई थी। इस अधिसूचना के उपरांत, एक गजट अधिसूचना 1 जनवरी 2010 को जारी की गई थी जिसके तहत धारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन के 25 दिनों के भीतर भूमि का कब्जा लिया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईडब्ल्यूएआई की ओर से टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहीत की और यह भूमि 2010 में आईडब्ल्यूएआई को सौंप दी।

अधिग्रहण से प्रभावित 12 परिवारों (4 कट्टों में) ने रामनगर टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा प्राप्त कर लिया। इन परिवारों के बीच से एक परिवार ने सरकार के खाते से मुआवजा धनराशि का आहरण नहीं किया और अधिक मुआवजे के लिए जिला जज, वाराणसी की अदालत का दरवाजा खटखटाया। यद्यपि टर्मिनल के लिए जमीन पहले ही आईडब्ल्यूएआई के कब्जे में है।

चरण 1(बी) से 1.415 हेक्टेयर भूमि पर एक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है और यह भूमि जमीन मालिकों के साथ मोलभाव समझौते के माध्यम से अधिग्रहीत की जा रही है।

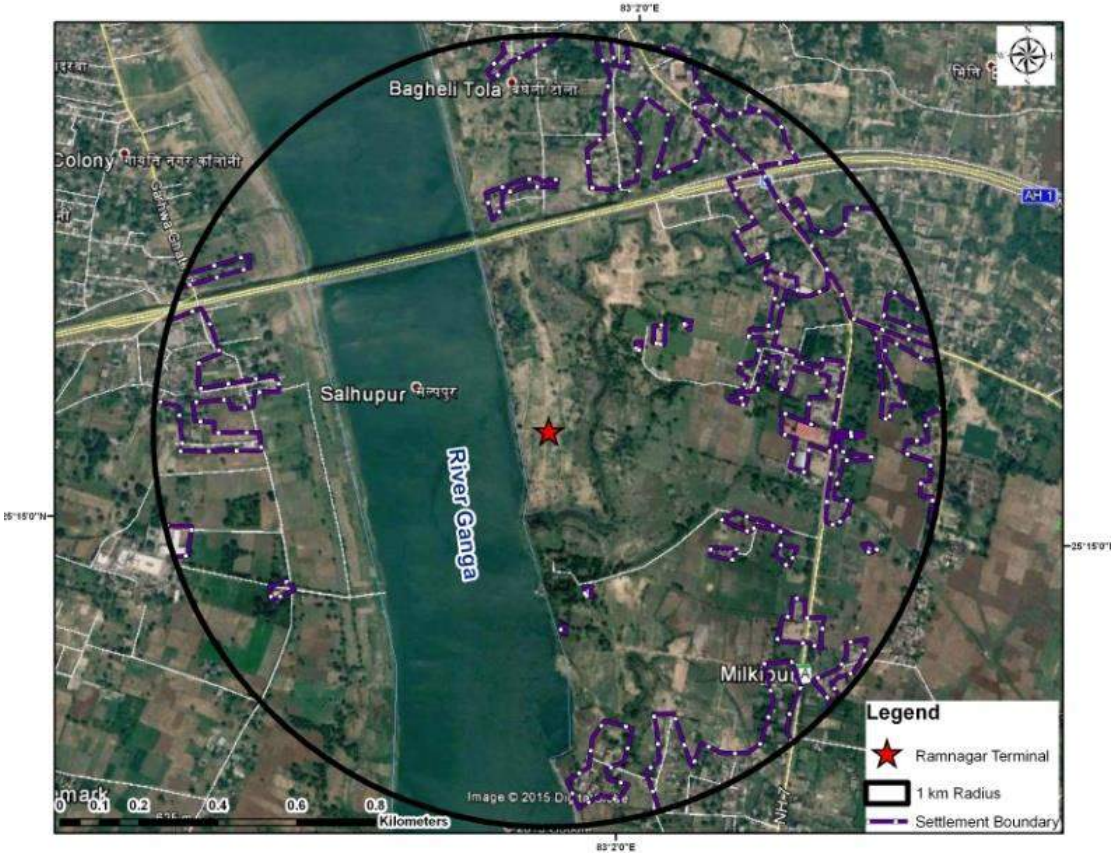

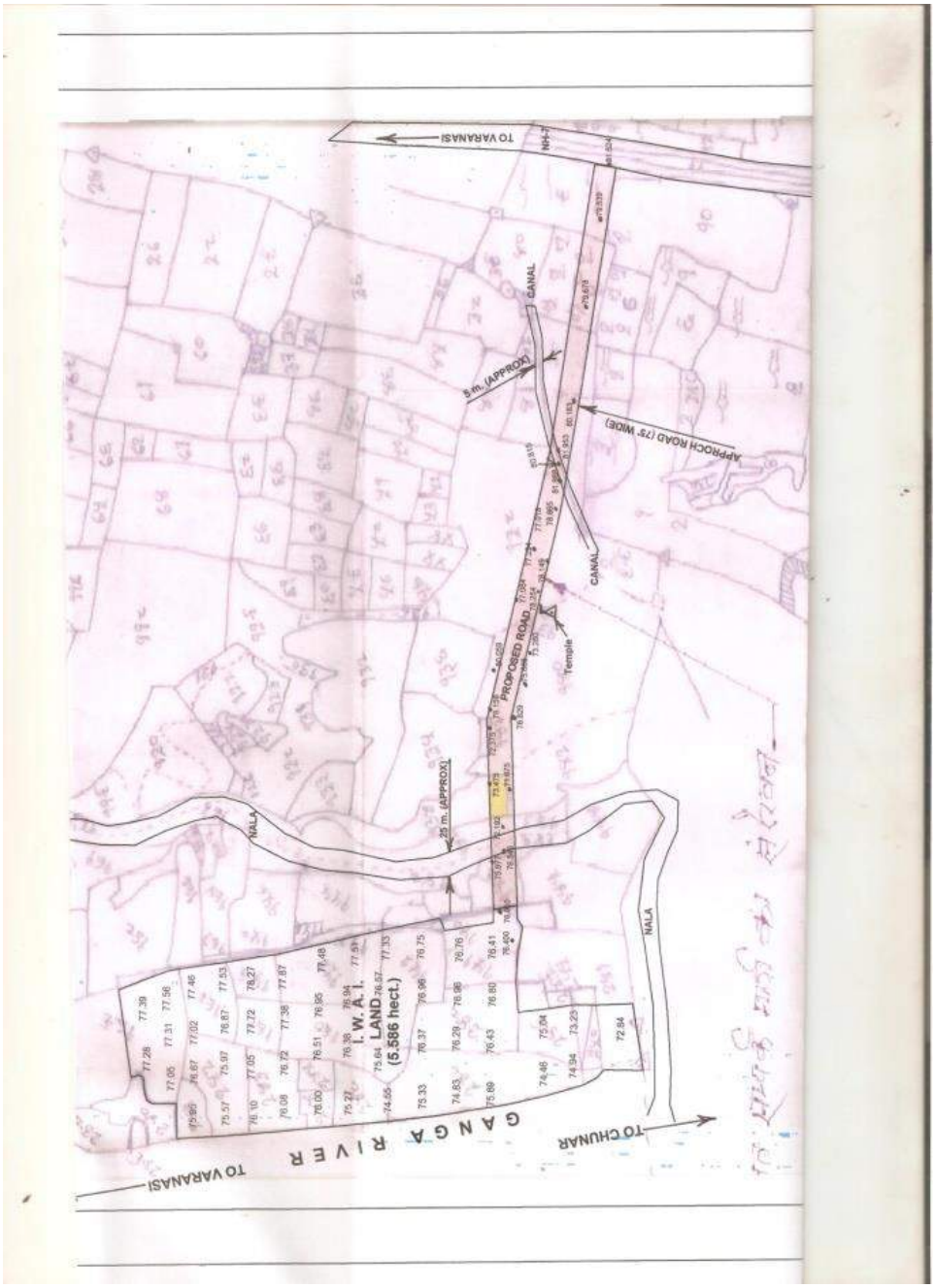

स्रोत : एसएलएओ वाराणसी

चित्र 1.2 : रामनगर टर्मिनल - राजस्व नक्शा जिसमें टर्मिनल के लिए प्रभावित भूखंड तथा प्रस्तावित संपर्क सड़क चिह्नित की गई है

b. साहेबगंज

झारखंड के साहेबगंज जिले में साहेबगंज कस्बे से 10 किमी की दूरी पर साखरी रेलवे स्टेशन के नजदीक सामदा नाला और रामपुर गांवों में एक मल्टी-मोडल टर्मिनल स्थापित किया जाएगा (स्थल नक्शा नीचे देखें)। इस प्रस्तावित परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत भूमि की कुल आवश्यकता 78.91 हेक्टेयर (195 एकड़) आंकी गई है, जो टर्मिनल चरण-1 और सड़क संयोजकता के

लिए है। चरण 1 के लिए कुल अनुमानित भूमि 24 हेक्टेयर है। चरण 1 में इस टर्मिनल का आयाम 738 मीटर X 238 मीटर है। 45.20 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा आंरभ की गयी है और 2.89 हेक्टेयर सरकारी भूमि हस्तांतरण की मांग प्रस्तुत की गयी है। अधिसूचनाओं और घोषणाओं की प्रतिलिपियां अनुलग्नक 2 में हैं।

प्रभावित गांव	**अधिग्रहीत की जाने वाली निजी भूमि**	**आरएफसीटीएलएआरआर 2013 की धारा 11(1) के अनुसार अधिसूचना की तिथि**	**आरएफसीटीएलएआरआर 2013 की धारा 19(1) के अनुसार घोषणा की तिथि**
समदानाला	40.49 हेक्टेयर	04.07.2015	29.10.2015
रामपुर	4.71 हेक्टेयर	08.07.2015	29.10.2015

c. हल्दिया

दुर्गाचक, हल्दिया, पुरबा मेदिनीपुर में हुगली नदी के तट पर एक मल्टी मोडल टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, जो हल्दिया गोदी कॉम्प्लेक्स के औद्योगिक जोन में अवस्थित होगा। यह प्रस्तावित परियोजना लीज पर ली गई 24.68 हेक्टेयर (61 एकड़) भूमि पर स्थापित की जाएगी। इस उप परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में कोई भी अस्वैच्छिक पुनर्वास शामिल नहीं है।

सारणी 1.1 : स्थान, क्षेत्र के संबंध में प्रस्तावित टर्मिनल स्थल

स्थल	**भौतिक स्थान**			**भौगोलिक स्थान**		**क्षेत्र हेक्टेयर में**
	मौजा	**नगरपालिका**	**वार्ड**	**अक्षांश**	**देशांतर**	

प्रस्तावित स्थल	दुर्गाचक	हल्दिया नगरपालिका	9	22.057944°	88.140222°	24.68
स्थान	स्थलाकृति या टोपोग्राफी					भू उपयोग पैटर्न भू उपयोग पैटर्न
प्रस्तावित स्थल	यह स्थल समतल भूभाग है। इस स्थल पर लगभग 3-4 फीट भूमि के भराव की आवश्यकता है। इस स्थल का कुल आकार आयताकार या समकोणीय है जिससे यह कंटेनर टर्मिनल के लिए और भी उपयुक्त है। यह स्थल हुगली नदी की अपतटीय भूमि पर स्थित है। इस स्थल की कोलकाता से सड़क संयोजकता अच्छी है। कोलकाता से हल्दिया तथा अन्य स्थानों तक नदी और सड़क संयोजकता अच्छी है। परियोजना स्थल के आसपास ट्रकों और लॉरियों को रखने के लिए प्रचुर खुले स्थान हैं।					किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों के लिए भूमि तैयार कर दी गयी है।

चित्र 1.3 : गूगल मानचित्र में दुर्गाचक पर प्रस्तावित हल्दिया टर्मिनल

d. फरक्का में विशिष्ट योजनाएं

फरक्का बांध परियोजना क्षेत्र में मौजूदा लॉक या बांध के समानांतर एक नए नौवहन बांध या लॉक का निर्माण 14.86 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र 02.03.2016 को पोत परिवहन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसका कस्टोडियन या अभिरक्षक आईडब्ल्यूएआई है। यह परियोजना स्थल फरक्का बांध परियोजना क्षेत्र में और फरक्का बांध के ऊर्ध्वप्रवाह पर भागीरथी तथा मुख्य गंगा के संगम पर स्थित है (नीचे दिया गया मानचित्र देखें)। स्थल पर एक पहुंच सड़क मार्ग है जो इसे एनएच-34 से जोड़ता है।

चित्र 1.4 : गूगल मानचित्र में फरक्का पर प्रस्तावित फरक्का नौवहन बांध

चित्र 1.5 : परियोजना क्षेत्र – फरक्का नौवहन लॉक या बांध

चित्र 1.6 : प्रस्तावित नौवहन लॉक स्थल और उसके आसपास की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित चित्रों में दर्शाई गई हैं।

सारणी 1.2 : स्थल, क्षेत्र के संबंध में प्रस्तावित नौवहन लॉक स्थल

स्थल	भौतिक स्थान			भौगोलिक स्थान		क्षेत्र हेक्टेयर में
	मौजा	ग्राम सभा	वार्ड	अक्षांश	देशांतर	
प्रस्तावित स्थल	बेवा	बेवा फरक्का गांव	0	24.7977381	87.9065289	14.86
स्थल	प्ररूप विज्ञान					भू उपयोग पैटर्न
प्रस्तावित स्थल	➢ यह स्थल समतल भूभाग है। ➢ स्थल पर लगभग 2-3 भूमि के भराव की आवश्यकता है। ➢ स्थल का कुल आकार आयताकार या समकोणीय है जिससे यह नौवहन लॉक गेट के लिए और अधिक उपयुक्त है। ➢ कोलकाता से परियोजना स्थल की सड़क संयोजकता अच्छी है। ➢ कोलकाता से फरक्का और अन्य स्थानों की नदी तथा सड़क संयोजकता अच्छी है।					किसी भी प्रकार के अवसंरचनात्मक विकास के लिए भूमि तैयार कर दी गई है।

स्रोत *: एआईएआईडी क्षेत्र प्रतिनिधियों के स्थल के मुआयने के दौरान भौतिक अवलोकनों के माध्यम से*

1.4. पुनर्वास का न्यूनीकरण

परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनीकृत या कम से कम करने के उद्देश्य से स्थलों का चयन विभिन्न सामाजिक तथा तकनीकी साधनों का समुचित विचार करते हुए किया गया और तीन टर्मिनल स्थानों के लिए सरकारी निकायों के पास पहले से उपलब्ध भूमियों को प्रमुखता दी गई। विकल्पों के विश्लेषण का सार-संक्षेप नीचे दिया गया है:

i. वाराणसी

टर्मिनल के लिए इस स्थल को आईडब्ल्यूएआई द्वारा 2010 में अधिग्रहीत किया गया था और इसलिए टर्मिनल के विकास के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।

ii. साहेबगंज

साहेबगंज एनडब्ल्यू-1 के राजमहल-भागलपुर टुकड़े पर स्थित पुराना कस्बा है जहां भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा 2.5 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई (लीस्ट एवलेबल डेप्थ, एलएडी) कायम रखी जा रही है। यह इलाका स्टोन चिप्स की मालढुलाई के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि पत्थर की खदानें यहां से नजदीक ही स्थित हैं और स्टोन चिप्स की अच्छी-खासी मात्रा की यहां से आईडब्ल्यूएआई के माल जहाजों के माध्यम से पिछले कई सालों से नियमित रूप से ढुलाई की जाती रही है। स्टोन चिप्स की ढुलाई के अलावा साहेबगंज में झारखंड में स्थित विभिन्न कोयला खदानों के घरेलू कोयले की ढुलाई की अच्छी संभावना है। ये कोयला खदानें रेलमार्ग पहले से ही जुड़ी हुई हैं, जो समदाघाट, साहेबगंज पर नदी किनारे के नजदीक से गुजरती हैं।

इस टर्मिनल के लिए दो स्थलों की पहचान की गई है, अंतिम स्थल के चयन का मानदंड (i) नदी की गहराई, (ii) नदी चैनल या वाहिका की स्थिरता और (iii) साहेबगंज कस्बे के परि-शहरी क्षेत्र की घनी बस्तियों से बचने पर आधारित था।

इस स्थल के चयन के दौरान आईडब्ल्यूएआई ने कुछ अन्य संभावनाओं की छानबीन की, जिनमें समदाघाट से 4-5 किमी ऊर्ध्वप्रवाह पर एक स्थल शामिल था, जहां घनी आबादी थी और यह साहेबगंज कस्बे के क्षेत्र में स्थित था। इसके अलावा जलवाहिका में पर्याप्त गहराई भी उपलब्ध नहीं थी। इस स्थल पर नदी वाहिका उर्ध्वप्रवाह या रिवर चैनल अपस्ट्रीम भी उत्तर की ओर बिहार की ओर प्रतिस्थापित हो रहा है। इतना ही नहीं, सामदाघाट का अनुप्रवाह, जो पर्वतीय भूभाग है, टर्मिनल के निर्माण के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया।

इस प्रकार प्रत्येक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण से साहेबगंज में सामदाघाट का चयनित स्थल घरेलू कोयले, स्टोन चिप्स और अन्य माल की ढुलाई के लिए मल्टी मोडल टर्मिनल का विकास करने के लिए एकमात्र उपयुक्त स्थान पाया गया। पर्याप्त गहराई और तट या किनारे से निकटता के साथ नौवहन जलवाहिका की उपलब्धता स्थल के चयन के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता थी।

स्थानीय लोगों और स्थानीय राजस्व अधिकारियों के साथ सलाह-मशविरे के दौरान नदी तट पर सामदाघाट में आरंभ में टर्मिनल के विकास के ले ऐसी भूमि (1500मी x 350मी) की पहचान की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग-80 इस टर्मिनल स्थल से मात्र लगभग 1.00 किमी दूर है। उत्तर पूर्वी रेलवे की ब्रॉड गेज लाइन इस स्थान से लगभग 1.5 किमी की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन साकरीगली है जो मुख्य पटना-मालदा रेलमार्ग पर स्थित है। इस नदी में एक स्थिर नौवहन जलवाहिका भी इस स्थल पर उपलब्ध है।

iii. हल्दिया

हल्दिया के स्थल का अंतिम चयन अनेक तकनीकी, पर्यावरणिक और सामाजिक पहलुओं पर विचार करने के बाद किया गया था। यह औद्योगिक केंद्र के निकट स्थित है और सड़क तथा रेलमार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित स्थल का आकार और स्थलाकृति कार्गो को संभालने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिए उपयुक्त है। इस उप परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाधाओं से मुक्त भूमि एचडीसी द्वारा 30 साल के लिए लीज पर दी गई है।

iv. फरक्का

फरक्का बांध परियोजना के सुरक्षित क्षेत्र के भीतर लॉक स्थल के लिए दो विकल्पों पर विचार किया गया था।

सारणी 1.3 : फरक्का में विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण

विषय	विकल्प 1	विकल्प 2
स्थल का स्थान	प्रस्तावित लॉक मौजूदा लॉक के समानांतर है	प्रस्तावित लॉक मौजूदा लॉक का अनुप्रवाह है
अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्र	14.86 हेक्टेयर	26.46 हेक्टेयर
पुनर्निर्मित की जाने वाली भूमि की लंबाई	675 मीटर	980मीटर

स्रोत : डीपीआर कंसल्टेंट्स

भूमि की आवश्यकता और पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं को कम से कम करने के संदर्भ में विकल्प 1 पर विचार किया गया। बाधा रहित भूमि आईडब्ल्यूएआई को हस्तांतरित कर दी गई है।

अध्याय 2 : कार्य पद्धति

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य स्थलों पर सुविधाओं का निर्माण करने के साथ जुड़े संभावित सामाजिक प्रभावों का खाका तैयार करना और उन्हें समझना तथा प्रभावों के प्रबंधन के लिए तैयारी करना तथा योजना बनाना है। उपर्युक्त के अनुसार, यह रिपोर्ट चिह्नित उप-परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन की चर्चा करती है और उसी के अनुसार प्रतिकूल प्रभावों को संबोधित करने के लिए उपशमन उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।

अध्ययन सामाजिक मुद्दों और हितधारकों तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से साधनहीन समुदायों सहित समुदायों की पहचान के साथ आरंभ हुआ। अध्ययन के फलक विशेष रूप से निम्नांकित शामिल थे:

- प्रस्तावित परियोजना से जुड़े प्रमुख सामाजिक मुद्दों की पहचान करना और परियोजना के सामाजिक विकास परिणामों को विस्तृत रूप से बतलाना;
- परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन से जुड़ी नीतियों, विनियमों और अन्य प्रावधानों की तथा साथ ही अन्य सामाजिक मुद्दों की समीक्षा करना;
- परियोजना के विभिन्न अवयवों तथा भूमि अधिग्रहण (मकानों, आजीविका आदि की हानि), उसके फलस्वरूप उत्पन्न अस्वैच्छिक पुनर्वास के अर्थ में संभावित प्रभावों की सामाजिक छानबीन करना तथा उपयुक्त उपशमन योजनाएं बनाने में आगत या इनपुट (प्रभावों तथा उपशमन की संभावित लागत के अर्थ में) प्रदान करना;
- परियोजना क्षेत्र और उसके पास-पड़ोस में सामाजिक विकास के मुद्दों की छानबीन करना और ऐसी सामाजिक सेवाओं की रूपरेखा बनाना जिन्हें जीवन का गुणवत्ता में सुधार तथा परियोजनाओं के आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से परियोजना द्वारा प्रदान किया जा सकता है;
- संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के आकलन के आधार पर जनसंख्या और उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं की रूपरेखा को अद्यतन करना, मानदंड स्थापित करना जो रणनीतियां बनाने में सहायता करेगा;
- परियोजना की डिजाइन, उद्देश्यों और क्रियान्वयन से जुड़े विषयों के संबंध में परियोजना के हितधारकों को सूचना देना, उनसे परामर्श करना और संवाद आयोजित करना और उच्च सामाजिक जोखिमों से बचने / कम से कम करने के लिए विशिष्ट अनुशंसाएं प्रदान करना;
- परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास सामाजिक विकास मुद्दों की छानबीन करना और उसके अनुसार ऐसी सामाजिक सेवाओं की रूपरेखा बनाना जो परियोजना द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से प्रदान की जा सकती हों;
- सामुदायिक परिसंपत्तियों (उदाहरण के लिए स्कूल, सामुदायिक परिसंपत्तियां) की संभावित हानि की पहचान करना, जिनमें धार्मिक संरचनाएं तथा साझा संपत्ति संसाधन (उदाहरण के लिए, वन, चराई क्षेत्र) भी शामिल हैं;
- निर्माण श्रमिकों तथा अन्यों के अंतर्वाह (सिविल कार्य और परियोजना का संचालन दोनों के दौरान) के प्रभावों का एचआईवी/एड्स तथा अन्य बीमारियों की घटनाओं के संदर्भ में आकलन करना और उन पर नियंत्रण की रणनीति विकसित करना।

जन परामर्श के लिए कार्य पद्धति : परियोजना के बारे में जागरूकता विकसित करने तथा टर्मिनलों और लॉक के निर्माण के साथ जुड़े जोखिमों के उपशमन के उपायों की योजना बनाने के लिए, प्रभावित

परिवारों तथा अन्य हितधारकों के साथ केंद्रित समूह चर्चाओं, व्यक्तिगत साक्षात्कारों और जन सभाओं के माध्यम से परामर्श किया गया। प्रभावित व्यक्तियों को अग्रिम रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूचित करने तथा साहेबगंज में प्रभावित परिवारों के बीच आर ऐंड आर क्षतिपूर्ति से संबंधित सामग्री वितरित करने के पश्चात औपचारिक जन परामर्श आयोजित किए गए। महिलाओं के साथ उनकी चिंताओं और मुद्दों को निकलवाने के लिए अलग से विचार-विमर्श आयोजित किए गए।

इस एसआईए का कार्यक्षेत्र अनुभाग 3.2 में विस्तार से बताया गया है। साहेबगंज और वाराणसी में सड़क संयोजकता के लिए एसआईए बाद में भूमि की आवश्यकता को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात कालू घाट और गाजीपुर के इंटर मोडल टर्मिनलों और 5 रो-रो स्थलों के एसआईए के साथ-साथ किया जाएगा।

परियोजना प्रभावित समुदायों की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं एकत्र की गयीं। इन समुदाय के भीतर कमजोर वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से डाटा को लैंगिक आधार पर अलग किया गया। महिलाओं के साथ विशेष रूप से साहेबगंज में अलग से परामर्श आयोजित किये गये और यह समझने का प्रयास किया गया कि उनकी चिंताओं को इस सामाजिक प्रभाव उपशमन योजना में किस प्रकार शामिल किया जा सकता है।

अध्याय 3 : प्रभाव क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक स्वरूप और परियोजना प्रभावित परिवारों पर प्रभाव

परियोजना स्थलों के प्रभाव क्षेत्रों की जनसांख्यिकी, उपजीविका का स्वरूप और अन्य प्रमुख सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का सार-संक्षेप इस भाग में प्रस्तुत किया गया है। प्रभाव क्षेत्र में आने वाली नगरपालिकाओं और गांवों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

3.1 सामाजिक आर्थिक स्वरूप

(i) रामनगर, वाराणसी:

2011 की जनगणना के अनुसार, रामनगर तहसील की कुल जनसंख्या 49,132 है जिसमें कुल पुरुष जनसंख्या 26,071 और स्त्री जनसंख्या 23,061 है। महिला लिंग अनुपात राज्य के 912 के औसत के विरुद्ध 885 है। रामनगर शहर की साक्षरता दर 79.92% है जो राज्य के औसत 67.68% से ज्यादा है। पुरुष साक्षरता दर 85.21% और महिला साक्षरता दर 73.93% है। रामनगर की कुल जनसंख्या में 10.87% अनुसूचित जाति (एससी) हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) 0.39% हैं। जहां तक धार्मिक बनावट की बात है, तो 2011 की जनसंख्या के 75.99% हिंदू, 23.41% मुस्लिम, 0.10% ईसाई और 0.43% सिख थे जबकि शेष 0.06% अन्य धार्मिक समूहों में आते थे या उन्होंने अपना धर्म नहीं बताया था।

(ii) सामदानाला और रामपुर गांव, साहेबगंज

2011 में साहेबगंज जिले की कुल जनसंख्या 11,50,567 थी, जिसमें 5,89,391 पुरुष और 5,61,176 स्त्रियां थीं। औसत साक्षरता दर 52.04% है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 60.34% और महिला साक्षरता दर 43.31% है। टर्मिनल स्थल साहेबगंज में सामदानाला और रामनगर गांवों में स्थित होगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, सामदानाला की कुल जनसंख्या 2005 और रामपुर गांव की 2234 है। सामदानाला की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या 1051 है जबकि महिला जनसंख्या 954 है। सामदानाला की साक्षरता दर 66.38% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 75.62% और महिला साक्षरता दर 56.49% है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 150 व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे, जबकि अनुसूचित जनजाति की कोई आबादी दर्ज नहीं थी। रामपुर में कुल जनसंख्या में 1197 पुरुष और 1037 महिलाएं हैं। पुरुष साक्षरता दर 85.43% है जबकि महिला साक्षरता दर 69.49% है। एससी आबादी 113 है जबकि एसटी आबादी 98 है।

(iii) हल्दिया नगरपालिका, पुरबा मेदिनीपुर

भारत जनगणना 2011 के अनुसार, हल्दिया नगरपालिका की जनसंख्या 2,00,827 है जिसमें 1,04,841 पुरुष हैं और 95,986 महिलाएं हैं। हल्दिया में पुरुष साक्षरता लगभग 93.26% है जबकि महिला साक्षरता दर 83.35% है। हल्दिया की धार्मिक बनावट में 83.72% हिंदू, 15.74% मुस्लिम, 0.17% ईसाई, 0.09% सिख और शेष 28% बौद्ध, जैन तथा अन्य हैं।

(iv) फरक्का, मुर्शिदाबाद

फरक्का विकासखंड की कुल जनसंख्या 2,74,111 (मुर्शिदाबाद की 3.86%) है। इसमें से 1,39,226 पुरुष और 1,34,885 महिलाएं हैं। कुल 2,74,111 की जनसंख्या में 32,689 अनुसूचित जाति और केवल 5,165 (1.88%) अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। फरक्का विकासखंड की कुल साक्षर जनसंख्या 1,34,650 है। इसमें से 74,957 पुरुष और 59,693 महिलाएं हैं।

3.2 प्रभावित क्षेत्र में परियोजना के प्रभाव

उपपरियोजना का नाम	आवश्यक भूमि (हेक्टे)	मांगी गई निजी भूमि (हेक्टे)	सरकारी भूमि (हेक्ट)	एसआईए पूरा हो गया (हेक्टे)	विस्थापित परिवारों की संख्या (संरचनाएं गंवाने वाले)	परियोजना प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या
मल्टीमोडल टर्मिनल वाराणसी चरण (1ए)	5.586	-	5.586	5.586	-	-	0
सड़क संयोजकता	1.415						
मल्टीमोडल टर्मिनल साहेबगंज चरण-1	23.997	45.02	2.89	47.91	235	275	1397
सड़क संयोजकता	3.5	*					
आरओबी	6.11	0**					
मल्टीमोडल टर्मिनल हल्दिया	24.68		24.68	24.68	-	-	0
फरक्का में नया नौवहन बांध या लॉक	14.86		14. 86	14.86	-	-	0
योग***	80.148	45.02	48.016	93.036****	235	275	1397

आकलन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि साहेबगंज की उप-परियोजना को छोड़ दें, तो किन्हीं भी अन्य उप-परियोजनाओं की वजह से उपपरियोजना क्षेत्र में भूमि और आवासीय संरचनाओं की हानि नहीं होगी।

साहेबगंज की उप-परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण सामदानाला और रामपुर गांवों से किया जाएगा। कुल 275 परिवार प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होंगे, क्योंकि वे अपनी भूमि, बगीचों और आवासीय संरचनाओं के साथ वासभूमि गंवा देंगे। इन 275 में से 235 परिवार विस्थापित होंगे। प्रभावित परिवारों में से 40 दूरवासी भूस्वामी हैं जो बगीचों और कृषि भूमि के मालिक हैं।

235 विस्थापित परिवारों में 32 कृषि और वासभूमि दोनों गंवा देंगे जिसकी वजह से उनकी जमीन और आवासीय संपत्तियां दोनों चली जाएंगी। बाकी 203 विस्थापित परिवार संरचना सहित केवल अपनी वासभूमि खोएंगे और 2 परिवार आवासीय भूमि सह व्यावसायिक संरचना भी खो देंगे।

भूमि की हानि :

भूमि की हानि : इन 40 दूरवासी स्वामित्वधारियों में से 21 बगीचों (15.635 हेक्टेयर) के मालिक और शेष 19 खाली पड़ी / बंजर भूमि (3.297 हेक्टेयर) के मालिक हैं। विस्थापितों में से 32 अपनी 4.58 हेक्टेयर कृषि भूमि और 3.2 हेक्टेयर वास भूमि गंवा देंगे। बाकी बचे 203 अपनी 6.411 हेक्टेयर वास भूमि और आवासीय भूखंडों के आसपास 2.253 हेक्टेयर खाली पड़ी भूमि गंवा देंगे। शेष भूमि (9.82 हेक्टेयर) का सर्वे नहीं किया गया और यह नदी के नीचे डूब में आ चुकी भूमि है।

प्रभावित व्यक्तियों का स्वरूप

कुल 1397 परियोजना प्रभावित व्यक्ति हैं। इनमें से 755 पुरुष और 642 महिलाएं हैं। कुल वयस्क आबादी 738 है।

सारणी 3.1 : प्रभावित परिवार के विवरण

प्रभावित गांव	प्रभावित व्यक्ति		एएफ
	पुरुष	महिला	
सामदानाला और रामपुर	755	642	235

स्रोत : मैदानी सर्वे

3.2.2 प्रभावित परिवारों की सामाजिक श्रेणी

प्रभावित क्षेत्र में रह रहे प्रभावित परिवारों की सामाजिक श्रेणी से पता चलता है, जैसा कि सारणी 4.5 में प्रस्तुत किया गया है, कि कुल 235 प्रभावित परिवारों में से 206 (87.66%) अन्य पिछड़े वर्गों से, 20 (8.51%) अनुसूचित जाति से, 7 (2.98%) सामान्य श्रेणी से और 2 (0.85%) अनुसूचित जनजाति से हैं।

सारणी 3.2 : प्रभावित परिवारों की सामाजिक श्रेणी

गांव	सामाजिक समूह					
	एसटी (पर्वतीय)	एसटी (मैदान)	एससी	ओबीसी	सामान्य	अन्य
सामदा नाला और रामपुर	0	2	20	206	7	0

स्रोत : मैदानी सर्वे

3.2.3 धार्मिक श्रेणी

सर्वे के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में हिंदू हैं।

सारणी 3.3 : धार्मिक श्रेणी

गांव	धार्मिक समूह				
	हिंदू	मुस्लिम	सिख	ईसाई	अन्य
सामदानाला और रामपुर	**235**	**0**	**0**	**0**	**0**

स्रोत : मैदानी सर्वे

3.2.4 साक्षरता स्तर

सर्वे के निष्कर्षों के अनुसार, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) में से 27.81% पुरुष और 37.85% से अधिक निरक्षर हैं। राज्य औसत की तुलना में उच्च निरक्षरता स्तर का कारण जागरूकता की कमी और खराब सामाजिक आधारभूत ढांचे को दिया जाता है। कुल प्रभावित जनसंख्या में से लगभग 33.38% पुरुषों, 41.43% महिलाओं ने प्राथमिक स्कूल तक जबकि 35.36% पुरुषों और 19.32% महिलाओं ने उच्चतर माध्यमिक तक पढ़ाई पूरी की है। प्राथमिक स्तरों तक साक्षरता की उच्च दर का कारण छात्रों का समावेशन और नामांकन सुनिश्चित करने में राज्य के बढ़े हुए हस्तक्षेपों को दिया जाता है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का साक्षरता स्तर **सारणी 3.4** में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 3.4 : पीएपी का साक्षरता स्तर

शैक्षणिक स्थिति	पुरुष	%	महिला	%
निरक्षर	210	27.81	243	37.85
साक्षर कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	0	0	0	0
प्राथमिक तक	252	33.38	266	41.43
एचएससी तक	267	35.36	124	19.32
स्नातक या ग्रेजुएट	23	3.05	9	1.40
पेशेवर / तकनीकी	3	0.40	0	0
योग	**755**	**100**	**642**	**100**

स्रोत : मैदानी सर्वे

3.2.5 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की वैवाहिक स्थिति

कुल 738 वयस्कों में से 570 विवाहित हैं और 118 अविवाहित हैं और 1 तलाकशुदा है, 6 अलग हो चुके हैं और 42 विधवा हैं, विवरण सारणी 3.5 में प्रस्तुत हैं।

सारणी 3.5 : पीएपी की वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति	प्रभावित व्यक्ति (वयस्क)
विवाहित	570
अविवाहित	118
तलाकशुदा	1
अलग हो चुके	6
विधवा	42
लिव-इन	1
योग	**738**

स्रोत : मैदानी सर्वे

3.2.6 परिवार का आकार

सर्वे से पता चलता है कि परिवार का औसत आकार 5.9 है।

3.2.7 रोजगार की स्थिति

उपजीविका का स्वरूप **सारणी 3.6** में प्रस्तुत है।

सारणी 3.6 : प्रभावित आबादी की उपजीविका का स्वरूप

पेशा या उपजीविका	पुरुष	%	महिला	%
किसान (मालिक)	37	7.72	2	3.51
खेतिहर मजदूर	54	11.27	23	40.35
गैर खेतिहर मजदूर	248	51.78	21	36.84
व्यवसाय / व्यापार	14	2.92	1	1.75
सरकारी सेवा में	3	0.63	0	0
निजी सेवा में	14	2.92	2	3.51
अन्य	109	22.76	8	14.04
	479	**100**	**57**	**100**

3.2.8 आय का स्तर

सारणी 3.7 प्रभावित परिवारों की मासिक आय प्रदर्शित करती है। कुल उत्तरदाताओं में से केवल 377 ने अपनी मासिक आय के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। सीमित उत्तरों के कारण औसत मासिक आय की गणना नहीं की जा सकी। तथापि इस श्रेणी के उत्तरदाताओं के बीच मासिक आय के स्वरूप नीचे दिए गए हैं।

सारणी 3.7 : मासिक आय

0 से 5000/- प्रतिमाह	5001 से 7000/- प्र.मा.	7001 से 10000/- प्रतिमाह	> 10001/- प्र.मा.

पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला

स्रोत : मैदानी सर्वे

भूमि और संरचनाओं पर परियाजना के बड़े प्रभाव

3.2.9 भूमि पर प्रभाव

नीचे प्रस्तुत किए गए परियोजना के प्रभाव वे हैं जिनका अध्ययन 48.1 हेक्टेयर के लिए किया गया। इनमें से 35.38 हेक्टेयर भूमि निजी भूमि है जिसके स्वामित्वधारियों के अभिलेख मौजूद हैं और 9.83 हेक्टेयर भूमि दियारा में पड़ती है, जिनका राजस्व अभिलेखों में कोई स्वामित्वधारी / दावेदार नहीं है, जबकि 2.89 हेक्टेयर भूमि सरकारी भूमि है।

सारणी 3.8 : कुल अधिग्रहीत भूमि

जिला	प्रभावित गांव	अधिग्रहीत किया जाने वाला कुल क्षेत्र (हेक्टे में)	निजी भूमि (हेक्टेयर में)	सरकारी भूमि (हेक्टेयर में)
साहेबगंज	सामदा नाला और रामपुर	48.1	45.2	2.89

3.2.10 भू उपयोग का स्वरूप

कुल 45.2 हेक्टेयर निजी भूमि में से 18.93 हेक्टेयर भूमि पर कृषि भूमि और बगीचे हैं, 6.89 हेक्टेयर भूमि बंजर है, 9.6 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय संरचनाएं हैं और 9.8 हेक्टेयर भूमि का सर्वे नहीं किया गया है और इस पर कोई भी प्रभावित परिवार निर्भर नहीं है अर्थात इसका उपयोग लोगों द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता क्योंकि यह नदी की डूब में आ चुकी है।

सारणी 3.9 : भू उपयोग का स्वरूप

क्रम सं.	भूमि का प्रकार	अधिग्रहीत किया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर)	कुल निजी भूमि की प्रतिशत (%)
1	बगीचों वाली भूमि	18.935 ha	41.79
2	बंजर भूमि	6.879 ha	15.22
3	संरचनाओं वाली भूमि	9.611 ha	21.26
4	बिना सर्वे की गई भूमि	9.821 ha	21.73
5	योग	45.2 ha	100

स्रोत : जिला भूमि अधिग्रहण विभाग, साहेबगंज

3.3 संरचनाओं पर प्रभाव

सभी संरचनाओं की गणना का कार्य किया गया जिसमें 9.611 हेक्टेयर निजी भूमि और 2.89 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। सर्वे किए गए क्षेत्र के भीतर प्रभावित होने वाली संरचनाओं की कुल संख्या

239 है। इनमें स्थायी और अर्ध-स्थायी संरचनाएं हैं। संरचनाओं पर प्रभाव के विवरण सारणी 3.10 में दर्शाए गए हैं और विभिन्न श्रेणियों, जैसे निजी, सरकारी और धार्मिक, के अंतर्गत आने वाली संरचनाएं सारणी 3.11 में दर्शाई गई हैं।

सारणी 3.10 : संरचनाओं पर प्रभाव

संरचना गंवाने वाले परिवारों की संख्या	प्रभावित निजी संरचनाओं की संख्या	भूमि का कुल प्रभावित क्षेत्र वर्ग मी. में	संरचना का माप वर्ग मी. में
235	235	39179	11630

सारणी 3.11 : संरचनाओं का प्रकार

क्रम सं.	प्रभावित संरचनाएं	योग	प्रतिशतता (%)
1	निजी	235	98.32
2	सरकारी	2	0.84
3	धार्मिक	2	0.84
योग		**239**	**100**

3.3.2 संरचनाओं का उपयोग

निजी, सरकारी और धार्मिक संरचनाओं की कुल संख्या, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, **239** है। संभावित रूप से प्रभावित होने वाली कुल संरचनाओं में से अच्छी-खासी बड़ी संख्या **235** आवासीय संरचनाओं की है, जिसके बाद क्रमशः 2 धार्मिक संरचनाएं और 2 सरकारी संरचनाएं हैं।

सारणी 3.12 : संरचनाओं का उपयोग

क्रम सं.	मख्य संरचना का वर्गीकरण	संख्या	प्रतिशतता
क. निजी			
1	आवासीय	233	97.48
2	व्यावसायिक	0	0
3	आवासीय+ व्यावसायिक	2	0.84
योग		235	98.32
ख. सरकारी			
1	आंगनवाड़ी	1	
2	गंगा पंप नहर संरचना	1	

योग		2	0.84
ग. धार्मिक			
1	मंदिर (बंगाली आश्रम मंदिर)	2	0.84
योग		2	0.84
महायोग (क+ख+ग)		**239**	**100.00**

3.3.3 संरचनाओं का प्ररूप विज्ञान

संरचनाओं के वर्गीकरण या प्रकार से भी घर-परिवारों की आर्थिक स्थितियों का पता चलता है। संभावित रूप से प्रभावित होने वाली अधिकतम संरचनाएं कच्ची (65.27%) हैं, जिसके बाद पक्की+कच्ची संरचनाएं (14.22%), पक्की (8.79%) और अर्ध-पक्की संरचनाएं (7.11%) आती हैं। संरचनाओं के निर्माण के प्रकार के विवरण सारणी 3.13 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 3.13 : मुख्य संरचना का प्ररूप विज्ञान

क्रम सं.	प्रकार या वर्गीकरण	संख्या	प्रतिशतता (%)
1	आरसीसी छत के साथ ईंट का काम	21	8.79
2	छप्पर की छत के साथ ईंट का काम	17	7.11
3	छप्पर की छत के साथ मिट्टी की दीवारें	156	65.27
4	आरसीसी छत के साथ + छप्पर की छत के साथ ईंट का काम	34	14.22
5	आरसीसी छत के साथ + छप्पर की छत के साथ ईंट का काम	3	1.26
6	आरसीसी छत के साथ + छप्पर की छत के साथ + छप्पर की छत के साथ मिट्टी की दीवारों के साथ ईंट का काम	5	2.09
7	छप्पर की छत के साथ ईंट का काम + छप्पर की छत के साथ मिट्टी की दीवारें	3	1.26
योग		239	100

3.3.4 अन्य संपत्तियों / संरचनाओं का प्रकार और प्रभाव

सारणी 3.14 : अन्य संपत्तियों पर प्रभाव

क्रम सं.	अन्य संपत्तियां	संख्याएं
1	खुदाई के कुएं या डग वेल	3
2	नलकूल या ट्यूब वेल	2
3	पानी के नल	4
4	पानी के टैंक	1
5	हैंड पंप	23
6	पशु शेड	77
		110

3.3.5 धार्मिक संपत्तियों पर प्रभाव

गणना सर्वे के दौरान परियोजनाओं से प्रभावित होने वाली साझा संपत्तियों संसाधनों के रूप में 2 धार्मिक संरचनाओं की पहचान की गई।

सरकारी संरचनाएं

गणना सर्वे के दौरान प्राप्त विवरणों के अनुसार, दो सरकारी संरचनाएं प्रभावित हैं। इनमें से एक आंगनवाड़ी केंद्र है और दूसरी गंगा पंप नहर संरचना है।

3.4 पेड़ों पर प्रभाव :

परियोजना से कुल 665 पेड़ प्रभावित होंगे। इनमें से 213 आम, 98 नीम, 54 शीशम, 8 सेमल और 5 जामुन के पेड़ हैं। बाकी पेड़ फल देने वाले पेड़ नहीं हैं और सभी पेड़ों (जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित) का मुआवजा या क्षतिपूर्ति का भुगतान बागवानी/वन विभाग के आकलन के अनुसार किया जाएगा।

सारणी 3.15 : वृक्षों के प्रकार

क्रम सं.	वृक्षों का प्रकार	वृक्षों की संख्या
1	जामुन	5
2	शीशम	54
3	सेमल	8
4	आम	213
5	नीम	98
6	अन्य (बांस, पीपल, कटहल आदि)	287
	योग	665

3.5 आजीविका पर प्रभाव :

आजीविका का मुख्य स्रोत मेहनत मजदूरी है। पुरुष मुख्य रूप से नजदीक की पत्थर खदानों और में लगे हुए हैं और महिलाएं मौसमी खेतिहर मजदूर हैं और नजदीक के गांवों में सब्जियां उगाने के कामों में लगी हैं, जैसा कि सारणी 3.16 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.16 : आजीविका का स्वरूप

पेशा	पुरुष	%	महिला	%
किसान (मालिक)	37	7.72	2	3.51
कृषि या खेतिहर मजदूर	54	11.27	23	40.35
गैर खेतिहर मजदूर	248	51.78	21	36.84
व्यवसाय/व्यापार	14	2.92	1	1.75
सरकारी सेवा	3	0.63	0	0
निजी सेवा	14	2.92	2	3.51
अन्य	109	22.76	8	14.04
योग	**479**	**100**	**57**	**100**

3.6 पशुधन पर प्रभाव

यहां 77 व्यक्तियों के पास पशुबाड़े या कैटल शेड हैं। प्रभावित व्यक्तियों के अधीन विभिन्न श्रेणियों के पशुधन की संख्या 1177 है, जैसा कि सारणी 3.17 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.17 : पशु धन

पशुधन का प्रकार	संख्या
गाय	408
भैंस	219
बकरी	550
योग	1177

अध्याय 4 : जन परामर्श

4.1 केआईआई, एफजीडी और परामर्श बैठकों के अवलोकन

प्रत्येक स्थल पर आयोजित परामर्शों के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों का सार-संक्षेप नीचे दिया गया है।

वाराणसी

i. **विचाराधीन भूमि के पिछले स्वामियों के साथ मल्टीमोडल टर्मिनल स्थल के बारे में विचार-विमर्श**
मल्टीमोडल टर्मिनल स्थल के स्थान के संबंध में पहला विचार-विमर्श आयोजित किया गया, जो पहले से ही आईडब्ल्यूएआई के कब्जे में है। इस स्थल के लिए कुल भूमि अधिग्रहण 5.586 हेक्टेयर था, जिसके 4 मालिक थे। मालिकों ने पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे के प्रति असंतोष व्यक्त किया।

ii. **अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श**
प्रस्तावित टर्मिनल के निकट बलुआ घाट पर मछुआरों, केवटों या नाविकों और अतिक्रमणकारियों के साथ 21.06.2015 को केंद्रित समूह चर्चा की गई। इस समूह में प्रस्तावित टर्मिनल से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्ति शामिल थे।

विचार-विमर्श में उभरकर आए कुछ प्रमुख मुद्दे थे :

1) परियोजना के बारे में अच्छी-खासी जागरूकता थी।
2) कुछ सहभागियों ने क्षेत्र में निर्मित होने वाले नौकरियों के अवसरों की प्रत्याशा में परियोजना के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की।
3) कुछ मछुआरों ने परियोजना के विकास के साथ नावों या बजरों के संचालन के प्रभाव के संबंध में अपनी आशंका व्यक्त की कि इससे उनका मछली का व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। उन्हें मछली पकड़ने के उपकरणों को नुकसान पहुंचने के कारण होने वाली हानि या मछली के शिकार में हानि के लिए क्षतिपूर्ति की अपेक्षा थी। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनके मछली पकड़ने के अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और नावों या बजरों की आवाजाही के समय के बारे में उन्हें सूचित किया जाएगा। दुर्घटनाओं से बचने के उद्देश्य से नौवहन के लिए चिह्नित जलवाहिकाओं के बारे में बताने के लिए उचित संकेतों और चेतावनी संकेतक प्रदान किए जाएंगे।

साहेबगंज

साहेबगंज में, भूमि अधिग्रहण के संबंध में प्रमुख चिंताओं को समझने के लिए अपर समाहर्ता, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के लिए साहेबगंज के प्रशासक और जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियों के लिए नोडल अधिकारी हैं, और प्रभारी अधिकारी, आईडब्ल्यूएआई, साहेबगंज ने परियोजना प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के साथ आरंभिक विचार-विमर्श में भाग लिया। प्रभावित व्यक्तियों के साथ चार समूह चर्चाएं भी आयोजित की गईं। एक जन परामर्श सभा 16 अक्टूबर को सामदानाला गांव के आश्रम में आयोजित की गई। इसमें निदेशक आईडब्ल्यूएआई पटना, सहायक निदेशक आईडब्ल्यूएआई भागलपुर और ईएसआईए सलाहकार उपस्थित रहे। जिला प्रशासन का प्रतिनिधित्व अपर समाहर्ता, जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मत्स्यपालन अधिकारी और भूमि संरक्षण अधिकारी ने किया।

- अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की सीमा स्थापित करने के लिए समन्यवकों के स्थान को लेकर चिंता व्यक्त की गई। उनके अनुसार, भूमि की आवश्यकता के लिए उपलब्ध सूचना 350 मीटर तक आंशिक रूप से नदी तल में स्थित है। यदि नदी तल भूमि को निकाल दिया जाता है, तो 350 मीटर का स्थान बढ़ जाता है और अतिरिक्त वासभूमि भी इसमें आ जाती है। निदेशक, आईडब्ल्यूएआई, पटना ने स्पष्टीकरण प्रदान किया। उन्होंने लोगों को बताया कि यदि 350 मी. से आगे किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे प्रस्ताव पर गांव वालों के साथ आगे चर्चा करने के बाद ही विचार किया जाएगा।
- लोगों ने आम के बगीचों की हानि के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं।
- इसके अलावा परिवारों के पुनर्स्थापन और आवासीय भूमि (वासभूमि) के क्षतिपूरक मूल्य के बारे में भी प्रश्न पूछे गए। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि वे प्रभावित बस्ती से दूर और नदी से अधिक दूर पुनर्स्थापित नहीं होना चाहते थे। जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने उपर्युक्त मुद्दे को संबोधित करते हुए झारखंड भूमि अधिग्रहण नियमों (आरएफसीएलटीएआरआर 2013 के लिए) के अनुसार पेड़ों और संरचनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को सामने रखा। गांव वालों को यह भी बताया गया कि पुनर्वास के लिए सामदानाला में हठीगढ़ वासस्थान में नई भूमि की पहचान कर ली गई है जो उनके मूल वासस्थान से निकट ही है।.
- गांव वाले नदी की जलवाहिका पर टर्मिनल के प्रभाव को लेकर भी चिंतित थे और उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि इससे प्रवाह की दिशा बदल सकती है। इसे निदेशक आईडब्ल्यूएआई पटना ने संबोधित किया और स्पष्ट किया कि टर्मिनल से नदी की धारा नहीं पलटेगी और न ही इसकी वजह से नदी के बहने को कोई नया रास्ता बनेगा।
- गांव वालों ने टर्मिनल के निर्माण के साथ रोजगार के अवसरों के संबंध में भी अन्य सवाल उठाए। उन्हें सूचित किया गया कि रोजगार के अवसर अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित होंगे और आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास के बारे में विचार किया जाएगा।

  केंद्रित समूह चर्चाओं और बैठकों के संबंध में कुछ विवरण नीचे दिए गए हैं :

सारणी 4.1 : केंद्रित समूह चर्चाओं का सार-संक्षेप

क्रम सं.	विचार-विमर्श का स्थान और तिथि	गांव का नाम	सहभागियों की संख्या	उठाए गए मुद्दे	संबोधित किए गए मुद्दे
1.	आश्रम, सामदा नाला गांव तिथि : 09.10.2015	रामपुर के गांव वाले आश्रम, सामदा नाला गांव (8 सहभागी)	8 सहभागियों में किसान, मछुआरे और छात्र शामिल हुए	सहभागियों ने निम्नलिखित मुद्दे / चिंताएं व्यक्त कीं ✓ भूमि के मालिकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि भूमि केवल तभी दी जाएगी जब उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा। ✓ सहभागियों ने कहा कि यदि उनकी पूरी जमीन उनसे ले ली जाती है तो उन्हें रोजगार की जरूरत होगी।	सहभागियों को बताया गया कि भूमि, पेड़ों और संरचनाओं के लिए मुआवजा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 और एलएआरआर अधिनियम 2013 के संबंध में झारखंड राज्य नियमों के अनुसार अदा किया

क्रम सं.	विचार-विमर्श का स्थान और तिथि	गांव का नाम	सहभागियों की संख्या	उठाए गए मुद्दे	संबोधित किए गए मुद्दे
				✓ उन्होंने कहा कि जिस जमीन के अधिग्रहण की योजना बनाई जा रही है, उसके ऊपर बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद हैं, विशाल संख्या में पेड़ों के काटे जाने से गांव का पर्यावरण प्रभावित होगा, इसलिए इन पेड़ों को काटने से पहले नजदीक भूक्षेत्रों में बराबर संख्या में पेड़ लगाए जाने चाहिए। ✓ उन्हें यह भी चिंता थी कि टर्मिनल के विकास के बाद क्षेत्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जो कि अधिकांश लोगों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है।	जाएगा। पेड़ों का मूल्य का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। मछुआरे अपना मछली पकड़ने का कार्य जारी रख सकते हैं क्योंकि मछली पकड़ने की गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।.
2.	आश्रम, सामदा नाला गांव तिथि : 09.10.2015	आश्रम, गांव रामपुर	15 सहभागियों में किसान, मछुआरे और छात्र शामिल थे।	सहभागियों ने निम्नलिखित मुद्दे / चिंताएं व्यक्त कीं ✓ भूमि मालिक उनकी जमीन के लिए उपयुक्त मुआवजे की और यदि उनकी जमीन ली जाती है तो वैकल्पिक आजीविका में सहायता की भी अपेक्षा कर रहे हैं। ✓ उन्होंने अपने और अपने बच्चों के लिए नौकरी की मांग की और उन्होंने कहा कि उन्हें दी गई नौकरियों के लिए कौशल विकास के लिए सहायता/प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में केवल खेतीबाड़ी का काम ही किया है। ✓ उन्होंने जोर दिया कि वे गंगा नदी की पूजा करते हैं और परियोजना प्राधिकार को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि बहिस्राव नदी में न छोड़े जाएं। ✓ वे आश्वासन पाना चाहते थे कि	सहभागियों को बताया गया कि भूमि, पेड़ों और संरचनाओं का मुआवजा एलएआरआर अधिनियम 2013 से संबंधित झारखंड राज्य नियमों के अनुसार अदा किया जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि टर्मिनल से या जलयानों (नौकाओं) से नदी में कोई बहिर्स्राव नहीं होगा। सभी जलयान "शून्य बहिर्स्राव मानकों" का पालन करेंगे।

क्रम सं.	विचार-विमर्श का स्थान और तिथि	गांव का नाम	सहभागियों की संख्या	उठाए गए मुद्दे	संबोधित किए गए मुद्दे
				टर्मिनल के निर्माण के बाद भी वे नदी में अपनी मछली पकड़ने की गतिविधियां जारी रख सकते हैं। ✓ उन्होंने यह जानने में भी अपनी दिलचस्पी व्यक्त की कि गांव वालों की बेहतरी के लिए आईडब्ल्यूएआई गांव में और कौन-से विकास के कार्य हाथ में लेगा।	
3.	नया टोला और सामदा नाला गांव तिथि : 05.11.2015	नया टोला और सामदा नाला के गांव वाले	2-4 सहभागियों में किसान, छात्र और महिलाएं शामिल थीं।	✓ जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहीत की जाएंगी, वे जमीन के नुकसान और आजीविका के नुकसान के कारण चिंतित थे, क्योंकि वे पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। ✓ जमीन मालिकों ने भूमि के अधिग्रहण और विस्थापन से पहले वैकल्पिक आवास सुविधा और रोजगार की मांग की। ✓ टर्मिनल के विकास और विशाल संख्या में नावों या बजरों के चलने के कारण नदी में मछली पकड़ने की गतिविधियों में व्यवधान आएगा। ✓ परियोजना स्थल के भीतर बड़ी संख्या में पेड़ों के कटने के कारण क्षेत्र की जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। ✓ रोजगार प्रदान करने के लिए स्थानीय लोगों पर विचार किया जाना चाहिए। ✓ क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाएं, यदि कोई अशांति हो तो सुगम और उपयुक्त स्थानों पर पुनर्स्थापित की जानी चाहिए।	सहभागियों को बताया गया कि भूमि, पेड़ों और संरचनाओं का मुआवजा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 से संबंधित झारखंड राज्य नियमों के अनुसार अदा किया जाएगा। पुनर्वास कॉलोनी में आधारभूत ढांचे की सुविधाएं और साझा संपत्ति संसाधन आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।
4.	आशाराम आश्रम, नया	नया टोला और सामदा नाला	20 सहभागियों में किसान,	सहभागियों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे/चिंताएं व्यक्त की गईं	सहभागियों को बताया गया कि भूमि, पेड़ों

क्रम सं.	विचार-विमर्श का स्थान और तिथि	गांव का नाम	सहभागियों की संख्या	उठाए गए मुद्दे	संबोधित किए गए मुद्दे
	टोला और सामदा नाला गांव तिथि : 8 नवंबर 2015	के गांव वाले	छात्र और महिलाएं शामिल थीं	✓ भू स्वामी मुआवजे की दरों और आजीविका के नुकसान को लेकर चिंतित थे ✓ उन्होंने प्रभावित लोगों के लिए रोजगार के प्रावधान की मांग की ✓ स्थानीय लोगों ने मांग की कि मुआवजा बाजार दरों के अनुसार दिया जाना चाहिए। ✓ विस्थापित आबादी पुनर्स्थापना स्थल गांव के भीतर या नजदीक ही चाहती है। ✓ प्रभावित व्यक्तियों ने मांग की कि वैकल्पिक आजीविका के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ✓ कहा गया कि परियोजना के विकास के कारण पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इससे क्षेत्र में जलजीव प्रभावित हो सकते हैं। ✓ सहभागियों ने कहा कि क्षेत्र में वाहनों का आवागमन बढ़ने के कारण क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा।	और संरचनाओं का मुआवजा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 से संबंधित झारखंड राज्य नियमों के अनुसार अदा किया जाएगा। पुनर्वास स्थल की पहचान टर्मिनल स्थल के नजदीक ही की गई है। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान रोजगार के अवसर अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्मित होंगे।. इन चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक पुनर्वास योजना तैयार की गई है।

हल्दिया

हल्दिया में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित जनसंख्याओं के साथ विचार-विमर्श किया गया जिनमें मछुआरे और नगरपालिक प्राधिकारियों जैसे अन्य हितधारक शामिल थे। स्थल के नजदीक रहने वाले लोगों के साथ आयोजित एक केंद्रित समूह चर्चा या एफजीडी के दौरान निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए।

- सहभागियों को अपेक्षा थी कि टर्मिनल के संचालन और निर्माण के दौरान रोजगार के और अधिक अवसर होंगे।
- सहभागियों ने परियोजना के जिन संभव प्रतिकूल प्रभावों को चिह्नित किया, उनमें यातायात में भीड़भाड़ की बढ़ोतरी, सड़क दुर्घटनाओं में संभव बढ़ोतरी, नदी में जहाजों का बढ़ा हुआ आवागमन और इसके परिणामस्वरूप मछुआरों पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल थे।
- परियोजना से स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलने की आशा की जाती है।

मछुआरों के साथ विचार-विमर्श

इलाके के मछुआरों के साथ एक बैठक में यह बात उभरकर आई कि इस क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम वर्ष के दौरान 3-4 महीनों में ही केंद्रित रहता है और अन्य महीनों के दौरान मछुआरे ईंट के भट्टों में काम करते हैं। समूह के कुछ अन्य सदस्य ऑटो ड्राइवर और रिक्शाचालक हैं। समूह के सदस्यों ने संकेत दिया कि उन 3-4 महीनों के दौरान कुछ सदस्य मछलियों के शिकार के जरिए 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक प्रतिदिन कमाते हैं। उनके जाल में आई मछलियां से उनकी आमदनी सितंबर के दौरान शीर्ष पर पहुंच जाती है और इसलिए उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बजरों की आवाजाही बढ़ जाने से उनके उत्पादन पर असर पड़ेगा और उनकी आजीविका में रुकावट आएगी।

मछुआरों को आश्वस्त किया गया कि बजरों या नावों की आवाजाही बढ़ने से जाल में मछलियों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे मछली पकड़ने का काम उसी प्रकार करते रह सकेंगे जिस प्रकार वे पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं।

अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श

परियोजना स्थल से संबंधित अन्य मुद्दों को समझने के लिए प्रमुख हितधारकों के साक्षात्कार लिए गए, जिनमें निम्न संस्थाओं के अधिकारी शामिल थे :

1. **नगरपालिक प्राधिकारी**; जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया - हल्दिया नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का साक्षात्कार 23 सितंबर 2015 और 25 सितंबर 2015 को लिया गया।
   - ✓ परियोजना से स्थानीय युवाओं को उनके कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर मिलने चाहिए और स्थानीय लोगों को व्यवसाय के अवसर मिलने चाहिए।
   - ✓ सामाजिक विकास के अंग के रूप में परियोजना प्रायोजकों को विशेष रूप से स्थानीय त्यौहार के दौरान मौजूदा भीड़भाड़ से उबरने के लिए दुर्गाचक के स्थानीय विर्सजन घाट (परियोजना स्थल के निकट) का विस्तार करना चाहिए।
   - ✓ पहुंच मार्ग को ढंकने का कार्य, क्योंकि मौजूदा सड़क अच्छी हालत में नहीं है।
   - ✓ कंटेनरों की ढुलाई करने वाले वाहनों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रस्तावित टर्मिनल के बाहर उपयुक्त पार्किंग सुविधाओं का प्रावधान।
   - ✓ अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि वे परियोजना गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए सभी सहायता प्रदान करेंगे।
2. **गैर सरकारी संगठन ; हल्दिया विज्ञान परिषद**
   - परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के लिए सार्थक सामुदायिक विकास की मांग की गई।
   - जहाजों से निकला तेल नदी के पानी को प्रदूषित कर सकता है जिससे स्थल के जीव-जतुंओं और वनस्पति पर असर पड़ सकता है।
   - परियोजना के संचालन चरण से पहले एक उपयुक्त पर्यावरण योजना तैयार की जानी चाहिए।

फरक्का

बेवा गांव, फरक्का में 9 अक्टूबर 2015 को एक औपचारिक विचार-विमर्श का आयोजन किया गया। हितधारकों से मूल्यवान फीडबैक और इनपुट प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें विचार-विमर्श की तिथि, स्थल

और समय के बारे में ई-मेल, डाक पत्र और सीधे संपर्क के माध्यम से सूचित किया गया। इसके विवरण निम्नानुसार हैं :

सारणी 4.2 : पीसीएम के विवरण

तिथि	विचार-विमर्श का स्थल	सहभागी	उपस्थित व्यक्तियों की संख्या
09 अक्टूबर 2015	बेवा पंचायत, फरक्का	आईडब्ल्यूएआई, कोलकाता प्रतिनिधि	3
		ईक्यूएमएस-आईआरजीएसएसए-एआईएआईडी (EQMS-IRGSSA-AIAID) प्रतिनिधि	4
		बेवा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि	2
		फरक्का विकासखंड अधिकारी (BDO)	1
		फरक्का बीएलआरओ ऐंड एलआर (BLRO&LR) कार्यालय	1
		एमआरएसडब्ल्यू (MRSW), एनजीओ (NGO), फरक्का	1
		उत्तरबंगा संवाद के पत्रकार	1
		निकटवर्ती गांवों के सहभागी	50

परियोजना की स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जन परामर्श बैठकें आयोजित की गईं। परामर्श बैठकों का आयोजन करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां पूरी की गईं :

- गांव वालों के बीच जानकारी के प्रसार के लिए परियोजना का संक्षिप्त विवरण, उसके उद्देश्य और जन परामर्श बैठकों का महत्त्व बताते हुए स्थानीय भाषा (बांग्ला) में परचे या सूचनापत्र तैयार किए गए। परचे या सूचनापत्र गांव वालों के बीच वितरण के लिए छपवाए गए। पीसीएम के आयोजन का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया और सूचना तथा अंतिम निर्णय के लिए आईडब्ल्यूएआई को प्रस्तुत किया गया। सहभागियों में बेवा, पलाशी और गहराईपाड़ा समुदायों के मुख्य रूप से पुरुष सदस्य थे।

नीचे प्रस्तुत जानकारी में विचार-विमर्श के दौरान व्यक्त चिंताओं और की गई अनुशंसाओं को संबोधित करने के संबंध में चर्चा की गई है। परियोजना स्थल पर और उसके आसपास हितधारकों के साथ विचार-विमर्श तथा अनौपचारिक समूह बैठकों के दौरान प्रभावित लोगों ने निम्नलिखित प्रश्न और जिज्ञासाएं व्यक्त कीं। जहां हितधारक कुल मिलाकर परियोजना के पक्ष में थे, वहीं कुछ सवाल भी उठाए गए। परियोजना प्रभावित लोगों के साथ केंद्रित समूह चर्चाओं तथा हितधारकों की परामर्श बैठकों के परिणाम निम्नानुसार हैं :

सारणी 4.3 : एफजीडी का सार-संक्षेप

क्रम सं.	उठाए गए मुद्दे	उठाए और संबोधित किए गए मुद्दे
1	सड़क का चौड़ा किया जाना	सहभागियों ने सड़क को बराबर चौड़ा करने की मांग की। उन्हें बताया गया कि डिजाइन के अनुसार सड़कों को यथासंभव सीमा तक चौड़ा किया जाएगा।
2	सुरक्षा	लोगों ने अत्यधिक महत्त्व के क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उन्हें सूचित किया गया कि प्रयोज्य सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के अनुसार सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
3	परियोजना के कारण होने वाले पर्यावरण के खतरे विशेष रूप से कोलाहल, जल और वायु प्रदूषण	स्पष्ट किया गया कि परिणामस्वरूप किसी भी वायु, जल या शोर प्रदूषण के प्रभावों का उपशमन करने के लिए समुचित ईएमपी का क्रियान्वयन किया जाएगा।
4	निर्माण और संचालन कार्यों के दौरान परियोजना स्थल में स्थानीय व्यक्तियों को जोड़ना	ठेकेदार अपनी आवश्यकता और व्यक्तियों के कौशल के अनुसार गैर-कौशलयुक्त कामों के लिए स्थानीय लोगों की सेवाएं ले सकते हैं।
6	इस परियोजना स्थल पर रोजगार, व्यवसाय और काम की सुविधाएं	परियोजना अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी।
7	यातायात में भीड़भाड़	स्पष्ट किया गया कि परियोजना के कारण यातायात में कोई अतिरिक्त भीड़भाड़ नहीं होगी।
8	स्थानीय इलाके को और राष्ट्रीय राजस्व के लिए लाभ	सहभागियों को परियोजना के आर्थिक लाभ संक्षेप में स्पष्ट किए गए।
9	भारी जहाजों के आवागमन के संदर्भ में नदी की सुरक्षा	किनारों के कटाव या अपक्षरण के तरीकों को स्पष्ट किया गया और यह भी कि उन्हें जेएमवीपी के विशिष्ट टुकड़ों, विशेष रूप से फीडर कैनाल स्ट्रेच, के लिए परियोजना की योजनाओं में शामिल किया गया है।
10	निर्माण चरण के दौरान निश्चिंदा घाट की सुरक्षा, विशेष रूप से इसलिए कि धार्मिक तथा अन्य गतिविधियों के लिए इस घाट का उपयोग किया जाता है	स्पष्ट किया गया कि कोई भी धार्मिक क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा और जहां भी कोई अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, वहां धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा की जाएगी।

4.2 अन्य हितधारकों के सुझाव

जन परामर्शों में नगरपालिका अधिकारियों, क्षेत्र में सक्रिय एनजीओ तथा स्थानीय पत्रकारों से भी फीडबैक प्राप्त किया गया। उठाए गए कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं :

(i) प्रखंड विकास पदाधिकारी, फरक्का

- प्रखंड विकास पदाधिकारी, फरक्का ने परियोजना के विकास का स्वागत किया और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग का विश्वास दिलाया।
- परियोजना को समय से पूरा करने के लिए पर्यावरणिक और सामाजिक चिंताओं/प्रभावों को व्यवस्थित ढंग से संबोधित करना अत्यंत आवश्यक है।
- जहाजों द्वारा किसी भी प्रकार के विषैले प्रदूषण जैसे नदी के पानी में तेल और रसायनों का रिसाव, यातायात उत्सर्जनों पर विचार करने की जरूरत है।
- परियोजना को जहाजों की आवाजाही के दौरान नदी के कटाव या अपक्षरण को लेकर सतर्क रहना चाहिए; नदी के किनारों के कटाव के कारण इसका सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और जनसांख्यिकीय विस्थापन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है।
- बीडीओ ने प्राधिकरण से अपील की कि उन्हें स्थानीय बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल के आधार पर नौकरियां प्रदान करनी चाहिए और स्थानीय लोगों को व्यवसाय के अवसर देने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि परियोजना को प्रस्तावित स्थल पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार में लेना चाहिए बशर्ते उनके पास आवश्यक कौशल हो।
- पहुंच सड़क मार्ग को चौड़ा और उन्नत करने की आवश्यकता है ताकि सुचारू यातायात का आवागमन सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि यह एनएच-34 से महत्त्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
- संचालन चरण के दौरान परियोजना स्थल और साथ ही निकटतम इलाके के गांवों में श्रमिकों तथा समुदाय के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा संरक्षा पर विचार किया जाना चाहिए।
- लोगों में जागरूकता लाने के लिए जन परामर्श बैठकें विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जानी चाहिए और शिकायत निवारण समितियों को सक्रिय रहना चाहिए तथा समय से विवादों का समाधान करना चाहिए।
- साक्षात्कारदाता आशावादी थे कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से स्थानीय समुदायों का वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य बदल जाएगा।

(i) **एनजीओ – महादेवनगर रूरल वेलफेयर सोसायटी, फरक्का, मुर्शिदाबाद**; **परामर्श करने वाले अधिकारी :** श्री जाहिद हुसैन

- प्राधिकरण आजीविका बहाली कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय लोगों और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता कर सकता है।
- गांवों के इलाकों के नजदीक निर्माण स्थल से सुरक्षा और संरक्षा का सुझाव भी दिया।
- निर्माण अवधि के दौरान आईडब्ल्यूएआई को स्वास्थ्य से जुड़े संवेदनशील मुद्दों जैसे एचआईवी/एड्स पर विचार करना चाहिए क्योंकि मुर्शिदाबाद स्वास्थ्य के मामले में पश्चिम बंगाल का संवेदनशील जिला है।
- उन्होंने सुझाव दिया कि परियोजना को प्रस्तावित स्थान पर प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए बशर्ते उनके पास आवश्यक कौशल हो।

पत्रकार श्री अर्णब चक्रवर्ती (माल्दा और मुर्शिदाबाद संभाग)

उत्तरबंगा संवाद, फरक्का, मुर्शिदाबाद

साक्षात्कारदाता आशावादी था कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से स्थानीय समुदायों का वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य बदल जाएगा। उनके द्वारा व्यक्त की गई प्रमुख चिंताएं निम्नानुसार हैं :

- संचालन चरण के दौरान परियोजना स्थल पर और साथ ही गांवों के निकटतम स्थलों पर श्रमिकों तथा समुदाय के अन्य सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा संरक्षा पर विचार किया जाना चाहिए।
- कटाव या अपक्षरण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए ईएसआईए में यथोचित उपशमन उपायों को समाहित किया जाना चाहिए क्योंकि नदी किनारों के कटाव की वजह से फरक्का विकासखंड 1975 में फरक्का बांध का कार्य सौंपे जाने के समय से ही निकृष्टतम प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है और कई लोग अपने घर/संपत्तियां गंवा चुके हैं।
- लोगों में जागरूकता लाने के लिए जन परामर्श बैठकें विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जानी चाहिए और शिकायत निवारण समितियों को सक्रिय रहकर समयबद्ध ढंग से विवादों का समाधान करना चाहिए।

4.3 घोषणा और परामर्श योजना

आरएपी/एसएमपी का सार-संक्षेप प्रभावित क्षेत्र में एक साझा मंच पर घोषित किया जाएगा। सिविल कार्यों के प्रारंभ होने की तिथि की जानकारी भी परचों या पैम्फलेटों के माध्यम से दी जाएगी। समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान के लिए क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों के साथ एक जन परामर्श कार्यक्रम आरएपी क्रियान्वयन टीम दल की सुविधा और सहायता से आयोजित किया जाएगा। साहेबगंज में पात्रता या अधिकार की रूपरेखा के साथ आरएपी का कार्यपालक सार-संक्षेप सामदानाला और रामपुर के पंचायत कार्यालयों में घोषित किया जाएगा। आर ऐंड आर के लिए वितरण शिविरों तथा सिविल कार्यों के आरंभ होने जैसी महत्त्वपूर्ण तिथियों की जानकारी प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रसारित की जाएगी। इसके अलावा, आरएपी क्रियान्वयन दल की सुगमता सहायता से जनवरी 2017 से लगातार प्रभावित परिवारों का पुनर्स्थापन और पुनर्वास का कार्य पूरा होने तक एक जन परामर्श का आयोजन किया जाएगा जिसमें आर ऐंड आर मुआवजे के दक्षतापूर्ण उपयोग और समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में सलाह-मशविरा दिया जाएगा। कर्ताओं, समय सीमाओं और परामर्श के मुख्य क्षेत्रों के साथ एक विस्तृत योजना नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत की गयी है :

हितधारक का प्रकार	समय सीमाएं	जोड़ने की पद्धतियां
परियोजना प्रभावित परिवार **महिलाएं, कमजोर समूह तथा जमीन और अन्य किसी आजीविका का स्रोत गंवाने वाले प्रभावित परिवार**	**आर ऐंड आर संवितरण के दौरान :** आजीविका के बारे में सलाह-मशविरे के लिए एफडीजी (प्रत्येक महीने में एक बार)	आजीविका विशेषज्ञ प्रभावित व्यक्तियों के एक समान समूहों के साथ मासिक सलाह-मशविरे के सत्र आयोजित करेंगे और उनके कौशल की जरूरतों की पहचान करेंगे तथा साथ ही उन्हें आजीविका के विकल्पों के बारे में सलाह देंगे।
परियोजना प्रभावित परिवार	**स्थान परिवर्तन के दौरान** :	स्थान परिवर्तन के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों को सुचारू ढंग से पुनर्स्थापन कॉलोनियों में बसाने की सुगमता के लिए एफजीडी आयोजित की जाएंगी। सलाह-मशविरे का उद्देश्य

	3 महीने	पीएएफ को कल्याण संघ बनाने और स्थान परिवर्तन के दौरान आने वाली विभिन्न चिंताओं तथा समस्याओं को समझने और उनके समाधान की रणनीतियां खोजने के बारे में सलाह देना होगा। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर शिविरों के आयोजन तथा लोगों को जुटाने में पंचायत प्रमुखों को शामिल किया जाएगा।
परियोजना स्थलों के आसपास मछुआरों के समुदाय	**क्रियान्वयन चरण के दौरान प्रभावों का आकलन :** 6 माह परिचालन चरण के दौरान : संवेदनशील स्थलों पर जलयान यातायात और प्रबंधन रणनीतियां	मछली पकड़ने पर हो सकने वाले प्रभावों को समझने और उनका आकलन करने तथा संभव उपशमन रणनीतियों पर चर्चा के लिए एफजीडी आयोजित की जाएंगी। परिचालन चरण के दौरान : नौकाओं के परिवहन की जानकारी प्रसारित करने और नौवहन जलवाहिकाओं के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए परामर्शों की योजना बनायी जाएगी।
नौका संचालन/जलयान मालिक/गाद निकालने वाले	प्रत्येक 6 माह	बाजार की बढ़ी हुई प्रतिक्रिया के लिए रणनीतियां बनाने और परियोजना तथा सुरक्षा प्रावधानों से परिचित करवाने के लिए जलयान माल प्रेषकों, नौका मालिकों और गाद निकालने वालों के साथ परामर्श और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें परिचालन में उनकी कठिनाइयों को समझा जाएगा तथा उन कठिनाइयों को संबोधित करने में सांस्थानिक क्षमता का आकलन भी किया जाएगा।
एनजीओ और सूचीबद्ध एनजीओ और उनके साथ एनएसीओ	प्रत्येक 6 माह	प्रभावित परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए प्रमुख एनजीओ के साथ विचार-विमर्श। सूचीबद्ध एनजीओ के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य और स्वच्छता के संवर्धित अवसर और एचआईवी के बारे में जागरूकता का प्रसार। निर्माण स्थलों पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए एनएसीओ के साथ सूचीबद्ध एनजीओ को आमंत्रित किया जाएगा।
नियोजित सुविधाओं के आसपास रहने वाले समुदाय	प्रत्येक 6 माह	स्थानीय जरूरतों के प्रति परियोजना की प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए और यह समझने के लिए कि सामुदायिक जरूरतों को सबसे अच्छे ढंग से कैसे पूरा किया जा सकता है, स्थानीय पंचायत कार्यालयों की सहायता से विचार-विमर्शों का आयोजन किया जाएगा।

अध्याय 5 : प्रमुख कानून और विनियम

यह भाग भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति के लिए विधिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसमें प्रभावित पात्र परिवारों की पात्रता और अधिकार भी शामिल हैं। आईए ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित क्षतिपूर्ति का अधिकार तथा पारदर्शिता अधिनियम 2013; विश्व बैंक के ओपी 4.12 तथा विभिन्न आर ऐंड आर से जुड़े मुद्दों के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न शासकीय नियमों पर आधारित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति विकसित की है। यह प्रभावित लोगों को पुनः बसाने के लिए मानदंड निर्धारित करती है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मोटे तौर पर एक दृष्टिकोण तथा सांस्थानिक ढांचे की रूपरेखा प्रदान करती है। परियोजना की तैयारी और क्रियान्वयन को शासित करने वाले प्रमुख सामाजिक विनियम और विधि-विधान नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 5.1 : संबंधित प्रासंगिक विधि-विधान

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम	1958	भारत में पाए गए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अवशेषों का संरक्षण	यदि परियोजना स्थल अधिसूचित प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल से 300 मी. दूर अवस्थित हो	किसी भी उप परियोजना के लिए प्रयोज्य नहीं	पुरातत्व विभाग, भारत सरकार, इंडियन हेरिटेज सोसायटी और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट ऐंड कल्चर हेरिटेज (INTACH).
भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013	2013	अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा; भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित आबादी का पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित सभी लोगों का आर्थिक पुनर्वास।	यदि क्रियान्वयन एजेंसी स्वामित्वधारियों से भूमि का अधिग्रहण करती है	हां। साहेबगंज, झारखंड में टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए लागू होने योग्य है।	राजस्व विभाग। संबंधित राज्य सरकार और आईडब्ल्यूएआई/आईए (प्रक्रिया आरंभ करने, लागत की गणना करने, समयबद्ध भुगतान करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए - मांगकर्ता निकाय)

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
एलएआरआर अधिनियम 2013 के संबंध में झारखंड नियम (2015)	2015	झारखंड राज्य सरकार ने आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के आधार पर अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास कार्यवाहियो के लिए विभिन्न नियम और प्रपत्र विनिर्दिष्ट करते हुए नियम अधिसूचित किए हैं।	झारखंड में भूमि अधिग्रहण के मामले में लागू	हां। साहेबगंज में टर्मिनल के लिए झारखंड में भूमि अधिग्रहण के मामले में लागू।	झारखंड का राजस्व विभाग
पंचायत राज अधिनियम और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम	1992	गतिविधि के स्वरूप तथा पंचायत को प्राप्त इससे संबंधित शक्ति की सीमा पर निर्भर करते हुए परियोजना के क्रियान्वयन की गतिविधियों के लिए पंचायत स्तर की संस्थाएं उत्तरदायी होंगी। यह अधिनियम ग्राम स्तर के कार्यों को विस्तार देकर और विकाय योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देकर निर्णय लेने में पंचायत स्तर की संस्थाओं की भागीदारी को समर्थ बनाता है। अधिनियम में परियोजना की तैयारी और	पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी भी उप परियोजना के लिए लागू	साहेबगंज, झारखंड के मामले में लागू	संबंधित गांवों की पंचायतें

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
		क्रियान्वयन के दौरान पंचायत राज संस्थाओं, विशेष रूप से ग्राम सभा/पंचायत की भागीदारी का प्रावधान किया गया है।			
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम	2006	यह अधिनियम वन कानूनों के कारण होने वाले अन्यायों को आंशिक रूप से दूर करते हुए पारंपरिक वनवासी समुदायों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। समुदाय तथा जनसामान्य वन तथा वन्यजीव संरक्षण में अपनी बात रख सके, इसके लिए नई शुरुआत करता है। यह अधिनियम विनिर्दिष्ट अधिकारों या पात्रताओं तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है। साथ ही यह भी निर्धारित करता है इस कानून के अंतर्गत अधिकारों	यदि परियोजना आरक्षित तथा संरक्षित वनों सहित प्रचलित वन भूमियों और साथ ही सामुदायिक वन से भी गुजरती है	लागू होने योग्य नहीं	वन मंत्रालय/विभाग, जनजाति मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार और जनजाति कल्याण विभाग

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
		का हस्तांतरण किन उद्देश्यों के लिए और किन परिस्थितियों के अधीन किया जा सकता है और ऐसा किस तरीके से किया जा सकता है। सड़कों के लिए हस्तांतरण ऐसा ही एक उद्देश्य है। विशिष्ट व्यक्तियों/ समूहों (व्यक्ति, परिवार, समुदाय) के लिए विशिष्ट कानूनी अधिकारों का विभिन्न शीर्षों जैसे स्वामित्व, उपयोगकर्ता अदि के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। परियोजना की अवधि के दौरान इनका ध्यान रखना होगा। यदि कोई भूमि हस्तांतरण शामिल हो तो इसके लिए अधिनियम में एक सीमा नियत की गई है और ग्राम सभा से इसकी स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही इस उद्देश्य से काटे जाने वाले			

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
		पेड़ों की संख्या की सीमा की भी एक सीमा है।			

5.2 विश्व बैंक सुरक्षा नीतियां

विकास योजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम या समाप्त करने के लिए विश्व बैंक की पर्यावरणिक और सामाजिक सुरक्षा नीतियां हैं। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा नीतियां नीचे सारणी में दी गई हैं।

सारणी 5.2 : विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियां

विश्व बैंक सुरक्षा नीतियां	उद्देश्य	प्रयोज्यता	सुरक्षा आवश्यकताएं
ओपी/बीपी 4.12	अस्वैच्छिक पुनर्वास - इस नीति का उद्देश्य, जहां व्यवहार्य हो, वहां परियोजना की डिजाइन के सभी व्यवहार्य विकल्पों का दोहन करते हुए अस्वैच्छिक पुनर्वास से बचना या उसे कम से कम करना है। इसके अलावा इसका अभीष्ट विस्थापित लोगों के पहले के रहनसहन के मानदंडों में सुधार लाने में उनकी सहायता करना, पुनर्वास की योजना और क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना, और प्रभावित लोगों के वैधानिक स्वामित्व की स्थिति पर ध्यान दिये बिना उन्हें सहायता प्रदान करना है।	कुछ निश्चित परियोजना गलियारों के लिए सीमित भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी जिसके परिणामस्वरूप : आश्रय की हानि या परिवर्तन; संपत्तियों की या संपत्तियों तक सुगमता की हानि; आय के स्रोतों या आजीविका के साधनों की हानि होगी।	समुदाय और परियोजना प्राधिकारियों के विचार-विमर्श से पुनर्वास योजना। पुनर्वास कार्य योजना तैयार की गई है।

विश्व बैंक सुरक्षा नीतियां	उद्देश्य	प्रयोज्यता	सुरक्षा आवश्यकताएं
ओपी/बीपी 4.11	सांस्कृतिक संपत्ति - इस नीति का उद्देश्य सांस्कृतिक संपत्तियों, ऐतिहासिक, धार्मिक और अनूठी प्राकृतिक धरोहरों (जिनमें पूर्व के मानव वासियों द्वारा छोड़े गए अवशेष और अनूठी पर्यावरण विशेषताएं भी शामिल हैं) के परिरक्षण में और साथ ही बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में परिलक्षित सांस्कृतिक विशेषताओं के रक्षण तथा संवर्धन में सहायता प्रदान करना है।	यह नीति आईडब्ल्यूएआई के अधीन उप-परियोजनाओं के लिए उन क्षेत्रों में लागू हो सकती है जहां उप-परियोजनाओं में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्यों के दौरान सांस्कृतिक संपत्तियां, ऐतिहासिक, धार्मिक और अनूठी प्राकृतिक धरोहरें (जिनमें पूर्व के मानव वासियों द्वारा छोड़े गए अवशेष और अनूठी पर्यावरण विशेषताएं शामिल हैं) प्रभावित होती हों।	उपशमन योजनाएं तैयार करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होंगे।

स्रोत : विश्व बैंक परिचालन नीति या ऑपरेशनल पॉलिसी

सारणी 5.3 : अस्वैच्छिक पुनर्वास पर विश्व बैंक ओपी 4.2 और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 का तुलनात्मक विश्लेषण

क्रम सं.	विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
1.	भूमि अधिग्रहण (LA) का अनुप्रयोग	वित्तपोषण के स्रोत पर ध्यान दिये बगैर परियोजना के उन सभी अवयवों पर लागू होती है जिनका परिणाम अस्वैच्छिक पुनर्वास के रूप में सामने आता है।	***धारा 2*** उन सभी परियोजनाओं पर लागू होती है जिनमें सरकार स्वयं अपने उपयोग, अधिकार और नियंत्रण के लिए, जिसमें पीएसयू तथा सार्वजनिक उद्देश्य भी शामिल हैं; पीपीपी के लिए जिनमें भूमि का स्वामित्व सरकार में ही निहित रहता है; निजी कंपनियों के लिए, जहां 80% या पीपीपी के मामले में 70 % **भूमि स्वामियों**[1] ने सम्मति प्रदान कर दी है, जमीन अधिग्रहीत करती है।
	वर्जन या बचने का सिद्धांत	जहां व्यवहार्य हो वहां परियोजना के डिजाइन में सभी व्यावहारिक विकल्पों का दोहन करते हुए अस्वैच्छिक पुनर्वास विस्थापन से बचा जाना चाहिए या उसे कम से कम रखा जाना चाहिए।	विकल्पों पर विचार करना होता है, क्योंकि अधिनियम अध्याय II, धारा # 4 (डी D) में कहता है, "अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक बिल्कुल न्यूनतम है"; और (ई) में कहता है कि वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।
	अन्य परियोजनाओं के साथ संयोजन		ऐसा कोई प्रावधान नहीं अधिनियम इस अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के कारण विभिन्न विस्थापनों से वर्जन बचने का उल्लेख करता है। कुछ आर ऐंड आर प्रावधानों को अन्य विकास परियोजनाओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है ताकि पुनर्स्थापन और आजीविका के विकल्पों को एक साथ जोड़ा जा सके।

क्रम सं.	विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
2.	आर ऐंड आर का अनुप्रयोग	उपर्युक्त के समान	उपरोक्त के अतिरिक्त, **धारा 2(3)** भूमि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार निजी कंपनी द्वारा खरीदी गई हो या जब उसका भाग सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो आरऐंडआर के लिए अधिनियम में विस्तृत प्रक्रियाएं और प्रावधान हैं। अधिनियम के अंतर्गत आरऐंडआर की प्रक्रिया आरऐंडआर जनगणना के समय से आरंभ होगी और आरऐंडआर के आयुक्त तथा जहां प्रासंगिक हो वहां समिति की उचित देखरेख में आरऐंडआर अवार्ड किए जाने के साथ समाप्त होगी। आरऐंडआर से जुड़े सभी प्रावधान अनिवार्य हैं और अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान इन्हें औपचारिक रूप से लागू किया जाना है। जब तक आरऐंडआर प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तब तक अधिग्रहीत भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सकता।
3.	प्रभावित क्षेत्र	अस्वैच्छिक भूमि स्वीकार करना जिसके परिणामस्वरूप आश्रय की हानि, संपत्तियों या संपत्तियों तक पहुंच की हानि, आय के स्रोतों या आजीविका के साधनों की हानि होती है	***धारा 3(बी)***: 'अधिग्रहण' के लिए अधिसूचित क्षेत्र
	परिवार		***धारा 3(एम)*** व्यक्ति, उसका या उसकी जीवनसाथी, अवयस्क बच्चे, आश्रित अवयस्क भाई और बहन को शामिल करती है। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं को अलग परिवार माना जाएगा।

क्रम सं.	विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
	पात्रता के लिए प्रभावित परिवार	सभी प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोग, चाहे उनका जमीन पर औपचारिक कानूनी अधिकार हो या औपचारिक कानूनी अधिकार नहीं हो।	***धारा 3 (a)***: जिनकी जमीन और अचल संपत्तियां अधिग्रहीत की गई हैं। ***(b)* और *(e)***: प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे परिवार जैसे मजदूर, किरायेदार, वन और जल निकायों पर आश्रित लोग आदि जिनका आजीविका का प्राथमिक स्रोत अधिग्रहण के कारण प्रभावित हो रहा है ***(c)*** अनुसूचित जनजातियां और अन्य वन वासी जिनके अधिकारों को वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ***(f)*** परिवार जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत जमीन दी गई है ***(g)*** शहरी क्षेत्र में किसी भी ऐसी जमीन पर रह रहे परिवार जो अधिग्रहीत की जाएगी या अधिग्रहण से आजीविका का प्राथमिक स्रोत प्रभावित होता है।
	कट-ऑफ या विभाजक तिथि	वह तिथि जो ऋण लेने वाले द्वारा तय की गई है और बैंक को स्वीकार्य है। व्यवहार में यह जनगणना की तिथि है।	***धारा 3 c (ii), (iv) (vi)***: "भूमि के अधिग्रहण" के पहले उससे पूर्व के 3 या अधिक सालों से रह रहे परिवार।
	अध्याय II का लागू न होना	सभी निवेशों के लिए एकल आधारित एसआईए (SIA)	***धारा 6(2):*** ऐसी सिंचाई योजनाएं जिनमें अन्य कानूनों के अंतर्गत ईआईए (EIA) आवश्यक है, उनमें एसआईए (SIA) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं। अत्यावश्यक प्रावधानों के मामलों में सरकार एसआईए की छूट प्रदान कर सकती है।
	विचार-विमर्श - तैयारी के दौरान चरण 1	नियोजन और क्रियान्वयन के दौरान परामर्श या विचार-विमर्श एक सतत प्रक्रिया	***धारा 4(1)*** एसआईए (SIA) को निष्पादित करने के लिए पीआरआई, शहरी स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि के साथ पहले विचार-विमर्श के लिए जारी तिथि। ***धारा 5***: प्रभावित क्षेत्र में एसआईए (SIA) की जन सुनवाई। तिथि और समय का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें।

क्रम सं.	विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
	एसआईए और एसआईएमपी तैयार करने की समयावधि	प्रारूप सामाजिक आकलन, पुनर्वास कार्य योजना और या सामाजिक प्रबंधन रूपरेखा मूल्यांकन से पहले तैयार की जाए।	***धारा 4 (2)***: इसके आरंभ होने की तिथि से ***छह महीने के भीतर***
	प्रकटीकरण या खुलासा – चरण 1	मूल्यांकन से पहले और बोर्ड की तिथि से 120 दिन पहले प्रकट या उद्घाटित किया जाए।	***धारा 6(1)***: स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए जो पीआरआई संस्थाओं में और स्थानीय शहरी शासन निकायों; जिला प्रशासन के कार्यालयों में और संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध हो।
	एसआईए (SIA) और एसआईएमपी (SIMP) के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समूह बनाना	बैंक के स्टाफ द्वारा मूल्यांकित	***धारा 7(1):*** बहु-अनुशासनात्मक विशेषज्ञ समूह गठित करें जिसमें विकेंद्रीकृत सरकारी संस्थाओं (पीआरआई PRI, यूएलबी ULB) के सदस्य शामिल हों।
	समूह के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नियत समय	निर्णय से पहले मूल्यांकन के लिए बैठक	***धारा 7(4): समूह के गठन की तिथि से दो माह के भीतर*** समूह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे
	विशेषज्ञ समूह का कार्यक्षेत्र	सामाजिक आकलन, पुनर्वास कार्य योजना जिसकी बैंक के स्टॉफ द्वारा समीक्षा और मूल्यांकन किया गया हो और क्षेत्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा स्वीकृत की गई हो।	***धारा 7 (4) (a और b)***: यह आकलन किया जाए कि यह कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करती है या नहीं; यदि सामाजिक लागतें संभावित लाभों से अधिक हों तो इसे त्याग देना चाहिए; ***धारा 7 (5) (a और b)***: यदि सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करती है तो इसमें न्यूनतम भूमि अधिग्रहण पर और विस्थापन को कम से कम करने के वैकल्पिक उपायों पर विचार किया गया है; संभावित लाभ सामाजिक लागतों से अधिक हैं।
	विचार-विमर्श - चरण II मूल्यांकन के दौरान	व्यवहार में, परियोजना प्रभावित क्षेत्र में जिला और राज्य स्तर पर परामर्श कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।	***धारा 2 (2):*** पीपीपी में और जहां निजी कंपनी ने शेष भूमि अधिग्रहीत करने के लिए सरकार से संपर्क किया है वहां क्रमशः 70% और 80% भूमि स्वामियों की पूर्व सम्मति प्राप्त कर ली गई है।
	प्रकटीकरण या खुलासा -	नियोजन तथा क्रियान्वयन के आरंभ से अंत तक सूचना का	***धारा 7 (6):*** विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाएं 7 (4 और 5) के अधीन जिला और प्रखंड प्रशासनिक कार्यालयों और पीआरआई (PRI) में स्थानीय भाषा में सार्वजनिक की

क्रम सं.	विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
	चरण II	प्रचार-प्रसार	जाएं
	बहु-फसली भूमि पर प्रभावों को न्यूनतम करना	व्यवहार्य डिजाइन का चयन करें जिसका न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हो।	***धारा 10:*** यदि असाधारण परिस्थितियों में सिंचित बहु-फसली भूमि अधिग्रहीत की जाती है, तो भी अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का क्षेत्र जिले या राज्य में सभी परियोजनाओं की भूमि के कुल योग से अधिक नहीं हो सकता। अधिग्रहीत किया जाने वाला क्षेत्र जिले या राज्य के कुल शुद्ध बुआई किए हुए क्षेत्र से अधिक नहीं हो सकता। अधिग्रहीत क्षेत्र से दोगुने के समतुल्य ऊसर भूमि विकसित की जाएगी।
	प्रारंभिक नोटिस की सूचना का प्रचार-प्रसार	तैयारी और भागीदारी का सतत भाग	***धारा 11 (1), (2) और (3)***: नोटिस स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित किए गए और ग्राम सभाओं, नगरपालिकाओं की बैठकें बुलाई गईं ताकि परियोजना के उद्देश्य, एसआईए (SIA) के सार-संक्षेप और आरऐंडआर योजना के आरऐंडआर सार-संक्षेप के लिए नियुक्त प्रशासक के विवरणों की पूर्ण जानकारी दी जा सके।
	भू अभिलेखों को अद्यतन करना	आरएपी (RAP) का भाग है	***धारा 11 (5)***: एक बार जब स्थापित हो जाए कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है, तो उसी के अनुसार **धारा 19 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए जिसके उपरांत दो माह के भीतर भू अभिलेख अद्यतन किए जाएं।**
	आरऐंडआर योजना की गणना और तैयारी	आरएपी (RAP) का भाग है	***धारा 16 (1) (2)***: प्रभावित लोगों और उनकी प्रभावित होने वाली संपत्तियों, आजीविका की हानि और प्रभावित होने वाली साझा संपत्तियों की गणना का कार्य करें; आरऐंडआर योजना, जिसमें क्रियान्वयन की समय सीमा शामिल हो।
	सूचना का प्रसार और जन सुनवाई - चरण III	पूरी प्रक्रिया के दौरान विचार-	***धारा 16(4)और(5)***: पुनर्वास क्षेत्र सहित आरऐंडआर योजना के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार और प्रारूप आरऐंडआर योजना के बारे में प्रत्येक ग्राम सभा, नगरपालिका में जन सुनवाई का और पीईएसए (PESA) की आवश्यक के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्र में परामर्श तथा विचार-विमर्श का आयोजन करना अनिवार्य

क्रम सं.	विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
		विमर्श अनिवार्य है	है,
	आरऐंडआर योजना की स्वीकृति		***धारा 17* और *18***: जन सुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों को संबोधित करने के पश्चात आरऐंडआर (R&R) योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया देना और स्वीकृत करना।
	आरऐंडआर (R&R) योजना की अंतिम घोषणा	बजट प्रावधानों सहित स्वीकृत आरएपी (RAP) क्रियान्वित करने के लिए	***धारा 19 (2)***: मांग करने वाले निकाय द्वारा धनराशि जमा करवा चुकने के बाद ही सरकार **19(1)** के साथ नोटिस जारी करेगी।
	नियत समयावधि	आरएपी (RAP) में शामिल - समय सीमाएं सरकार की प्रक्रियाओं के साथ समन्वित हों अथवा ऐसे नवोन्मेषी तरीके अपनाएं जिससे समय कम लगे, जो भागीदारी और पारदर्शिता के सिद्दांतों के आधार पर संचालित हों।	***धारा 19 (2):*** भू अभिलेखों को अद्यतन करने, सूचना प्रसारित करने, प्रारंभिक सर्वे, गणना, आपत्तियों की सुनवाई, आरऐंडआर योजना की तैयारी और स्वीकृति, धनराशि को जमा करने की समूची प्रक्रिया धारा 11, प्रारंभिक नोटिस जारी किये जाने की तिथि से ***दो महीने के भीतर पूरी*** होनी ही चाहिए। ***धारा 19 (7)***: यदि अंतिम घोषणा धारा 11 (1) के 12 महीनों के भीतर नहीं की जाती है, तो विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत को छोड़कर प्रक्रिया कालातीत हो जाएगी।
	भूमि अधिग्रहण योजना की तैयारी	आरएपी (RAP) में शामिल	***धारा 20:*** अधिग्रहण योजनाओं की तैयारी के लिए भूमि चिह्नित की गई, मापी गई
	दावों की सुनवाई		***धारा 21(1) (2)***: भूमि का कब्जा लेने के सरकार के इरादे का संकेत देते हुए नोटिस जारी और मुआवजे तथा आरऐंडआर (R&R) के दावे किये जा सकते हैं जिनका समय धारा 21 (1) के जारी होने की तिथि से **एक माह से कम नहीं और छह माह से अधिक नहीं** होना चाहिए।
	अवार्ड घोषित करने की नियत समयावधि		***धारा 25:*** भूमि अधिग्रहण योजनाओं को पूरा करने, आपत्तियों की सुनवाई करने, व्यक्तिगत दावों के निपटारे के बाद **धारा 19 (भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अंतिम घोषणा, स्वीकृत आरऐंडआर योजना) के जारी होने के 12 महीनों के भीतर** अवार्ड घोषित करना

क्रम सं.	विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
			आवश्यक है। यदि नियत समय के भीतर अवार्ड घोषित नहीं किया जाता है, तो पूरी कार्यवाहियां कालातीत हो जाएंगी।
	एलए (LA) अधिनियम 1984 को कालातीत मानना और आरएफसीटीएलएआर ऐंडआर (RFCTLAR&R) का लागू होना		***धारा 24***: जहां धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड घोषित नहीं किया गया है, या जहां पांच साल पहले घोषित किया गया था किंतु भूमि कब्जे में नहीं ली गई थी, या जहां अवार्ड घोषित कर दिया गया किंतु बहुतायत लाभान्वितों के खाते में धन जमा नहीं करवाया गया।
	भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने की पद्धति	पूर्ण प्रतिस्थापना लागत	***धारा 26* और प्रथम अनुसूची *:*** 3 पद्धतियों को मान्यता देती है और जो भी ज्यादा हो उस पर विचार किया जाएगा और उसमें पहली अनुसूची में दिए गए एक कारक से गुणा किया जाएगा; पूर्व में दिए गए मुआवजे को नहीं माना जाएगा; यदि दरें उपलब्ध नहीं हैं तो आधार मूल्य या न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा सकता है; बाजार मूल्य को अद्यतन बनाने के लिए कदम उठाए जाने हैं।
	संरचनाओं का मूल्य निर्धारण	पूर्ण प्रतिस्थापना लागत	***धारा 29 (1)*** मूल्य ह्रास की कटौती किए बगैर।
	सांत्वना राशि और ब्याज		***धारा 30(1)*** मुआवजा धनराशि का 100% ***धारा 30(3)***: एसआईए (SIA) की अधिसूचना की तिथि से वार्ड या भूमि अधिग्रहीत करने की तिथि तक बाजार दर पर 12% प्रति वर्ष
	आरऐंडआर (R&R) अवार्ड	प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए और उन्हें उनकी आजीविकाओं और रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने की या कम से कम उन्हें, वास्तविक अर्थ में, उनके विस्थापन-पूर्व स्तरों तक या	***धारा 31, द्वितीय अनुसूची***: परिवार को एक इकाई के रूप में मुआवजे की धनराशि से ऊपर अतिरिक्त आरऐंडआर (R&R) अनुदान मिलेगा और उन्हें भी मिलेगा जो मुआवजे के अधिकारी नहीं हैं। ***द्वितीय अनुसूची :*** निर्मित मकान के अधिकारी बेघर लोग, सिंचाई परियोजनाओं में मुआवजे के एवज में

क्रम सं.	विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
		परियोजना का क्रियान्वयन आरंभ होने से पहले प्रचलित स्तरों तक, जो भी अधिक हो, लाने की कुल लागत आरएपी (RAP) में शामिल है।	जमीन के बदले जमीन, शहरीकरण के उद्देश्य से अधिग्रहण के मामले में 20% विकसित भूमि स्वामियों के लिए आरक्षित, जिसकी कीमतें क्षतिपूरक नौकरी या 20 साल की निर्वाह सहायता के लिए एक बार भुगतान या वार्षिक वृत्ति के समतुल्य होगी, परिवहन, भूमि और मकान पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर पंजीकृत इत्यादि।
	पारदर्शिता		***धारा 37(1):*** हानि, स्वीकृत मुआवजे आदि सहित प्रत्येक वैयक्तिक परिवार की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
	भूमि का कब्जा	भूमि और संबंधित संपत्तियों का कब्जा विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करने तथा, जहां लागू हो, वहां पुनर्वास स्थलों और स्थानांतरण भत्तों को प्रदान कर दिए जाने के बाद लिया जा सकता है।	***धारा 38(1)***: भूमि का कब्जा मुआवजे की अदायगी के तीन महीने के भीतर और आरऐंडआर (R&R) लाभों की अदायगी के 6 महीनों के भीतर सरकार द्वारा ले लिया जाएगा; पुनर्स्थापन स्थलों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास धारा 30 के अंतर्गत मुआवजे के लिए अवार्ड देने की तिथि से 18 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा; सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में आरऐंडआर (R&R) डूब के पहले छह महीनो में पूरा कर लिया जाएगा।
	बहुविध विस्थापन		***धारा 39:*** निर्धारित मुआवजे के समतुल्य अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान विस्थापित को किया जाएगा।
	आपात उद्देश्य के लिए अधिग्रहण	बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में अनुमत्य नहीं	***धारा 40 (5)***: मुआवजा धनराशि के ऊपर 75% अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
	अधिग्रहण और हस्तांतरण के पहले पूर्व सम्मति	स्थानीय मूल लोगों के साथ स्वतंत्र, पूर्व और जानकार विचार-विमर्श करना अनिवार्य	***धारा 41(3)*** अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा, पंचायत, स्वायत्तशासी परिषदों की सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य

क्रम सं.	विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
	एससी और एसटी के लिए विकास योजनाएं	आरएपी (RAP) के साथ स्थानीय मूल लोगों के विकास की योजना आवश्यक है। सभी क्षेत्रों में जमीन के बदले जमीन एक विकल्प है।	***धारा 41:*** पृथक विकास योजनाएं तैयार की जानी हैं; अधिग्रहण से पहले भूमि अधिकारों का निपटारा करें; वन भूमि पर वैकल्पिक ईंधन चारा, इमारती लकड़ी से इतर वनोपजों की व्यवस्था 5 वर्ष के भीतर विकिसत की जाए; एक-तिहाई मुआवजा धनराशि प्रथम किस्त के रूप में और शेष कब्जा लेने के समय अदा की जाए; एसटी (ST) को अनुसूचित क्षेत्र के भीतर ही पुनर्स्थापित किया जाए; सामुदायिक उद्देश्यों के लिए जमीन निशुल्क; भूमि हस्तांतरण शून्य माना जाएगा और एसटी और एससी को आरऐंडआर लाभों के लिए विचार किया जाएगा; सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं में मछली पकड़ने के अधिकार बहाल; यदि जिले से बाहर बसना चाहता हो तो मौद्रिक अर्थ में अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जायेंगे; अन्य कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सभी अधिकारी जारी रहेंगे। ***द्वितीय अनुसूची***: एससी और एसटी के लिए सिंचाई परियोजनाओं में भूमि के लिए अतिरिक्त प्रावधान, निर्वाह या गुजारा सहायता के ऊपर और अतिरिक्त धनराशि।
	सांस्थानिक व्यवस्था	सांस्थानिक व्यवस्थाओं पर सहमति अवश्य होनी चाहिए और उन्हें आरएपी (RAP) तथा आईपीडीपी (IPDP) में शामिल किया ही जाना चाहिए।	***धारा 43-45:*** जब 100 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहीत की जानी हो तब प्रशासक, आरऐंडआर आयुक्त की नियुक्ति, परियोजना स्तर पर आरऐंडआर समिति बनाई जाएगी, ग्राम सभा और नगरपालिका द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षण या ऑडिट किया जाना है।
	भू उपयोग में बदलाव		***धारा 46(4):*** जब तक आरऐंडआर का पूरी तरह अनुपालन नहीं किया जाता तब तक अधिग्रहण या मांग करने वाले अधिकारी को भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।
	निगरानी और मूल्यांकन	संकेतकों और निगरानी प्रणाली को आरएपी (RAP) और आईपीडीपी (IPDP) में शामिल	***धारा 48-50:*** प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की निगरानी समिति का गठन करें

क्रम सं.	विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
		किये गये हैं।	
	दावों के निपटारे के लिए प्राधिकार		***धारा 51-74:*** उपयुक्त सरकार अधिसूचना के माध्यम से पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्राधिकार के रूप में एक या अधिक प्राधिकरणों की स्थापना करेगी। प्राधिकरण की स्थापना अधिग्रहण और आरऐंडआर से उत्पन्न किसी भी विधिक विवाद के निपटारे के लिए किया जाएगा, उसके उपरांत असंतुष्ट पक्ष उच्च न्यायालय में जा सकता है।
	कर और शुल्क से छूट		***धारा 96:*** मुआवजा और समझौता राशियां कर तथा स्टांप शुक्ल के देनदार नहीं होंगे।
	अधिग्रहीत भूमि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं		***धारा 99***: एक बार जब भूमि एक उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत कर ली जाती है, तो उसके उपरांत उसके उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
	उपयोग में नहीं ली गई भूमि की वापसी		***धारा 101:*** यदि अधिग्रहीत की गई भूमि का 5 वर्षों तक उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे उसके मूल स्वामी, वारिस को लौटा दिया जाएगा या भूमि बैंक में शामिल कर लिया जाता है।
	हस्तांतरित की गई भूमि के वर्धित मूल्य का वितरण		***धारा 102***: यदि कोई विकास कार्य नहीं हुआ हो तो अधिग्रहीत भूमि के अधिमूल्यित मूल्य का 40% मालिकों को वितरित कर दिया जाएगा।

स्रोत : द्वितीयक स्रोतों से संकलित

[1]भूमि स्वामी - जिसकी जमीन और अचल संपत्ति अधिग्रहीत की गई है और किसी भी योजना के तहत राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जमीन दी गयी है (धारा 3 सी(i) और (v)।

5.3 भूमि और अन्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया

परियोजना केंद्रित आरऐंडआर नीति भूमि तथा अन्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए दो विकल्पों का प्रावधान करती है। विकल्प 1 सीधी खरीद का है और विकल्प 2 आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के माध्यम से है। विवरण निम्नानुसार हैं :

***विकल्प 1*:** जमीन की सीधी खरीद

***यह केवल उत्तर प्रदेश में चरण 1(बी) और चरण 2 के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए है।**

इस विकल्प के अंतर्गत निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाएगा :

- परियोजना को एसआईए के दौरान स्थानीय राजस्व अधिकारियों की परामर्श से खरीदे जाने वाले भूखंडों और मालिकों की पहचान करनी है।
- खरीद के आशय और खरीद के उद्देश्य से ऐसे भू स्वामियों की सूची जिला मजिस्ट्रैट को भेजी जाएगी। विद्यमान शासकीय आदेश (जीओ) संख्या 271/83 तिथि 2 सितंबर 2013 के अनुसार सीधी खरीद के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। (उत्तर प्रदेश में लागू होने योग्य)।
- जमीन का आधार मूल्य आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- दर का अंतिम निर्णय भूमि खरीद समिति द्वारा लिया जाएगा।
- सहमत दर में आरऐंडआर सहायताएं समाहित होंगी।

***विकल्प 2*:** भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार और पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 के माध्यम से निजी भूमि का अधिग्रहण

विकल्प 2 के अनुसार सभी निजी अचल संपत्तियां नए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अनुसार अधिग्रहीत की जाएंगी। प्रभावित क्षेत्र के भीतर विगत 3 वर्षों से रह रहे सभी पात्र पीएपी मुआवजे के ऊपर और अतिरिक्त आरऐंडआर सहायता के अधिकारी होंगे। ऐसे पीएपी जो अधिनियम के अनुसार मुआवजे के अधिकारी नहीं हैं (अतिक्रमणकारी और अवैध कब्जेधारी), उन्हें परियोजना केंद्रित आरऐंडआर नीति में दी गई उनकी पात्रता के अनुसार आरऐंडआर लाभ प्राप्त होंगे। मुआवजे और सहायता का अधिकार केवल उन्हीं पीएपी को दिया जाएगा जिनकी पहचान कट ऑफ या विभाजक तिथि तक या पहले कर ली गई होगी।

छूट का प्रयोग

भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार और पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 में 3 अप्रैल 2015 को एक संशोधन अध्यादेश लागू किया गया। अध्यादेश पांच श्रेणियों की परियोजनाओं को कुछ निश्चित आवश्यकताओं से छूट प्रदान करता है : (i) रक्षा; (ii) ग्रामीण आधारभूत ढांचा; (iii) सस्ते आवास; (iv) औद्योगिक गलियारे; (v) निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) सहित आधारभूत ढांचा परियोजनाएं जिनमें केंद्र सरकार जमीन की मालिक है। इन 5 श्रेणियों की परियोजनाओं को निजी परियोजनाओं के लिए 80% भू स्वामियों की सम्मति प्राप्त करने और पीपीपी परियोजनाओं के लिए 70% भू स्वामियों की सम्मति प्राप्त करने की आवश्यकता से और साथ ही अधिसूचना के जरिए सामाजिक प्रभाव आकलन करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। इस संदर्भ में यह परियोजना श्रेणी (v) के अंतर्गत आना संभावित है। इसी के अनुसार, साहेबगंज की इस परियोजना के लिए आरएफसीटीएलएआरआर 2013 की धारा अध्याय 2 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता से आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2014 के संबंध में झारखंड राज्य नियमों के नियम 5 के अनुसार छूट दी गई थी (आदेश की एक प्रतिलिपि अनुलग्नक 1 में है)। तथापि श्रेष्ठतम प्रथाओं का अनुपालन करते हुए विश्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार एक एसआईए किया गया और प्रयोज्य राष्ट्रीय विधानों तथा नियमों का विचार करते हुए क्षेत्र के लिए एक पुनर्स्थापन कार्य योजना तैयार की गई जिसे जिला

प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया गया।

5.4 परियोजना केंद्रित आरऐंडआर (R&R) नीति

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आरऐंडआर) नीति विश्व बैंक की परिचालन या ऑपरेशनल नीतियां (ओपी) अस्वैच्छिक पुनर्वास से संबंधित 4.12 और देशज या मूल लोगों से संबंधित 4.10 तथा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 पर आधारित है। इस नीति में निर्धारित वृहत रूपरेखा पर आधारित कार्य योजना तैयार की गई है। आरऐंडआर नीति का सिद्धांत परियोजना द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के लिए विकास दृष्टिकोण प्रदान करने वाली मार्गदर्शक फिलॉसफी है। परियोजना केंद्रित आरऐंडआर नीति मानती है कि अस्वैच्छिक पुनर्स्थापन का परिणाम विद्यमान उत्पादन प्रणाली और जीवन शैली के छिन्न-भिन्न होने के रूप में सामने आता है। इसलिए सभी पुनर्वास कार्यक्रम कल्याणकारी दृष्टिकोण के बजाय विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। नीति परियोजनाओं के दौरान परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) के घरों और आजीविकाओं को पुनर्स्थापित करने में सहायता का विस्तार से खुलासा करती है। स्वीकृत नीति में दिए गए अनुसार पात्रता का सांचा या मैट्रिक्स नीचे प्रस्तुत है।

सारणी 5.4 : जल मार्ग विकास परियोजना के लिए पात्रता मैट्रिक्स

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
क. निजी कृषि भूमि, वास भूमि और व्यावसायिक भूमि की हानि				
1	भूमि	स्वामित्वधारी परिवार और पारंपरिक भूमि अधिकार धारी परिवार	बाजार मूल्य पर मुआवजा, अनुसूची 1 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन	क) यदि उपलब्ध हो तो भूमि के बदले में भूमि। या भूमि के लिए नकद मुआवजा उस प्रतिस्थापन मूल्य पर जिसका निर्धारण आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 26 के अधीन प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। ख) यदि जमीन आवंटित की जाती है तो वह पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगी। ग) यदि अधिग्रहण के बाद बची हुई जमीन अव्यवहार्य हो तो जमीन के मालिक के पास यह विकल्प होगा कि वह बची हुई जमीन को रखे या बेच दे। घ) प्रतिस्थापन भूमि के लिए होने वाले स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्कों की धन-वापसी का भुगतान परियोजना द्वारा किया जाएगा; प्रतिस्थापन भूमि की खरीद परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा मुआवजे के भुगतान के एक वर्ष के भीतर करना ही

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				होगा। ङ) यदि कोई फसलों की हानि हो तो बाजार मूल्य से मुआवजा या तीन महीनों का नोटिस। च) वास भूमि की हानि के लिए पुनर्स्थापना के मामले में पुनर्स्थापन सहायता धारा ई 6 के अनुसार।
ख.	**निजी संरचनाओं (आवासीय/व्यावसायिक) की हानि**			
2	संरचना	स्वामित्वधारी/ मालिक	बाजार मूल्य से मुआवजा, अनुसूची 1 और 2 के अनुसार पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन सहायता	क) संरचनाओं के लिए प्रतिस्थापन मूल्य पर नकद मुआवजा जिसका निर्धारण आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 29 के अनुसार होगा। ख) ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान या शहरी क्षेत्र में आरएवाय (रे) के अंतर्गत मकान के बदले में 50,000 रुपये या पुनर्वास कॉलोनी में निर्मित मकान या मकान के बदले में 1,00,000 रुपये। यदि मकान आवंटित किया जाता है तो वह पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगा। ग) ध्वस्त संरचनाओं की निस्तारण सामग्री का अधिकार। घ) संरचनाओं को खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस। ङ) नए वैकल्पिक मकानों/दुकानों की खरीद के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्कों की धन-वापसी उपरोक्त (a) में निर्धारित अनुसार बाजार मूल्य की प्रचलित दरों पर। वैकल्पिक मकान/दुकान मुआवजे के भुगतान की तिथि से एक वर्ष के भीतर अवश्य खरीद लिए जाने चाहिए। च) यदि प्रभावित संरचनाएं आंशिक रूप से प्रभावित होती हैं और बाकी संरचना व्यवहार्य बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में संरचना को बहाल करने के लिए 10% अतिरिक्त धनराशि। यदि प्रभावित संरचना आंशिक रूप से प्रभावित होती है और बाकी बची

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				संरचना अव्यवहार्य हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पृथक्करण भत्ते के रूप में मुआवजे की 25% अतिरिक्त धनराशि। छ) प्रत्येक प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हुआ है और जिसके पास पशु हैं, पशु बाड़े के निर्माण के लिए 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। ज) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है और जो विस्थापित हुआ है (इस परियोजना में किसी भी आवासीय-सह-व्यावसायिक संरचना का मालिक), वर्किंग शेड या दुकान के निर्माण के लिए एक बार 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। झ) आवासीय संरचना की हानि के कारण पुनर्स्थापना के मामले में धारा ई 6 में निर्दिष्टानुसार पुनर्स्थापन सहायता।
3	संरचना	किरायेदार/लीज या पट्टे का धारक	पुनर्स्थापन और पुर्नवास सहायता	क) पंजीकृत लीज या पट्टा धारक प्रयोज्य स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना मालिक को देय मुआवजे में बंटवारे का अधिकारी होगा। ख) किरायेदारों के मामले में स्थानांतरण भत्ते के रूप में 50,000 रुपये के साथ तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा।
ग. वृक्षों और फसलों की हानि				
4	खड़े हुए पेड़ और फसलें.	मालिक और लाभान्वित (पंजीकृत/अपंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतिहर, लीजधारक और बंटाईदार)	बाजार मूल्य पर मुआवजा	क) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को फल की पैदावार, खड़ी फसलों और पेड़ों को हटाने के लिए एक महीने का अग्रिम नोटिस। ख) मुआवजे का भुगतान उस दर पर होगा जिसका आकलन निम्न के द्वारा किया जाएगा : i) इमारती लकड़ी के पेड़ों के लिए वन विभाग ii) फसलों के लिए राज्य कृषि विस्तार विभाग

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				iii) फल/फूल देने वाले पेड़ों के लिए बागवानी विभाग ग) पंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतिहर और लीजधारक तथा बंटाईदार पेड़ों और फसलों के लिए मालिक और लाभान्वित के बीच समझौता दस्तावेज के अनुसार मुआवजे के पात्र होंगे। घ) अपंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतिहर और लीजधारक और बंटाईदार पेड़ों और फसलों के लिए मालिक और लाभान्वित के बीच आपसी समझ के अनुसार मुआवजे के पात्र होंगे।
घ. गैर-स्वामित्वधारियों की आवासीय / व्यावसायिक संरचनाओं की हानि				
5	सरकारी जमीन पर संरचनाएं	परियोजना जनगणना के सर्वे के अनुसार चिह्नित संरचनाओं के मालिक या संरचनाओं के कब्जाधारी	अनुसूची 2 के अनुसार पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	क) कब्जाधारियों / अतिक्रमणकारियों को कब्जा की गई जमीन खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा। ख) अतिक्रमणकारियों/कब्जाधारियों को संरचनाओं की हानि के लिए प्रतिस्थापन मूल्य पर नकद सहायता दी जाएगी, जिसके लिए संरचना का मूल्य निर्धारण मूलभूत निर्धारण दर या बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट्स (बीएसआर) के अनुसार किया जाएगा। ग) किओस्क या खोखे के अलावा सभी कब्जाधारियों को एक मुश्त अनुदान के रूप में प्रति परिवार स्थायी संरचना के लिए 30,000 रुपये, अर्ध-स्थायी संरचना के लिए 25,000 रुपये और अस्थायी संरचना के लिए 10,000 रुपये का स्थानांतरण भत्ता दिया जाएगा। घ) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है, वर्किंग शेड या दुकान के निर्माण के लिए 25,000 रुपये की सहायता। ङ) किओस्क या खोखों के मामले में एक बार अनुदान के रूप में केवल 5,000 रुपये दिए जाएंगे।

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				च) प्रति परिवार आय उत्सर्जन के लिए 10,000 रुपये की प्रशिक्षण सहायता, उन गैर-स्वामित्वधारियों के लिए लागू होगा जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अंतर्गत नहीं आते।
ङ. आजीविका की हानि और स्थानांतरण सहायता				
6	प्रभावित क्षेत्र के भीतर रह रहे परिवार	स्वामित्वधारी/ बंटाईदार, खेतिहर मजदूर और कर्मचारी	अनुसूची 2 के अनुसार पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	क) एक बार अनुदान के रूप में 36,000 रुपये का निर्वाह या गुजारा भत्ता। ख) रोजगार के एवज में 5,00,000 रुपये का एक बार अनुदान अथवा वार्षिक वृत्ति। ग) विस्थापित हो रहे प्रत्येक प्रभावित परिवार को स्थानांतरण भत्ते के रूप में एक बार 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। घ) पुनर्वास सहायता के रूप में 50,000 रुपये की एक बार सहायता।
च. संवेदनशील कमजोर परिवारों को अतिरिक्त सहायता				
7	परिवार	एससी, एसटी, बीपीएल, डब्ल्यूएचएच परिवार	पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	50,000 रुपये की एक बार अतिरिक्त वित्तीय सहायता। खंड 5 के अंतर्गत पहले ही समाहित अवैध कब्जाधारी और अतिक्रमणकारी इस सहायता के पात्र नहीं होंगे।
छ. सामुदायिक अवसंरचना/ साझा संपत्ति संसाधनों की हानि				
8	संरचनाएं तथा अन्य संसाधन (जैसे जमीन, जल, संरचनाओं तक पहुंच आदि)	प्रभावित समुदाय और समूह	सामुदायिक संरचना और साझा संपत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापन स्थल का विकास अनुसूची 3 के अनुसार	सामुदायिक संरचना और साझा संपत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण समुदाय के साथ विचार-विमर्श के साथ।
ज. निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव				
9	निर्माण के	भूमि और संपत्तियों	निर्माण के दौरान	संपत्तियों, फसलों की हानि तथा किसी भी अन्य

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
	दौरान अस्थायी रूप से प्रभावित भूमि, संपत्तियां	के मालिक	अस्थायी प्रभाव, जैसे सामान्य यातायात का रास्ता बदलना, भारी मशीनों की और संयंत्र स्थल पर आवाजाही के कारण नजदीक के भूखंडों / संपत्तियो को नुकसान के लिए मुआवजा	नुकसान के लिए ठेकेदार के द्वारा 'ठेकेदार' और 'प्रभावित पक्ष' के बीच पूर्व समझौते के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
झ.	**पुनर्वास स्थल**			
10	आवासीय संरचना की हानि	विस्थापित स्वामित्वधारी और गैर-स्वामित्वधारी	पुनर्वास स्थल / विक्रेता बाजार के प्रावधान	यदि कम से कम 25 परियोजना विस्थापित परिवार सहायता-प्राप्त पुनर्वास का विकल्प चुनते हैं, तो पुनर्वास स्थलों का विकास परियोजना के अंग के रूप में किया जाएगा। पुनर्वास स्थल पर भूखंडों/फ्लैटों के आवंटन में संवेदनशील पीएपी को प्रमुखता दी जाएगी। भूखंड का आकार आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLARR) अधिनियम 2013 में दिए गए प्रावधानों के अधिकतम के अधीन गंवाए गए भूखंड के आकार के समतुल्य होगा। पुनर्वास स्थल पर बुनियादी सुविधाएं परियोजना द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLARR) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार, यदि कम से कम 25 विस्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठान (छोटे व्यावसायिक उद्यम) शॉपिंग इकाइयों का विकल्प चुनते हैं, तो परियोजना प्राधिकरण विस्थापित व्यक्तियों के परामर्श से निकट के इलाके में उपयुक्त स्थान पर एक विक्रेता बाजार का विकास करेगा। इस विक्रेता बाजार में बुनियादी सुविधाएं जैसे पहुंच मार्ग, बिजली का कनेक्शन, पानी और स्वच्छता की सुविधा परियोजना द्वारा प्रदान की जाएंगी। विक्रेता बाजार में दुकानों के आवंटन में संवेदनशील पीएपी को प्रमुखता दी जाएगी। एक विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थल पर केवल एक भूखंड का या विक्रेता बाजार में केवल एक दुकान का

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				अधिकारी होगा।

***कोई भी सहायता दोहराई नहीं जाएगी**

****पात्रता मैट्रिक्स केवल साहेबगंज में चिह्नित उप परियोजना पर लागू होगा**

*****अन्य राज्य कर और उपकर अतिरिक्त रूप से लागू होंगे**

****** अपूर्वानुमानित हानियों जैसे नौकाओं के संचालन के दौरान मछली पकड़ने के जालों को नुकसान के लिए व्यथित मछुआरों को अलग-अलग घटना के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। पीआईयू हानि (तथा किन्हीं भी अन्य प्रभावों) के स्वरूप और सीमा का निर्धारण करेगी और जिम्मेदार परिचालक उसी के अनुरूप क्षतिपूर्ति करेगा।**

5.5. परिभाषाएं

इन नीति में उपयोग की गई विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषाएं हैं :

- **अधिग्रहीत भूमि या जमीन** का अर्थ है वह भूमि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 (एलएए, 1894) अथवा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) अथवा किसी अन्य प्रचलित जीओ के लिए अधिग्रहीत की गई है।
- **कृषि भूमि** का अर्थ वह भूमि है जिसका उपयोग (i) कृषि या बागवानी; (ii) डेयरी उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन, पशुधन प्रजनन या चिकित्सीय वनस्पति उगाने वाले पौधघरों; (iii) फसलों, पेड़ों, घास या उद्यान उपजों को उगाने; और (iv) पशुओं को चराने के लिए भूमि उपयोगों जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
- **प्रभावित क्षेत्र** का अर्थ ऐसा क्षेत्र है जिसे एलएए 1894 के अंतर्गत अथवा यदि भूमि का अधिग्रहण जनवरी 2014 के पश्चात किया जा रहा हो तो आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
- **प्रभावित परिवार** का अर्थ है

(i) वह परिवार जिसकी जमीन या अन्य अचल संपत्ति अधिग्रहीत की गई है;

(ii) वह परिवार जो किसी भूमि का स्वामी नहीं है किंतु ऐसे परिवार का सदस्य या के सदस्य खेतिहर मजदूर हों, किसी भी रूप में किरायेदार या भोगाधिकार धारक किरायेदार हों, बंटाईदार या दस्तकार हों, या जो भूमि के अधिग्रहण के तीन साल पहले से प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित हुआ हो;

(iii), अनुसूचित जनजातियां और अन्य पांरपरिक वन वासी जिन्होंने भूमि के अधिग्रहण के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन वासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्य वन अधिकार गंवा दिए हों;

(iv) वे परिवार जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अधिग्रहण से तीन वर्ष पहले से वनों या जल निकायों पर निर्भर रहा है और जिनमें वनोपजों के संग्रहकर्ता, शिकारी, मछलीपालक और नाविक शामिल हैं औह जिनकी आजीविका भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुई हो।

- **क्षतिपूर्ति या मुआवजा** का अर्थ है वह धनराशि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 अथवा यदि भूमि 1 जनवरी 2014 के पश्चात अधिग्रहीत की जा रही हो तो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना के लिए अधिग्रहीत निजी संपत्तियों, संरचनाओं तथा अन्य संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की गई हो।
- **कटऑफ या विभाजक तिथि** उस अधिसूचना की तिथि या तारीख है जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4(1) के अंतर्गत अथवा यदि भूमि 1 जनवरी 2014 के पश्चात अधिग्रहीत की जा रही हो तो आरएफसीटीएलएआरआर 2013 की धारा 3 के अंतर्गत जारी की गई है और गैर-स्वामित्वधारियों के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वे की तिथि है।
- **विस्थापित परिवार** का अर्थ है कोई भी प्रभावित परिवार, (i) जिसे भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से स्थानांतरित होना पड़ा है; (ii) वह परिवार जिसके आवास का प्राथमिक स्थान या अन्य संपत्ति या आजीविका का स्रोत परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है; (iii) अन्य संपत्ति का कोई भी भू-धृति धारक (टेन्योर होल्डर), किरायेदार, लीजधारक या मालिक, जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के कारण ऐसी भूमि या अन्य संपत्ति से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ है; (iv) कोई भी खेतिहर या गैर-खेतिहर मजदूर, भूमिहीन व्यक्ति (जिसके पास वास भूमि या कृषि भूमि नहीं है), ग्रामीण दस्तकार या शिल्पकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति, जो अधिग्रहीत भूमि पर रह रहा है या किसी व्यापार, व्यवसाय, काम-धंधे या पेशे में लगा है, और जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के कारण अपनी आजीविका कमाने से वंचित हो गया है या अपने व्यापार, व्यवसाय, काम-धंधे या पेशे के मुख्य स्रोत से पूरी तरह या भलीभांति विलग हो गया है।
- **कर्मचारी** का अर्थ है वह व्यक्ति जो अधिग्रहीत भूमि में विस्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा कार्य में रखा गया है**,** और यह अर्थ मौखिक या लिखित, व्यक्त या निहित रोजगार के अनुबंध के अधीन क्षतिपूर्ति या मुआवजे के उद्देश्य से है।
- **अतिक्रमणकारी** वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने भवन या इमारत, व्यावसायिक परिसर या कार्य स्थल या कृषि गतिविधियों का विस्तार सरकारी जमीनों पर कर लिया है। इनमें वे अनधिकृत प्रवेश करने वाले शामिल नहीं हैं जो सुरक्षित भूमि के अवैध उपयोग के लिए अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।
- **भूमि अधिग्रहण** का अर्थ है एलएए 1894 या जहां भूमि 1 जनवरी 2014 के पश्चात अधिग्रहीत की गई हो वहां आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि।
- **न्यूनतम वेतन या पारिश्रमिक** का अर्थ है एक व्यक्ति का न्यूनतम वेतन या पारिश्रमिक प्रति दिन जो उसकी सेवाओं**/**श्रम के बदले में उसे जहां परियोजना स्थित है उस राज्य की सरकार के श्रम विभाग अथवा भारत सरकार, जो भी लागू हो, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अदा किया जाता है।
- **गैर-बारहमासी फसल :** का अर्थ ऐसी कोई भी पौध प्रजाति है जो या तो प्राकृतिक रूप से या खेती के माध्यम से उगती-बढ़ती है और जो कटाई के एक मौसम विशेष में जीवित रहती है और उसकी उपज की कटाई के बाद नष्ट हो जाती है।
- **अधिसूचना** का अर्थ है भारत सरकार या राज्य सरकार, जो भी स्थिति हो, के गजट या अधिपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
- **बारहमासी फसल :** का अर्थ है कोई भी पौध प्रजाति जो वर्षों जीवित रहती है और अपनी उपज परिपक्वता की एक निश्चित आयु के पश्चात देती है।

- **पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) पात्रताओं या अधिकारों** का अर्थ है इस दस्तावेज में प्रस्तुत तथा आईडब्ल्यूएआई द्वारा अंगीकृत आरऐंडआर के संबंध में आईडब्ल्यूएआई की नीति में दी गई आरऐंडआर रूपरेखा के अनुसार स्वीकृत लाभ।
- **भूमि के पृथक्करण (सीवरेंस ऑफ लैंड)** का अर्थ है एक भूमि के स्वामित्व को मुख्यतः नई परियोजना के घटनाक्रम के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण दो या अधिक हिस्सों में बांटना।
- **अवैध कब्जाधारी** का अर्थ है वे व्यक्ति जिन्होंने आवासीय या अन्य उद्देश्यों के लिए सरकार जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।
- **राज्य सरकार/सरकार** का अर्थ है पश्चिम बंगाल की सरकार।
- **किरायेदार** वे व्यक्ति हैं जिन्होंने भूमि के अधिग्रहण के तीन वर्ष पहले से आवास, व्यवसाय या अन्य उद्देश्य से एक संरचना या भूमि का प्रयोग करने के लिए संपत्ति के सुस्पष्ट स्वामित्वधारी संपत्ति मालिक के साथ प्रामाणिक किरायेदारी समझौता किया है।

अध्याय 6 : पुनर्स्थापन योजना

6.1 उपपरियोजना में भौतिक विस्थापन और पुनर्स्थापन

चूंकि सभी 235 परियोजना प्रभावित आवासीय संरचनाएं और दो आवासीय सह व्यावसायिक संरचनाएं भौतिक रूप से विस्थापित होंगी, इसलिए एक पुनर्वास कॉलनी का निर्माण किया जाएगा जिसमें अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ विस्थापित परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं होंगी। अपनी कृषि भूमि गंवाने के कारण 32 प्रभावित परिवार वंचित होंगे और उनके लिए विशिष्ट आय बहाली योजना विकसित की जाएगी तथा सरकार की कौशल विकास योजना के साथ उनका संबंध स्थापित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि विस्थापित परिवारों की आजीविका बहाल की जा सके और उन्हें सलाह-मशविरा प्रदान किया जाएगा।

पुनर्वास स्थल का चयन और तैयारी

पुनर्वास के बारे में परियोजना प्रभावित परिवारों की राय को जानने और समझने के लिए प्रभावित परिवारों के साथ समूहों में और अलग-अलग नियमित विचार-विमर्श किया गया और विचारों को गणना सर्वे में दर्ज किया गया। डीएलएओ, साहेबगंज और अपर समाहर्ता ने विस्थापित होने वाले परिवारों की सम्मति प्राप्त करने के लिए अपने कार्यालय में और स्थल पर गांव वालों के साथ कई दौरों की परामर्श आयोजित किया। चिह्नित भूमि सामदानाला गांव में हठीगढ़ी, चम्मा टोला के समीप प्रभावित क्षेत्र के नजदीक ही है। सामदानाला गांव में पुनर्वास कॉलोनी के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रैट द्वारा आरंभ की गई है। कुल चिह्नित की गई भूमि 6.8 हेक्टेयर है, जिसमें से 6.6 हेक्टेयर निजी भूमि है। भूमि का खसरा मानचित्र इस आरएपी के साथ अंत में जोड़ा गया है।

स्थल पर विकसित की गई पुनर्वास कॉलोनी में आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLARR) अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 की आवश्यकता के अनुसार विकसित किए गए आवास होंगे। प्रदान किए जाने वाले आवासों में एक शयनकक्ष, एक लिविंग रूम, रसोईघर और शौचालय सह स्नानघर शामिल है। प्रत्येक आवास का कुल फर्श या कारपेट क्षेत्र 50 वर्ग मीटर के भीतर होगा। ये पीडब्ल्यूडी (भवन) के द्वारा विकसित डिजाइन की विशेषताओं के अनुसार निर्मित किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी, भवन अनुभाग को ले आउट और निर्माण योजना और कॉलोनी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्माण जिला प्रशासन की सीधी देखरेख में खुली बोली के माध्यम से किया जाएगा।

आवासों के अतिरिक्त कॉलोनी में निम्नलिखित आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं होंगी।

विस्तृत योजना निम्नानुसार है: -

1	सामुदायिक भवन - 2 संख्या
2	स्वास्थ्य उपकेंद्र -1 संख्या
3	स्कूल भवन 1 संख्या
4	सड़क (लंबाई 3 किमी)
5	नाली
6	पूजा भवन
7	ओवरहेड टैंक सहित जलापूर्ति, स्वच्छता, बिजली
8	पशु चिकित्सालय
9	सौर लाइटें

मकानों का आवंटन और संयुक्त स्वत्वाधिकार स्वामित्व

विस्थापित परिवारों को मकान के आवंटन के लिए खुली लॉटरी की पद्धति अपनाई जाएगी। विस्थापित परिवारों को आवंटित मकान पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगा और स्वत्वाधिकार के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क से छूट दी जाएगी।

एक ग्राम स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो गांव में होने वाले आवंटनों की निगरानी करेगी। आरऐंडआर प्रशासक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी के साथ खुली लॉटरी का आयोजन करेंगे।

विस्थापित परिवार का एक प्रतिनिधि डिब्बे में से एक परची उठाएगा और उसकी संख्या दर्ज कर ली जाएगी और उसी संख्या का आवास उस परिवार को आवंटित कर दिया जाएगा। पुनर्वास कॉलोनी में आवासों को पहले से एक संख्या दे दी जाएगी।

न्याधार या प्लिंथ के स्तर तक निर्माण होने के बाद लॉटरी निकाली जाएगी। सभी विस्थापित परिवार आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की अनुसूची 2 के अनुसार परिवहन/स्थानांतरण भत्ते के अधिकारी होंगे। आरएपी क्रियान्वयन एजेंसी स्थानांतरण और परिवहन में विस्थापित परिवारों की सहायता करेगी।

प्रस्तावित योजना का निर्माण कार्य मई 2016 के आसापास आरंभ होने की अपेक्षा है और 150 आवास इकाइयों की पहली लॉटरी 6 महीनों में अर्थात नवंबर 2016 तक पूरी कर ली जाएगी। आवंटन टर्मिनल के चरण 1 के निर्माण की प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा। अगली 85 इकाइयों को दिसंबर 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा और सुविधाओं के साथ समूची कॉलोनी मार्च 2017 तक पूरी होने की संभावना है।

आरएपी क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा भूमि और घर खोने वाले 32 प्रभावित परिवारों के साथ विशेष परामर्श सत्रों को आयोजन किया जाएगा। इस मामले में प्रभावित व्यक्तियों की आकांक्षाओं को समझा जाएगा और उन संभव तरीकों के बारे में सहायता प्रदान की जाएगी जिनसे वे उन आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में अपनी प्राप्त धनराशि का निवेश कर सकें। इन प्रभावित परिवारों को अपने क्षतिपूर्ति पैकेज को निवेश करने के अच्छे से अच्छे अवसरों के संबंध में किसी भी जानकारी की आवश्यकता होगी तो उसके संदर्भ में भी उनकी सहायता की जाएगी।

प्रभावित परिवारों की पहचान और आरएपी से डाटाबेस का सत्यापन

- आरएपी में पहले से मौजूद जानकारी और प्रभावित परिवारों के व्यक्तिगत नुकसान का सत्यापन करने के लिए क्रियान्वयन के दौरान सत्यापन कार्य किया जाएगा। इससे आरएपी में दिए गए डाटा की पुष्टि होगी और यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त परिवर्तन किए जाएंगे। प्रभावित परिवारों के साथ निरंतर मेलजोल कायम किया जाएगा, उनके साथ परामर्श किया जाएगा और उन्हें आरएपी के अंतर्गत प्रस्तावित उनसे संबंधित अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी और पात्र प्रभावित परिवारों को अधिकार सह पहचान पत्र दिए जाएंगे। पीएएफ के पहचान पत्र में प्रभावित परिवार का फोटोग्राफ, परियोजना के कारण होने वाले नुकसान की मात्रा और प्राप्त मुआवजे की धनराशि तथा प्रभावित परिवार को प्रदान की गई सहायता शामिल होगी।
- प्रभावित परिवारों की, विशेष रूप से प्रभावित परिवारों के संवेदनशील या कमजोर समूहों के संबंध में, पुनर्स्थापन तथा मुआवजा धनराशि और पुनर्वास अंश के अंतर्गत प्राप्त नकद धनराशि के उपयोग से संबंधित आवश्यकताओं का आकलन करने में सहभागी पद्धतियां अपनाई जाएंगी। संपर्क के तरीकों में ग्राम

स्तरीय बैठकें, समूह की अंतर्क्रियाओं के माध्यम से लैंगिक सहभागिता और व्यक्तिगत बैठकें तथा अंतर्क्रियाएं शामिल हो सकती हैं।

पात्र व्यक्तियों के साथ परामर्श

परामर्श और विचार-विमर्श में निम्न गतिविधियां शामिल होंगी :

- प्रभावित परिवारों को नीति के प्रावधानों और आरएपी के अंतर्गत अधिकारों से अवगत करवाया जाएगा। इसमें उनके पुनर्स्थापन की आवश्यकता, उनके स्थानांतरण के लिए समय की रूपरेखा और उनके अधिकारों के संबंध में संचार शामिल होगा।
- प्रभावित परिवारों को समुदायों की आजीविका की प्रणालियों पर परियोजना के संभव परिणामों और उपलब्ध विकल्पों के बारे में सूचना प्रदान की जाएगी, ताकि वे अनजान न रहें।
- एनजीओ / आरएपी क्रियान्वयन एजेंसी प्रभावित परिवारों के साथ विचार-विमर्श करते हुए आय की बहाली के लिए सूक्ष्म स्तर पर योजनाएं तैयार करेगी। इन योजनाओं के विकास में महिलाओं की धारणा और समझ-बूझ महत्त्वपूर्ण है।

आर ऐंड आर अवयवों का उपयोग

- सूक्ष्म योजनाएं तैयार करें जिनमें पुनर्स्थापन की रणनीतियां बताई गई हों और प्रभावित परिवारों को सहायता तथा मुआवजा धनराशि के उचित उपयोग के लिए किस प्रकार परामर्श तथा सलाह-मशविरा दिया जाएगा।
- आजीविका के लिए सूक्ष्म योजनाएं तैयार करें जिनमें वैकल्पिक आजीविका विकल्प, भूमि की पहचान, कौशलों को उन्नत बनाना और पात्र प्रभावित परिवारों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार संस्थाओं के बारे में बताया गया हो।
- निस्तारण सामग्री लेने और स्थान परिवर्तन करने में प्रभावित परिवारों की मदद करते हुए सुचारू स्थान परिवर्तन (प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन के दौरान) सुनिश्चित किया जाएगा। प्रभावित परिवारों के साथ निकट संपर्क में रहते हुए आरएपी क्रियान्वयन दल प्रभावित परिवारों के साथ लिखित में सहमत पुनर्स्थापन तिथि के बारे में और प्रभावित परिवारों द्वारा उनके अधिकारों से संबंधित इच्छित व्यवस्थाओं के बारे में जिला अधिकारियों को सूचित करेगा।
- आरएपी क्रियान्वयन दल बैंक खाते खुलवाने में प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करेगा और उन्हें स्पष्ट करेगा कि संयुक्त खाते के परिणाम, नियम और दायित्व क्या-क्या हैं और वह उसके अधिकारपूर्ण संसाधनों तक वह कैसे पहुंच सकता/सकती है।

स्थान परिवर्तन की योजना

आरएपी के भाग के रूप में यह प्रस्तावित किया जाता है कि सभी विस्थापित परिवारों को निम्न के संबंध में परामर्श प्रदान किया जाएगा :

- स्थान परिवर्तन तथा व्यवस्थाओं के संबंध में प्रभावित परिवारों की पसंद,
- अनुदान उपयोग योजना और सामुदायिक संपत्ति निर्माण योजना,
- संपत्तियों के रखरखाव की सांस्थानिक व्यवस्थाएं। कॉलोनी की सोसायटी बनाई जाएगी और उसे सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत करवाया जाएगा। निर्मित सोसायटी के लिए नियम-कायदों को तैयार करने में पीआईयू (PIU) प्रभावित परिवारों की सहायता करेंगी।

अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव के लिए समन्वय

- आईए या क्रियान्वयन एजेंसी प्रभावित परिवारों की आमदनी की बहाली के उद्देश्य से उनके कौशलों के उन्नयन के लिए सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ते हुए प्रभावित परिवारों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में समन्वय करेगी।
- स्थानीय कौशल और संसाधनों का उपयोग करते हुए आजीविका के वैकल्पिक तरीकों को परिभाषित, विकसित और अन्वेषित करें।
- पीआईयू अधिकारी और आरएपी क्रियान्वयन एजेंसी प्रभावित परिवारों के व्यक्तियों और साथ ही समूहों तथा प्रभावित परिवार के महिला समूहों को आवश्यक ऋण का आकलन करने के लिए नाबार्ड, डीआईसी और क्षेत्र के लीड बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं से संपर्क करेगी। प्रत्येक प्रभावित परिवार को प्रदान की गई ऐसी सुविधा तथा सहूलियत और योजना का विस्तृत रिकॉर्ड ऋण के पुनर्भुगतान के लिए रखा जाना चाहिए।
- जिला प्रशासन के साथ संपर्क और जुड़ाव स्थापित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित परिवारों को उपलब्ध योजनाओं का और जिन योजनाओं के वे अधिकारी हों उनका लाभ मिले।
- कमजोर तथा अपनी कृषि भूमि और संरचनाएं गंवाने वाले 32 प्रभावित परिवारों पर विशेष ध्यान जाएगा, और यह इस अर्थ में किया जाएगा कि जिससे उन्हें उनकी आजीविका की बहाली में और कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ने में सुगमता प्रदान की जा सके।

स्थान परिवर्तन का कार्यक्रम

संभावित समय सीमाओं के साथ निम्नलिखित स्थान परिवर्तन कार्यक्रम का सुझाव दिया जाता है।

सारणी 6.1 : स्थान परिवर्तन कार्यक्रम

क्रम संख्या	स्थान परिवर्तन कार्य/गतिविधि	समय
1	**पुनर्स्थापन कॉलोनी के निर्माण की संभावित शुरुआत**	**नवंबर 2016**
2	**पीएपी को नोटिस तथा उनके पुनर्स्थापन के लिए परामर्श**	**दिसंबर 2016**
3	**आवासों के निर्माण का पूर्ण होना**	**फरवरी 2017**
4	**पीएपी को स्थानांतरित करना**	**फरवरी-मार्च 2017**
5	**पूरी कॉलोनी का निर्माण पूर्ण होना और सभी पीएपी का स्थानांतरण**	**मार्च 2017**

आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के अनुपालन में किसी भी संरचना के साथ तब तक छेड़छाड़ नहीं की जाएगी जब तक कि परियोजना प्रभावित परिवारों को उनका मुआवजा तथा अन्य सहायताएं प्राप्त नहीं हो जातीं। हालांकि सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य जिला कलेक्टर से आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र मिलने के पश्चात आरंभ किया जा सकता है। परियोजना प्रभावित परिवारों को अपने आवास खाली करने के लिए तीन महीनों का नोटिस दिया जाएगा और परियोजना प्रभावित परिवारों को इसी के अनुरूप सूचित किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण योजना

मानचित्र (चित्र 6.1) में 45.20 हेक्टेयर भूमि की सीमारेखाएं नारंगी रंग से दर्शायी गयी हैं, जिसके लिए अधिग्रहण उन्नत अवस्था में है। लगभग 24 हेक्टेयर में बनाये जाने वाले टर्मिनल चरण-1 की रूपरेखा गुलाबी रंग से दर्शायी गयी है। 30 माह की अवधि में हाथ में ली जाने वाली गतिविधियों का विवरण कच्ची समय सीमाओं के साथ चित्र के साथ प्रस्तुत वर्णन में दिया गया है। पहले महत्त्वपूर्ण पड़ाव में स्थल की योजना और श्रेणी बनाना शामिल है जो कार्य के आरंभ होने के 0-6 और 15-18 महीनों के बीच में हाथ में लिया जाएगा। दूसरे महत्त्वपूर्ण पड़ाव में घाटों का निर्माण, आंतरिक सड़कों और रैम्प का निर्माण आता है, जिसे 5-29 महीनों में हाथ में लिया जाएगा। तीसरे महत्त्वपूर्ण पड़ाव में शेड और भंडारण आदि सुविधाओं का निर्माण शामिल है। परियोजना प्रभावित परिवारों वाले भूखंड नीले से चिह्नित किये गये हैं और स्थल उन्नयन तथा समतलीकरण सहित इस क्षेत्र की सिविल कार्य से जुड़ी गतिविधियां परिवारों का स्थान परिवर्तन होने के बाद ही हाथ में लिया जाएगा। संरचनाओं के मालिक परियोजना प्रभावित परिवारों की एक सूची अनुलग्नक 4 में दी गयी है।

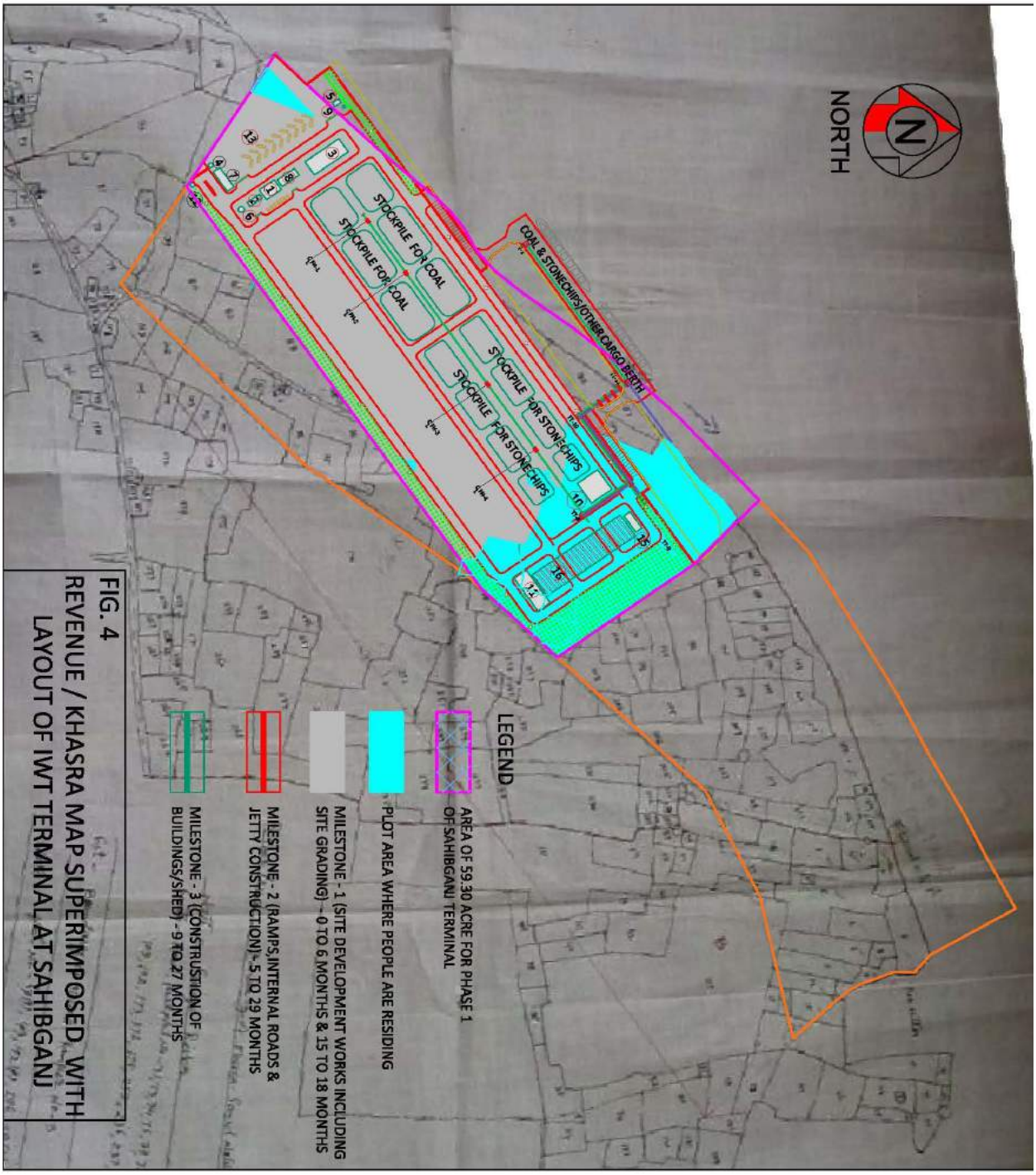

FIG. 4
REVENUE / KHASRA MAP SUPERIMPOSED WITH LAYOUT OF IWT TERMINAL AT SAHIBGANJ

स्रोत : डीपीआर कंसल्टेंट्स

अध्याय 7 : आजीविका संवर्धन योजना

प्रमुख हितधारकों के साथ केंद्रित समूह चर्चाओं के दौरान व्यक्त की गई चिंताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से वाराणसी, हल्दिया और फरक्का के परियोजना स्थलों के पास-पड़ोस के क्षेत्रों के व्यक्तियों के कौशलों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाएंगे। परियोजना की गतिविधियों से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके मौजूदा कौशल आधार के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल की पहचान करने के लिए विचार-विमर्श का आयोजन किया जाएगा। एक विकल्प जो उपलब्ध करवाया जाएगा, वह राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान के साथ भागीदारी में कार्गो को संभालने तथा टर्मिनल सुरक्षा से संबंधित कौशलों का बढ़ाना है।

7.1 साहेबगंज में परियोजना प्रभावित परिवारों का कौशल विकास

आरएपी क्रियान्वयन एजेंसी ध्वजवाहक कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जो एक कौशल विकास कार्यक्रम है और जिसका उद्देश्य विभिन्न तकनीकी, विर्निर्माण और सेवा रोजगार क्षेत्रो में प्रशिक्षण प्रदान करना है, जुड़ाव या संबंध की योजना बनाएगी। आरएपी क्रियान्वयन एजेंसी परामर्श सत्रों को सुगम बनाएगी ताकि परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आर ऐंड आर सहायताओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और अधिग्रहीत भूमि पर निर्भर परिवारों को उनकी पसंद और आकांक्षाओं के अनुरूप उनके कौशल आधार में वृद्धि के लिए सलाह-मशविरा प्रदान किया जाएगा।

आरएपी क्रियान्वयन दल में नियुक्त आजीविका विशेषज्ञ एक विस्तृत आजीविका कार्य योजना बनाने के लिए उत्तरदायी होगा। वह परियोजना प्रभावित परिवारों के आर्थिक पुनर्वास के लिए विभिन्न चरणों, गतिविधियों और महत्त्वपूर्ण पड़ावों का ध्यान रखेगा। आजीविका विशेषज्ञ परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ नियमित रूप से परामर्श शिविरों का कार्यक्रम बनाना सुनिश्चित करेगा और उन लोगों की पहचान कहेगा जिन्होंने मुआवजा प्राप्त कर लिया है और उनकी योजनाओं को समझेगा। लक्ष्यों के साथ मासिक योजना तैयार की जाएगी और मासिक रिपोर्टों की समीक्षा की जाएगी।

आरएपी क्रियान्वयन दल अधिकृत प्रशिक्षण केंद्रों का पता लगाने में मदद करेगा और उनमें परियोजना प्रभावित लोगों का नामांकन करने वाले में सुगमता प्रदान करेगा, या वैकल्पिक रूप से कौशल विकास केंद्रों के आयोजन में सुगमता प्रदान करेगा। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को उनके इलाके के प्रमुख उद्योगों तथा उनकी आवश्यकताओं के साथ तथा निर्माण, लॉजिस्टिक्स, आईटी, आईटीईएस और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अनुकूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

अध्याय 8 : महिला विकास कार्य योजना

महिलाओं के साथ पृथक परामर्शों का आयोजन किया गया ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझा जा सके ।

8.1 परियोजना के साथ लैंगिक स्वरूप

जनसंख्या : परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या 1397 है जिनमें से 642 महिलाएं हैं जो कुल पीएपी की 45.96% हैं।

साक्षरता : पीएपी की साक्षरता दर 67.57% है और महिला साक्षरता दर 62.15% है। महिला और पुरुष पीएपी की शिक्षा का स्तर सारणी 8.1 में दर्शाया गया है। बहुसंख्यक महिला पीएपी प्राथमिक (कक्षा 5) स्कूल तक पढ़ी हुई हैं और उसके बाद एचएससी आती हैं।

सारणी 8.1 : परियोजना क्षेत्र में महिला पीएपी का शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्थिति	महिला	%
निरक्षर	243	37.85
साक्षर किंतु कोई औपचारिक शिक्षा नही	0	0
प्राथमिक (कक्षा 5) तक	266	41.43
एचएससी (6-12) तक	124	19.32
स्नातक	9	1.40
प्रोफेशनल / तकनीकी	0	0
योग	**642**	**100**

वृत्तिक या पेशेगत ढांचा

कुल 642 महिलाओं में से केवल 8.9% (57) कामकाजी या कार्यरत समूह में आती हैं। शेष महिलाएं काम नहीं करतीं अर्थात 91.1% महिलाएं गैर-कार्यरत समूह में आती हैं। कार्यरत महिलाओं में से अधिसंख्यक खेतिहर मजदूर हैं।

आमदनी : कुल कार्यरत महिलाओं में से केवल 48 ने अपनी आय के बारे में बताया है। इनमें से 38 महिलाएं 5,000 रुपये से कम कमाती हैं और 10 महिलाएं 5,000 रुपये से 7,000 रुपये के बीच कमाती हैं।

8.2 महिला प्रधान घर-परिवारों का स्वरूप

महिला प्रधान घर-परिवारों जैसे कमजोर समूहों के ऊपर परियोजना के प्रभावों को समझने के लिए डाटा या आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। **सारणी 8.2** में महिला प्रधान घर-परिवारों के स्वरूप और इन घर-परिवारों पर परियोजना के प्रभावों का सार-संक्षेप प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 8.2 : महिला प्रधान घर-परिवारों का स्वरूप

			संख्या
1	आयु समूह	25-35	2
		35-45	3
		45-55	5
		55-65	4
		65 और उससे ऊपर	2
	योग		**16**
2	वैवाहिक स्थिति	विवाहित	2
		विधवा	14
	योग		**16**
3	शैक्षिक उपलब्धि	निरक्षर	13
		प्राथमिक	1
		माध्यमिक स्कूल	1
		सेकंडरी	1
		हायर सेकंडरी	0
	योग		**16**
4	कार्यरत होने की स्थिति	हां	7
		नहीं	9
	योग		**16**
6	आय (रुपये में)	< 5000	6
		5000-10000	1
		> 10000	0

			संख्या
		कोई आय नहीं	9
	योग		**16**
7	**गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल)**		14
	गरीबी की रेखा से ऊपर (एपीएल)		2
	योग		**16**
8	**प्रभाव**	आंशिक	0
		पूर्ण	16
	योग		**16**
9	**प्रभाव का प्रकार**	आवासीय	16
		व्यावसायिक	0
		खुला / खाली भूखंड	0
		पौधारोपण	0
	योग		**16**
10	**हानि का प्रकार**	भूमि	0
		वास भूमि और संरचना	16
		भूमि और आजीविका	0
		आजीविका और संरचना	0
	योग		**16**

8.3 साहेबगंज में महिला विकास और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करना

सामाजिक प्रभावों की छानबीन के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों की महिलाओं के साथ विचार-विमर्श आयोजित किए गए। उनके साथ चर्चा में आए कुछ मुद्दों को नीचे सारणी में प्रस्तुत किया गया है :

सारणी 8.3 : महिला समूह के साथ एफजीडी के परिणाम

विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए	समूह का प्रत्युत्तर	प्रस्तावित उपाय

मुद्दे		
महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति	गर्भावस्था के दौरान सामान्य रूप से आयरन की कमी	उपयुक्त समाधान का निर्णय करने के लिए आगे और परामर्श किया जाएगा
बीमारियों का स्वरूप	बीमारियों का कोई विशिष्ट इतिहास नहीं	-
स्वच्छता	कुछेक के अलावा कोई सुविधा नहीं	परियोजना प्रभावित परिवारों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार निर्मित आवास मिलेंगे जिनमें शौचालय का प्रावधान होगा
पेयजल सुविधा की उपलब्धता	हैंड पंप	पुनर्वास कॉलोनी में जलापूर्ति प्रदान की जाएगी
पुनर्वास कॉलोनी के संबंध में अपेक्षाएं	वे रहन-सहन की बेहतर स्थितियां चाहते थे	सहभागियों को निर्मित की जाने वाली पुनर्वास कॉलोनी के बारे में बताया गया
समूह द्वारा कोई विशिष्ट सुझाव	स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए परिवहन की सुविधा	-

इसी के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों की महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा रहा है।

1. **प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जागरूकता अभियान**

   एफजीडी में प्रमुखता से उठाए गए प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दे को संबोधित करने के लिए आरएपी क्रियान्वयन कंसल्टेंसी प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर कम से कम 3 जागरूकता शिविर आयोजित करेगी, जिनमें पोषण आहार तथा मौजूदा प्रसव पश्चात स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता भी शामिल रहेंगे.

   समुदाय के भीतर सक्रिय महिला सहभागियों और सामाजिक संगठनकर्ताओं की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा और इन संगठनकर्ताओं के माध्यम से इन मुद्दों पर लगातार जागरूकता निर्मित करने में सुगमता का भी प्रयास किया जाएगा।

2. **पुनर्वास कॉलोनी में समुदाय निर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को सुगम बनाना**

   हितधारकों के रूप में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिलाओं के साथ समुदाय निर्माण गतिविधियों का संचालन किया जाएगा ताकि पुनर्वास कॉलोनी के रखरखाव, अनुरक्षण और विकास में उनके नेतृत्व को सुगमता प्रदान की जा सके। इससे उनकी समूह बनाने या आवासीय एसोसिएशन बनाने

की क्षमता में निखार आएगा और वृद्धि होगी, जहां वे अपने समुदाय की जरूरतों को चिह्नित कर सकती हैं और यह भी कि उन्हें अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे संबोधित किया जा सकता है। महिलाओं को पुनर्वास कॉलोनी में सामुदायिक नर्सरी या पौधशाला का काम हाथ में लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

3. **परामर्श सेवाएं और महिलाओं को आजीविका की परियोजनाओं से जोड़ना**

परियोजना प्रभावित महिलाओं को मुआवजे की धनराशि के बेहतर उपयोग की दिशा में सलाह देने के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे। महिलाओं में कौशल के उन्नयन और वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी कार्यक्रमों की पहचान की जाएगी और इन कार्यक्रमों के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयास किए जाएंगे। यदि महिलाओं इन कार्यक्रमों को विकल्प के रूप में चुनती हैं तो उन्हें संस्था निर्माण के लिए परामर्श सहायता प्रदान की जाएगी।

महिला संवेदनशील निगरानी और परियोजना का क्रियान्वयन

परियोजना की महिलाओं से संबंधित विशिष्ट योजनाओं के अतिरिक्त लैंगिकता से जुड़े मुद्दों की निगरानी की जाएगी और उन्हें परियोजना चक्र के दौरान निश्चित गतिविधियों के माध्यम से संबोधित किया जाएगा।

1. परियोजना नियोजन चरण : लिंग संबंधी अलग-अलग डाटा या आंकड़ों और परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के साथ विचार-विमर्श का काम हाथ में लिया गया है। उनकी कुछ चिंताओं को संबोधित करने के लिए इस आरएपी में कुछ उपायों के सुझाव दिए गए हैं।
2. परियोजना क्रियान्वय चरण : आंतरिक निगरानी में महिला मजदूरों के कल्याण का और उसके अनुसार श्रम कानूनों के क्रियान्वयन का ध्यान रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, जहां महिलाएं कौशल विकास कार्यक्रमों या आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों के साथ जुड़ी हुई हैं, वहां आरएपी क्रियान्वयन एजेंसी प्रभावों को दर्ज करेगी।

3. महिला सांस्थानिक तंत्र की भागीदारी : परियोजना में शामिल महिला श्रमिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न अधिनियमों और कानूनों का अनिवार्य पालन तथा इसके साथ ही आईए स्तर पर यौन उत्पीड़न समिति का कार्य करना सुनिश्चित किया जाएगा, और निर्माण स्थलों पर जहां भी महिला श्रमिक अच्छी-खासी तादाद में हैं, वहां शिकायतों पर नजदीक से निगरानी रखने तथा उन्हें संबोधित करने के लिए महिला समितियां बनाई जाएंगी।

सामुदायिक निवेश योजना

वाराणसी और साहेबगंज के उप परियोजना स्थलों के पास-पड़ोस के गांवों में निर्धन समुदायों की उपस्थिति को देखते हुए परियोजना बजटीय आवंटनों की उपलब्धता के अनुसार स्ट्रीट लाइटिंग सुविधाओं और स्वच्छता सुविधाओं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए शौचालय, सहित सामुदायिक अवसंरचना का विकास करने के लिए सुविधाओं पर विचार करेगी। हालांकि इन सुविधाओं की योजना बनाने से पहले समुदायों के साथ उनकी आवश्यकताओं के संबंध में विचार-विमर्श किया जाएगा और वे इन सुविधाओं की योजना और क्रियान्वयन में भागीदारी भी कर सकते हैं।

अध्याय 9 : श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा

परियोजना के क्रियान्वयन चरण के दौरान श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा कुछ प्रमुख क्षेत्रों में से हैं जिनमें जोखिम उभर सकता है और उपशमन के उपायों की योजना बनानी पड़ेगी। भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के अनुसार अस्थायी आवासीय स्थान तथा अन्य आधारभूत ढांचे की सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्माण ठेकेदार जिम्मेदार है। निर्माण के दौरान महिलाएं अकुशल श्रमिक के रूप में भागीदारी कर सकती हैं और उनका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

निर्माण ठेकेदार अपने श्रम बल को मजदूरी पर रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जो स्थानीय स्रोतों से लिए या नहीं लिए जा सकते हैं। इस प्रकार पुरुष और महिला आप्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों का अंतर्वाह पूर्वानुमानित है। निर्माण गतिविधियों में महिलाओं की प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में भागीदारी का पूर्वानुमान लगाते हुए निर्माण चरण के दौरान सामान्यतः श्रमिकों के कल्याण के लिए तथा विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों की कुशलता के लिए कुछ निश्चित उपाय करने की आवश्यकता है।

9.1 निर्माण चरण में श्रमिकों के लिए प्रावधान

ठेकेदार द्वारा स्थापित निर्माण स्थलों पर सभी लागू होने वाले राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करने की आवश्यकता है। इसी के अनुसार, निर्माण शिविर के श्रमिकों के लिए निर्दिष्ट अनुशंसाएं की जा रही हैं।

अस्थायी आवास

निर्माण कार्य चरण के दौरान श्रमिकों/कामगारों के परिवारों को भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 के अनुसार नजदीक के स्थान पर एकल परिवार के लिए उपयुक्त आवासीय स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।

प्राथमिक चिकित्सा देखभाल केंद्र

निर्माण शिविर के लिए अस्थायी रूप से स्थापित स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करते हुए श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक कर्मचारी, निशुल्क दवाइयां और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल से निपटने के लिए आवश्यक न्यूनतम चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम होना चाहिए और उन्हें निकटतम उच्चतर दर्जे के अस्पतालों के साथ जुड़ा होना चाहिए ताकि बड़ी बीमारियों और महत्त्वपूर्ण मामलों को वहां भेजा जा सके।

दिन के क्रेच या पालनाघरों की सुविधा

यह अपेक्षा की जाती है कि महिला श्रमिकों में शिशुओं या छोटे बच्चों वाली माताएं भी होंगी। भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 के अनुसार दिन के क्रेच या पालनाघर की व्यवस्था निर्माणकर्ता के ठेकेदार की जिम्मेदारी है। पालनाघर बच्चों की देखभाल के लिए कम से कम एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। कार्यकर्ता, बेहतर हो कि महिला, बच्चों की बेहतर ढंग से देखभाल कर सकता/सकती है।

निर्माण कार्यों और पारिश्रमिक के भुगतान का समुचित कार्यक्रम

निर्माण कार्य की तेज गति के कारण यह अपेक्षा की जाती है कि 24 घंटे लंबा अर्थात अनवरत कार्य संचालन होगा। महिलाओं को यथासंभव रात की पाली में काम करने से छूट दी जानी चाहिए। निर्माण ठेकेदार **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, अंतर-राज्य आप्रवासी कामगार अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, बाल मजदूर निषेध अधिनियम और बंधुआ मजदूरी अधिनियम तथा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम तथा निवारण) अधिनियम** का अनुपालन करने के लिए भी जिम्मेदार है। वेतन या पारिश्रमिक का समय से भुगतान तथा पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान वेतन ठेकेदार द्वारा अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए और साथ ही इन अधिनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए सांस्थानिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

एसटीडी तथा एड्स नियंत्रण के लिए विशेष उपाय

यौन संबंधों से संक्रमित बीमारियां और एड्स की बहुतायता निर्माण क्षेत्रों में प्रायः व्याप्त रहती है। अस्वस्थकर यौन व्यवहार एसटीडी और एड्स को जन्म देता है। निर्माण श्रमिकों की संवेदनशीलता या वध्यता का देखते हुए निर्माण शिविर तथा साथ ही आसपास के गांवों के व्यक्तियों के लिए रियायती दर पर कंडोम की आपूर्ति से और निश्चित स्थानों पर कंडोम वेंडिंग मशीनें लगाने से इस संदर्भ में बीमारी पर नियंत्रण पाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। आरएपी के क्रियान्वयन के लिए संलग्न कंसल्टेंसी सेवाएं आईईसी सामग्री का वितरण और इन जागरूकता शिविरों का आयोजन करेगी। वेंडिंग मशीनों की खरीद के लिए पीआईयू कंसल्टेंसी सेवाओं की मदद से राज्य सरकार के विभागों के साथ संपर्क कर सकती हैं।

अध्याय 10 : बजट

पुनर्स्थापन लागत, नियोजन और क्रियान्वयन, प्रबंधन और प्रशासन, निगरानी और मूल्यांकन तथा आकस्मिक व्यय सहित आएपी और एसएमपी के लिए अनुमानित लागत 62 करोड़ रुपये है।

आर ऐंड आर अवयव के लिए मूल्य निर्धारण पद्धति और आधार नीचे दिया गया है।

क. भूमि और संरचनाओं और वृक्षों के लिए क्षतिपूर्ति की मूल्य निर्धारण पद्धति

- भूमि का मूल्य निर्धारण
  - o भूमि का मूल्य निर्धारण आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के संबंध में झारखंड राज्य नियमों के अनुसार किया गया। भूमि का क्षतिपूर्ति मूल्य सर्कल रेट या परिमंडल दर का दोगुना और उसके ऊपर 100 प्रतिशत सांत्वना राशि है। सर्कल रेट भी 2015 में अद्यतन किया गया है।
- संरचना का मूल्य निर्धारण
  - o संरचनाओं के मूल्य निर्धारण की गणना 2015 के लिए आधारभूत निर्धारण दर या बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट्स (पीडब्ल्यूडी) के अनुसार की गई है और संरचना का मूल्य निर्धारण अवमूल्यन के बगैर 100 प्रतिशत सांत्वना राशि को लेते हुए किया जा रहा है।
- वृक्षों का मूल्य निर्धारण
  - o वृक्षों के मूल्यांकन और गणना के लिए एक मूल्यांकन समिति उत्तरदायी है जिसमें इमारती लकड़ी के पेड़ों के लिए वन विभाग का और फल/फूल देने वाले पेड़ों के लिए बागवानी विभाग का प्रतिनिधित्व रखा गया है।

ख. आर ऐंड आर (R&R) बजट

आर ऐंड आर सहायता राशि का लेखांकन आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों के अनुसार किया गया है। पुनर्वास कॉलोनी के अवयवों का चयन अनुसूची 3 के अनुसार किया गया है।

सारणी 10.1 : आर ऐंड आर की लागत

क्रम सं.	अवयव	इकाई	मात्रा	दर	क्षतिपूर्ति मूल्य	योग (रु. में)
क	भूमि, संरचना और वृक्षों के लिए क्षतिपूर्ति					
1	भूमि	एकड़	111.7	कृषि भूमि के लिए 3,60,000 प्रति एकड़ और आवासीय		82040806

				भूमि के लिए 12,50,000 प्रति एकड़		
2	ब्याज 12%					9844896.72
3	संरचना	वर्ग मीटर	12925			55888107
4	वृक्ष	संख्या	500			5498930.72
5	योग					153272740.4
6	100% सांत्वना राशि					153272740.4
7	योग					306545480.9
8	लगान					65440
9	स्थापना व्यय 5%					15330546.04
	आकस्मिक व्यय ½ %					1533054
					उप-योग क	**323474520.9**
ख	आरऐंड आर सहायता					
1	पुनर्वास कॉलोनी	आवासों की संख्या	235	200000		47000000
2	एक बार पुनर्स्थापन अनुदान	परिवार	235	50000		11750000
3	एससी और एसटी के लिए एक बार अतिरिक्त अनुदान	परिवार	22	50000		1100000
4	मासिक निर्वाह भत्ता	परिवार	235	36000		8460000
5	पशु बाडे या कैटल शेड	परिवार	77	25000		1925000
6	एक बार स्थानांतरण सहायता	परिवार	235	50000		11750000
7	आजीविका की हानि के लिए वार्षिक वृत्ति/ एक बार अनुदान	परिवार	235	500000		117500000
					उप-योग ख	**199485000**
ग	पुनर्वास कॉलोनी के लिए नागरिक सुविधाएं, सड़क, जलापूर्ति प्रणाली, साझा संपत्ति संसाधन					
8	सड़क	किमी	3.5	1500000		5250000
9	जल आपूर्ति प्रणाली	संरचना की लागत का 10%				5190000
10	सीपीआर (CPR)	1 मंदिर, 2 सामुदायिक केंद्र और 1 स्कूल,1 आंगनवाड़ी	एकमुश्त			7600000

		केंद्र,1 पशु अस्पताल				
	सौर लाइट					10000000
11	पुनर्वास कॉलोनी के लिए जमीन	एकड़	16.47			26425664
					उप-योग ग	54465664
					योग ख और ग	25950664
12	प्रशासनिक शुल्क	5%				12062533.2
13	आकस्मिक व्यय (कॉलोनी के निर्माण के लिए कंसल्टेंसी शुल्क)	3%				7237519.92
	उप-योग ख और ग					**273250717.1**
घ	क्रियान्वयन लागत					
14	गतिविधि लागत निम्न के लिए 1. महिला विकास कार्य योजना 2. आईईसी जागरूरकता 3. आजीविका संवर्धन		4	495000		1980000
15	आरएपी क्रियान्वयन दल		एक मुश्त			60,00,000
16	एमऐंडई (M&E) कंसल्टेंट		एक मुश्त			15,00,000
17	शिकायत निवारण तंत्र		एक मुश्त			5,00,00
						94,80,000
	क,ख,ग,घ का योग					
	आरऐंडआर (R&R) बजट के आकस्मिक व्यय			5%		13625035.86
	महा योग					619830273.86
						लगभग 62.0 करोड़ रुपये

अध्याय 11 : क्रियान्वयन ढांचा और सांस्थानिक व्यवस्थाएं

एसएमपी का क्रियान्वयन परियोजना निदेशक, जल मार्ग विकास परियोजना के अधीन कार्यपालक एजेंसी (आईडब्ल्यूएआई) की देखरेख में किया जाएगा। समग्र क्रियान्वयन की निगरानी और सहायता और समन्वय के लिए परियोजना स्तर पर सामाजिक विकास पीएमयू के लिए एक विशेषज्ञ उत्तरदायी होगा। कोलकाता और पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों में परियोजना क्रियान्वयन इकाई पर स्थित सामाजिक अधिकारी फरक्का में उप परियोजना स्तर पर सामाजिक मुद्दों (सुरक्षा मुद्दों सहित) को संभालने के जिम्मेदार होगा। ये अधिकारी आरएपी के प्रावधानों के क्रियान्वयन में आईए (आईडब्ल्यूएआई) को सहायता प्रदान करेंगे। जब और जैसी आवश्यकता होगी, सरकारी अधिकारियों तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ संपर्क के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा एक प्रभारी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

एसएमपी के क्रियान्वयन में प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका निम्नानुसार है :

11.1 सामाजिक विकास विशेषज्ञ

पीएमयू में सामाजिक विकास विशेषज्ञ की भूमिका में शामिल है :

- आएपी की तैयारी और समय से इसकी घोषणा सुनिश्चित करना
- आरएपी की तैयारी में परामर्श और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए और श्रम, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी उपायों के अंतर्गत नियोजित कार्यक्रमों के लिए आरएपी क्रियान्वयन एजेंसी का मार्गदर्शन और निगरानी करना
- क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करना तथा प्रत्यक्ष या सीधी जानकारी के लिए क्षेत्र के दौरे करना तथा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के साथ परामर्श करना
- पीआईयू और आरओ/ अधिकारियों से प्राप्त किए गए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास गतिविधियों संबंधी डाटा तथा आंकड़ों को संकलित करना
- मासिक और तिमाही प्रतिवेदनों की समीक्षा करना और विश्व बैंक तथा अन्य सरकारी हितधारकों को प्रगति के बारे में सूचित करना
- भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के संबंध में पुनर्वास अधिकारी और पीआईयू को आवश्यक सहायता प्रदान करना
- आवश्यक सूचना प्रदान करने में परियोजना अधिकारी को सहायता देना

11.2 प्रभारी अधिकारी सह पुनर्वास अधिकारी

क्षेत्रीय निदेशालय से आईडब्ल्यूएआई का एक अधिकारी भूमि अधिग्रहण और आरआर मुद्दों के लिए विभिन्न एजेंसियों, जैसे ठेकेदार, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय कार्यालय के अन्य विभागों के बीच एल और आरआर मुद्दों के संबंध में समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगा। यही अधिकारी सार्वजनिक सभाओं में आईडब्ल्यूएआई का प्रतिनिधित्व करेगा।

11.3 पीआईयू में सामाजिक अधिकारी

परियोजना क्रियान्वयन इकाई में सामाजिक अधिकारी की भूमिका में शामिल है :

- आरएपी क्रियान्वयन टीम की मदद से क्रियान्वयन प्रक्रिया का समन्वय करना
- आरएपी की तैयारी और क्रियान्वयन के दौरान राज्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय और घनिष्ट अंतर्क्रिया करना
- क्रियान्वयन के दौरान राज्य के संबंधित प्राधिकारियों के साथ निरंतर संवाद और नियमित बैठकें आयोजित करना तथा प्रभारी सह पुनर्वास अधिकारी की सहायता करना
- प्रभावित व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों में भागीदारी करना
- विस्थापित समुदाय के साथ आएपी के क्रियान्वयन का समन्वय करना
- क्रियान्वयन प्रक्रिया की मासिक समीक्षा और निगरानी तथा आवश्यकता हो तो सुधारात्मक उपायों को समाहित करना
- हेल्पलाइन के माध्यम से पीएपी की शिकायतें दर्ज करवाने में उनकी मदद करना
- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की नियमित रूप से बैठकें आयोजित करना और बैठक में पीएपी का प्रतिनिधित्व करना
- आरएपी का क्रियान्वयन पूरा होने तथा क्रियान्वित आरएपी की तैयारी और मूल्यांकन होने तक कार्य करना।.

11.4 आरएपी (RAP) क्रियान्वयन टीम

सुरक्षा उपायों और अन्य सामाजिक मुद्दों के प्रबंधन में और सहायता के लिए एक आरएपी क्रियान्वयन टीम या दल को जोड़ा जाएगा। भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता, आजीविका विशेषज्ञ और एमआईएस विशेषज्ञ से मिलकर बनी यह टीम प्रभावित समुदाय के साथ परामर्श, प्रभावित परिवारों का सत्यापन और सूक्ष्य योजनाएं तैयार करेगी। यह टीम जीआईएस नक्शे पर जानकारियों की जिओ-टैगिंग करने तथा जिओ-टैग की गई जानकारियों को अद्यतन करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। इस टीम द्वारा की जाने वाली अन्य गतिविधियों में शामिल हैं प्रत्येक व्यक्तिगत पीएएफ के लिए पहचान पत्र अर्थात आइडेंटिटी कार्ड तैयार और वितरित करना, संयुक्त बैंक खाता खुलवाना, सहायता राशि का वितरण करना, सहायता धनराशियों के उत्पादक इस्तेमाल के बारे में परामर्श देना, सहायता राशियों के उपयोग की निगरानी करना, विस्थापित घरपरिवारों के स्थान परिवर्तन की योजना बनाना, आवासों का आवंटन करना और समूची स्थान परिवर्तन प्रक्रिया का समन्वय करना। प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन करने, जागरूकता उत्पन्न करने, क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय करने आदि के लिए आजीविका विशेषज्ञ उत्तरदायी होगा। पूरी परियोजना के लिए क्रियान्वयन टीम के कार्य निम्नानुसार होंगे :

- प्रभावित परिवारों के साथ तथा प्रभावित परिवारों और परियोजना कर्मचारियों के बीच मेलजोल विकसित करना
- प्रभावित परिवारों का सत्यापन करना और जानकारी को जिओ टैग करना और उसे एमआईएस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना
- आरएपी के क्रियान्वयन के दौरान स्थानीय समुदाय के साथ विचार-विमर्श करना
- सूक्ष्म योजनाएं तैयार करना और पुनर्वास सहायता प्राप्त करने में प्रभावित परिवारों की सहायता करना
- आईडी कार्ड तैयार और वितरित करना

- मुआवजा और सहायता धनराशियों का उत्पादक इस्तेमाल करने के लिए पीएपी को प्रेरित और मार्गदर्शित करना
- स्थानीय विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करना
- विस्थापित घर-परिवारों के पुनर्स्थापन और आवासों के आवंटन की योजना बनाने में आईडब्ल्यूएआई की सहायता करना और पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया का समन्वय करना
- प्रभावित व्यक्तियों का शिकायतों को फोन लाइन या वेबसाइट पर पंजीकरण के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणाली को भेजना
- कौशलों के स्तर का मूल्यांकन करना और प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
- सामाजिक अधिकारी तथा विस्थापित समुदाय के साथ मासिक समीक्षा बैठकों में भाग लेना
- आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करना

11.5 ठेकेदार

ठेकेदार निम्नलिखित कार्यों और गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा :

1. उपयुक्त स्थानों पर श्रमिकों के लिए कानून के विनिर्देशों के अनुसार अस्थायी आश्रयों की स्थापना करना।
2. सभी श्रम कानूनों का अनुपालन करना जिनमें बाल श्रम से संबंधित नियम, कार्य के समय का उचित निर्धारण ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
3. शिविर स्थलों पर एचआईवी/एड्स की जागरूकता में भाग लेना और सुगमता प्रदान करना
4. शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से उठाए गए प्रश्नों और मुद्दों का जवाब देना और प्रश्नों का जवाब देने में पीआईयू की सहायता करना।
5. क्षेत्रीय निदेशालय और पीआईयू के निर्देशों का पालन करना

11.6 तकनीकी परिवीक्षण सलाहकार

1. क्रियान्वयन के दौरान बाह्य निगरानी
2. क्रियान्वयन और सुरक्षा उपायों के अनुपालन में सहायता और मार्गदर्शन देना
3. आरएपी के क्रियान्वयन से जड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का दस्तावेज तैयार करना
4. आरएपी के प्रावधानों के क्रियान्वयन की दिशा में आईडब्ल्यूएआई के अधिकारियों को क्षमता निर्माण के प्रति संवेदनशील बनाना और मदद करना
5. पीआईयू के सामाजिक अधिकारियों को मासिक प्रगति और त्रैमासिक प्रक्रिया दस्तावेजीकरण रिपोर्टें तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

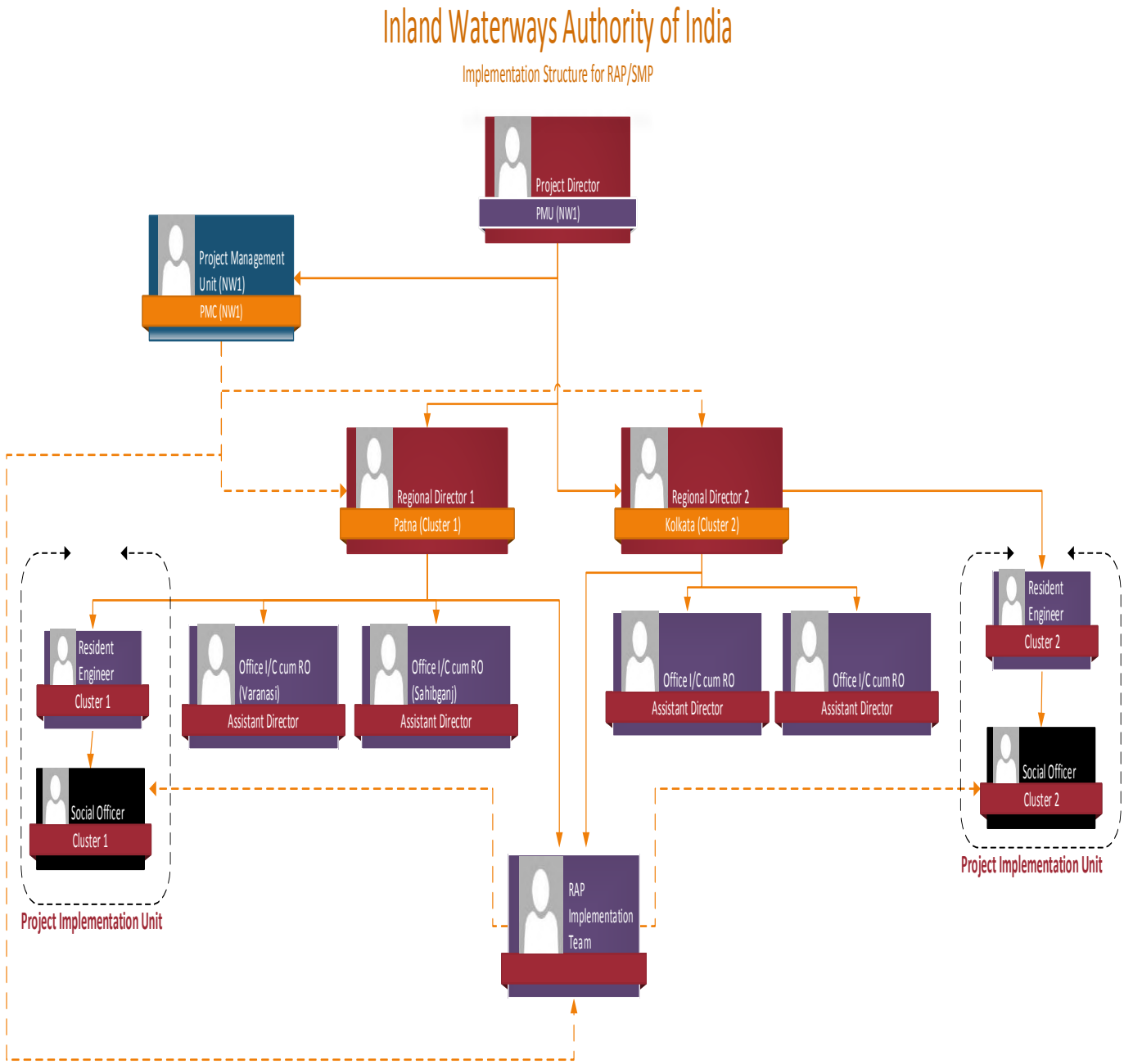

चित्र 11.1 : संगठनात्मक ढांचा

अध्याय 12 : शिकायत निवारण तंत्र

परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान मोट तौर पर परियोजना से जुड़े पुनर्स्थापन और पुनर्वास के मामलों से संबंधित शिकायतें, निर्माण की वजह से होने वाले प्रभावों से संबंधित शिकायतें, परियोजना स्थलों के आसपास पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित शिकायतें आदि अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 51-67 के अनुसार एक पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना करने और क्षतिपूर्ति तथा आरऐंडआर (R&R) सहायता के संवितरण के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों में कलेक्टर की जिम्मेदारी निर्धारित करने के संदर्भ में राज्य सरकार की जिम्मेदारी निरूपित करती है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 60 निरूपित करती है कि प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो सिविल संहिता प्रक्रिया 1908 के अंतर्गत सिविल कोर्ट को प्राप्त होते हैं। भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन से संबंधित किसी भी विवाद और शिकायत से निपटने के लिए आरऐंडआर प्राधिकरण निर्दिष्ट प्राधिकरण है।

परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान मोट तौर पर परियोजना से जुड़े पुनर्स्थापन और पुनर्वास के मामलों से संबंधित शिकायतें, निर्माण की वजह से होने वाले प्रभावों से संबंधित शिकायतें, परियोजना स्थलों के आसपास पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित शिकायतें आदि अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 51-67 के अनुसार एक पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना करने और क्षतिपूर्ति तथा आरऐंडआर सहायता के संवितरण के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों में कलेक्टर की जिम्मेदारी निर्धारित करने के संदर्भ में राज्य सरकार की जिम्मेदारी निरूपित करती है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 60 निरूपित करती है कि प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो सिविल संहिता प्रक्रिया 1908 के अंतर्गत सिविल कोर्ट को प्राप्त होते हैं। भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन से संबंधित किसी भी विवाद और शिकायत से निपटने के लिए आरऐंडआर प्राधिकरण निर्दिष्ट प्राधिकरण है।

इसके अतिरिक्त केंद्रीयकृत शिकायत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम CPGRAMs), जो प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी DARPG), भारत सरकार द्वारा आयोजित साझा ऑनलाइन पोर्टल है, स्थापित किया गया है और आईडब्ल्यूएआई द्वारा अपनाये गये शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्यशील है। नागरिक और असंतुष्ट पक्ष आईएडब्ल्यूएआई (IWAI) और जेएमवीपी (JMVP) द्वारा निवारण किये जाने के लिए अपनी शिकायतें या व्यथा सीपीजीआरएएम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।

12.1 सीपीजीआरएएम (CPGRAM) पर शिकायत दर्ज करना :

सीपीजीआरएएम (CPGRAM) की वेबसाइट (इस पते पर पहुंचा जा सकता है : www.pgportal.gov.in) पर 'जन शिकायत' ('public grievance') विकल्प में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।. शिकायत दर्ज करवाने के बाद शिकायतकर्ता को एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है।

शिकायतकर्ताओं को एक अनुस्मारक प्रपत्र भरने का विकल्प भी प्रदान किया जाता है और वे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अपनी शिकायत की स्थिति खुद ही देख सकते हैं।

12.2 शिकायत पर कार्यवाही की प्रक्रिया :

एक बार जब शिकायत दर्ज करवा दी जाती है, तो डीएआरपीजी (DARPG) द्वारा शिकायत पर कार्यवाही आरंभ की जाती है और पोर्टल की अंतर्निर्मित विशेषताओं के माध्यम से संबंधित पितृ प्रशासनिक मंत्रालय (इस मामले में पोत परिवहन मंत्रालय) को सौंप दी जाती है। संबंधित मंत्रालय शिकायत को अधीनस्थ विभाग (इस मामले में आईडब्ल्यूएआई) को अग्रेषित करता है। संबंधित विभाग को समय सीमाओं के साथ ई-मेल सूचनाएं भी भेजी जाती हैं, जहां शिकायत को संबोधित करने के लिए एक नोडल अधिकारी होता है।

12.3 आईडब्ल्यूएआई (IWAI) में शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी :

एक बार जब प्रत्येक शिकायत आईडब्ल्यूएआई में प्राप्त हो जाती है, तो सचिव, आईडब्ल्यूएआई, नोडल अधिकारी, कोई भी परियोजना से संबंधित शिकायत 15 दिनों में उत्तर देने के लिए परियोजना निदेशक, जेएमवीपी को अंकित कर देते हैं। प्रत्येक शिकायत पर स्थापना विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है और शिकायत निवारण की निगरानी करने के लिए सचिव आईडब्ल्यूएआई संबंधित अधिकारी हैं।

12.4 परियोजना संबंधी शिकायतों का निपटारा :

परियोजना से संबंधित शिकायतों के मामले में सामाजिक विशेषज्ञ पीएमयू परियोजना निदेशक की ओर से शिकायतों को संबंधित क्षेत्रीय इकाई / पीआईयू को अग्रेषित करेगा। परियोजना स्थल पर निर्माण के कारण होने वाले प्रभाव से संबंधित शिकायतों का उत्तर स्थानीय या रेजीडेंट इंजीनियर, पीआईयू (पटना/कोलकाता) द्वारा दिया जाएगा और आर ऐंड आर मुद्दों से संबंधित शिकायतों को सामाजिक अधिकारी, पीआईयू (पटना/कोलकाता) द्वारा संबोधित किया जाएगा। आर ऐंड आर उपायों अथवा मुआवजे से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में सामाजिक अधिकारी आर ऐंड आर प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन के साथ विचार-विमर्श करके उत्तर तैयार करेंगे। एक बार जब उत्तर प्राप्त हो जाता है, तो परियोजना निदेशक शिकायत को सचिव, आईडब्ल्यूएआई को अंकित कर देंगे जो फिर उत्तर को पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। शिकायतकर्ता को सूचना ई-मेल/डाक द्वारा उसकी अपनी वरीयता के अनुसार भेजी जाएगी।

12.5 अ-समाधान की स्थिति में :

शिकायत के लंबित रहने की स्थिति में पितृ प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुस्मारक या रिमाइंडर जारी किये जायेंगे। पितृ मंत्रालय के समन्वय अनुभाग द्वारा शिकायतों पर नजर और निगरानी रखी जाएगी।

12.6 समय सीमाएं :

एक शिकायत के प्राप्त के होने के 2 माह के भीतर उसका निवारण कर दिया जाना चाहिए (डीएआरपीजी DARPG के दिशानिर्देशों के अनुसार)। यदि शिकायत को संबोधित करने में 2 महीने से अधिक समय लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में एक अंतरिम उत्तर दिया जाना है।

12.7 वर्तमान प्रणाली का विस्तार और उसे शिकायतों के फोन आधारित रजिस्ट्रेशन से जोड़ना :

पोर्टल के मौजूदा प्रावधानों को शिकायतों के फोन आधारित अभिलेखन तथा पंजीकरण से जोड़ने तथा संवर्धित करने का कार्य आईडब्ल्यूएआई द्वारा आवश्यक अनुमतियों और स्वीकृतियों के अधीन राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी NIC) के साथ विचार-विमर्श करके किया जाएगा।

12.8 टोल फ्री शिकायत प्रणाली के माध्यम से शिकायतों के निवारण का प्रक्रिया प्रवाह :

शिकायत निवारण प्रणाली की योजना निम्नलिखित प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार बनायी जाएगी।

चरण 1 : निवारण अधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्त की जाती है और अधिकारी नए कॉलर के रूप में शिकायत के विवरण दर्ज करेगा।

चरण 2 : स्वतः उत्पन्न एसएमएस के माध्यम से पुष्टि भेजी जाएगी, जिसमें शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति की संदर्भ संख्या होगी। अपनी शिकायत पर नजर रखने में मदद के लिए शिकायतकर्ता को एक टोकन नंबर देने का प्रावधान भी किया जा सकता है।

चरण 3 : प्रत्येक शिकायत के निपटारे के लिए दो नोडल अधिकारी पीआईयू अधिकारी (पटना और कोलकाता) होंगे। निम्नलिखित प्रतिनिधियों को सॉफ्टवेयर में पहुंच प्रदान की जाएगी और उन्हें निगरानी करने वाले डैशबोर्ड से जोड़ा जाएगा ताकि शिकायत के बढ़ने की स्थिति से निपटा जा सके।

क. सामाजिक विशेषज्ञ, पीएमयू।
ख. भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता - आरऐंडआर तथा मुआवजे से संबंधित
ग. रेजीडेंट इंजीनियर - (पटना, कोलकाता) - तकनीकी
घ. परियोजना प्रबंधक (शिकायत बढ़ने के मामले)
ङ. परियोजना निदेशक (शिकायत बढ़ने के मामले)

चरण 4 - एक बार जब शिकायत दर्ज हो जाती है, तो पीआईयू अधिकारी को शिकायत के समाधान के लिए 14 दिनों की समय सीमा के साथ एक एसएमएस सूचना प्राप्त होगी। पीआईयू अधिकारी के पास निम्नलिखित कार्रवाइयों में से चुनने का विकल्प होगा।

क) व्यू View (शिकायत देखी जाएगी)
ख) एक्शन Action (वे कार्य क्या हैं जो शिकायत के समाधान के लिए किए गए हैं)
ग) एसाइन / फॉरवर्ड Assign / forward (कार्य सौंपा या अग्रेषित किया जाएगा)
घ) एस्कैलैट Escalate (शिकायत ऊपर के अधिकारियों की ओर बढ़ा दी जाएगी)

चरण 5 – शिकायतों के प्रकार और उन्हें संभालने वाले व्यक्ति

एक बार जब पीआईयू अधिकारी शिकायत पता लगा लेता है कि शिकायत का स्वरूप क्या है, तो अधिकारी निम्नलिखित कदम उठायेगा :

आरऐंडआर (R&R**)**: किसी भी पुनर्स्थापन और पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायत के मामले में भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए उत्तरदायी होगा। पीआईयू अधिकारी ऐसे प्रश्नों या जिज्ञासाओं को भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता को सौंपेगा और अग्रेषित करेगा।

जैसा कि एलएआरआर (LARR) अधिनियम 2013 की धारा 51-67 में राज्य सरकार के मुआवजे और भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायत निवारण कार्यों का उल्लेख किया गया है, भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता प्रत्येक निवेदन की समीक्षा करेगा और आरऐंडआर (R&R) से संबंधित किसी भी कार्रवाई के लिए जिला अधिकारियों से परामर्श करके इनपुट प्रदान करेगा।

निर्माण के कारण होने वाले प्रभाव और पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा : निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं से संबंधित शिकायतों को रेजीडेंट इंजीनियर (पटना / कोलकाता) संबोधित करेंगे।

मुद्दे का समाधान करने और अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारी 14 दिनों की खिड़की प्रदान की जाएगी। उत्तर नहीं दिये जाने की स्थिति में अधिकारी को लंबित कार्रवाई की याद दिलाते हुए एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे।

चरण 6 – कार्रवाई करना : जिला प्रशासन के साथ विचार-विमर्श के आधार पर की गयी कार्रवाई को फिर पीआईयू के सामाजिक अधिकारी / भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता द्वारा डैशबोर्ड के एक्शन अनुभाग में भरा जाएगा।

चरण 7 – शिकायत का समाधान करना : एक बार जब शिकायत को संबोधित कर लिया जाता है और सॉफ्टवेयर में अद्यतन सूचना डाल दी जाती है, तो शिकायत का समाधान हुआ मान लिया जाता है। इसी के अनुसार शिकायतकर्ता को एक एसएमएस भेज दिया जाता है। यदि किसी शिकायत का समाधान 21 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो शिकायत का निपटारा कर रहे संबंधित अधिकारी से ऊपर के अधिकारी को (नीचे दिया गया जीआईएम GIM का पदानुक्रम देखें) एक एसएमएस अलर्ट जारी किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि पीआईयू अधिकारी 21 दिनों के भीतर उत्तर नहीं देता है, तो सामाजिक विशेषज्ञ, पीएमयू को एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। इससे आगे यदि सामाजिक विशेषज्ञ 21 दिनों तक उत्तर देने में असमर्थ रहता है, तो परियोजना प्रबंधक, पीएमयू को एसएमएस भेजा जाएगा और वह भी उत्तर नहीं देते हैं, तो उसे परियोजना निदेशक को अग्रेषित किया जाएगा।

चरण 8 – किसी भी स्तर पर शिकायत का अ-समाधान : संबंधित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर की समस्याओं के कारण शिकायत के अ-समाधान की स्थिति में उपर्युक्त अधिकारी निम्नलिखित पदानुक्रम में क्रम 6 और 7 तक मुद्दे का तीव्रीकरण कर सकता है।

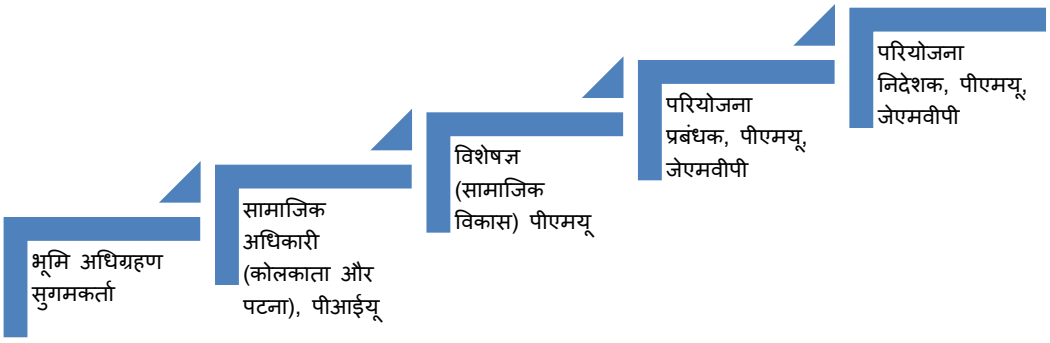

: शिकायतों के तीव्रीकरण का पदानुक्रम

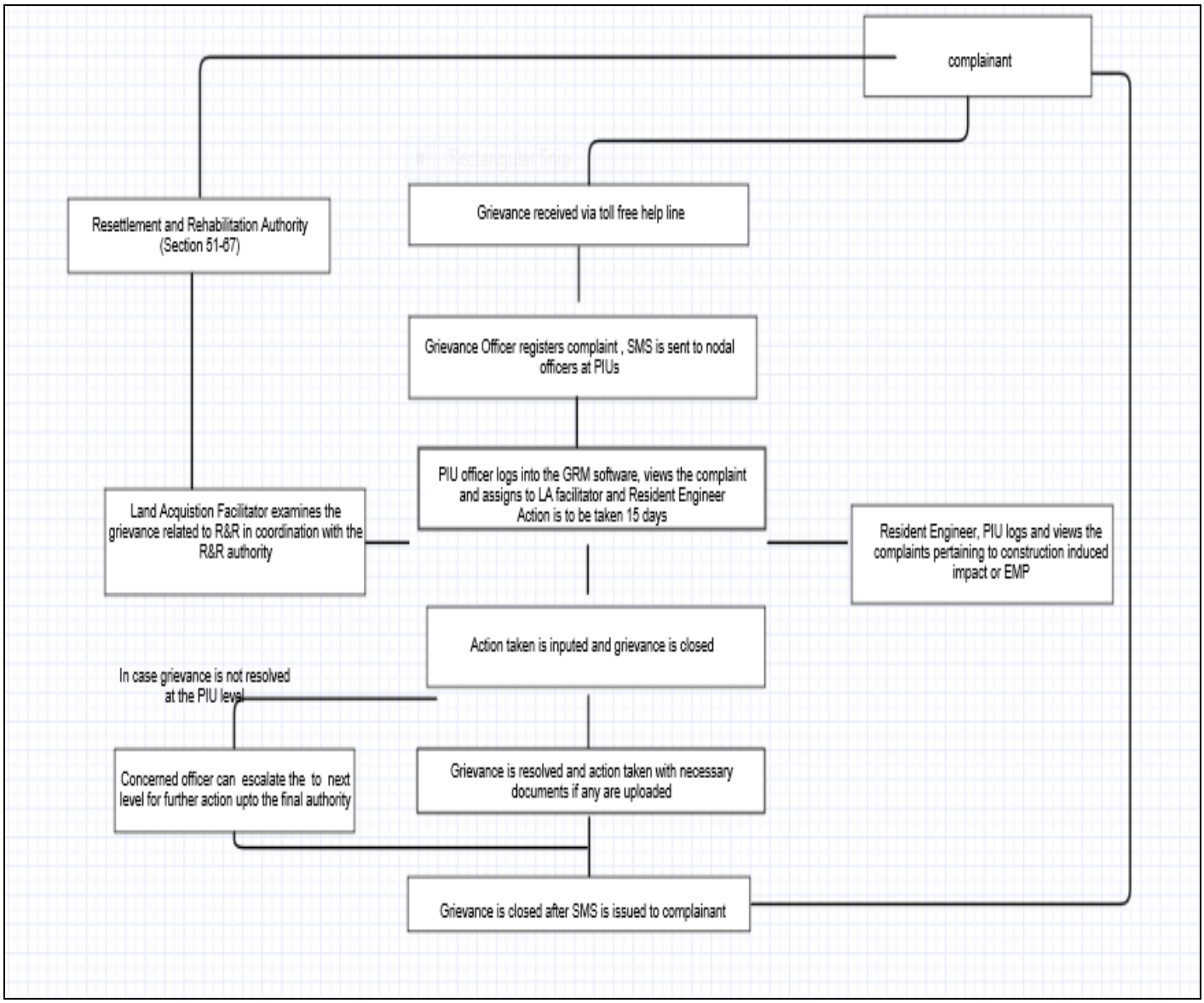

: जीआरएम का प्रक्रिया प्रवाह

अध्याय 13 : नागरिक विनियोजन तंत्र

13.1 फीडबैक या प्रतिपुष्टि तंत्र

वर्तमान में फीडबैक या प्रतिपुष्टि एक मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट (जिस पर इस पते पर पहुंचा जा सकता है : http://iwai.nic.in/)। इस मॉड्यूल पर विकल्पों या ऑप्शंस के माध्यम से फीडबैक (उत्तर मांगने) और सुझाव देने के लिए विकल्प उपलब्ध हैं। प्राप्त फीडबैक की निगरानी वर्तमान में आईडब्ल्यूएआई के ईडीपी प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है और मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त प्रतिपुष्टि पर कार्यवाही के लिए सचिव, आईडब्ल्यूएआई नोडल अधिकारी हैं।

जेएमवीपी (JMVP) के लिए एक पृथक वेबसाइट की योजना बनायी जा रही है जिस पर विभिन्न रिपोर्ट, समाचार और अद्यतन जानकारी तथा विभिन्न उप परियोजनाओं की स्थिति सुलभ हो सकेगी। नागरिक निविदाओं, सहमति पत्रों, प्रयुक्त परामर्शदाता संस्थाओं आदि के बारे में महत्त्वपूर्ण सूचनाएं देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, हितधारकों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श के विवरण और मुख्य बातें इस वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। एक अलग फीडबैक मॉड्यूल भी वेबसाइट पर मौजूद होगा जिसमें प्रश्नों और टिप्पणियों के लिए विकल्प होंगे तथा इस प्रकार फीडबैक या प्रतिपुष्टि की निगरानी पीएमयू के संचार टीम करेगी।

13.2 परामर्श के लिए योजना

जन परामर्श तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।

- परियोजना की तैयारी
- परियोजना का क्रियान्वयन
- क्रियान्वयन पश्चात

परियोजना विस्थापित और कमजोर तथा संवेदनशील लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को मजबूती देने के लिए निरंतर जुड़ाव और परामर्श के माध्यम से जिला प्रशासन तथा अन्य विकास एजेंसियों के साथ समन्वय कायम करेगी।

परियोजना के क्रियान्वय के दौरान हितधारकों के साथ प्रभाव संचार सुनिश्चित करने के लिए और परियोजना के परिणामों को बढ़ाने के लिए परियोजना निम्न रणनीतियां अपनाएगी।

- सकारात्मक जन व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रभावित परिवारों को अन्य विकास एजेंसियों के साथ जोड़ने के लिए संचार और परामर्श की सुगमता प्रदान की जाएगी, विशेष रूप से उन विकास एजेंसियों के साथ जो कौशल विकास और आजीविका उत्सर्जन से संबंधित हैं, ताकि प्रभावित परिवारों के साथ लगातार जुड़े रहकर उनकी कौशल की जरूरतों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
- निर्माण से प्रेरित प्रभावों से संबंधित जागरूकता अभियान परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान नियमित गतिविधियां होंगे।

परामर्शों को लिखा जाएगा और रिपोर्टें आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। परियोजना के सहकार्यों के प्रभावों पर प्रकाशित रिपोर्ट निगरानी संकेतक का काम करेंगी। पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा (RPF) और अनुभाग 4.3 में परामर्श की विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई है।

अध्याय 13 : निगरानी और मूल्यांकन योजना

प्रारंभ से अंत तक परियोजना चक्र की निगरानी और मूल्यांकन को निष्पादित करने के लिए आईए (IA) उत्तरदायी होगी। आंतरिक निगरानी, जिसमें प्रक्रिया निगरानी भी शामिल होगी, पीएमयू (PMU) स्तर के सामाजिक विशेषज्ञ द्वारा पीआईयू (PIU) स्तर के सामाजिक अधिकारी और आरएपी (RAP) क्रियान्वयन दल या टीम की सहायता से जाएगी और बाह्य निगरानी और मूल्यांकन तीसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा। परियोजना गतिविधियों की घनिष्ठ निगरानी करने में सहायता के उद्देश्य से निगरानी और मूल्यांकन को निष्पादित करने के लिए आईयू (IU) एक बाहरी एजेंसी (तीसरे पक्ष) की सेवाएं लेगी। नियमित निगरानी स्थल के दौरों के माध्यम से परियोजना के क्रियान्वयन में सामने आने वाली संभावित कठिनाइयों और समस्याओं को पहचानने में मदद करेगी और उसके उपरांत यदि आवश्यकता हो तो समय से सुधारात्मक उपाय करने में भी मदद करेगी।

आरएपी (RAP) के क्रियान्वयन के लिए स्थल पर आरएपी क्रियान्वयन टीम को जैसे ही गतिशील कर लिया जाता है, वैसे ही निगरानी प्रारंभ हो जाएगी। निगरानी के अवयवों में कार्य प्रदर्शन की निगरानी अर्थात कार्य की भौतिक प्रगति, जैसे पुनर्स्थापन स्थल पर आवासों का निर्माण, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था, विस्थापित घर-परिवारों का पुनर्स्थापन आदि, और प्रभाव निगरानी, प्रगति निगरानी जैसे शिकायत निवारण तंत्र शामिल होंगे। कार्य प्रदर्शन से संबंधित जिन संकेतकों की निगरानी की जाएगी, वे निम्नलिखित खंड़ों में दिए गए हैं। तथापि यदि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कोई अन्य संकेतक प्रासंगिक पाए जाते हैं, तो उन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा।

14.1 आंतरिक निगरानी

आंतरिक निगरानी के लिए आईए (IA) जिम्मेदार है जो वह नियमित आधार पर पीएमयू, पीआईयू के सामाजिक विशेषज्ञ की मदद से और परिवीक्षण सलाहकार के सुरक्षा उपाय विशेषज्ञ की सहायता से करेगा। क्रियान्वयन सलाहकारों (दल) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक रिपोर्टों के अतिरिक्त सामाजिक अधिकारी, पीआईयू के द्वारा आंतरिक निगरानी की एक त्रैमासिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। आईयू जिला अधिकारियों की संवितरण या अदायगी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अपने पुनर्स्थापन डाटा आधार में सभी लेन-देन पर घनिष्ठता से निगाह रखेगा, उसके पश्चात प्रभावित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित पात्रता प्राप्ति अभिलेखों का अनुसरण करेगा और पुनर्स्थापन प्रक्रिया की सर्वे आधारित निगरानी करेगा। आंतरिक निगरानी समुदाय की चिंताओं, शिकायतों और निवेदनों के बारे में फीडबैक भी प्रदान करेगी। आंतरिक निगरानी निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित और सुनिश्चित करेगी :

- सत्यापन करेगी कि जिला प्राधिकारियों द्वारा तैयार और संवितरित अवार्ड सूची के अनुसार संपत्ति के मूल्यांकन और आर्थिक पुनर्वास से जुड़े कोई लंबित या अनसुलझे मुद्दे तो नहीं हैं,
- प्रभावित व्यक्तियों के साथ सूचना अभियान, विचार-विमर्श और परामर्श,
- पुनर्स्थापन की स्थिति और आर ऐंड आर सहायता का समय से संवितरण,
- आवश्यक वास्तविक संरचना के मूल्य के बराबर अधिकार-प्राप्तियों का मूल्य,
- अधिकार-प्राप्तियों का उपयोग और उनके उपयोग की निगरानी,

- प्रभावित संरचनाओं तथा अन्य संपत्तियों के लिए मुआवजा,
- आय की हानि के लिए भुगतान,
- प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन तथा प्रदान की गई सहायताएं,
- पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार आर्थिक पुनर्वास और आय की बहाली के उपायों का क्रियान्वयन,
- शिकायत निवारण तंत्र का प्रभावी संचालन जिसमें प्राप्त शिकायतों की संख्या और निवारित शिकायतों की संख्या, निवारण में देरी के कारण, अनसुलझी शिकायतों की स्थिति के विवरण दिए गए हों,
- समयबद्ध तरीके से आर्थिक पुनर्वास के क्रियान्वयन के लिए निधियां और उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हों तथा योजना के अनुसार व्यय की गई हों।

नीचे दी गई सारणी 14.1 में आंतरिक निगरानी की रूपरेखा के विवरण दिए गए हैं और सारणी 14.2 में इन संकेतकों के विवरण हैं।

सारणी 14.1 : आंतरिक निगरानी के लिए रूपरेखा

प्रकार	संकेतक	मुद्दा	प्रक्रिया	समय	जिम्मेदारी
प्रक्रिया स्तर का निगरानी	आरएपी क्रियान्वयन	**शिकायतें** : प्रतिक्रिया समयों के निर्धारित सेवा मानदंडों के भीतर प्राप्त और सुलझाई गई शिकायतों की संख्या (%) **नागरिकों को जोड़ना** परियोजना के सहकार्यों के प्रभावों पर प्रकाशित रिपोर्टें (हां/नहीं)	एमआईएस सॉफ्टवेयर द्वारा खोले और बंद मामलों और शिकायतों के प्रकार पर विश्लेषित मामलों के बारे में उत्पन्न रिपोर्टें	मासिक त्रैमासिक (नागरिकों का जुड़ाव)	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
		आर ऐंड आर सहायताओं के संवितरण की स्थिति (पीएपी का सत्यापन, पहचानपत्रों की तैयारी, सूक्ष्य योजनाओं की तैयारी,	जिला अभिलेखों का सत्यापन और परीक्षण और पीएपी के साथ विचार-विमर्श, संवितरण के संबंध में जिओ टैग की गई जानकारी साथ ही साथ जीआईएस मानचित्र पर अपलोड की जाएगी।	मासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार

		पुनर्स्थापित विस्थापित व्यक्तियों की संख्या, सामुदायिक जागरूकता, एचआईवी जागरूकता, परामर्श प्रक्रिया, सहायता का वितरण आदि का क्रियान्वयन, आय संवर्धन के लिए आयोजित प्रशिक्षणों का संख्या			
		स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का उपयोग, श्रम कानूनों का अनुपालन जिनमें शामिल हों (I) समान वेतन (ii) बाल श्रम से संबंधित कानूनों का उल्लंघन (iii) शिविर स्थल और निर्माण स्थल पर यौन उत्पीड़न (iv) महिलाओं के कार्य का यथोचित समय (v) दिन के देखभाल केंद्र का सुचारू कार्यकलाप (vi) स्थल पर प्रदान की गई स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता सुविधाएं	स्थल अवलोकन, रोस्टरों का परीक्षण, श्रमिकों, ठेकेदारों के साथ बातचीत	मासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
		परामर्श और विचार-	अभिलेख और सलाहकारों	त्रैमासिक	पीआईयू/बाहरी

		विमर्श: आजीविका संवर्धन पर आयोजित परामर्शों की संख्या और सहायताओं के प्रभावी उपयोग के लिए सलाह-मशविरा और परामर्श की गुणवत्ता, उठाए गए मुद्दों का अनुसरण, परामर्श में महिलाओं की बराबर भागीदारी।	द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिलिपियां		सलाहकार
		प्रक्रिया दक्षता : नियुक्त कर्मचारियों की पर्याप्तता, जिला प्रशासन द्वारा मुआवजे की अदायगी में लगा समयांतराल, टकरावों या विवादों को संभालने की प्रक्रिया।	संवितरण प्रक्रिया और मुआवजे के वितरण से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन	मासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
		आजीविका के मानकों की बहाली	अवलोकन, सर्वे, फोटोग्राफ	त्रैमासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
		आय सृजन या एचआईवी/एड्स इत्यादि पर संचालित प्रशिक्षणों की संख्या	स्थानीय लोगों के साथ प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कार्यकर्ता/स्वास्थ्य पोस्ट/केंद्र के अभिलेख और आजीविका संवर्धन पर प्रशिक्षण के कार्य में लगी प्रशिक्षण संस्थाओं के अभिलेखों की चर्चा और आकलन करें	वार्षिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
प्रभाव स्तर की निगरानी	घरेलू स्तर पर आय में बदलाव और	पेशों में बदलाव,	पुनर्स्थापित पीएपी के साथ सर्वे और परामर्श	वार्षिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार

	आर्थिक गतिविधियां				
	सामाजिक सुरक्षा	पुनर्वास स्थलों पर सामाजिक सौहार्द और सामाजिक सुरक्षा की स्थिति	पुलिस अभिलेख, पुनर्स्थापित पीएपी के साथ परामर्श, पीआईयू (PIU) की प्रगति रिपोर्ट, एमऐंडई (M&E) सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट	वार्षिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार

सारणी 13.2 : आरऐंडआर क्रियान्वयन और शिकायत निवारण के लिए निगरानी संकेतक

क्रम संख्या	निगरानी संकेतक	आर ऐंड आर (R&R) कार्रवाई	शिकायत निवारण संकेतक
1.	भौतिक प्रगति और प्रक्रिया संकेतक	निजी भूमि, संरचनाओं और पेड़ों के लिए मुआवजा अदा कर दिए गए परियोजना प्रभावित घर-परिवारों की संख्या अनुसूची 2 के अनुसार आर ऐंड आर सहायता प्रदान कर दिए गए पीएएच की संख्या पुनर्वास स्थल पर स्थानांतरित हो चुके पीएएच की संख्या आजीविका सहायता/प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके एससी/एसटी पीएपी का संख्या आजीविका सहायता/प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिला पीएपी का संख्या प्रतिस्थापित संरचनाओं का संख्या प्रतिस्थापित साझा संपत्ति संसाधनों की संख्या	वेबसाइट और फोन लाइन के माध्यम से दर्ज शिकायतों की संख्या प्रदत्त समाधानों, समयावधियों, निष्पक्षता आदि के संबंध में संतोष व्यक्त करने वाले पीएपी की संख्या। आईडब्ल्यूएआई, मुख्यालय तो तीव्रीकृत किए गए मामलों की संख्या पंजीकृत किये गये अदालती मामलों की संख्या, यदि कोई हो
2	आय की बहाली	पीएपी द्वारा मुआवजे का पुनर्निवेश परियोजना से प्रशिक्षण सहायता प्राप्त करने के पश्चात रोजगार का नया अवसर प्राप्त करने वाले पीएपी की संख्या पुनर्स्थापन के बाद मासिक आय आय उत्सर्जन गतिविधियों के लिए बनाए गए महिला एसोसिएशन या समूहों की संख्या नए आय के अवसरों वाले एससी (SC) पीएपी (PAPs) की संख्या	
3.	वित्तीय प्रगति	पंजीकरण शुल्कों तथा करों के लिए	

क्रम संख्या	निगरानी संकेतक	आर ऐंड आर (R&R) कार्रवाई	शिकायत निवारण संकेतक
		सहायताओं सहित संरचनाओं के लिए अदा किया गया मुआवजा, निजी मालिकों से अन्य संपत्तियां अधिग्रहीत करने के लिए अदा किया गया मुआवजा गैर-परिमाणात्मक प्रभावों पर व्यय आरऐंडआर के लिए अदा की गई संवितरण धनराशि (मुआवजे के संबंध में प्रगति क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत मासिक और त्रैमासिक रिपोर्टों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।)	
4	महिला विकास कार्य योजना का क्रियान्वयन	सुगम बनाए गए महिला समूहों या एसोसिएशनों की संख्या रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला पीएपी की संख्या आरएपी क्रियान्वयन दल/आईडब्ल्यूएआई द्वारा आयोजित परामर्शों में भाग लेने वाली महिला पीएपी की संख्या	

14.2 बाह्य आवधिक मूल्यांकन और समवर्ती निगरानी

क्रियान्वयन गतिविधियों का मूल्यांकन बाहरी रूप से मध्यावधि तथा अंतावधि के दौरान एक स्वतंत्र रूप से नियुक्त एजेंसी, सलाहकार के माध्यम से किया जाएगा, जो परियोजना के किसी भी पहलू में शामिल नहीं होगा और जो ईए (EA) को सहायता भी प्रदान करेगा। ईए ऐसी बाहरी एजेंसी की सेवाएं पारिश्रमिक पर लेगी। यह मूल्यांकन करने के लिए कि परियोजना के पुनर्स्थापन उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया गया है, प्रभावित घर-परिवारों का एक सर्वे किया जाएगा। आरएपी तैयार करने के दौरान किए गए सामाजिक आर्थिक सर्वे आधाररेखा डाटा का काम करेंगे, जिससे कई संकेतकों को मापा जा सकता है। उप-परियोजना अवधि के समापन पर एक सर्वे किया जाएगा जिसमें सभी पीएपी को शामिल किया जाएगा और परियोजना के द्वारा लाए गए परिवर्तनों का आकलन किया जाएगा। इस नमूना निगरानी सर्वे का उद्देश्य यह मापना होगा कि पीएपी के रहन-सहन के मानकों को किस सीमा तक बहाल/उन्नत किया गया है।

पुनर्वास कार्य योजना के क्रियान्वयन और इसके प्रभावों का आकलन करने, आंतरिक निगरानी का सत्यापन करने और प्रदायगी तंत्रों तथा प्रक्रियाओं के समायोजन के बारे में सुझाव देने के लिए एक बाह्य निगरानी भी संचालित की जाएगी। इस गतिविधि के भाग के रूप में प्रभावित घर-परिवारों के नमूने के अतिरिक्त निगरानी सर्वेक्षणों का कार्य हाथ में लिया जाएगा। पुनर्वास योजना के दौरान किया गया सामाजिक-आर्थिक आधाररेखा सर्वे इस निगरानी गतिविधि का हिस्सा होगा। यह गतिविधि निगरानी और मूल्यांकन में प्रशिक्षित तथा अवसंरचना विकास के पुनर्वास पहलू से परिचित एक बाह्य स्वतंत्र एजेंसी द्वारा संचालित

की जाएगी, जो आरएपी क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक प्रदान करेगी। बाहरी निगरानीकर्ता पुनर्वास क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। बाह्य निगरानी में शामिल हैं :

- आरएपी क्रियान्वयन की समीक्षा,
- आंतरिक निगरानी रिपोर्टों की समीक्षा,
- मुआवजे की स्थिति की समीक्षा,
- पुनर्वास सहायता की गुणवत्ता,
- पुनर्स्थापन की स्थिति,
- जानकारियों का खुलासा,
- अनुपालन निवारण की प्रक्रिया और तंत्र,
- पीएपी के रोजगार की स्थिति,
- आजीविका बहाली, और
- एचआईवी/एड्स और मानव तस्करी के संबंध में जागरूकता।

उपरोक्त उल्लिखित गतिविधियों के आधार पर बाह्य निगरानी एजेंसी निम्न पर ध्यान केंद्रित करेगी :

- पुनर्स्थापन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव तथा परियोजना प्रभावित परिवारों के आर्थिक पुनर्वास का मूल्यांकन।
- पीएपी की आर्थिक स्थिति के संवर्धन या कम से कम आय के स्तरों की बहाली और प्रभावित व्यक्तियों के रहन-सहन के मानकों के उद्देश्यों को सत्यापन करना।
- यदि आवश्यक हो तो पुनर्स्थापन प्रक्रिया और आर्थिक पुनर्वास में रचनात्मक सुझाव और रूपांतरण प्रस्तुत करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पुनर्वास गतिविधियों का यथोचित संचालन हो रहा है, घटनोत्तर मूल्यांकन करना।
- आंतरिक निगरानी का सत्यापन ताकि क्षेत्र में कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई द्वारा चलाई गई गतिविधियों की उपयुक्तता सुनिश्चित की जा सके।
- पीएपी का घरपरिवार सर्वे संचालित करना ताकि परियोजना-पूर्व और पुनर्वास-पूर्व मानकों की तुलना में प्रगति सुनिश्चित की जा सके।
- पीएपी को प्रदायगी प्रणाली का मूल्यांकन तथा स्वीकृत पुनर्वास कार्य योजना के निर्धारण के लिए आधिकार-प्राप्तियों के प्रभावों का आकलन करना
- परामर्श तथा शिकायत निवारण प्रक्रियाओं का मूल्यांकन ताकि जानकारी और त्वरित विवाद निवारण के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों तथा घर-परिवारों को सुलभ शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की सार्वजनिक जागरूकता के स्तरों की पहचान की जा सके।
- आवश्यकता के अनुसार और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हुए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र के वास्तविक संचालनों का मूल्यांकन करना।
- अधिकार-प्राप्तियों, वितरण और पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों का खुलासा करने के लिए सफल क्रियान्वयन की घोषणा

- आरएपी के उद्देश्यों को पूर्णतः अर्जित करने के लिए आवश्यक शेष कार्यों और पुनर्वास नीतियों, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त उपशमन उपायों के संबंध में फॉलो-अप कार्रवाई की अनुशंसा करना।

सारणी 14.3 : बाह्य निगरानी की रूपरेखा

संकेतक	प्रक्रिया	समय	जिम्मेदारी
बाल श्रम का नियोजन	स्थल अवलोकन, हाजिरी रिकॉर्ड, श्रमिकों और ठेकेदारों से बातचीत	वार्षिक	पीआईयू/बाह्य सलाहकार
रहने की व्यवस्था और शिविरस्थल पर सुविधाओ सहित शिविरस्थल का प्रबंधन	स्थल अवलोकन, श्रमिकों और ठेकेदारों से बातचीत	वार्षिक	पीआईयू/बाह्य सलाहकार
स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का उपयोग	स्थल अवलोकन, श्रमिकों और ठेकेदारों से बातचीत	वार्षिक	पीआईयू/बाह्य सलाहकार
निजी भूमि और आवास को अस्थायी लीज पर लेना	स्थल अवलोकन, ठेकेदारों से बातचीत, ठेका समझौतों का परीक्षण	वार्षिक	पीआईयू/बाह्य सलाहकार
पुरुष और महिला श्रमिकों के पारिश्रमिक में भेदभाव	श्रमिकों के साथ बातचीत, श्रम सर्वे, वेतन भुगतान के रिकॉर्ड	वार्षिक	पीआईयू/बाह्य सलाहकार
सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण	चिह्नित सार्वजनिक भूमि का दौरा करें, स्थानीय लोगों से बातचीत करें, फोटोग्राफ लें	वार्षिक	पीआईयू/बाह्य सलाहकार
नदी की दिशा में नई बस्तियों/झुग्गियों का विकास	अवलोकन, स्थल की रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ	वार्षिक	पीआईयू/बाह्य सलाहकार
सांस संबंधी, एसटीडी, एचआईवी/एड्स इत्यादि जैसे संक्राम्य रोगों की घटनाएं	स्थानीय लोगों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से चर्चा करें, स्वास्थ्य पोस्ट/केंद्र के रिकॉर्ड	वार्षिक	पीआईयू/बाह्य सलाहकार
सामाजिक सौहार्द तथा सामाजिक सुरक्षा की स्थिति जैसे शराबखोरी, मादक पदार्थों का सेवन आदि	पुलिस रिकॉर्ड, स्थानीय निवासियों से चर्चा	वार्षिक	पीआईयू/बाह्य सलाहकार
लोगों के रहन-सहन के स्तर में बदलाव	परिवारों के साथ साक्षात्कार, आंतरिक निगरानी की रिपोर्टें, पीएपी के साथ चर्चाएं	वार्षिक	पीआईयू/बाह्य सलाहकार
पुनर्स्थापना स्थल की स्थिति	क्षेत्र का दौरा करें, लोगों	वार्षिक	पीआईयू/बाह्य सलाहकार

संकेतक	प्रक्रिया	समय	जिम्मेदारी
	से चर्चा करें, अवलोकन करें और फोटोग्राफ लें		

अनुलग्नक-I

एवं ...ा तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में संलग्न अधियाचना जो निदेशक, भारतीय अर्न्तदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पटना के **पत्रांक–20/दिनांक–20.04.2015** द्वारा मौजा–समदानाला, मौजा–रामपुर में कुल–रैयती भूमि – 120.79 एकड़ – 31.27 एकड़ भूमि **आई0 डब्लु टी0 टी0** के निर्माण कार्य हेतु भू–अर्जन प्रस्ताव भूमि अर्जन,पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के आलोक में कार्रवाई की गयी। भू–अर्जन हेतु कार्रवाई के दौरान संदर्भित मौजा केआम जनताओं के द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु विरोध प्रदर्शित किया। लेकिन प्रशासनिक पहल के कारण विरोध को सफलतापूर्वक निपटाने की कार्रवाई की गई जिसके चलते काफी समय व्यतीत हो गया है एवं सामाजिक प्रस्ताव का मूल्यांकण की कार्रवाई नियमावली के अनुरूप कार्रवाई किये जाने में काफी समय लग जाने का सामना करना पड़ सकता है। प्रारंभिक अधिसूचना भूमि अधिग्रहण हेतु अधिनियम–30/2013 की धारा 11(1) के अधीन अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज के ज्ञापांक–105 एवं 106/भू0 अर्जन, दिनांक–04.07.2015 द्वारा निर्गत् की गई है लेकिन निर्गत् अधिसूचना के विरूद्ध निर्धारित अवधि अन्तर्गत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार संशोधन अध्यादेश–2014 की कंडिका 5 के द्वारा भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में जोड़े गये अध्याय–III A की धारा 10A में लोक प्रयोजन के निमित परियोजनओं के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए उक्त अधिनियम के अध्याय–II एवं अध्याय–III के उपबन्ध लागू नहीं होगे। भारतीय अर्न्तदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा का पत्र संख्या–09/2015/दिनांक–24.07.2015 द्वारा परियोजना कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रकिया यथाशीघ्र किये जाने हेतु भूमि अर्जन,पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में (संशोधन) अध्यादेश–2014 के द्वारा जोड़े गये धारा 10 (A) के अनुसार राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी आधारभूत परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने हेतु एवं भूमि अधिग्रहण की प्रकिया के त्वरित निष्पादन हेतु अधिसूचित रकवा जो प्रस्तावित है को समाजिक प्रभाव मूल्यांकण से विमुक्ति किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव नियमावली–2015 की धारा–31 अन्तर्गत प्रतिकर की राशि उन सभी पक्षकारों को इसका भुगतान किया जायेगा जिनकी भूमि या अन्य अचल समपत्ति का अर्जन किया गया हो जिसका बाजारमूल्य दर प्रारंभिक अधिसूचना निर्गत् की तिथि से प्रभावी होगा तथा भू–अर्जन के लिए वांछित राशि का भुगतान सक्षम पदाधिकारी के खाते से भू–धारी के खाते में किया जायेगा। भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बड़ी खजरपुर, भागलपुर-812001 13 AUG 2015 डायरी संख्या 146	

-2-

अतएव झारखण्ड भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 का अध्याय–III अन्तर्गत कंडिका–05 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा **आई0 डब्लु0 टी0 टी0** परियोजना के लिए अंचल–साहेबगंज अर्न्तगत् मौजा–समदानाला एवं रामपुर में अवस्थित रैयती भूमि के अर्जन में अध्याय-II एवं III के उपबंधो से छूट देते हुए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकण से मुक्त किया जाता है।

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ,साहेबगंज को निर्देश दिया जाता है उल्लेखित आदेश की प्रति अद्योहस्ताक्षरी के वेबसाईट पर प्रकाशित करेंगे।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक– 141 /रा0,दिनांक– 06/8/15

प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि :–उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, साहेबगंज, अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि–निदेशक, भारतीय अर्न्तदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

अनुलग्नक-II

(अधिसूचनाएं और घोषणाएं)

8-7-2015

प्रभात खबर \ आधी आबादी
देवघर, बुधवार, 8 जुलाई, 20
www.prabhatkhabar.co

साहेबगंज समाहरणालय

जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम 30/2013 की धारा 11(1) के अधीन)

संख्या–डी0एल0ए0 साहेबगंज_____/15–16/_____/भू0अ0, दिनांक–_____

चूंकि अपर समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–समदानाला, थाना–साहेबगंज (मु0), थाना सं0–01, अंचल–साहेबगंज, जिला–साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग हेतु बन्दरगाह निर्माण अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–समदानाला, थाना–साहेबगंज (मु0), थाना सं0–01, अंचल–साहेबगंज, जिला–साहेबगंज में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए क्रमांक 100.04 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम संख्या	खाता सं0	सर्वे भूखण्ड सं0	स्वामित्व का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	33	39 (अंश)	रैयती	05.21	
2	62	41	रैयती	00.79	
3	33	42 (अंश)	रैयती	00.02	
4	47	71 (अंश)	रैयती	00.12	
5	71	76 (अंश)	रैयती	00.07	
6	34	79 (अंश)	रैयती	01.09	
7	34	80	रैयती	00.88	
8	21	81	रैयती	00.20	
9	37	82	रैयती	00.59	
10	62	83	रैयती	00.75	
11	62	84	रैयती	06.51	
12	62	85	रैयती	00.31	
13	62	86	रैयती	00.23	
14	62	87	रैयती	00.02	
15	62	88	रैयती	00.08	
16	62	89	रैयती	00.82	
17	54	90	रैयती	01.60	
18	55	91	रैयती	04.48	
19	80	93	रैयती	00.41	
20	80	94	रैयती	00.86	
21	47	95 (अंश)	रैयती	00.05	
22	80	96 (अंश)	रैयती	00.92	
23	80	97	रैयती	00.02	
24	80	98	रैयती	00.01	
25	80	99	रैयती	00.09	
26	37	100 (अंश)	रैयती	01.42	
27	37	106 (अंश)	रैयती	00.30	
28	37	107 (अंश)	रैयती	00.19	
29	47	176 (अंश)	रैयती	01.30	
30	56	177 (अंश)	रैयती	02.19	
31	48	178	रैयती	04.14	
32	61	179	रैयती	01.58	
33	55	180	रैयती	2.17	
34	61	181	रैयती	01.50	
35	30	182	रैयती	01.18	
36	22	183	रैयती	00.49	
37	61	184	रैयती	0.81	
38	55	185	रैयती	12.80	
39	48	186	रैयती	00.25	
40	61	187	रैयती	00.23	
41	04	188	रैयती	00.26	
42	40	189	रैयती	00.67	
43	16	190	रैयती	0.36	
44	16	191	रैयती	00.42	
45	16	192	रैयती	00.47	
46	5[illegible]	193	रैयती	00.44	
47	[illegible]	194	रैयती	00.[illegible]9	
48	[illegible]1	195	रैयती	01.00	
49	04	196	रैयती	01.48	
50	63	197	रैयती	01.01	
51	55	198	रैयती	00.33	
52	61	199	रैयती	00.32	
53	55	200	रैयती	01.45	
54	56	201	रैयती	00.43	
55	59	202	रैयती	00.46	
56	52	203 (अंश)	रैयती	01.03	
57	25	204 (अंश)	रैयती	00.19	
58	09	205	रैयती	01.06	
59	56	206 (अंश)	रैयती	01.43	
60	51	207	रैयती	00.50	
61	31	208	रैयती	00.42	
62	40	209	रैयती	00.42	
63	32	210	रैयती	00.65	
64	55	211	रैयती	00.45	
65	61	213	रैयती	00.07	
66	61	214	रैयती	00.23	
67	7	215	रैयती	00.34	
68	16	216	रैयती	00.43	
69	12	217	रैयती	00.74	
70	22	218 (अंश)	रैयती	00.42	
71	07	219	रैयती	01.38	
72	07	220	रैयती	00.61	
73	59	221 (अंश)	रैयती	00.57	
74	46	222 (अंश)	रैयती	00.02	
75	22	225 (अंश)	रैयती	00.55	
76	04	243 (अंश)	रैयती	00.01	
77	03	244 (अंश)	रैयती	00.51	
78	76	245	रैयती	00.43	
79	50	246 (अंश)	रैयती	00.50	
80	61	247 (अंश)	रैयती	00.96	
81	50	248 (अंश)	रैयती	00.20	
82	असर्वेक्षित दियारा		रैयती	19.85	
	कुल योग –			100.04 एकड़	

चौहद्दी – उत्तर–गंगा नदी, दक्षिण–अंश दाग नंबर–78, 92, 107, 106, 100, 99, 95, 178, 177, 247, 248, 246, 244, 243, 203, 204, 206, 225, 221, 222 एवं 218, पूरब–तीमांश रामपुर, थाना सं0–03, पश्चिम–असर्वेक्षित दियारा, अंश दाग सं0–295, 39, 42, 79, 76 एवं 79

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यालय में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता –सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को नापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों _____ को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0/– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
साहेबगंज।

ह0/– अपर समाहर्ता,
साहेबगंज।

PR 127305(Revenue) 15-16

82/58

हुआ हिन्दुस्तान • देवघर • बुधवार • 08 जुलाई 2015 06

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

संख्या डीएलएलए साहेबगंज...../15-16/...../भूअ०, दिनांक-

सूचना आम जानकारी, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रामपुर, थाना-साहेबगंज (मु०), थाना सं०-3, अंचल-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा राष्ट्रीय जलमार्ग जलमार्ग हेतु अन्तरण निर्माण अपेक्षित है। प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-रामपुर, थाना-साहेबगंज (मु०), थाना सं०-3, अंचल-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज में अधिसूचित कार्यों परियोजना के लिए कमोबेश 11.84 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अनुसूची है।

क्र.सं.	खाता सं.	सर्वे प्लॉट सं.	स्वामित्व का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनुमोदित
1	570	2	रैयती	00.60	
2	176	3	रैयती	00.74	
3	25	5	रैयती	02.27	
4	51	9	रैयती	0.06	
5	170	11 (आंशि)	रैयती	0.78	
6	109	12 (आंशि)	रैयती	0.37	
7	207	14 (आंशि)	रैयती	0.05	
8	153	15 (आंशि)	रैयती	0.47	
9	136	16 (आंशि)	रैयती	0.00	
10	235	45 (आंशि)	रैयती	0.12	
11	120	46 (आंशि)	रैयती	0.68	
12	9	49 (आंशि)	रैयती	0.37	
		अवशेष जिरात		4.42	
		कुल=		11.84 एकड़	

नोटः – अनुसूची में दर्शित प्लॉट सं. 11, 14, 12, 11 45, 46, 47, 48 एवं 49 कुल अर्जनीय क्षेत्रफल, एकड़ अधिसूचना सं० 10 एवं 10 अंश ग्राम नं० 13 एवं 16 दर्शित–तीनाम कमाहरालय सा० नं० ।

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा 11(1) के प्रावधानों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की मौजूदा स्थिति जिला भू अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यालय में देखा जा सकता। इसलिए सरकार/संस्थानों यथा- राष्ट्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में वर्णित उपबंधित एवं अन्य नोटिफाइड कार्यों के अनुरूप विस्तार हेतु अधिसूचित किसी भूमि का अर्जन एवं अवाप्ति प्रक्रिया करने, किसी स्तर को पाने के लिए, अनुमति खोजने का भू-अर्जन-मिल अर्जित संबंधित कार्य प्रगति के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों ने अधिकृत की है।

अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन कोई अधिसूचना जिला समाहर्ता के पूर्वानुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में दर्शाये भूमि का कोई अंतरण बेच/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अंतरण नहीं करने देगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्रावधानमंत्रित दर अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन (3) वर्ष के अवधि में भू-अर्जन की मांग किसी प्रकार की अवाप्ति लिखित व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष कर भी जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज। PR 127303 (Revenue) 15-16 अपर समाहर्ता, साहेबगंज।

(1/3)

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या–डी0एल0ए0 साहेबगंज 02 /15–16/ 238 /भू0अ0, दिनांक– 29.10.2015

चूंकि अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा भारतीय अर्न्तदेशीय जलमार्ग बन्दरगाह निर्माण हेतु, ग्राम–समदानाला, थाना–साहेबगंज (मु0), थाना सं0–01, अंचल–साहेबगंज, जिला–साहेबगंज में कुल–100.06 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश ..... एकड़ यानि ..... हेक्टेयर है और जो ग्राम–समदानाला, थाना–साहेबगंज (मु0), थाना संख्या–01, अंचल–साहेबगंज, जिला–साहेबगंज में है, जिसका विवरणी निम्नलिखित है :–

क्रम संख्या	खाता सं0	सर्वे भूखण्ड सं0	स्वामित्व का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	चौहद्दी			
						उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	33	39 (अंश)	रैयती	05.21	प्रभुदयाल शर्मा, पिता–राधा प्रसाद शर्मा सूर्यनारायण शर्मा, पिता–किशन शर्मा	गंगा नदी	अंश दाग नं0–78, 92, 107, 106, 100, 96, 95, 176, 177, 247, 248, 246, 244, 243, 203, 204, 206, 226, 221, 222 एवं 218	सीमाना रामपुर, थाना नं0–03	असर्वेक्षित दियारा, अंश दाग नं0–295, 39, 42, 79, 78 एवं 70
2	62	41	रैयती	00.79	मुन्नी देवी, पति–स्व0 भरत यादव एवं अन्य 6(छह)				
3	33	42 (अंश)	रैयती	00.02	प्रभुदयाल शर्मा, पिता–राधा प्रसाद शर्मा सूर्यनारायण शर्मा, पिता–किशन शर्मा				
4	47	71 (अंश)	रैयती	00.12	दिलराम यादव एवं अन्य 2				
5	71	78 (अंश)	रैयती	00.07	सुखी प्रसाद यादव एवं अन्य 3				
6	34	79 (अंश)	रैयती,	01.09	लोकनाथ यादव, पिता–प्रयाग यादव एवं अन्य 3				
7	34	80	रैयती	00.88	रामप्रवेश यादव, पिता–सीताराम यादव एवं अन्य 2				
8	21	81	रैयती	00.20	विरेन्द्र यादव, पिता–रामस्वरूप गोप				
9	37	82	रैयती	00.59	केदार यादव, पिता–शिवनारायण यादव एवं अन्य 8				
10	62	83	रैयती	00.75	मुन्नी देवी, पति–स्व0 भरत यादव एवं अन्य 6(छह)				
11	62	84	रैयती	06.51	मुन्नी देवी, पति–स्व0 भरत यादव एवं अन्य 6(छह)				
12	62	85	रैयती	00.31	मुन्नी देवी, पति–स्व0 भरत यादव एवं अन्य 6(छह)				
13	62	86	रैयती	00.23	मुरारीलाल डोकानिया एवं अन्य 6				
14	62	87	रैयती	00.02	मुरारीलाल डोकानिया एवं अन्य 6				
15	62	88	रैयती	00.08	मुरारीलाल डोकानिया एवं अन्य 6				
16	62	89	रैयती	00.82	मुरारीलाल डोकानिया एवं अन्य 6				
17	54	90	रैयती	01.60	भागवत डोकानिया एवं अन्य 6				
18	55	91	रैयती	04.48	भागवत डोकानिया एवं अन्य 6				
19	80	93	रैयती	00.41	भागवत डोकानिया एवं अन्य 6				
20	80	94	रैयती	00.86	भागवत डोकानिया एवं अन्य 6				
21	47	95 (अंश)	रैयती	00.05	महन्त यादव, पिता–स्व0 सीताराम यादव				
22	80	96 (अंश)	रैयती	00.92	भागवत डोकानिया एवं अन्य 6				
23	80	97	रैयती	00.02	भागवत डोकानिया एवं अन्य 6				
24	80	98	रैयती	00.01	भागवत डोकानिया एवं अन्य 6				
25	80	99	रैयती	00.09	भागवत डोकानिया एवं अन्य 6				
26	37	100 (अंश)	रैयती	01.42	केदार यादव, पिता–शिवनारायण यादव एवं अन्य 8				
27	37	106 (अंश)	रैयती	00.30	केदार यादव, पिता–शिवनारायण यादव एवं अन्य 8				
28	37	107 (अंश)	रैयती	00.13	केदार यादव, पिता–शिवनारायण यादव एवं अन्य 8				
29	47	176 (अंश)	रैयती	01.30	राजकिशोर मंडल, पिता–स्व0 निमाय				

Page 1 of 3

2/3

					मंडल एवं अन्य 8				
30	55	177 (अंश)	रैयती	02.19	भागवत डोकानिया एवं अन्य 6				
31	48	178	रैयती	04.14	प्रभुदयाल शर्मा, पिता–राधा प्रसाद शर्मा सूर्यनारायण शर्मा, पिता–किशन शर्मा				
32	61	179	रैयती	01.58	परशुराम यादव एवं अन्य 3				
33	55	180	रैयती	2.17	भागवत डोकानिया एवं अन्य 8				
34	61	181	रैयती	01.50	प्रभुदयाल शर्मा, पिता–राधा प्रसाद शर्मा सूर्यनारायण शर्मा, पिता–किशन शर्मा, परशुराम यादव एवं अन्य 3				
35	30	182	रैयती	01.18	रामेश्वर यादव, पिता–शैवनाथ यादव एवं अन्य 4				
36	22	183	रैयती	00.49	विरेन्द्र यादव, पिता–स्व0 रामस्वरूप गोप एवं अन्य 4				
37	61	184	रैयती	0.81	प्रभुदयाल शर्मा, पिता–राधा प्रसाद शर्मा सूर्यनारायण शर्मा, पिता–किशन शर्मा				
38	55	185	रैयती	12.80	उपेन्द्र सिंह वो पंचन सिंह, एवं अन्य 55				
39	40	186	रैयती	00.25	विरेन्द्र यादव, पिता–स्व0 रामस्वरूप गोप एवं अन्य 4				
40	81	187	रैयती	00.33	विरेन्द्र यादव, पिता–स्व0 रामस्वरूप गोप एवं अन्य 4				
41	04	188	रैयती	00.26	कालकेश्वर महादेव आश्रम				
42	40	189	रैयती	00.67	विरेन्द्र यादव, पिता–स्व0 रामस्वरूप गोप एवं अन्य 4				
43	16	190	रैयती	0.36	कालकेश्वर महादेव आश्रम				
44	16	191	रैयती	00.42	कालकेश्वर महादेव आश्रम				
45	16	192	रैयती	00.47	कालकेश्वर महादेव आश्रम				
46	52	193	रैयती	00.44	बलराम सिंह पिता–स्व0 महावीर सिंह एवं अन्य 7				
47	31	194	रैयती	00.29	नरेन्द्रनाथ राय, पिता–जोगेन्द्रनाथ राय				
48	81	195	रैयती	01.00	स्वामी द्वारिकानाथ देवतपस्वी				
49	04	196	रैयती	01.48	कालकेश्वर महादेव आश्रम				
50	63	197	रैयती	01.01	कालकेश्वर महादेव आश्रम				
51	55	198	रैयती	00.33	विक्रम यादव, पिता–स्व0 रामजनम यादव एवं अन्य 5				
52	81	199	रैयती	00.32	नरेन्द्रनाथ यादव पिता–योगेन्द्रनाथ राय				
53	55	200	रैयती	01.45	गेनु मंडल, पिता–किष्टो मंडल एवं 30				
54	55	201	रैयती	00.43	भागवत डोकानिया एवं अन्य 8				
55	55	202	रैयती	00.46	भागवत डोकानिया एवं अन्य 8				
56	52	203 (अंश)	रैयती	01.03	महेश्वरी देवी, पति–कैलाश यादव एवं अन्य 10				
57	25	204 (अंश)	रैयती	00.19	झगरू यादव वो सुगोल यादव एवं अन्य एक				
58	09	205	रैयती	01.06	विश्वनाथ यादव एवं अन्य 12				
59	55	206 (अंश)	रैयती	01.43	कौशल्या देवी, पति–विशु यादव एवं मसोमात रूकमनी पति–स्व0 सुरन सिंह वो मसोमात सुमित्रा, पति–स्व0 धीरज सिंह				
60	51	207	रैयती	00.50	नरेन्द्रनाथ राय, पिता–योगेन्द्र राय				
61	31	208	रैयती	00.42	नरेन्द्रनाथ राय, पिता–योगेन्द्र राय				
62	40	209	रैयती	00.42	नरेन्द्रनाथ राय, पिता–योगेन्द्र राय				
63	32	210	रैयती	00.65	नरेन्द्रनाथ राय, पिता–योगेन्द्र राय				
64	55	211	रैयती	00.43	गणेश यादव, पिता–रामसकल यादव				
65	81	213	रैयती	00.07					
66	81	214	रैयती	00.23					
67	7	215	रैयती	00.34	विरेन्द्र यादव, पिता–रामस्वरूप गोप एवं अन्य 3				
68	16	216	रैयती	00.43	अब्दुल रज्जाक मियाँ पिता–दिलवर मियाँ वो पशुपति साह				
69	12	217	रैयती	00.74	गणेश यादव, पिता–रामसकल यादव				

Page 2 of 3

3/5

70	22	218 (अंश)	रैयती	00.42	पप्पु यादव एवं अन्य 6				
71	07	219	रैयती	01.38	पशुपतिनाथ राय एवं नरेन्द्रनाथ राय एवं विरेन्द्र यादव, पिता–रामस्वरूप गोप एवं अन्य 3				
72	07	220	रैयती	00.61	विरेन्द्र यादव, पिता–रामस्वरूप गोप एवं अन्य 3				
73	59	221 (अंश)	रैयती	00.57	कैलाश यादव एवं अन्य 6				
74	46	222 (अंश)	रैयती	00.02	मसोमात तारा स्व0 वशिष्ट यादव एवं अन्य 2				
75	22	225 (अंश)	रैयती	00.55	महेन्द्र प्रसाद साह एवं अन्य 5				
76	04	243 (अंश)	रैयती	00.01	कालकेश्वर महादेव आश्रम				
77	03	244 (अंश)	रैयती	00.51	चमकलाल सिंह एवं अन्य 8				
78	75	245	रैयती	00.43	लोकनाथ यादव एवं अन्य 3				
79	50	246 (अंश)	रैयती	00.50	रामपुकार सिंह एवं अन्य 8				
80	61	247 (अंश)	रैयती	00.96	फागु मंडल, पिता–रघुनाथ मंडल एवं अन्य 12				
81	50	248 (अंश)	रैयती	00.20	लालमोहन मंडल पिता–चिलरू मंडल एवं अन्य 3				
82	असर्वेक्षित दियारा		रैयती	19.85					
कुल योग –				100.06 एकड़					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0–30/2013 की धारा–15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

ग्राम–समदानाला, थाना–साहेबगंज (मु0), थाना सं0–01, अंचल–साहेबगंज, जिला–साहेबगंज, क्षेत्रफल–16.38 एकड़, यानि 6.628 हे0 जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये है :–

पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन के संबंध में भू–अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुर्नव्यवस्थापन भत्ता, जीवन यापन भत्ता यथा योग्य रूप में किया जाएगा।

27/10/15 — 29.X.15

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
साहेबगंज।

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 238 /भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 29.10.2015

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/10/15 — 29.X.15

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
साहेबगंज।

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 238 /भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 29.10.2015

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशनार्थ प्रेशित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन की सूचना सीधे जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजने की कृपा की जाय।

27/10/15 — 29.X.15

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
साहेबगंज।

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

Page 3 of 3

(1) (1)

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या–डी0एल0ए0 साहेबगंज 03 /15–16/ 239 /भू0अ0, दिनांक– 29.10.2015

चूंकि अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा भारतीय अर्न्तदेशीय जलमार्ग बन्दरगाह निर्माण हेतु, ग्राम–रामपुर, थाना–साहेबगंज (मु0), थाना सं0–03, अंचल–साहेबगंज, जिला–साहेबगंज में कुल–11.64 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश ..... एकड़ यानि ..... हेक्टेयर है और जो ग्राम–रामपुर, थाना–साहेबगंज (मु0), थाना संख्या–03, अंचल–साहेबगंज, जिला–साहेबगंज में है, जिसका विवरणी निम्नलिखित है :–

क्रम संख्या	खाता सं0	सर्व भूखण्ड सं0	स्वामित्व का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	चौहद्दी			
						उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	170	2	रैयती	00.50	शिवजतन यादव एवं अन्य 3	गंगा नदी	अंश दाग नंबर–16, 14, 12, 11, 45, 46, 47, 48 एवं 49	असर्वेक्षित दियारा, मजार, कब्रिस्तान दाग नं0–8 एवं 10 अंश दाग नं0–15 एवं 16	सीमाना, समदानाला, थाना नं0–1
2	178	3	रैयती	00.74	कन्हाई गोप एवं अन्य 2				
3	25	5	रैयती	02.27	–				
4	51	9	रैयती	0.86	परशुराम चौधरी, सूर्यदेव साह, साह आलम एवं अन्य 6				
5	170	11(अंश)	रैयती	0.70	परशुराम चौधरी एवं अन्य–3				
6	100	12(अंश)	रैयती	0.37	विरेन्द्र यादव, पिता–रामस्वरूप गोप एवं अन्य 3				
7	207	14(अंश)	रैयती	0.05	–				
8	155	15(अंश)	रैयती	0.47	फारूक अंसारी एवं अन्य 6				
9	136	16(अंश)	रैयती	0.09	फारूक अंसारी एवं अन्य 6				
10	205	45(अंश)	रैयती	0.12	विरेन्द्र यादव, पिता–रामस्वरूप गोप				
12	120	48(अंश)	रैयती	0.68	कन्हाई यादव एवं अन्य 3				
13	5	49(अंश)	रैयती	0.37	कन्हाई यादव एवं अन्य 3				
		असर्वेक्षित दियारा		4.42					
कुल–				11.64 एकड़					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0–30/2013 की धारा–15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

ग्राम–.....X....., थाना–.....X....., थाना सं0 .....X..... अंचल–.....X....., जिला–.....X.....,

क्षेत्रफल–.....X..... एकड़ .....X..... यानि .....X.....हे0 जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

27/10/15 — 29.X.15

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
साहेबगंज।

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 239 /भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 29.10.2015

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/10/15 — 29.X.15

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
साहेबगंज।

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 239 /भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 29.10.2015

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशनार्थ प्रेशित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन की सूचना सीधे जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजने की कृपा की जाय।

27/10/15 — 29.X.15

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
साहेबगंज।

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

अनुलग्नक-III

PAF पीएएफ सूची (संरचनाएं)

पीएपी सूची - संरचनाएं						
टर्मिनल परियोजना जिला साहेबगंज झारखंड						
ग्राम सामदा थाना संख्या 1						
क्रम सं.	भूखंड संख्या	खाता संख्या	मालिक का नाम	हानि का प्रकार	हानि की प्रकृति	टिप्पणी
1	41	62	दुलिया मोसुमत पत्नी स्व. रामविलाश यादव	संरचना	झोपड़ी	
2	41	62	फुलेश्वरी मोसुमत पत्नी स्व. रामनाथ यादव	संरचना	झोपड़ी	
3	41	62	मुनिया मोसुमत पत्नी स्व. शिवमणि यादव	संरचना	झोपड़ी	
4	173	47	फूलचंद मंडल पुत्र स्व. जयलाल मंडल	संरचना	अर्ध पक्का	
5	173	47	लकी मोसुमत पत्नी स्व. मधु मंडल	संरचना	झोपड़ी	
6	173	47	भावेश मंडल पुत्र स्व.जगदीश मंडल	संरचना	अर्ध पक्का	
7	173	47	ठाकुर मंडल पुत्र स्व. आनंदी मंडल	संरचना	कच्चा	
8	173	47	सिहारी मंडल पुत्र मेदन मंडल	संरचना	कच्चा	
9	173	47	कुलदीप मंडल पुत्र स्व. जगदीश मंडल	संरचना	कच्चा	
10	173	47	शरवन मंडल पुत्र स्व. भादो मंडल	संरचना	अर्ध पक्का	
11	173	47	हाराधन मंडल पुत्र स्व. बलराम मंडल	संरचना	कच्चा	
12	173	47	धेतु मंडल उर्फ श्याम मंडल पुत्र स्व. नेहाली मंडल	संरचना	पक्का/झोपड़ी	
13	203	52	राजेंद्र यादव पुत्र कैलाश यादव	संरचना	पक्का/झोपड़ी	
14	203	52	विजय यादव पुत्र धनराज यादव	संरचना	कच्चा	

15	203	52	उदय यादव पुत्र धनराज यादव	संरचना	कच्चा	
16	203	52	मनोहर यादव पुत्र धनराज यादव	संरचना	कच्चा	
17	203	52	मोसुमत नंदानी पत्नी स्व. संतो	संरचना	कच्चा	
18	203	52	हरि यादव पुत्र किशुन यादव	संरचना	झोपड़ी	
19	203	52	राजेश यादव पुत्र सूबेदार यादव	संरचना	पक्का	
20	203	52	भुबन यादव पुत्र सूबेदार यादव	संरचना	पक्का/ झोपड़ी	
21	203	52	विशुन यादव पुत्र शिव प्रसाद यादव	संरचना	झोपड़ी	
22	185	55	उपेंद्र सिंह पुत्र स्व. भीखन सिंह	संरचना	कच्चा	
23	185	55	पंचन सिंह पुत्र स्व. भीखन सिंह	संरचना	कच्चा	
24	185	55	रामदामोदर सिंह पुत्र स्व. भीखन सिंह	संरचना	कच्चा	
25	185	55	अरुण सिंह पुत्र जगदेव सिंह	संरचना	कच्चा	
26	185	55	बोर बहादुर सिंह पुत्र द्वारिका सिंह	संरचना	कच्चा	
27	185	55	चंद्रशेखर सिंह पुत्र वीरबहादुर सिंह	संरचना	कच्चा	
28	185	55	रामदामोदर सिंह पुत्र स्व. बैजू सिंह	संरचना	कच्चा	
29	185	55	इंद्रदेव सिंह पुत्र बलदेव सिंह	संरचना	कच्चा	
30	185	55	मिथिलेश सिंह पुत्र इंद्रदेव सिंह	संरचना	कच्चा	
31	185	55	शिवनारायण सिंह पुत्र भागीरथ सिंह	संरचना	कच्चा	
32	185	55	माधो सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह	संरचना	झोपड़ी	
33	185	55	नारद सिंह पुत्र हीरा सिंह	संरचना	झोपड़ी	

34	185	55	महाराज सिंह पुत्र स्व. रामचंद्र सिंह	संरचना	झोपड़ी	
35	185	55	योगी चौधरी पुत्र स्व. रामलोचन चौधरी	संरचना	झोपड़ी	
36	185	55	देवरत्नी देवी पत्नी चंगल सिंह	संरचना	झोपड़ी	
37	185	55	अर्जुन सिंह पुत्र अयोध्या सिंह	संरचना	कच्चा	
38	185	55	राम कुमार सिंह पुत्र द्वारिका सिंह	संरचना	कच्चा	
39	185	55	गिनिया देवी पत्नी सूर्यनारायण सिंह	संरचना	कच्चा	
40	185	55	वीरेंद्र सिंह पुत्र द्वारिका सिंह	संरचना	कच्चा	
41	185	55	शिवनारायण सिंह पुत्र मिश्रीवंद सिंह	संरचना	कच्चा	
42	185	55	शिवाजी सिंह पुत्र जीरनमन सिंह	संरचना	कच्चा	
43	185	55	गेना सिंह पुत्र गनेशी सिंह	संरचना	झोपड़ी	
44	185	55	रामनंदन सिंह पुत्र धन्ना सिंह	संरचना	कच्चा	
45	185	55	बेचू सिंह पुत्र रामचारूइत्र सिंह	संरचना	झोपड़ी	
46	185	55	विजय कुमार सिंह पुत्र रामचरित्र सिंह	संरचना	पक्का/ झोपड़ी	
47	185	55	सूकर सिंह पुत्र स्व. रामचरित्र सिंह	संरचना	कच्चा	
48	185	55	जीचू मंडल पुत्र भत्तू मंडल	संरचना	कच्चा	
49	185	55	नंदकिशोर मंडल पुत्र रामसेवक मंडल	संरचना	कच्चा	
50	185	55	मानिकचंद मंडल पुत्र रामसेवर मंडल	संरचना	कच्चा	
51	185	55	जामुन चौधरी पुत्र करीमन चौधरी	संरचना	अर्ध पक्का	
52	185	55	लूटन चौधरी पुत्र करियामन चौधरी	संरचना	झोपड़ी	

53	185	55	कैलाश चौधरी पुत्र करीमन चौधरी	संरचना	झोपड़ी	
54	185	55	नरसिंह मंडल पुत्र सीताराम मंडल	संरचना	झोपड़ी	
55	185	55	उपेंद्र मंडल पुत्र सीताराम मंडल	संरचना	झोपड़ी	
56	185	55	निरब मंडल पुत्र सीताराम मंडल	संरचना	झोपड़ी	
57	185	55	संजय चौधरी पुत्र विजय चौधरी	संरचना	झोपड़ी	
58	185	55	भोला चौधरी पुत्र विजय चौधरी	संरचना	झोपड़ी	
59	185	55	विजय चौधरी पुत्र रामरज चौधरी	संरचना	कच्चा	
60	185	55	अनिल चौधरी पुत्र रामरज चौधरी	संरचना	अर्ध पक्का	
61	185	55	चंद्रमोहन मंडल पुत्र भोजल मंडल	संरचना	पक्का/ झोपड़ी	
62	185	55	गणेश मंडल पुत्र टीकू मंडल	संरचना	पक्का/ झोपड़ी	
63	185	55	भगवान पासवान पुत्र महावीर पासवान	संरचना	अर्ध पक्का	
64	185	55	शंभु चौधरी पुत्र स्व. गोविंद चौधरी	संरचना	अर्ध पक्का	
65	185	55	अर्जुन चौधरी पुत्र स्व. गोबिंद चौधरी	संरचना	अर्ध पक्का	
66	185	55	जवाहर चौधरी पुत्र स्व. सिंहेश्वर चौधरी	संरचना	पक्का/ झोपड़ी	
67	185	55	रतन मंडल पुत्र गेंडू मंडल	संरचना	अर्ध पक्का	
68	185	55	रामेश्वर चौधरी पुत्र रामनागिन चौधरी	संरचना	झोपड़ी	
69	185	55	गोवर्धन रवि दास पुत्र स्व. जोहरी रवि दास	संरचना	झोपड़ी	
70	185	55	मनोज मंडल पुत्र रामलाल मंडल	संरचना	पक्का	
71	185	55	दुलिया मोसुमत पत्नी स्व. सिपाही चौधरी	संरचना	कच्चा	

72	185	55	भारत मंडल पुत्र जयलाल मंडल	संरचना	झोपड़ी	
73	185	55	सुभाष मंडल पुत्र रतन मंडल	संरचना	झोपड़ी	
74	205	3	हरेराम यादव पुत्र शिव वचन यादव	संरचना	झोपड़ी	
75	205	3	सीताराम यादव पुत्र शिव वचन यादव	संरचना	कच्चा	
76	199, 205	81, 3	केशो यादव पुत्र शिव वचन यादव	संरचना	कच्चा	
77	205	3	छविनाथ यादव पुत्र शिव वचन यादव	संरचना	कच्चा	
78	205	3	गोपाल यादव पुत्र बिस्वनाथ यादव	संरचना	झोपड़ी	
79	205	3	बीकाराम यादव पुत्र रामजनम यादव	संरचना	पक्का	
80	205	3	कन्हैया यादव पुत्र रामजनम यादव	संरचना	पक्का /कच्चा	
81	205	3	निरामल यादव पुत्र काशी यादव	संरचना	कच्चा	
82	205	3	नागेश्वर यादव पुत्र यद्दू यादव	संरचना	पक्का	
83	205	3	दिनेश यादव पुत्र कैलाश यादव	संरचना	पक्का	
84	205	3	बिस्वनाथ यादव पुत्र शिववचन यादव	संरचना	अर्ध पक्का	
85	205	3	टुनटुन यादव पुत्र कैलाश यादव	संरचना	कच्चा	
86	205	3	हरि यादव पुत्र श्रीकृष्णा यादव	संरचना	पक्का	
87	205	3	रीता मोसुमत पत्नी स्व. सुरेश यादव	संरचना	कच्चा	
88	205	3	मोतीलाल यादव पुत्र रामप्रसाद यादव	संरचना	कच्चा	
89	205	3	श्लोक यादव पुत्र मोतीलाल यादव	संरचना	पक्का	

90	205	3	सागर यादव पुत्र रघु यादव	संरचना	पक्का/झोपड़ी	
91	205	3	रमाकांत यादव पुत्र रघु यादव	संरचना	पक्का/ झोपड़ी	
92	205	3	रामानंद यादव पुत्र रघु यादव	संरचना	झोपड़ी	
93	205	3	काशीनाथ यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव	संरचना	झोपड़ी	
94	205	3	भोला यादव पुत्र शिव प्रसाद यादव	संरचना	कच्चा	
95	205	3	महेश यादव पुत्र सूबेदार यादव	संरचना	पक्का	
96	205	3	भीम यादव पुत्र स्व. राम हुलस यादव	संरचना	कच्चा	
97	206		शिवकुमार यादव पुत्र बिशु यादव	संरचना	कच्चा	
98	206		प्रेमनाथ यादव पुत्र बिशु यादव	संरचना	कच्चा	
99	206		अमरनाथ यादव पुत्र बिशु यादव	संरचना	कच्चा	
100	206		टुनटुन यादव पुत्र बिशु यादव	संरचना	झोपड़ी	
101	221, 218	22,59	संतोष यादव पुत्र वशिष्ट यादव	संरचना	झोपड़ी	
102	221, 218	22,59	कुंदन यादव पुत्र वशिष्ट यादव	संरचना	झोपड़ी	
103	218	22	पप्पू यादव पुत्र सेवक यादव	संरचना	झोपड़ी	
104	221	59	रामपति यादव पुत्र शिवजीतन यादव	संरचना	कच्चा	
105	221	59	राजेंद्र यादव पुत्र शिवलखन यादव	संरचना	पक्का	
106	221	59	बाबूलाल यादव पुत्र शिवलखन यादव	संरचना	झोपड़ी	
107	221	59	विजय यादव पुत्र शिव लखन यादव	संरचना	झोपड़ी	

108	221	59	शंकर यादव पुत्र नाथू यादव	संरचना	झोपड़ी	
109	221	59	लक्ष्मण यादव पुत्र नाथू यादव	संरचना	कच्चा	
110	221	59	कृष्णा यादव पुत्र शंकर यादव	संरचना	पक्का	
111	199	81	परशुराम यादव पुत्र विश्वनाथ यादव	संरचना	झोपड़ी	
112	199	81	जयशंकर यादव पुत्र विश्वनाथ यादव	संरचना	कच्चा	
113	199	81	सुग्रीव यादव पुत्र विश्वनाथ यादव	संरचना	कच्चा	
114	199	81	कन्हैया यादव पुत्र प्रकाश यादव	संरचना	कच्चा	
115	195	81	सुपन यादव पुत्र रुदाल यादव	संरचना	कच्चा	
116	244	3	गज्जी सिंह पुत्र रामदास	संरचना	कच्चा	
117	244	3	पंकज सिंह पुत्र अनिल सिंह	संरचना	कच्चा	
118	244	3	भगवान सिंह पुत्र अंतालाल सिंह	संरचना	कच्चा	
119	244	3	मुसन सिंह पुत्र अंतालाल सिंह	संरचना	कच्चा	
120	244	3	रंजीत सिंह पुत्र बच्चू सिंह	संरचना	झोपड़ी	
121	245	75	लोकनाथ यादव पुत्र त्याग यादव	संरचना	झोपड़ी	
122	248	50	राम इकबाल सिंह पुत्र युगल सिंह	संरचना	कच्चा	
123	248	50	दलक मंडल पुत्र चिलरू मंडल	संरचना	पक्का	
124	248	50	चैता मंडल पुत्र चिलरू मंडल	संरचना	पक्का	
125	248	50	लालमोहर मंडल पुत्र चिलरू मंडल	संरचना	पक्का	
126	185	55	प्रदीप चौधरी पुत्र शिवचू चौधरी	संरचना	कच्चा	

127	185	55	रामदास मंडल पुत्र सुखदेव मंडल	संरचना	कच्चा	
128	185	55	सोबरन दास पुत्र सुखदेव मंडल	संरचना	झोपड़ी	
129	200	55	गैनू मंडल पुत्र केस्तो मंडल	संरचना	झोपड़ी	
130	200	55	मोहन मंडल पुत्र केस्तो मंडल	संरचना	झोपड़ी	
131	200	55	शादेव मंडल पुत्र केस्तो मंडल	संरचना	झोपड़ी	
132	200	55	सुखदेव मंडल पुत्र शिवचू मंडल	संरचना	झोपड़ी	
133	200	55	विष्णुदेव मंडल पुत्र शिवचू मंडल	संरचना	पक्का	
134	200	55	शिवनारायण मंडल पुत्र बलदेव मंडल	संरचना	झोपड़ी	
135	200	55	दिनेश मंडल पुत्र बलदेव मंडल	संरचना	झोपड़ी	
136	200	55	गुजाये मंडल पुत्र कारू मंडल	संरचना	पक्का	
137	200	55	दोमन मंडल पुत्र राधे श्याम मंडल	संरचना	झोपड़ी	
138	200	55	सुदामा चौधरी पुत्र पन्ना लाल चौधरी	संरचना	झोपड़ी	
139	200	55	दिलीप चौधरी पुत्र पन्नालाल चौधरी	संरचना	कच्चा	
140	200	55	जानकी चौधरी पुत्र पन्नालाल चौधरी	संरचना	झोपड़ी	
141	200	55	रुदाल मंडल पुत्र गोविंद मंडल	संरचना	झोपड़ी	
142	200	55	चंदर मंडल पुत्र गोविंद मंडल	संरचना	पक्का	
143	200	55	प्रसादी मंडल पुत्र केस्टो मंडल	संरचना	अर्ध पक्का	
144	200	55	सुरेश तांती पुत्र बजरंगी तांती	संरचना	झोपड़ी	
145	200	55	पिंटु तांती पुत्र बजरंगी तांती	संरचना	झोपड़ी	

146	200	55	शंकर मंडल पुत्र जगदीश मंडल	संरचना	पक्का	
147	200	55	भूदेव मंडल पुत्र रामेश्वर मंडल	संरचना	पक्का	
148	200	55	मुनेश्वर मंडल पुत्र भोजल मंडल	संरचना	झोपड़ी	
149	200	55	कैलाश मंडल पुत्र बाबूलाल मंडल	संरचना	झोपड़ी	
150	200	55	उत्तम मंडल पुत्र बाबूलाल मंडल	संरचना	झोपड़ी	
151	200	55	फुलिया मोसुमत पत्नी बाबूलाल मंडल	संरचना	झोपड़ी	
152	200	55	तारामुनि मंडल पत्नी गोल्टन मंडल	संरचना	कच्चा	
153	200	55	बीरबल मंडल पुत्र गंगा प्रसाद मंडल	संरचना	कच्चा	
154	200	55	चतुरानंद मंडल पुत्र बंधु मंडल	संरचना	झोपड़ी	
155	185	55	सिंहेश्वर मंडल पुत्र मोती मंडल	संरचना	कच्चा	
156	185	55	लालू मंडल पुत्र मोती मंडल	संरचना	कच्चा	
157	185	55	बैजू मंडल पुत्र मोती मंडल	संरचना	कच्चा	
158	185	55	अमिक मंडल पुत्र मोती मंडल	संरचना	कच्चा	
159	185	55	रामसिपाही सिंह पुत्र बासुदेव मंडल	संरचना	कच्चा	
160	185	55	नीतीश कुमार पुत्र रविंद्र सिंह	संरचना	कच्चा	
161	185	55	सुबल मंडल पुत्र सुखदेव मंडल	संरचना	पक्का / कच्चा	
162	185	55	प्रमोद कुमार सिंह पुत्र हरिहर सिंह	संरचना	अर्ध पक्का	
163	185	55	जीतेंद्र रजक पुत्र हरिचरम रजक	संरचना	झोपड़ी	
164	185	55	राधेश्याम सिंह पुत्र सरयुग सिंह	संरचना	कच्चा	

165	185	55	हरिओम सिंह पुत्र सरयुग सिंह	संरचना	कच्चा	
166	185	55	अरुणा देवी पत्नी गोरेलाल रजक	संरचना	पक्का/झोपड़ी	
167	185	55	प्रभु रजक पुत्र हरिचरण रजक	संरचना	कच्चा	
168	185	55	रामस्वरूप रजक पुत्र स्व. तरणि रजक	संरचना	पक्का /झोपड़ी	
169	185	55	सिकंदर रजक पुत्र सुरेश रजक	संरचना	पक्का /झोपड़ी	
170	185	55	रघुवंश रजक पुत्र सुरेश रजक	संरचना	पक्का /झोपड़ी	
171	185	55	सुरेश रजक पुत्र गणेशी रजक	संरचना	पक्का /झोपड़ी	
172	185	55	जनार्दन रजक पुत्र गणेशी रजक	संरचना	पक्का /झोपड़ी	
173	185	55	धर्मदेव रजक पुत्र गणेशी रजक	संरचना	पक्का /झोपड़ी	
174	185	55	रविंद्र रजक पुत्र गणेशी रजक	संरचना	पक्का /झोपड़ी	
175	185	55	रविकांत रजक पुत्र गणेशी रजक	संरचना	पक्का /झोपड़ी	
176	185	55	धरिक्षन सिंह पुत्र त्रिलोकी सिंह	संरचना	कच्चा	
177	185	55	नारायण सिंह पुत्र सोनालाल सिंह	संरचना	झोपड़ी	
178	185	55	बोधन सिंह पुत्र परशुराम सिंह	संरचना	कच्चा	
179	185	55	जवाहर सिंह पुत्र परशुराम सिंह	संरचना	कच्चा	
180	185	55	कुलदीप सिंह पुत्र परशुराम सिंह	संरचना	कच्चा	
181	185	55	भोला सिंह पुत्र परशुराम सिंह	संरचना	कच्चा	
182	185	55	कमलकांत सिंह पुत्र गोपाल सिंह	संरचना	पक्का	
183	185	55	बोधाराम सिंह पुत्र बोधराम सिंह	संरचना	कच्चा	

184	185	55	हरिहर सिंह पुत्र गोपाल सिंह	संरचना	झोपड़ी	
185	185	55	गनपत सिंह पुत्र रामसूरत सिंह	संरचना	झोपड़ी	
186	185	55	अविनंदन सिंह पुत्र जटाधारी सिंह	संरचना	झोपड़ी	
187	185	55	हरिचरण सिंह पुत्र जटाधारी सिंह	संरचना	झोपड़ी	
188	185	55	सियाराम सिंह पुत्र भागीरथी सिंह	संरचना e	कच्चा	
189	185	55	जटाधारी सिंह पुत्र रावरी सिंह	संरचना	झोपड़ी	
190	185	55	रामेश्वर सिंङ पुत्र रावरी सिंह	संरचना	कच्चा	
191	185	55	मोसुमत मीरा पत्नी पलकधारी रजक	संरचना	पक्का / झोपड़ी	
192	185	55	रामदुलार दास पुत्र रामचंदर सिंह	संरचना	कच्चा	
193	185	55	सत्यनारायण दास पुत्र रघुनाथ दास	संरचना	कच्चा	
194	185	55	गोर्गी मोसुमत पत्नी रामवचन सिंह	संरचना	कच्चा	
195	185	55	राजकुमार सिंह पुत्र बृजलाल सिंह	संरचना	झोपड़ी	
196	185	55	मदन चौधरी पुत्र रणजीत चौधरी	संरचना	कच्चा	
197	185	55	जगदीश सिंह पुत्र भैयाराम सिंह	संरचना	कच्चा	
198	185	55	हीरा सिंह पुत्र गोपाल सिंह	संरचना	कच्चा	
199	185	55	रामेश्वर सिंह पुत्र सरयुग सिंह	संरचना	झोपड़ी	
200	185	55	राधेश्याम चौधरी पुत्र सरयुग सिंह	संरचना	झोपड़ी	
201	185	55	सरयुग दास पुत्र सच्चू दास	संरचना	पक्का	
202	185	55	हरेराम चौधरी पुत्र सरयुग दास	संरचना	झोपड़ी	

203	185	55	सियाराम चौधरी पुत्र सरयुग दास	संरचना	पक्का	
204	185	55	अशोक सिंह पुत्र इंद्रदेव सिंह	संरचना	झोपड़ी	
205	185	55	श्याम सिंह पुत्र इंद्रदेव सिंह	संरचना	झोपड़ी	
206	185	55	शालीग्राम सिंह पुत्र इंद्रदेव सिंह	संरचना	झोपड़ी	
207	246	50	राजबली सिंह पुत्र राजकुमार सिंह	संरचना	झोपड़ी	
208			प्रभु साह पुत्र स्व. जयगोविंद साह	संरचना	अर्ध पक्का	खाता और भूखंड संख्या नहीं दी गई
209			सुदामा साह पुत्र स्व. मोती साह	संरचना	अर्ध पक्का	खाता और भूखंड संख्या नहीं दी गई
210			छोटाल साह पुत्र स्व. मोती साह	संरचना	अर्ध पक्का	खाता और भूखंड संख्या नहीं दी गई
211			जीतू साह पुत्र मोती साह	संरचना	अर्ध पक्का	खाता और भूखंड संख्या नहीं दी गई
212			इंदिरा मासोमर पुत्र स्व. गोपाल यादव	संरचना	अर्ध पक्का	खाता और भूखंड संख्या नहीं दी गई
213			ब्रह्मदेव यादव पुत्र स्व. रामजनम यादव	संरचना	अर्ध पक्का	खाता और भूखंड संख्या नहीं दी गई
214			मोसुमत बिमली पत्नी सुदामा यादव	संरचना	अर्ध पक्का	खाता और भूखंड संख्या नहीं दी गई
215	176	47	मनोज मंडल पुत्र निमाई मंडल	संरचना	पक्का	
216	2	170	गनपत यादव पुत्र शिवजतन यादव	संरचना	कच्चा	
217	2	170	कैलाश यादव पुत्र शिवजतन यादव	संरचना	कच्चा	

218			रामदेव यादव पुत्र रामजनम यादव	संरचना	कच्चा	खाता और भूखंड संख्या नहीं दी गई
219	205	3	दिनेश यादव पुत्र कैलाश यादव	संरचना	पक्का	
220	205	3	नागेश्वर यादव पुत्र कैलाश यादव	संरचना	पक्का	
221	205	3	विनोद यादव पुत्र शिववचन यादव	संरचना	पक्का	
222	201, 206	55	निरंजन सिंह पुत्र धीरन सिंह	संरचना	पक्का	
223	202, 206	55	रामानंद सिंह पुत्र धीरन सिंह	संरचना	कच्चा	
224	202, 207	55	निताई सिंह पुत्र धीरन सिंह	संरचना	पक्का	
225	202, 208	55	संजय सिंह पुत्र सुरन सिंह	संरचना	पक्का	
226	202, 209	55	अजय सिंह पुत्र सुरन सिंह	संरचना	पक्का	
227	202, 210	55	लालू सिंह पुत्र सुरन सिंह	संरचना	पक्का	
228	202, 211	55	धनंजय सिंह पुत्र सुरन सिंह	संरचना	पक्का	
229	205	3	विजय यादव पुत्र काशी यादव	संरचना	पक्का	
230	245	75	छोटेलाल सिंह पुत्र दुर्गा सिंह	संरचना	झोपड़ी	
231	185	55	प्रतिमा देवी पुत्र जीतेंद्र रजक	संरचना	पक्का	

232	292	82	कैलाश यादव पुत्र शिवमुनि यादव	संरचना	पक्का	
233	205	3	सीताराम यादव पुत्र शिव वचन यादव	संरचना	पक्का	
234	185	55	मुक्ति रजक पुत्र सुखदेव रजक	संरचना	कच्चा	
235	185	55	तुलसी रजक पुत्र सुकदेव रजक	संरचना	कच्चा	

अनुलग्नक-IV

PAF पीएएफ सूची (भूमि स्वामी)

टर्मिनल परियोजना जिला साहेबगंज झारखंड ग्राम सामदा थाना संख्या 1 (भूमि)

क्रम सं.	भूखंड संख्या	खाता संख्या	स्वामी या मालिक का नाम	हानि का प्रकार	हानि की प्रकृति	टिप्पणी
1	90/91/92/93/ 94/96/97/98/ 99/180/181/1 83/184	54/55/82/ 61/55/22/ 80,	भागवत डोकनिया	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ - 82 और अन्य पेड़ - 50	गांव से बाहर
2	95	47	महंत यादव	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 17	गांव से बाहर
3	100/106/82	37	रामजी यादव पुत्र सुदामा यादव	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ - 03 और अन्य पेड़ 09	गांव से बाहर
4	100 /106/107/82	37	केदार यादव पुत्र नारायण यादव	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ 01 और अन्य पेड़ 09	गांव से बाहर
5	100	37	आलोक यादव पुत्र शिव प्रसाद यादव	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ - 01 और अन्य पेड़ – 04	गांव से बाहर
6	100/82	37	सुग्रीव यादव पुत्र हरि प्रसाद यादव	भूमि	परती जमीन	गांव से बाहर
7	107	37	रामपति मोसुमत पत्नी स्व. रामेश्वर यादव	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 01 और अन्य पेड़ – 01	गांव से बाहर
8	107	37	महेंद्र यादव, राजेंद्र यादव , सुरेश यादव पुत्र रामेश्वर यादव	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ - 01 और अन्य पेड़ - 01	गांव से बाहर

9	185	55	जगत मुसहर	भूमि	परती जमीन अन्य पेड़ – 01	गांव से बाहर
10	185	55	योगी मंडल पुत्र स्व. बसंत मंडल	भूमि	परती जमीन अन्य पेड़ – 01	गांव से बाहर
11	185	55	छोटेलाला चौधरी पुत्र करीमन चौधरी	भूमि	परती जमीन अन्य पेड़ – 02	गांव से बाहर
12	211, 185	55	जवाहर चौधरी पुत्र सिंहेश्वर चौधरी	भूमि	परती जमीन	गांव से बाहर
13	211, 217 /216	55, 12 , 16	गणेश यादव पुत्र रामसकल यादव	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 28 और अन्य पेड़ - 05	गांव से बाहर
14	215, 219 , 212P	7	राजंत गोपे दीगर	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 61 और अन्य पेड़ – 04	गांव से बाहर
15	207, 208, 220, 209, 194, 210, 212	51, 31, 40, 32, 83	रामजनम गोपे पुत्र कालीचरण गोपे	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 01 और अन्य पेड़ – 08	गांव से बाहर
16	193	52	बलराम सिंह	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 17 और अन्य पेड़ – 0	गांव से बाहर
17	189, 187, 186	40, 81,	वीरेंद्र यादव पुत्र स्व. रामलखन गोपे	भूमि	परती जमीन अन्य पेड़ – 10	गांव से बाहर
18	246P	50	रामकिशुन सिंह पुत्र रामचंद्र सिंह	भूमि	परती जमीन	गांव से बाहर

19	185P	55	जगेश्वर मंडल पुत्र दारोगी मंडल	भूमि	परती जमीन	गांव से बाहर
20	185P	55	बंधु सिंह, महेंद्र सिंह पुत्र बिशुन सिंह	भूमि	परती जमीन अन्य पेड़ – 13	गांव से बाहर
21	185P	55	रामरूप रजक, श्रवण रजक, धनंजय रजक पुत्र तरणि रजक	भूमि	परती जमीन	गांव से बाहर
22	185P	55	पवन कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह, शिवदयाल सिंह, रामदयाल सिंह, प्रभुदयाल सिंह पुत्र सुपर्णा सिंह	भूमि	परती जमीन अन्य पेड़ – 01	गांव से बाहर
23	247, 184,181	61	रीता देवी पत्नी राजेश यादव	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 32 और अन्य पेड़ – 21	गांव से बाहर
24	181	61	पशुराम यादव पुत्र रामप्रसाद यादव	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 17 और अन्य पेड़ – 13	गांव से बाहर
25	178,180,181,184	48,55,61	सदानंद शर्मा, चांद शर्मा, प्रभुदयाल शर्णा, शिवदयाल शर्म पुत्र राधा प्रसाद शर्मा	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 116 और अन्य पेड़ – 29	गांव से बाहर
26	39P,42P	33	सूर्यनारायण शर्मा, प्रभुदयाल शर्मा राधा प्रसाद शर्मा पुत्र श्री कृष्ण शर्मा	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 117 और अन्य पेड़ – 07	गांव से बाहर

27	39P	33	कौशल्या देवी, रामजीत यादव, रामजी यादव	भूमि	परती जमीन	गांव से बाहर
28	183	22	अशोक यादव	भूमि	परती जमनी	गांव से बाहर
29	182P	30	गंगा सागर यादव पुत्र मंगल यादव, राजराम यादव पुत्र वैजनाथ यादव	भूमि	परती जमीन	गांव से बाहर
30	81	21	रामस्वरूप यादव, मोहन यादव, हरिप्रसाद यादव, अनूप यादव पुत्र रामखेलाव यादव	भूमि	परती जमीन	गांव से बाहर
31	79,80	34	लोकनाथ यादव	भूमि	परती जमीन अन्य पेड़ – 17	गांव से बाहर
32	78P	71	सुखी प्रसाद यादव	भूमि	परती जमीन	गांव से बाहर
33	71P	47	सूर्यनारायण शर्मा पुत्र सुखदेव शर्मा	भूमि	परती जमीन	गांव से बाहर
34	83P	62	देवनारायण डोकनिया	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 31 और अन्य पेड़ – 56	गांव से बाहर
35	83	62	रामरज यादव	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 100 और अन्य पेड़ – 02	गांव से बाहर

टर्मिनल परियोजना जिला साहेबगंज झारखंड ग्राम –रामपुर थाना संख्या 3

क्रम संख्या	भूखंड सं.	खाता सं.	मालिक या स्वामी का नाम	हानि का प्रकार	हानि की प्रकृति	टिप्पणी
1	3, 48, 49	178, 120, 105	कन्हाई यादव	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 71 और अन्य पेड़ – 10	
2	5	25	सुखी यादव पुत्र अनूप यादव	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 16 और अन्य पेड़ – 09	गांव से बाहर
3	9, 11P	51, 170	पशुराम चौधरी और शाद आलम	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 71 और अन्य पेड़ – 16	गांव से बाहर
4	12,45	100 ,205	वीरेंद्र यादव पुत्र स्व. रामस्वरूप गोपे	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 17 और अन्य पेड़ – 08	गांव से बाहर
5	14,15,16	207, 155, 136	अलाउद्दीन	भूमि/बगीचा	परती जमीन आम के पेड़ – 27 और अन्य पेड़ – 05	गांव से बाहर

अनुलग्नक-V

पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

Ministry of Shipping, Government of India

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार

"राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का क्षमता संवर्धन"

हल्दिया और वाराणसी के मध्य

(जल मार्ग विकास परियोजना)

जलमार्ग विकास परियोजना के लिए पुनर्स्थापन नीति

15 अक्तूबर 2016

हिन्दी और अंग्रेजी पाठ के किसी भी अंश में किसी तरह की विसंगति आने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

विषय सूची

1. **पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा** 150
   - 1.1. **परिचय और परियोजना का वर्णन** 150
   - 1.2. **परियोजना के अवयव और भूमि अधिग्रहण की गुंजाइश** : 151
     - 1.2.1. *वाराणसी* – 151
     - 1.2.2. *साहेबगंज* – 151
     - 1.2.3. *हल्दिया* 152
     - 1.2.4. *फरक्का* 152
   - 1.3. **परियोजना के प्रभावों का सार-संक्षेप** : 152
   - 1.4. **हानियों के प्रकार** : 153
   - 1.5. **महिला विकास कार्य योजना का सार-संक्षेप** 154
   - 1.5.1 **भिन्न लैंगिक डाटा** 155
   - 1.5.2 **वृत्तिक या पेशेगत ढांचा** 155
     - 1.5.3 **महिला प्रधान घर-परिवारों का स्वरूप** 156
   - 2.1. **आरपीएफ** RPF **(पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा) का उद्देश्य** 158
   - 2.2. **एसआईए (**SIA**) और आरएपी (**RAP**) की तैयारी** 158
3. **कानूनी रूपरेखा** 160
   - 3.1. **प्रयोज्य विधि-विधान** 160
     - 3.1.1. **विश्व बैंक सुरक्षा नीतियां** 163
   - 3.2. **परिभाषाएं और विस्थापित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड** .. 179
4. **परियोजना के लिए अपनायी गयी भूमि अधिग्रहण प्रकिया** 182
   - 4.1. **भूमि अधिग्रहण तथा अन्य अचल संपत्तियों के लिए रूपरेखा** 182
   - 4.2. **एलए (**LA**) और आरऐंडआर (**R&R**) के लिए प्रक्रिया प्रवाह** 183
     - 4.2.1. *आईडब्ल्यूएआई द्वारा भूमि की आवश्यकता* 183
     - 4.2.2. *आरऐंडआर (*R&R*) के लिए 'प्रशासक' की नियुक्ति* : 183
     - 4.2.3. *अधिसूचना, घोषणा और अवार्ड की तैयारी* : 183
     - 4.2.4. *परियोजना प्रभावित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की पद्धति* 183
5. **क्रियान्वयन प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं** 185
   - 5.1. **जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ** DLAO) 185
   - 5.2. **सामाजिक विकास विशेषज्ञ** 185
   - 5.3. **प्रभारी अधिकारी सह पुनर्वास अधिकारी** 185
   - 5.4. **पीआईयू (**PIU**) में सामाजिक अधिकारी** 186
   - 5.5. **आरएपी (**RAP**) क्रियान्वयन टीम** 186
   - 5.6. **ठेकेदार** 187
   - 5.7. **तकनीकी परिवीक्षण सलाहकार** 187

6. **शिकायत निवारण तंत्र** 189
6.1. **सीपीजीआरएएम** (CPGRAM) **पर शिकायत दर्ज करना** : 189
6.2. **शिकायत पर कार्यवाही की प्रक्रिया** : 189
6.3. **आईडब्ल्यूएआई (**IWAI**) में शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी** : 189
6.4. **परियोजना संबंधी शिकायतों का निपटारा** : 190
6.5. **अ-समाधान की स्थिति में** : 190
6.6. **समय सीमाएं** : 190
6.7. **वर्तमान प्रणाली का विस्तार और उसे शिकायतों के फोन आधारित रजिस्ट्रेशन से जोड़ना** : 190
6.8. **टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र का प्रक्रिया प्रवाह** 190
7. **सिविल कार्यों को आरऐंडआर (**R&R**) के साथ मिलाना** 194
8. **निगरानी व्यवस्थाएं** 195
8.1. **आंतरिक निगरानी** 195
9. **आरऐंडआर (**R&R**) क्रियान्वयन की लागत और निधियन व्यवस्थाएं** 199
10. **नागरिक विनियाजन तंत्र** 202
10.1. **फीडबैक या प्रतिपुष्टि तंत्र** 202
10.2. **परामर्श के लिए योजना** 202

<u>सारणी सूची</u>

सारणी 1.1 : **परियोजना के साथ महिला पीएपी का शैक्षिक स्तर** 155
सारणी 1.2 : **महिला प्रधान घर-परिवारों का स्वरूप** 156
सारणी 3.1 : **प्रमुख सामाजिक विनियम और विधि-विधान** 160
सारणी 3.2 : **विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियां** 163
सारणी 3.3 : **अस्वैच्छिक पुनर्वास पर विश्व बैंक ओपी 4.2 और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 का तुलनात्मक विश्लेषण** 164
सारणी 3.4 : **पात्रता मैट्रिक्स** 174
सारणी 7.1 पुनर्स्थापन योजना का नमूना कार्यक्रम 194
सारणी 8.1 : **आंतरिक निगरानी के लिए रूपरेखा** 196

<u>चित्र सूची</u>

चित्र 5.1 : **आरएपी के क्रियान्वयन के लिए संगठन चार्ट** 188

अनुलग्नक सूची

अनुलग्नक – A : वाराणसी, साहेबगंज, हल्दिया और फरक्का के डिजाइन 206

अनुलग्नक - B : आरएफटीसीएलएआरआर (RFCTLARR) अधिनियम 2013 की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची.... 210

संक्षिप्ताक्षर	
EA ईए	EXECUTING AGENCY कार्यपालक एजेंसी
EIA ईआए	ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT पर्यावरण प्रभाव आकलन
EMP ईएमपी	ENVIRONMENT MITIGATION PLAN पर्यावरण उपशमन योजना
ESMF ईएसएमएफ	ENVIRONMENT AND SOCIAL MITIGATION FRAMEWORK पर्यावरण और सामाजिक उपशमन रूपरेखा
FGD एफजीडी	FOCUS GROUP DISCUSSION केंद्रित समूह चर्चा
GOI जीओआई	GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
GoJ जीओजे	GOVERNMENT OF Jharkhand झारखंड सरकार
IA आईए	IMPLEMENTATION AGENCY क्रियान्वयन एजेंसी
IWAI आईडब्ल्यूएआई	INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकारण
IWT आईडब्ल्यूटी	INLAND WATER TRANSPORT अंतर्देशीय जल यातायात
KII केआईआई	KEY INFORMANT INTERVIEW मुख्य सूचनादाता का साक्षात्कार
NGO एनजीओ	NON GOVERNMENT ORGANISATION गैर सरकारी संगठन
PAF पीएएफ	PROJECT AFFECTED FAMILIES परियोजना प्रभावित परिवार
PAP पीएपी	PROJECT AFFECTED PERSON परियोजना प्रभावित व्यक्ति
PAH पीएएच	PROJECT AFFECTED HOUSEHOLD परियोजना प्रभावित घर-परिवार
PCM पीसीएम	PUBLIC CONSULTATION MEETING जन परामर्श बैठक
RFCTLARRA 2013 आरएफटीसीएलएआरआर 2013	RIGHT TO FAIR COMPENSATION &TRANSPERENCY IN LAND ACQUISITION AND REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन में क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम
RPF आरपीएफ	RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा
RAP आरएपी	REHABILITATION ACTION PLAN पुनर्वास कार्य योजना

संक्षिप्ताक्षर	
SMP एसएमपी	SOCIAL MITIGATION PLAN सामाजिक उपशमन योजना

1. पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा

1.1. परिचय और परियोजना का वर्णन

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (वाराणसी से हल्दिया तक) पर नौवहन के क्षमता संवर्धन के लिए जल मार्ग विकास परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। प्राथमिक रूप से प्रस्तावित क्षमता संवर्धन में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास अर्थात यथोचित माल की प्रबंध क्षमता के साथ नदी टर्मिनल या अंतिम स्थान और यातायात के अन्य साधनों के साथ जोड़ने की सुविधा के लिए उपकरण; एक नौवहन लॉक या बांध, नौवहन सहायक उपकरणों का प्रावधान; नदी सूचना प्रणाली; रो-रो घाट; किनारों की सुरक्षा / ढलान की सुरक्षा; नदी प्रशिक्षण कार्य; दो माल लदान नौकाएं; अंतर्देशीय जहाज; राहत नौकाओं और सर्वे उपकरणों सहित सर्वे नौकाएं और तलमार्जन सुविधाएं शामिल हैं। मध्यावर्तनों के बीच छह आईडब्ल्यूटी टर्मिनलों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से तीन टर्मिनलों और एक नौवहन लॉक या बांध के स्थलों की पहचान कर ली गई है।

आईडब्ल्यूएआई (IWAI) क्रियान्वयन एजेंसी (IA) है। उपलब्ध एलएडी (LAD) और माल की मांग के दृश्य पर विचार करते हुए आईडबल्यूएआई वर्तमान में चरण-1 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हल्दिया से वाराणसी के बीच के फैलाव पर ध्यान दे रहा है।

जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित मध्यावर्तनों की योजना बनायी गयी है जिसके लिए इस पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा का प्रयोग किया जा सकता है।

- जलमार्ग/चैनल में और टर्मिनल सुविधा पर एलएडी प्रदान करने के लिए तलमार्जन का रखरखाव।
- उन्नत नौवहन आधारभूत ढांचा और नौवहन सहायक सुविधाएं तथा उपकरण
  - 10 रो-रो घाटों तथा सवारी नौका घाटों का निर्माण। इन घाटों के स्थल की पहचान अभी की जानी है।
  - 6 टर्मिनलों का निर्माण : साहेबगंज, वाराणसी और हल्दिया में 3 टर्मिनलों के स्थलों की पहचान और योजना का काम पूरा कर लिया गया है। टर्मिनलों के विकास के लिए 2 और संभावित स्थलों की पहचान गाजीपुर और कालू घाट में की गई है। ये दो स्थल अंतिम रूप देने के लिए अब भी विचाराधीन हैं और अभिकल्पना या डिजाइन की योजना भी अभी आरंभिक चरण में है। एनडब्ल्यू-1 पर एक और टर्मिनल के स्थल की पहचान की जा रही है।
  - फरक्का, पश्चिम बंगाल में एक और नौवहन बांध या लॉक का निर्माण।
  - टो बार्जेज या खिंचाव नौकाओं, अंतर्देशीय जहाजों, राहत नौकाओं और सर्वे उपकरणों सहित सर्व जहाजों का प्रावधान। कम भारवाहक कार्गो का विकास।
  - दिन और रात के समय नौवहन सुविधा के लिए एनडब्ल्यू-1 के साथ-साथ सहायक नौवहन सुविधाओं का विकास।
- सभी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के साथ सक्षम नदी सूचना प्रणाली का विकास।
- महत्त्वपूर्ण स्थलों के लिए किनारों की सुरक्षा/ ढलान सुरक्षा और नदी प्रशिक्षण कार्यों का प्रावधान।
- परियोजना 6 शहरों (इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, हल्दिया, कोलकाता) में 18 स्थलों पर यात्री टर्मिनलों के विस्तृत डिजाइन तैयार करने में सहायता प्रदान करेगी, जिनके लिए स्थलों की पहचान अभी की जानी है।

- परियोजना परिचालन चरण में जलयानों की संख्या और आवृत्ति में यथेष्ठ बढ़ोतरी करेगी जिसके कारण मछुआरों की आजीविका पर सीमित प्रभाव पड़ सकता है। आईडब्ल्यूएआई ने संवेदनशील स्थलों पर पर्यावरण और सामाजिक आकलन करने तथा यदि आवश्यक हो तो उपशमन योजनाएं तैयार करने के लिए केंद्रीय अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की सेवाएं ली हैं।

परियोजना में सड़कों और रेलमार्गों जैसे सतह यातायात के अन्य साधनों के साथ जोड़ने के अवसरों के निर्माण और उन्नयन की संभावनाओं का भी ध्यान रखा गया है, ताकि जलमार्गों को विभिन्न सुसज्जित टर्मिनलों और घाटों के माध्यम से जोड़कर लॉजिस्टिक्स या संचालनतंत्र श्रृंखला की कुल क्षमता में वृद्धि की जा सके।

इसलिए चिह्नित स्थलों वाराणसी, साहेबगंज, हल्दिया और फरक्का के लिए समेकित आरएपी/एसएमपी (RAP/SMP) तैयारी की गयी हैं जिसके विवरण नीचे पैरा 1.2 से 1.3 में दिये गये हैं। अन्य उप-परियोजनाओं के लिए आरएपी/एसएमपी (RAP/SMP) अध्याय 2 में दी गयी योजना के अनुसार स्थलों की पहचान होने के बाद तैयार की जाएंगी।

1.2. परियोजना के अवयव और भूमि अधिग्रहण की गुंजाइश :

4 बड़ी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की पहचान और नियोजन किया गया है जिनमें वाराणसी, साहेबगंज और हल्दिया में बहु-साधन या मल्टीमोडल टर्मिनल और फरक्का में नौवहन बांध या लॉक शामिल है। चिह्नित उप परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता का सार-संक्षेप नीचे प्रस्तुत है :

1.2.1. *वाराणसी –*

वाराणसी में मल्टी मोडल टर्मिनल के निर्माण के लिए कुल 7.001 हेक्टेयर की आवश्यकता है, जिसमें से 5.586 हेक्टेयर भूमि पहले से ही आईडब्ल्यूएआई के कब्जे में है और मोलभाव समझौतों के माध्यम से क्रय करने के लिए 1.415 हेक्टयर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता का आकलन किया गया है। सुविधाओं के विकास का कार्य दो चरणों में हाथ में लिया जाएगा। चरण 1(ए) में अपतटीय सुविधाओं का विकास उस 5.586 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा जिसका अधिग्रहण 2010 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन किया था। चरण 1(बी) के अंतर्गत टर्मिनल को एनएच-7 के साथ सड़क संयोजकता या कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए 1.415 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है।

1.2.2. *साहेबगंज –*

सड़क और रेल संयोजकता के साथ मल्टी मोडल टर्मिनल के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता 78.91 हेक्टेयर आंकी गई है। सुविधा का विकास दो चरणों में किया जाएगा। चरण-1 में टर्मिनल के निर्माण के लिए लगभग 23.98 हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। टर्मिनल का विस्तार करने और सड़क संयोजकता प्रदान करने के लिए 54.93 हेक्टेयर की आवश्यकता होगी, जिसे क्रमशः चरण-2 और चरण-1(बी) में हाथ में लेना प्रस्तावित है।

तथापि जिला प्रशासन, साहेबगंज ने टर्मिनल के लिए आरएफटीसीएलएआरआर 2013 के तहत 45.20 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही आरंभ कर दी है। इसके अलावा 2.89 हेक्टेयर सरकारी भूमि भी आईडब्ल्यूएआई को हस्तांतरित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं के विवरण नीचे दिए गए हैं :

प्रभावित गांव	अधिग्रहीत की जाने वाली निजी भूमि	आरएफटीसीएलएआरआर 2013 की धारा 11(1)	आरएफटीसीएलएआरआर 2013 की धारा 19(1)

		के अनुसार अधिसूचना की तिथि	के अनुसार घोषणा की तिथि
समदानाला	40.49 हेक्टेयर	04.07.2015	29.10.2015
रामपुर	4.71 हेक्टेयर	08.07.2015	29.10.2015

1.2.3. *हल्दिया*

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने हल्दिया गोदी कॉम्प्लेक्स में 24.68 हेक्टेयर भूमि जून 2015 में आईडब्ल्यूएआई को 30 वर्ष की लीज पर आवंटित और हस्तांतरित कर दी है।

1.2.4. *फरक्का*

मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद और आईडब्ल्यूए द्वारा भूमि के हस्तांतरण के लिए 2.35 करोड़ रुपये जमा करवा दिए जाने के बाद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय ने फरक्का बांध परियोजना में 14.86 हेक्टेयर भूमि 2 मार्च 2016 को पोत परिवहन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी है, जिसका अभिरक्षक या कस्टोडियन आईडब्ल्यूएआई है।

बाद की उपपरियोजनाओं के लिए आरएपी (RAP) स्थलों का निर्धारण करने के बाद तैयार किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद फरक्का के नए नौवहन बांध के लिए इसे अद्यतन भी किया जा सकता है।

1.3. परियोजना के प्रभावों का सार-संक्षेप :

प्रत्येक उप-परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता और एसआईए की गुंजाइश तथा प्रभावों का सार-संक्षेप नीचे दिया गया है :

उपपरियोजना का नाम	आवश्यक भूमि (हेक्टे)	मांगी गई निजी भूमि (हेक्टे)	सरकारी भूमि (हेक्ट)	एसआईए पूरा हो गया (हेक्टे)	विस्थापित परिवारों की संख्या (संरचनाएं गंवाने वाले)	परियोजना प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या
मल्टीमोडल टर्मिनल वाराणसी चरण (1ए)	5.586	-	5.586	5.586	-	-	0
सड़क संयोजकता	1.415						
मल्टीमोडल टर्मिनल साहेबगंज चरण-1	23.997	45.02	2.89	48.09	235	275	1397
सड़क	3.5	*					

उपपरियोजना का नाम	आवश्यक भूमि (हेक्टे)	मांगी गई निजी भूमि (हेक्टे)	सरकारी भूमि (हेक्ट)	एसआईए पूरा हो गया (हेक्टे)	विस्थापित परिवारों की संख्या (संरचनाएं गंवाने वाले)	परियोजना प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या
संयोजकता							
आरओबी	6.11	0**					
मल्टीमोडल टर्मिनल हल्दिया	24.68		24.68	24.68	-	-	0
फरक्का में नया नौवहन बांध या लॉक	14.86		14. 86	14.86	-	-	0
योग***	80.148	45.02	48.016	93.216****	235	275	1397

* भूमि के विवरणों और आवश्यकता का सत्यापन चल रहा है।

** डीपीआर परामर्शदाताओं के अनुसार आवश्यकता को अंतिम रूप देने का कार्य जारी।

*** संभावित है और अन्य हस्तक्षेपों के कारण परियोजना की अंतिम रूपरेखा के अनुसार बदल सकता है।

**** साहेबगंज और वाराणसी में सड़क संयोजकता, साहेबगंज में आरओबी और अतिरिक्त टर्मिनलों और रो-रो सुविधाओं के लिए एसआईए जमीन की आवश्यकता तथा स्थलों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद पूरा किया जाएगा।

1.4. हानियों के प्रकार :

निजी भूमि की हानि

क्रम संख्या	भूमि का प्रकार	अधिग्रहीत किया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल निजी भूमि की प्रतिशतता
1.	बगीचों वाली भूमि	18.935 हेक्टे	41.79
2.	बंजर भूमि	6.879 हेक्टे	15.22
3.	संरचनाओं वाली भूमि	9.611 हेक्टे	21.26
4.	अ-सर्वेक्षित	9.821 हेक्टे	21.73

5.	योग	45.2 हेक्टे	100

संरचना की हानि

क्रम सं.	संरचनाओं का प्ररूप विज्ञान	संरचनाओं की संख्या
1.	आवासीय संरचनाएं	235
2.	साझा संपत्ति संसाधन	2
3.	सरकारी संरचनाएं	2
	योग	239

प्रभावित संवेदनशील कमजोर परिवार

प्रभावित क्षेत्र में रह रहे प्रभावित परिवारों की सामाजिक श्रेणी से पता चलता है, जैसा कि सारणी 4.5 में प्रस्तुत किया गया है, कि कुल 235 प्रभावित परिवारों में से 206 (87.66%) अन्य पिछड़े वर्गों से, 20 (8.51%) अनुसूचित जाति से, 7 (2.98%) सामान्य श्रेणी से और 2 (0.85%) अनुसूचित जनजाति से हैं।

प्रभावित परिवारों की सामाजिक श्रेणी

गांव	सामाजिक समूह					
	एसटी (पर्वतीय)	एसटी (मैदान)	एससी	ओबीसी	सामान्य	अन्य
सामदा नाला और रामपुर	0	2	20	206	7	0

स्रोत : मैदानी सर्वे

आरएफटीसीएलएआरआर (RFCTLARR) अधिनियम 2013 की धारा 31 और दूसरी अनुसूची के अनुसार एससी (SC) और एसटी (ST) के लिए विशेष सहायता बजट में और जिला प्रशासन द्वारा तैयार आरऐंडआर (R&R) योजना में शामिल की गयी है। स्थान परिवर्तन के दौरान इन परिवारों को सहायता तथा आजीविका संवर्धन पर विशेष परामर्श प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

1.5. महिला विकास कार्य योजना का सार-संक्षेप

परियोजना से प्रभावित महिलाओं की कुल संख्या 642 है। प्रभावित क्षेत्र में 16 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिलाएं हैं। परियोजना के बारे में उनके बीच जागरूकता सुनिश्चित करने और परियोजना को लेकर उनकी चिंताओं को समझने और यदि उनकी कोई विशिष्ट जरूरतें हो जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता हो तो उन्हें जानने के लिए महिलाओं के साथ विशेष रूप से सलाह-मशविरा किया गया। आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत परियोजना प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई वैकल्पिक आवासीय सुविधा में महिलाओं को “संयुक्त स्वामित्व” अधिकार दिया

जायेगा। इसी के अनुसार, साहेबगंज की केंद्रित समूह चर्चाओं में महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। परियोजना प्रभावित परिवारों की महिलाओं को पुनर्वास कॉलोनी में समुदाय निर्माण गतिविधियां हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया और परामर्श दिया जाएगा। पुनर्वास के दौरान सहायता प्रदान करते समय इन महिला घर-परिवारों या डब्ल्यूएचएच (WHHs) की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। टर्मिनल स्थलों (विशेष रूप से साहेबगंज और वाराणसी में) के पास-पड़ोस के क्षेत्रों में समुदाय अवसंरचना पहलों जैसे शौचालयों और स्ट्रीट लाइटों के निर्माण पर आगे के सलाह-मशविरे में और बजटीय आवंटन उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा। महिला विकास कार्य योजना में विभिन्न गतिविधियों के लिए बजट आरएपी/एसएमपी की लागत में शामिल किया गया है।

1.5.1 भिन्न लैंगिक डाटा

महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने के लिए अलग किये गये लैंगिक डाटा लिए गए और उनके साथ अलग से परामर्श आयोजित किये गये।

जनसंख्या : परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या 1397 है जिनमें से 642 महिलाएं हैं जो कुल पीएपी की 45.96 प्रतिशत हैं।

साक्षरता : परियोजना प्रभावित परिवारों की साक्षरता दर 67.57 प्रतिशत है और महिला साक्षरता दर 62.15 है।

सारणी 1.1 महिला और पुरुष पीएपी की शिक्षा का स्तर दर्शाती है। बहुसंख्यक महिला पीएपी प्राथमिक स्कूल (कक्षा 5) तक पढ़ी हैं और उसके पश्चात एचएससी महिलाएं हैं।

सारणी 1.1 : परियोजना के साथ महिला पीएपी का शैक्षिक स्तर

शैक्षणिक स्थिति	महिला	%
निरक्षर	243	37.85
साक्षर कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	0	0
प्राथमिक तक	266	41.43
एचएससी तक	124	19.32
स्नातक या ग्रेजुएट	9	1.40
पेशेवर / तकनीकी	0	0
योग	**642**	**100**

1.5.2 वृत्तिक या पेशेगत ढांचा

कुल 642 महिलाओं में से केवल 8.9% (57) कामकाजी या कार्यरत समूह में आती हैं। शेष महिलाएं काम नहीं करतीं अर्थात 91.1% महिलाएं गैर-कार्यरत समूह में आती हैं। कार्यरत महिलाओं में से अधिसंख्यक खेतिहर मजदूर हैं।

आमदनी : कुल कार्यरत महिलाओं में से केवल 48 ने अपनी आय के बारे में बताया है। इनमें से 38 महिलाएं 5,000 रुपये से कम कमाती हैं और 10 महिलाएं 5,000 रुपये से 7,000 रुपये के बीच कमाती हैं।

1.5.3 महिला प्रधान घर-परिवारों का स्वरूप

महिला प्रधान घर-परिवारों जैसे कमजोर समूहों के ऊपर परियोजना के प्रभावों को समझने के लिए डाटा या आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। **सारणी 1.2** में महिला प्रधान घर-परिवारों के स्वरूप और इन घर-परिवारों पर परियोजना के प्रभावों का सार-संक्षेप प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.2 : महिला प्रधान घर-परिवारों का स्वरूप

			संख्या
1	आयु समूह	25-35	2
		35-45	3
		45-55	5
		55-65	4
		65 और उससे ऊपर	2
	योग		**16**
2	वैवाहिक स्थिति	विवाहित	2
		विधवा	14
	योग		**16**
3	शैक्षिक उपलब्धि	निरक्षर	13
		प्राथमिक	1
		माध्यमिक स्कूल	1
		सेकंडरी	1
		हायर सेकंडरी	0
	योग		**16**
4	कार्यरत होने की स्थिति	हां	7
		नहीं	9
	योग		**16**

			संख्या
6	आय (रुपये में)	< 5000	6
		5000-10000	1
		> 10000	0
		कोई आय नहीं	9
	योग		**16**
7	**गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल)**		14
	गरीबी की रेखा से ऊपर (एपीएल)		2
	योग		**16**
8	प्रभाव	आंशिक	0
		पूर्ण	16
	योग		**16**
9	प्रभाव का प्रकार	आवासीय	16
		व्यावसायिक	0
		खुला / खाली भूखंड	0
		पौधारोपण	0
	योग		**16**
10	हानि का प्रकार	भूमि	0
		वास भूमि और संरचना	16
		भूमि और आजीविका	0
		आजीविका और संरचना	0
	योग		**16**

आरएपी/एसएमपी (RAP/ SMP) में एक पृथक महिला विकास कार्य योजना शामिल की गयी है।

2. आरपीएफ (RPF) के उद्देश्य और सिद्धांत

2.1. आरपीएफ RPF (पुनर्स्थापन नीति रूपरेखा) का उद्देश्य

इस नीति रूपरेखा का उद्देश्य पुनर्स्थापन के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है और इसी के अनुरूप उप-परियोजना पुनर्स्थापन कार्य योजना / सामाजिक प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा, जो अस्वैच्छिक पुनर्स्थापन पर विश्व बैंक की परिचालन नीति 4.2 और राष्ट्रीय विधि-विधानों, भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन और पुनर्वास में क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLAR&R) 2013 के अनुसार होंगी।

इसी के अनुसार, पुनर्स्थापन और क्षतिपूर्ति के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी एजेंसियों से संबंधित विधि-विधानों और विनियमों तथा प्रक्रियाओं का मानचित्रण करते हुए आरपीएफ तैयार की गयी है। आरपीएफ ये विवरण प्रदान करती है (क) परियोजना और उसके अंगों का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन की आवश्यकता है, (ख) स्थान परिवर्तन की आवश्यकता, (ग) अनुमानित जनसंख्या का विस्थापन और विस्थापित व्यक्तियों की संभावित श्रेणियां, (घ) प्रभावित और विस्थापित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का पात्रता मानदंड, (ङ) वैधानिक रूपरेखा का विश्लेषण, (च) मूल्यांकन की पद्धति, (छ) लैंगिक तथा कमजोर समुदाय के लिए विशेष उपाय, (ज) परामर्श और भागीदारी का तंत्र, (झ) सांस्थानिक व्यवस्था, (ञ) क्रियान्वयन प्रक्रिया, (ट) पुनर्स्थापन कार्य को सिविल कार्यों से जोड़ना, (ठ) शिकायत निवारण तंत्र का वर्णन, और (ढ) नागरिकों का फीडबैक या प्रतिपुष्टि, और (ढ) निगरानी तथा सूचना तंत्र।

आरपीएफ पूरी परियोजना पर प्रयोज्य है। परियोजना हल्दिया और वाराणसी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर नौवहनता में सुधार लाने में सहायता करती है, जिसके लिए अधिक मालवाहक नौकाओं के लिए सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सड़क और रेल से संयोजकता मांग और उपयोग बढ़ने के साथ-साथ चरणबद्ध ढंग से प्रदान की जाएगी। एक नौका मरम्मत सुविधा और नदी-पार ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए पांच रो-रो क्रॉसिंग का भी प्रस्ताव है। परियोजना 6 शहरों (इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, हल्दिया, कोलकाता) में 18 स्थलों पर आधुनिक यात्री नौका सेवा प्रणाली के लिए डिजाइन तैयार करने में भी सहायता देगी, जो अंततः चार सहभागी राज्यों द्वारा क्रियान्वित और संचालित की जाएंगी। परियोजना लगभग 40 किमी के संरक्षण कार्यों के निर्माण को भी सहायता देगी, जिनमें अस्थिर और कटाव-योग्य किनारों की सुरक्षा की जाएगी और तीखे घुमावों पर नदी किनारों को बनाए रखा जाएगा।

2.2. एसआईए (SIA) और आरएपी (RAP) की तैयारी

अभी तक चिह्नित की गयी 4 उप-परियोजनाओं के लिए आरएपी/एसएमपी (RAP/SMP) तैयार की गयी हैं। शेष बची हुई उप-परियोजनाओं के लिए स्थलों की पहचान करना और उन्हें अंतिम रूप देना बाकी है। आईडब्ल्यूएआई सामाजिक मुद्दों और हितधारकों और सामाजिक और आर्थिक रूप से साधनहीन समुदायों सहित सभी समुदायों की पहचान के लिए एक अध्ययन का कार्य सौंपेगी। यह आकलन एसआईए के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित स्थानीय जनसंख्या की पहचान करेगा और जनगणना सर्वे का कार्य हाथ में लिया जाएगा। संभावित निवेशों के प्रभावों और जोखिमों को सामाजिक सुरक्षा लैंगिक और नागरिकों के जुड़ावों के मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत होगी। अध्ययन का कार्य क्षेत्र विशेष रूप से निम्नानुसार होगा :

- परियोजना की अभिकल्पना, उद्देश्यों और क्रियान्वयन से जुड़े मामलों पर परियोजना के हितधारकों को सूचना देगी, सलाह लेगी और संवादों करेगी और उच्च सामाजिक जोखिमों से बचने या उन्हें कम से कम करने के लिए विशिष्ट अनुशंसाएं प्रदान करेगी;
- परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास सामाजिक विकास के मुद्दों की छानबीन करेगी और इसी के अनुसार ऐसी सामाजित सेवाओं की अभिकल्पना करेगी जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से परियोजना द्वारा प्रदान की जा सकती हों;
- धार्मिक संरचनाओं और साझा संपत्ति संसाधनों (जैसे वन, चरागाह) सहित सामुदायिक परिसंपत्तियों (जैसे स्कूल, सामुदायिक परिसंपत्तियां) की संभावित हानि की और स्थानीय जनसंख्या पर उनकी हानि के प्रभावों की पहचान करेगी;
- एचआईवी/एड्स की घटनाओं पर निर्माण श्रमिकों तथा अन्यों (सिविल कार्य तथा परियोजना के परिचालन दोनों के दौरान) के अंतर्वाह के प्रभाव का आकलन करेगी और उन पर नियंत्रण की रणनीतियां विकसित करेगी;
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित परियोजना के क्रियान्वयन के सामाजिक विकास पहलुओं को क्रियान्वित करने के लिए क्षमता संस्थाओं और तंत्रों का आकलन करेगी और क्षमता निर्माण के उपायों की अनुशंसा करेगी;
- सामाजिक विकास परिणामों का आकलन करने के लिए निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र का विकास करेगी; और
- लाभान्वितों के फीडबैक, सूचना के प्रसार तथा शिकायत प्रबंधन से संबंधित कार्य भी इसमें शामिल होंगे।

3. कानूनी रूपरेखा

3.1. प्रयोज्य विधि-विधान

आईए IA (क्रियान्वयन एंजेसी) ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित क्षतिपूर्ति का अधिकार तथा पारदर्शिता अधिनियम 2013; विश्व बैंक के ओपी 4.12 तथा विभिन्न आर ऐंड आर से जुड़े मुद्दों के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न शासकीय नियमों पर आधारित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति विकसित की है। यह प्रभावित लोगों को पुनः बसाने के लिए मानदंड निर्धारित करती है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मोटे तौर पर एक दृष्टिकोण तथा सांस्थानिक ढांचे की रूपरेखा प्रदान करती है। परियोजना की तैयारी और क्रियान्वयन को शासित करने वाले प्रमुख सामाजिक विनियम और विधि-विधान नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

सारणी 3.1 : प्रमुख सामाजिक विनियम और विधि-विधान

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम	1958	भारत में पाए गए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अवशेषों का संरक्षण	यदि परियोजना स्थल अधिसूचित प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल से 300 मी. दूर अवस्थित हो	किसी भी उप परियोजना के लिए प्रयोज्य नहीं	पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार, इंडियन हेरिटेज सोसायटी और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट ऐंड कल्चर हेरिटेज (INTACH).
भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013	2013	अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा; भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित आबादी का पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित सभी लोगों का आर्थिक पुनर्वास।	यदि क्रियान्वयन एजेंसी स्वामित्वधारियों से भूमि का अधिग्रहण करती है	हां। साहेबगंज, झारखंड में टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए लागू होने योग्य है।	राजस्व विभाग। संबंधित राज्य सरकार और आईडब्ल्यूएआई/आईए (प्रक्रिया आरंभ करने, लागत की गणना करने, समयबद्ध भुगतान करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए - मांगकर्ता निकाय)

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
एलएआरआर अधिनियम 2013 के संबंध में झारखंड नियम (2015)	2015	झारखंड राज्य सरकार ने आरएफटीसीएलएआरआर 2013 के आधार पर अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास कार्यवाहियो के लिए विभिन्न नियम और प्रपत्र विनिर्दिष्ट करते हुए नियम अधिसूचित किए हैं।	झारखंड में भूमि अधिग्रहण के मामले में लागू	हां। साहेबगंज में टर्मिनल के लिए झारखंड में भूमि अधिग्रहण के मामले में लागू।	झारखंड का राजस्व विभाग
पंचायत राज अधिनियम और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम	1992	गतिविधि के स्वरूप तथा पंचायत को प्राप्त इससे संबंधित शक्ति की सीमा पर निर्भर करते हुए परियोजना के क्रियान्वयन की गतिविधियों के लिए पंचायत स्तर की संस्थाएं उत्तरदायी होंगी। यह अधिनियम ग्राम स्तर के कार्यों को विस्तार देकर और विकाय योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देकर निर्णय लेने में पंचायत स्तर की संस्थाओं की भागीदारी को समर्थ बनाता है। अधिनियम में परियोजना की तैयारी और क्रियान्वयन के दौरान पंचायत राज संस्थाओं, विशेष रूप	पंचायत क्षेत्र में अवस्थित किसी भी उप परियोजना के लिए लागू	साहेबगंज, झारखंड के मामले में लागू	संबंधित गांवों की पंचायतें

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
		से ग्राम सभा/पंचायत की भागीदारी का प्रावधान किया गया है।			
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम	2006	यह अधिनियम वन कानूनों के कारण होने वाले अन्यायों को आंशिक रूप से दूर करते हुए पारंपरिक वनवासी समुदायों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। समुदाय तथा जनसामान्य वन तथा वन्यजीव संरक्षण में अपनी बात रख सके, इसके लिए नई शुरुआत करता है। यह अधिनियम विनिर्दिष्ट अधिकारों या पात्रताओं तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है। साथ ही यह भी निर्धारित करता है इस कानून के अंतर्गत अधिकारों का हस्तांतरण किन उद्देश्यों के लिए और किन परिस्थितियों के अधीन किया जा सकता है और ऐसा	यदि परियोजना आरक्षित तथा सुरक्षित वनों सहित रूढ़ वन भूमियों और साथ ही सामुदायिक वनों से भी गुजरती है	लागू होने योग्य नहीं	वन मंत्रालय/विभाग, जनजाति मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार और जनजाति कल्याण विभाग

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	प्रयोज्यता	चिह्नित उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
		किस तरीके से किया जा सकता है। सड़कों के लिए हस्तांतरण ऐसा ही एक उद्देश्य है। विशिष्ट व्यक्तियों/ समूहों (व्यक्ति, परिवार, समुदाय) के लिए विशिष्ट कानूनी अधिकारों का विभिन्न शीर्षों जैसे स्वामित्व, उपयोगकर्ता अदि के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। परियोजना की अवधि के दौरान इनका ध्यान रखना होगा। यदि कोई भूमि हस्तांतरण शामिल हो तो इसके लिए अधिनियम में एक सीमा नियत की गई है और ग्राम सभा से इसकी स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही इस उद्देश्य से काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या की सीमा की भी एक सीमा है।			

3.1.1. विश्व बैंक सुरक्षा नीतियां

विकास परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम या समाप्त करने के लिए विश्व बैंक की पर्यावरणिक और सामाजिक सुरक्षा नीतियां हैं। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा नीतियां नीचे सारणी में दी गई हैं।

सारणी 3.2 : विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियां

विश्व बैंक सुरक्षा नीतियां	उद्देश्य	प्रयोज्यता	सुरक्षा आवश्यकताएं
ओपी/बीपी 4.12	अस्वैच्छिक पुनर्वास - इस नीति का उद्देश्य, जहां व्यवहार्य हो, वहां परियोजना की डिजाइन के सभी व्यवहार्य विकल्पों का दोहन करते हुए अस्वैच्छिक पुनर्वास से बचना या उसे कम से कम करना है। इसके अलावा इसका अभीष्ट विस्थापित लोगों के पहले के रहनसहन के मानदंडों में सुधार लाने में उनकी सहायता करना, पुनर्वास की योजना और क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना, और प्रभावित लोगों के वैधानिक स्वामित्व की स्थिति पर ध्यान दिये बिना उन्हें सहायता प्रदान करना है।	कुछ निश्चित परियोजना गलियारों के लिए सीमित भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी जिसके परिणामस्वरूप : आश्रय की हानि या पुनर्स्थापना, संपत्तियों या संपत्तियों तक सुगमता की हानि, आय के स्रोतों या आजीविका के साधनों की हानि होगी।	समुदाय और परियोजना प्राधिकारियों के विचार-विमर्श से पुनर्वास योजना। पुनर्वास कार्य योजना तैयार की गई है।
ओपी/बीपी 4.11	सांस्कृतिक संपत्ति - इस नीति का उद्देश्य सांस्कृतिक संपत्तियों, ऐतिहासिक, धार्मिक और अनूठी प्राकृतिक धरोहरों (जिनमें पूर्व के मानव वासियों द्वारा छोड़े गए अवशेष और अनूठी पर्यावरण विशेषताएं भी शामिल हैं) के परिरक्षण में और साथ ही बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में परिलक्षित सांस्कृतिक विशेषताओं के रक्षण तथा संवर्धन में सहायता प्रदान करना है।	यह नीति आईडब्ल्यूएआई के अधीन उप-परियोजनाओं के लिए उन क्षेत्रों में लागू हो सकती है जहां उप-परियोजनाओं में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्यों के दौरान सांस्कृतिक संपत्तियां, ऐतिहासिक, धार्मिक और अनूठी प्राकृतिक धरोहरें (जिनमें पूर्व के मानव वासियों द्वारा छोड़े गए अवशेष और अनूठी पर्यावरण विशेषताएं शामिल हैं) प्रभावित होती हों।	उपशमन योजनाएं तैयार करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होंगे।

स्रोत : विश्व बैंक परिचालन नीति या ऑपरेशनल पॉलिसी

सारणी 3.3 : अस्वैच्छिक पुनर्वास पर विश्व बैंक ओपी 4.2 और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 का तुलनात्मक विश्लेषण

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
भूमि अधिग्रहण (LA) का अनुप्रयोग	वित्तपोषण के स्रोत पर ध्यान दिये बगैर परियोजना के उन सभी अवयवों पर लागू होती है जिनका परिणाम अस्वैच्छिक पुनर्वास के रूप में सामने आता है।	***धारा 2*** उन सभी परियोजनाओं पर लागू होती है जिनमें सरकार स्वयं अपने उपयोग, अधिकार और नियंत्रण के लिए, जिसमें पीएसयू तथा सार्वजनिक उद्देश्य भी शामिल हैं; पीपीपी के लिए जिनमें भूमि का स्वामित्व सरकार में ही निहित रहता है; निजी कंपनियों के लिए, जहां 80% या पीपीपी के मामले में 70 % **भूमि स्वामियों**[1] ने सम्मति प्रदान कर दी है, जमीन अधिग्रहीत करती है।
वर्जन या बचने का सिद्धांत	जहां व्यवहार्य हो वहां परियोजना के डिजाइन में सभी व्यावहारिक विकल्पों का दोहन करते हुए अस्वैच्छिक पुनर्वास विस्थापन से बचा जाना चाहिए या उसे कम से कम रखा जाना चाहिए।	विकल्पों पर विचार करना होता है, क्योंकि अधिनियम अध्याय II, धारा # 4 (डी D) में कहता है, "अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक बिल्कुल न्यूनतम है"; और (ई) में कहता है कि वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।
अन्य परियोजनाओं के साथ संयोजन		ऐसा कोई प्रावधान नहीं अधिनियम इस अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के कारण विविध विस्थापन से वर्जन या बचने का उल्लेख करता है। आर ऐंड आर प्रावधानों में से कुछ को अन्य विकास योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि पुनर्स्थापन और आजीविका के विकल्पों को एक साथ जोड़ा जा सके।

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
आर ऐंड आर का अनुप्रयोग	उपर्युक्त के समान	उपरोक्त के अतिरिक्त, **धारा 2(3)** भूमि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार निजी कंपनी द्वारा खरीदी गई हो या जब उसका भाग सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो आरऐंडआर के लिए अधिनियम में विस्तृत प्रक्रियाएं और प्रावधान हैं। अधिनियम के अंतर्गत आरऐंडआर की प्रक्रिया आरऐंडआर जनगणना के समय से आरंभ होगी और आरऐंडआर के आयुक्त तथा जहां प्रासंगिक हो वहां समिति की उचित देखरेख में आरऐंडआर अवार्ड किए जाने के साथ समाप्त होगी। आरऐंडआर से जुड़े सभी प्रावधान अनिवार्य हैं और अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान इन्हें औपचारिक रूप से लागू किया जाना है। जब तक आरऐंडआर प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तब तक अधिग्रहीत भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सकता।
प्रभावित क्षेत्र	अस्वैच्छिक भूमि का लेना जिसके परिणामस्वरूप आश्रय की हानि, संपत्तियों या संपत्तियों तक पहुंच की हानि, आय के स्रोतों या आजीविका के साधनों की हानि होती हो	***धारा 3(बी)***: 'अधिग्रहण' के लिए अधिसूचित क्षेत्र
परिवार		***धारा 3 (एम)*** व्यक्ति, उसका या उसकी जीवनसाथी, अवयस्क बच्चे, आश्रित अवयस्क भाई और बहन को शामिल करती है। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं को अलग परिवार माना जाएगा।

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
पात्रता के लिए प्रभावित परिवार	सभी प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोग फिर चाहे उनका जमीन पर औपचारिक कानूनी अधिकार हो या औपचारिक कानूनी अधिकार नहीं हो।	***धारा 3 (a)***: जिनकी जमीन और अचल संपत्तियां अधिग्रहीत की गई हैं। ***(b)* और *(e)***: प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे परिवार जैसे मजदूर, किरायेदार, वन और जल निकायों पर आश्रित आदि जिनका आजीविका का प्राथमिक स्रोत अधिग्रहण के कारण प्रभावित हो रहा हो ***(c)*** अनुसूचित जनजातियां और अन्य वन वासी जिनके अधिकारों को वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ***(f)*** परिवार जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत जमीन दी गई हो ***(g)*** शहरी क्षेत्र में किसी भी ऐसी जमीन पर रह रहे परिवार जो अधिग्रहीत की जाएगी या अधिग्रहण से जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत प्रभावित होता है।
कट-ऑफ या विभाजक तिथि	वह तिथि जो ऋण लेने वाले द्वारा तय की गई है और बैंक को स्वीकार्य है। व्यवहार में यह जनगणना की तिथि है।	***धारा 3 c (ii), (iv) (vi)***: "भूमि के अधिग्रहण" के पहले उससे पूर्व के 3 या अधिक सालों से रह रहे परिवार।
अध्याय II का लागू न होना	सभी निवेशों के लिए एकल आधारित एसआईए (SIA)	***धारा 6(2):*** ऐसी सिंचाई योजनाएं जिनमें अन्य कानूनों के अंतर्गत ईआईए (EIA) आवश्यक है, उनमें एसआईए (SIA) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं। अत्यावश्यक प्रावधानों के मामलों में सरकार एसआईए की छूट प्रदान कर सकती है।
विचार-विमर्श - तैयारी के दौरान चरण 1	नियोजन और क्रियान्वयन के दौरान परामर्श या विचार-विमर्श एक सतत प्रक्रिया	***धारा 4(1)*** एसआईए (SIA) को निष्पादित करने के लिए पीआरआई, शहरी स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि के साथ पहले विचार-विमर्श के लिए जारी तिथि। ***धारा 5***: प्रभावित क्षेत्र में एसआईए (SIA) की जन सुनवाई। तिथि और समय का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें।

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
एसआईए और एसआईएमपी तैयार करने की समयावधि	प्रारूप सामाजिक आकलन पुनर्वास कार्य योजना और या सामाजिक प्रबंधन रूपरेखा मूल्यांकन से पहले तैयार की जाए।	***धारा 4 (2)***: इसके आरंभ होने की तिथि से ***छह महीने के भीतर***
प्रकटीकरण या खुलासा – चरण 1	मूल्यांकन से पहले और बोर्ड की तिथि से 120 दिन पहले प्रकट या उद्घाटित किया जाए।	***धारा 6(1)***: स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए जो पीआरआई संस्थाओं में और स्थानीय शहरी शासन निकायों; जिला प्रशासन के कार्यालयों में और संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध हो।
एसआईए (SIA) और एसआईएमपी (SIMP) के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समूह बनाना	बैंक के स्टाफ द्वारा मूल्यांकित	***धारा 7(1):*** बहु-अनुशासनात्मक विशेषज्ञ समूह गठित करें जिसमें विकेंद्रीकृत सरकारी संस्थाओं (पीआरआई PRI, यूएलबी ULB) के सदस्य शामिल हों।
समूह के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नियत समय	निर्णय से पहले मूल्यांकन के लिए बैठक	***धारा 7(4): समूह के गठन की तिथि से दो माह के भीतर*** समूह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे
विशेषज्ञ समूह का कार्यक्षेत्र	सामाजिक आकलन, पुनर्वास कार्य योजना जिसकी बैंक के स्टॉफ द्वारा समीक्षा और मूल्यांकन किया गया हो और क्षेत्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा स्वीकृत की गई हो।	***धारा 7 (4) (a और b)***: यह आकलन किया जाए कि यह कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करती है या नहीं; यदि सामाजिक लागतें संभावित लाभों से अधिक हों तो इसे त्याग देना चाहिए; ***धारा 7 (5) (a और b)***: यदि सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करती है तो इसमें न्यूनतम भूमि अधिग्रहण पर और विस्थापन को कम से कम करने के वैकल्पिक उपायों पर विचार किया गया है; संभावित लाभ सामाजिक लागतों से अधिक हैं।
विचार-विमर्श - चरण II मूल्यांकन के दौरान	व्यवहार में, परियोजना प्रभावित क्षेत्र में जिला और राज्य स्तर पर परामर्श कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।	***धारा 2 (2):*** पीपीपी में और जहां निजी कंपनी ने शेष भूमि अधिग्रहीत करने के लिए सरकार से संपर्क किया है वहां क्रमशः 70% और 80% भूमि स्वामियों की पूर्व सम्मति प्राप्त कर ली गई है।
प्रकटीकरण या खुलासा -	नियोजन तथा क्रियान्वयन के आरंभ से अंत तक सूचना का	***धारा 7 (6):*** विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाएं 7 (4 और 5) के अधीन जिला और प्रखंड प्रशासनिक कार्यालयों और

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
चरण II	प्रचार-प्रसार	पीआरआई (PRI) में स्थानीय भाषा में सार्वजनिक की जाएं
बहु-फसली भूमि पर प्रभावों को न्यूनतम करना	व्यवहार्य डिजाइन का चयन करें जिसका न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हो।	***धारा 10:*** यदि असाधारण परिस्थितियों में सिंचित बहु-फसली भूमि अधिग्रहीत की जाती है, तो भी अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का क्षेत्र जिले या राज्य में सभी परियोजनाओं की भूमि के कुल योग से अधिक नहीं हो सकता। अधिग्रहीत किया जाने वाला क्षेत्र जिले या राज्य के कुल शुद्ध बुआई किए हुए क्षेत्र से अधिक नहीं हो सकता। अधिग्रहीत क्षेत्र से दोगुने के समतुल्य ऊसर भूमि विकसित की जाएगी।
प्रारंभिक नोटिस की सूचना का प्रचार-प्रसार	तैयारी और भागीदारी का सतत भाग	***धारा 11 (1), (2) और (3)***: नोटिस स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित किए गए और ग्राम सभाओं, नगरपालिकाओं की बैठकें बुलाई गईं ताकि परियोजना के उद्देश्य, एसआईए (SIA) के सार-संक्षेप और आरऐंडआर योजना के आरऐंडआर सार-संक्षेप के लिए नियुक्त प्रशासक के विवरणों की पूर्ण जानकारी दी जा सके।
भू अभिलेखों को अद्यतन करना	आरएपी (RAP) का भाग है	***धारा 11 (5)***: एक बार जब स्थापित हो जाए कि भूमि की सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यकता है, तो उसी के अनुसार धारा 19 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए **जिसके उपरांत दो माह के भीतर भू अभिलेख अद्यतन किए जाएं।**
आरऐंडआर योजना की गणना और तैयारी	आरएपी (RAP) का भाग है	***धारा 16 (1) (2)***: प्रभावित लोगों और उनकी प्रभावित होने वाली संपत्तियों, आजीविका की हानि और प्रभावित होने वाली साझा संपत्तियों की गणना करें; आरऐंडआर योजना में क्रियान्वयन की समय सीमा शामिल हो।
सूचना का प्रसार और जन सुनवाई - चरण III	पूरी प्रक्रिया के दौरान विचार-विमर्श अनिवार्य है	***धारा 16(4)और(5)***: पुनर्वास क्षेत्र सहित आरऐंडआर योजना के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार और प्रारूप आरऐंडआर योजना के बारे में प्रत्येक ग्राम सभा, नगरपालिका में जन सुनवाई का और पीईएसए (PESA) की आवश्यक के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्र में परामर्श तथा विचार-विमर्श का आयोजन करना अनिवार्य है
आरऐंडआर योजना		***धारा 17 और 18***: जन सुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों को संबोधित करने के पश्चात आरऐंडआर

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
की स्वीकृति		(R&R) योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया देना और स्वीकृत करना।
आरऐंडआर (R&R) योजना की अंतिम घोषणा	बजट प्रावधानों सहित स्वीकृत आरएपी (RAP) क्रियान्वित करने के लिए	***धारा 19 (2)***: मांग करने वाले निकाय द्वारा धनराशि जमा करवा चुकने के बाद ही सरकार **19(1)** के साथ नोटिस जारी करेगी।
नियत समयावधि	आरएपी (RAP) में शामिल - समय सीमाएं सरकार की प्रक्रियाओं के साथ समन्वित हों अथवा ऐसे नवोन्मेषी तरीके अपनाएं जिससे समय कम लगे, जो भागीदारी और पारदर्शिता के सिद्दांतों के आधार पर संचालित हों।	***धारा 19 (2):*** भू अभिलेखों को अद्यतन करने, सूचना प्रसारित करने, प्रारंभिक सर्वे, गणना, आपत्तियों की सुनवाई, आरऐंडआर योजना की तैयारी और स्वीकृति, धनराशि को जमा करने की समूची प्रक्रिया धारा 11, प्रारंभिक नोटिस जारी किये जाने की तिथि से ***दो महीने के भीतर पूरी*** होनी ही चाहिए। ***धारा 19 (7)***: यदि अंतिम घोषणा धारा 11 (1) के 12 महीनों के भीतर नहीं की जाती है, तो विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत को छोड़कर प्रक्रिया कालातीत हो जाएगी।
भूमि अधिग्रहण योजना की तैयारी	आरएपी (RAP) में शामिल	***धारा 20:*** अधिग्रहण योजनाओं की तैयारी के लिए भूमि चिह्नित की गई, मापी गई
दावों की सुनवाई		***धारा 21(1) (2)***: भूमि का कब्जा लेने के सरकार के इरादे का संकेत देते हुए नोटिस जारी और मुआवजे तथा आरऐंडआर (R&R) के दावे किये जा सकते हैं जिनका समय धारा 21 (1) के जारी होने की तिथि से **एक माह से कम नहीं और छह माह से अधिक नहीं** होना चाहिए।
अवार्ड घोषित करने की नियत समयावधि		***धारा 25:*** भूमि अधिग्रहण योजनाओं को पूरा करने, आपत्तियों की सुनवाई करने, व्यक्तिगत दावों के निपटारे के बाद **धारा 19 (भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अंतिम घोषणा, स्वीकृत आरऐंडआर योजना) के जारी होने के 12 महीनों के भीतर** अवार्ड घोषित करना आवश्यक है। यदि नियत समय के भीतर अवार्ड घोषित नहीं किया जाता है, तो पूरी कार्यवाहियां कालातीत हो जाएंगी।
एलए (LA) अधिनियम 1984 को कालातीत मानना और		***धारा 24***: जहां धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड घोषित नहीं किया गया है, या जहां पांच साल पहले घोषित किया गया था किंतु भूमि कब्जे में नहीं ली गई थी, या जहां अवार्ड घोषित कर दिया गया किंतु बहुतायत लाभान्वितों

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
आरएफसीटीएलएआरऐंडआर (RFCTLAR&R) का लागू होना		के खाते में धन जमा नहीं करवाया गया।
भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने की पद्धति	पूर्ण प्रतिस्थापना लागत	***धारा 26* और प्रथम अनुसूची *:*** 3 पद्धतियों को मान्यता देती है और जो भी ज्यादा हो उस पर विचार किया जाएगा और उसमें पहली अनुसूची में दिए गए एक कारक से गुणा किया जाएगा; पूर्व में दिए गए मुआवजे को नहीं माना जाएगा; यदि दरें उपलब्ध नहीं हैं तो आधार मूल्य या न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा सकता है; बाजार मूल्य को अद्यतन बनाने के लिए कदम उठाए जाने हैं।
संरचनाओं का मूल्य निर्धारण	पूर्ण प्रतिस्थापना लागत	***धारा 29 (1)*** मूल्य ह्रास की कटौती किए बगैर।
सांत्वना राशि और ब्याज		***धारा 30(1)*** मुआवजा धनराशि का 100% ***धारा 30(3)***: एसआईए (SIA) की अधिसूचना की तिथि से वार्ड या भूमि अधिग्रहीत करने की तिथि तक बाजार दर पर 12% प्रति वर्ष
आरऐंडआर (R&R) अवार्ड	प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए और उन्हें उनकी आजीविकाओं और रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने की या कम से कम उन्हें, वास्तविक अर्थ में, उनके विस्थापन-पूर्व स्तरों तक या परियोजना का क्रियान्वयन आरंभ होने से पहले प्रचलित स्तरों तक, जो भी अधिक हो, लाने की कुल लागत आरएपी (RAP) में शामिल है।	***धारा 31, द्वितीय अनुसूची***: परिवार को एक इकाई के रूप में मुआवजे की धनराशि से ऊपर अतिरिक्त आरऐंडआर (R&R) अनुदान मिलेगा और उन्हें भी मिलेगा जो मुआवजे के अधिकारी नहीं हैं। ***द्वितीय अनुसूची :*** निर्मित मकान के अधिकारी बेघर लोग, सिंचाई परियोजनाओं में मुआवजे के एवज में जमीन के बदले जमीन, शहरीकरण के उद्देश्य से अधिग्रहण के मामले में 20% विकसित भूमि स्वामियों के लिए आरक्षित, जिसकी कीमतें क्षतिपूरक नौकरी या 20 साल की निर्वाह सहायता के लिए एक बार भुगतान या वार्षिक वृत्ति के समतुल्य होगी, परिवहन, भूमि और मकान पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर पंजीकृत इत्यादि। **अनुलग्नक बी (B) देखें**
पारदर्शिता		***धारा 37(1):*** हानि, स्वीकृत मुआवजे आदि सहित प्रत्येक

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
		वैयक्तिक परिवार की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
भूमि का कब्जा	भूमि और संबंधित संपत्तियों का कब्जा विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करने तथा, जहां लागू हो, वहां पुनर्वास स्थलों और स्थानांतरण भत्तों को प्रदान कर दिए जाने के बाद लिया जा सकता है।	***धारा 38(1)***: भूमि का कब्जा मुआवजे की अदायगी के तीन महीने के भीतर और आरऐंडआर लाभों की अदायगी के 6 महीनों के भीतर सरकार द्वारा ले लिया जाएगा; पुनर्स्थापन स्थलों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास धारा 30 के अंतर्गत मुआवजे के लिए अवार्ड देने की तिथि से 18 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा; सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में आरऐंडआर डूब के पहले छह महीनो में पूरा कर लिया जाएगा।
बहुविध विस्थापन		***धारा 39:*** निर्धारित मुआवजे के समतुल्य अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान विस्थापित को किया जाएगा।
आपात उद्देश्य के लिए अधिग्रहण	बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में अनुमत्य नहीं	***धारा 40 (5)***: मुआवजा धनराशि के ऊपर 75% अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
अधिग्रहण और हस्तांतरण के पहले पूर्व सम्मति	स्थानीय मूल लोगों के साथ स्वतंत्र, पूर्व और जानकार विचार-विमर्श करना अनिवार्य	***धारा 41(3)*** अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा, पंचायत, स्वायत्तशासी परिषदों की सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
एससी और एसटी के लिए विकास योजनाएं	आरएपी (RAP) के साथ स्थानीय मूल लोगों के विकास की योजना आवश्यक है। सभी क्षेत्रों में जमीन के बदले जमीन एक विकल्प है।	***धारा 41:*** पृथक विकास योजनाएं तैयार की जानी हैं; अधिग्रहण से पहले भूमि अधिकारों का निपटारा करें; वन भूमि पर वैकल्पिक ईंधन चारा, इमारती लकड़ी से इतर वनोपजों की व्यवस्था 5 वर्ष के भीतर विकिसत की जाए; एक-तिहाई मुआवजा धनराशि प्रथम किस्त के रूप में और शेष कब्जा लेने के समय अदा की जाए; एसटी (ST) को अनुसूचित क्षेत्र के भीतर ही पुनर्स्थापित किया जाए; सामुदायिक उद्देश्यों के लिए जमीन निशुल्क; भूमि हस्तांतरण शून्य माना जाएगा और एसटी और एससी को आरऐंडआर लाभों के लिए विचार किया जाएगा; सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं में मछली पकड़ने के अधिकार बहाल; यदि जिले से बाहर बसना चाहता हो तो मौद्रिक अर्थ में अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जायेंगे; अन्य कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सभी अधिकारी जारी रहेंगे। ***द्वितीय अनुसूची***: एससी और एसटी के लिए सिंचाई परियोजनाओं में भूमि के लिए अतिरिक्त प्रावधान, निर्वाह या गुजारा सहायता के ऊपर और अतिरिक्त धनराशि।
सांस्थानिक व्यवस्था	सांस्थानिक व्यवस्थाओं पर सहमति अवश्य होनी चाहिए और उन्हें आरएपी (RAP) तथा आईपीडीपी (IPDP) में शामिल किया ही जाना चाहिए।	***धारा 43-45:*** जब 100 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहीत की जानी हो तब प्रशासक, आरऐंडआर आयुक्त की नियुक्ति, परियोजना स्तर पर आरऐंडआर समिति बनाई जाएगी, ग्राम सभा और नगरपालिका द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षण या ऑडिट किया जाना है।
भू उपयोग में बदलाव		***धारा 46(4):*** जब तक आरऐंडआर का पूरी तरह अनुपालन नहीं किया जाता तब तक अधिग्रहण या मांग करने वाले अधिकारी को भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।
निगरानी और मूल्यांकन	संकेतकों और निगरानी प्रणाली को आरएपी (RAP) और आईपीडीपी (IPDP) में शामिल किये गये हैं।	***धारा 48-50:*** प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की निगरानी समिति का गठन करें
दावों के निपटारे के		***धारा 51-74:*** उपयुक्त सरकार अधिसूचना के माध्यम से पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्राधिकार के रूप में एक या

विषय/मुद्दे/क्षेत्र	विश्व बैंक ओपी 4.12	आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLAR&R)
लिए प्राधिकार		अधिक प्राधिकरणों की स्थापना करेगी। प्राधिकरण की स्थापना अधिग्रहण और आरऐंडआर से उत्पन्न किसी भी विधिक विवाद के निपटारे के लिए किया जाएगा, उसके उपरांत असंतुष्ट पक्ष उच्च न्यायालय में जा सकता है।
कर और शुल्क से छूट		***धारा 96:*** मुआवजा और समझौता राशियां कर तथा स्टांप शुक्ल के देनदार नहीं होंगे।
अधिग्रहीत भूमि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं		***धारा 99***: एक बार जब भूमि एक उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत कर ली जाती है, तो उसके उपरांत उसके उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
उपयोग में नहीं ली गई भूमि की वापसी		***धारा 101:*** यदि अधिग्रहीत की गई भूमि का 5 वर्षों तक उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे उसके मूल स्वामी, वारिस को लौटा दिया जाएगा या भूमि बैंक में शामिल कर लिया जाता है।
हस्तांतरित की गई भूमि के वर्धित मूल्य का वितरण		***धारा 102***: यदि कोई विकास कार्य नहीं हुआ हो तो अधिग्रहीत भूमि के अधिमूल्यित मूल्य का 40% मालिकों को वितरित कर दिया जाएगा।

स्रोत : द्वितीयक स्रोतों से संकलित

सारणी 3.4 : पात्रता मैट्रिक्स

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
क. निजी कृषि भूमि, वास भूमि और व्यावसायिक भूमि की हानि				
1	भूमि	स्वामित्वधारी परिवार और पारंपरिक भूमि अधिकार धारी परिवार	बाजार मूल्य पर मुआवजा, अनुसूची 1 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन	क) यदि उपलब्ध हो तो भूमि के बदले में भूमि। या भूमि के लिए नकद मुआवजा उस प्रतिस्थापन मूल्य पर जिसका निर्धारण आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 26 के अधीन प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। ख) यदि जमीन आवंटित की जाती है तो वह पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगी। ग) यदि अधिग्रहण के बाद बची हुई जमीन अव्यवहार्य हो तो जमीन के मालिक के पास यह विकल्प होगा कि

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				वह बची हुई जमीन को रखे या बेच दे। घ) प्रतिस्थापन भूमि के लिए होने वाले स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्कों की धन-वापसी का भुगतान परियोजना द्वारा किया जाएगा; प्रतिस्थापन भूमि की खरीद परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा मुआवजे के भुगतान के एक वर्ष के भीतर करना ही होगा। ङ) यदि कोई फसलों की हानि हो तो बाजार मूल्य से मुआवजा या तीन महीनों का नोटिस। च) वास भूमि की हानि के लिए पुनर्स्थापना के मामले में पुनर्स्थापन सहायता धारा ई 6 के अनुसार।
ख. निजी संरचनाओं (आवासीय/व्यावसायिक) की हानि				
2	संरचना	स्वामित्वधारी/ मालिक	बाजार मूल्य से मुआवजा, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन सहायता अनुसूची 1 और 2 के अनुसार।	क) संरचनाओं के लिए प्रतिस्थापन मूल्य पर नकद मुआवजा जिसका निर्धारण आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 29 के अनुसार होगा। ख) ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान या शहरी क्षेत्र में आरएवाय (रे) के अंतर्गत मकान के बदले में 50,000 रुपये या पुनर्वास कॉलोनी में निर्मित मकान या मकान के बदले में 1,00,000 रुपये। यदि मकान आवंटित किया जाता है तो वह पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगा। ग) ध्वस्त संरचनाओं की निस्तारण सामग्री का अधिकार। घ) संरचनाओं को खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस। ङ) नए वैकल्पिक मकानों/दुकानों की खरीद के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्कों की धन-वापसी उपरोक्त (a) में निर्धारित अनुसार बाजार मूल्य की प्रचलित दरों पर। वैकल्पिक मकान/दुकान मुआवजे के भुगतान की तिथि से एक वर्ष के भीतर अवश्य खरीद लिए जाने चाहिए। च) यदि प्रभावित संरचनाएं आंशिक रूप से प्रभावित होती हैं और बाकी संरचना व्यवहार्य बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में संरचना को बहाल करने के लिए 10% अतिरिक्त धनराशि। यदि प्रभावित संरचना आंशिक रूप से प्रभावित होती है और बाकी बची संरचना अव्यवहार्य हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पृथक्करण भत्ते के रूप में मुआवजे की 25% अतिरिक्त धनराशि।

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				छ) प्रत्येक प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हुआ है और जिसके पास पशु हैं, पशु बाड़े के निर्माण के लिए 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। ज) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है और जो विस्थापित हुआ है (इस परियोजना में किसी भी आवासीय-सह-व्यावसायिक संरचना का मालिक), वर्किंग शेड या दुकान के निर्माण के लिए एक बार 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। झ) आवासीय संरचना की हानि के कारण पुनर्स्थापना के मामले में धारा ई 6 में निर्दिष्टानुसार पुनर्स्थापन सहायता।
3	संरचना	किरायेदार/लीज या पट्टे का धारक	पुनर्स्थापन और पुर्नवास सहायता	क) पंजीकृत लीज या पट्टा धारक प्रयोज्य स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना मालिक को देय मुआवजे में बंटवारे का अधिकारी होगा। ख) किरायेदारों के मामले में स्थानांतरण भत्ते के रूप में 50,000 रुपये के साथ तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा।
ग. वृक्षों और फसलों की हानि				
4	खड़े हुए पेड़ और फसलें.	मालिक और लाभान्वित (पंजीकृत/अपंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतिहर, लीजधारक और बंटाईदार)	बाजार मूल्य पर मुआवजा	क) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को फल की पैदावार, खड़ी फसलों और पेड़ों को हटाने के लिए एक महीने का अग्रिम नोटिस। ख) मुआवजे का भुगतान उस दर पर होगा जिसका आकलन निम्न के द्वारा किया जाएगा : i) इमारती लकड़ी के पेड़ों के लिए वन विभाग ii) फसलों के लिए राज्य कृषि विस्तार विभाग iii) फल/फूल देने वाले पेड़ों के लिए बागवानी विभाग ग) पंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतिहर और लीजधारक तथा बंटाईदार मालिक और लाभान्वित के बीच समझौता दस्तावेज के अनुसार पेड़ों और फसलों के लिए मुआवजे के पात्र होंगे। घ) अपंजीकृत किरायेदार, ठेका खेतिहर और लीजधारक और बंटाईदार मालिक और लाभान्वित के बीच आपसी समझ के अनुसार पेड़ों और फसलों के लिए मुआवजे के पात्र होंगे।

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
घ. गैर-स्वामित्वधारियों की आवासीय / व्यावसायिक संरचनाओं की हानि				
5	सरकारी जमीन पर संरचनाएं	परियोजना जनगणना के सर्वे के अनुसार चिह्नित संरचनाओं के मालिक या संरचनाओं के कब्जाधारी	अनुसूची 2 के अनुसार पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	क) कब्जाधारियों / अतिक्रमणकारियों को कब्जा की गई जमीन खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा। ख) अतिक्रमणकारियों/कब्जाधारियों को संरचनाओं की हानि के लिए प्रतिस्थापन मूल्य पर नकद सहायता दी जाएगी, जिसके लिए संरचना का मूल्य निर्धारण मूलभूत निर्धारण दर या बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट्स (बीएसआर) के अनुसार किया जाएगा। ग) किओस्क या खोखे के अलावा सभी कब्जाधारियों को एक मुश्त अनुदान के रूप में प्रति परिवार स्थायी संरचना के लिए 30,000 रुपये, अर्ध-स्थायी संरचना के लिए 25,000 रुपये और अस्थायी संरचना के लिए 10,000 रुपये का स्थानांतरण भत्ता दिया जाएगा। घ) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है, वर्किंग शेड या दुकान के निर्माण के लिए 25,000 रुपये की सहायता। ङ) किओस्क या खोखों के मामले में एक बार अनुदान के रूप में केवल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। च) प्रति परिवार आय उत्सर्जन के लिए 10,000 रुपये की प्रशिक्षण सहायता, उन गैर-स्वामित्वधारियों के लिए लागू होगा जो आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अंतर्गत नहीं आते।
ङ. आजीविका की हानि और स्थानांतरण सहायता				
6	प्रभावित क्षेत्र के भीतर रह रहे परिवार	स्वामित्वधारी/ बंटाईदार, खेतिहर मजदूर और कर्मचारी	अनुसूची 2 के अनुसार पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	क) एक बार अनुदान के रूप में 36,000 रुपये का निर्वाह या गुजारा भत्ता। ख) रोजगार के एवज में 5,00,000 रुपये का एक बार अनुदान अथवा वार्षिक वृत्ति। ग) विस्थापित हो रहे प्रत्येक प्रभावित परिवार को स्थानांतरण भत्ते के रूप में एक बार 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। घ) पुनर्वास सहायता के रूप में 50,000 रुपये की एक बार सहायता।
च. संवेदनशील कमजोर परिवारों को अतिरिक्त सहायता				
7	परिवार	एससी, एसटी, बीपीएल,	पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	50,000 रुपये की एक बार अतिरिक्त वित्तीय सहायता। खंड 5 के अंतर्गत पहले ही समाहित अवैध कब्जाधारी

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
		डब्ल्यूएचएच परिवार		और अतिक्रमणकारी इस सहायता के पात्र नहीं होंगे।
छ. सामुदायिक अवसंरचना/ साझा संपत्ति संसाधनों की हानि				
8	संरचनाएं तथा अन्य संसाधन (जैसे जमीन, जल, संरचनाओं तक पहुंच आदि)	प्रभावित समुदाय और समूह	सामुदायिक संरचना और साझा संपत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापन स्थल का विकास अनुसूची 3 के अनुसार	सामुदायिक संरचना और साझा संपत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण समुदाय के साथ विचार-विमर्श के साथ।
ज. निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव				
9	निर्माण के दौरान अस्थायी रूप से प्रभावित भूमि, संपत्तियां	भूमि और संपत्तियों के मालिक	निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव, जैसे सामान्य यातायात का रास्ता बदलना, भारी मशीनों की और संयंत्र स्थल पर आवाजाही के कारण नजदीक के भूखंडों / संपत्तियो को नुकसान के लिए मुआवजा	संपत्तियों, फसलों की हानि तथा किसी भी अन्य नुकसान के लिए ठेकेदार के द्वारा 'ठेकेदार' और 'प्रभावित पक्ष' के बीच पूर्व समझौते के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
छ.	**पुनर्वास स्थल**			
10	आवासीय संरचना की हानि	विस्थापित स्वामित्वधारी और गैर-स्वामित्वधारी	पुनर्वास स्थल / विक्रेता बाजार के प्रावधान	यदि कम से कम 25 परियोजना विस्थापित परिवार सहायता-प्राप्त पुनर्वास का विकल्प चुनते हैं, तो पुनर्वास स्थलों का विकास परियोजना के अंग के रूप में किया जाएगा। पुनर्वास स्थल पर भूखंडों/फ्लैटों के आवंटन में संवेदनशील पीएपी को प्रमुखता दी जाएगी। भूखंड का आकार आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 में दिए गए प्रावधानों के अधिकतम के अधीन गंवाए गए भूखंड के आकार के समतुल्य होगा। पुनर्वास स्थल पर बुनियादी सुविधाएं परियोजना द्वारा आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार, यदि कम से कम 25 विस्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठान (छोटे व्यावसायिक उद्यम) शॉपिंग इकाइयों का विकल्प चुनते हैं,

क्र. सं.	प्रयोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				तो परियोजना प्राधिकरण विस्थापित व्यक्तियों के परामर्श से निकट के इलाके में उपयुक्त स्थान पर एक विक्रेता बाजार का विकास करेगा। इस विक्रेता बाजार में बुनियादी सुविधाएं जैसे पहुंच मार्ग, बिजली का कनेक्शन, पानी और स्वच्छता की सुविधा परियोजना द्वारा प्रदान की जाएंगी। विक्रेता बाजार में दुकानों के आवंटन में संवेदनशील पीएपी को प्रमुखता दी जाएगी। एक विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थल पर केवल एक भूखंड का या विक्रेता बाजार में केवल एक दुकान का अधिकारी होगा।

***कोई भी सहायता दोहराई नहीं जाएगी**

****पात्रता मैट्रिक्स केवल साहेबगंज में चिह्नित उप परियोजना पर लागू होगा**

*****अन्य राज्य कर और उपकर अतिरिक्त रूप से लागू होंगे**

****** अपूर्वानुमानित हानियों जैसे नौकाओं के संचालन के दौरान मछली पकड़ने के जालों को नुकसान के लिए व्यथित मछुआरों को अलग-अलग घटना के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। पीआईयू हानि (तथा किन्हीं भी अन्य प्रभावों) के स्वरूप और सीमा का निर्धारण करेगी और जिम्मेदार परिचालक उसी के अनुरूप क्षतिपूर्ति करेगा।**

3.2. परिभाषाएं और विस्थापित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड

इन नीति में उपयोग की गई विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषाएं हैं :

- **अधिग्रहीत भूमि या जमीन** का अर्थ है वह भूमि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 (एलएए, 1894) अथवा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) अथवा किसी अन्य प्रचलित जीओ के लिए अधिग्रहीत की गई है।
- **कृषि भूमि** का अर्थ वह भूमि है जिसका उपयोग (i) कृषि या बागवानी; (ii) डेयरी उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन, पशुधन प्रजनन या चिकित्सीय वनस्पति उगाने वाले पौधघरों; (iii) फसलों, पेड़ों, घास या उद्यान उपजों को उगाने; और (iv) पशुओं को चराने के लिए भूमि उपयोगों जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
- **प्रभावित क्षेत्र** का अर्थ ऐसा क्षेत्र है जिसे एलएए 1894 के अंतर्गत अथवा यदि भूमि का अधिग्रहण जनवरी 2014 के पश्चात किया जा रहा हो तो आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
- **प्रभावित परिवार** का अर्थ है

(i) वह परिवार जिसकी जमीन या अन्य अचल संपत्ति अधिग्रहीत की गई है;

(ii) वह परिवार जो किसी भूमि का स्वामी नहीं है किंतु ऐसे परिवार का सदस्य या के सदस्य खेतिहर मजदूर हों, किसी भी रूप में किरायेदार या भोगाधिकार धारक किरायेदार हों, बंटाईदार या दस्तकार हों, या जो भूमि के अधिग्रहण के तीन साल पहले से प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित हुआ हो;

(iii), अनुसूचित जनजातियां और अन्य पांरपरिक वन वासी जिन्होंने भूमि के अधिग्रहण के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन वासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्य वन अधिकार गंवा दिए हों;

(iv) वे परिवार जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अधिग्रहण से तीन वर्ष पहले से वनों या जल निकायों पर निर्भर रहा है और जिनमें वनोपजों के संग्रहकर्ता, शिकारी, मछलीपालक और नाविक शामिल हैं औह जिनकी आजीविका भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुई हो।

- **क्षतिपूर्ति या मुआवजा** का अर्थ है वह धनराशि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 अथवा यदि भूमि 1 जनवरी 2014 के पश्चात अधिग्रहीत की जा रही हो तो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना के लिए अधिग्रहीत निजी संपत्तियों, संरचनाओं तथा अन्य संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की गई हो।
- **कटऑफ या विभाजक तिथि** उस अधिसूचना की तिथि या तारीख है जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4(1) के अंतर्गत अथवा यदि भूमि 1 जनवरी 2014 के पश्चात अधिग्रहीत की जा रही हो तो आरएफसीटीएलएआरआर 2013 की धारा 3 के अंतर्गत जारी की गई है और गैर-स्वामित्वधारियों के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वे की तिथि है।
- **विस्थापित परिवार** का अर्थ है कोई भी प्रभावित परिवार, (i) जिसे भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से स्थानांतरित होना पड़ा है; (ii) वह परिवार जिसके आवास का प्राथमिक स्थान या अन्य संपत्ति या आजीविका का स्रोत परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है; (iii) अन्य संपत्ति का कोई भी भू-धृति धारक (टेन्योर होल्डर), किरायेदार, लीजधारक या मालिक, जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के कारण ऐसी भूमि या अन्य संपत्ति से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ है; (iv) कोई भी खेतिहर या गैर-खेतिहर मजदूर, भूमिहीन व्यक्ति (जिसके पास वास भूमि या कृषि भूमि नहीं है), ग्रामीण दस्तकार या शिल्पकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति, जो अधिग्रहीत भूमि पर रह रहा है या किसी व्यापार, व्यवसाय, काम-धंधे या पेशे में लगा है, और जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के कारण अपनी आजीविका कमाने से वंचित हो गया है या अपने व्यापार, व्यवसाय, काम-धंधे या पेशे के मुख्य स्रोत से पूरी तरह या भलीभांति विलग हो गया है।
- **कर्मचारी** का अर्थ है वह व्यक्ति जो अधिग्रहीत भूमि में विस्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा कार्य में रखा गया है**,** और यह अर्थ मौखिक या लिखित, व्यक्त या निहित रोजगार के अनुबंध के अधीन क्षतिपूर्ति या मुआवजे के उद्देश्य से है।
- **अतिक्रमणकारी** वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने भवन या इमारत, व्यावसायिक परिसर या कार्य स्थल या कृषि गतिविधियों का विस्तार सरकारी जमीनों पर कर लिया है। इनमें वे अनधिकृत प्रवेश करने वाले शामिल नहीं हैं जो सुरक्षित भूमि के अवैध उपयोग के लिए अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।
- **भूमि अधिग्रहण** का अर्थ है एलएए 1894 या जहां भूमि 1 जनवरी 2014 के पश्चात अधिग्रहीत की गई हो वहां आरएफसीटीएलएआरआर 2013 के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि।
- **न्यूनतम वेतन या पारिश्रमिक** का अर्थ है एक व्यक्ति का न्यूनतम वेतन या पारिश्रमिक प्रति दिन जो उसकी सेवाओं**/**श्रम के बदले में उसे जहां परियोजना स्थित है उस राज्य की सरकार के श्रम विभाग अथवा भारत सरकार, जो भी लागू हो, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अदा किया जाता है।
- **गैर-बारहमासी फसल :** का अर्थ ऐसी कोई भी पौध प्रजाति है जो या तो प्राकृतिक रूप से या खेती के माध्यम से उगती-बढ़ती है और जो कटाई के एक मौसम विशेष में जीवित रहती है और उसकी उपज की कटाई के बाद नष्ट हो जाती है।

- **अधिसूचना** का अर्थ है भारत सरकार या राज्य सरकार, जो भी स्थिति हो, के गजट या अधिपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
- **बारहमासी फसल :** का अर्थ है कोई भी पौध प्रजाति जो वर्षों जीवित रहती है और अपनी उपज परिपक्वता की एक निश्चित आयु के पश्चात देती है।
- **पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) पात्रताओं या अधिकारों** का अर्थ है इस दस्तावेज में प्रस्तुत तथा आईडब्ल्यूएआई द्वारा अंगीकृत आरऐंडआर के संबंध में आईडब्ल्यूएआई की नीति में दी गई आरऐंडआर रूपरेखा के अनुसार स्वीकृत लाभ।
- **भूमि के पृथक्करण (सीवरेंस ऑफ लैंड)** का अर्थ है एक भूमि के स्वामित्व को मुख्यतः नई परियोजना के घटनाक्रम के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण दो या अधिक हिस्सों में बांटना।
- **अवैध कब्जाधारी** का अर्थ है वे व्यक्ति जिन्होंने आवासीय या अन्य उद्देश्यों के लिए सरकार जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।
- **राज्य सरकार/सरकार** का अर्थ है पश्चिम बंगाल की सरकार।
- **किरायेदार** वे व्यक्ति हैं जिन्होंने भूमि के अधिग्रहण के तीन वर्ष पहले से आवास, व्यवसाय या अन्य उद्देश्य से एक संरचना या भूमि का प्रयोग करने के लिए संपत्ति के सुस्पष्ट स्वामित्वधारी संपत्ति मालिक के साथ प्रामाणिक किरायेदारी समझौता किया है।

4. परियोजना के लिए अपनायी गयी भूमि अधिग्रहण प्रकिया

इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण तथा अस्वैच्छिक पुनर्स्थापन की आवश्यकता प्राथमिक रूप से टर्मिनल सुविधाओं और ऐसी सुविधाओं के साथ इंटरमोडल संयोजकता के निर्माण जैसे प्रस्तावित मध्यावर्तनों के लिए है।

4.1. भूमि अधिग्रहण तथा अन्य अचल संपत्तियों के लिए रूपरेखा

परियोजना केंद्रित आरऐंडआर नीति भूमि तथा अन्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए दो विकल्पों का प्रावधान करती है। विकल्प 1 सीधी खरीद का है और विकल्प 2 आरएफटीसीएलएआरआर 2013 के माध्यम से है। विवरण निम्नानुसार हैं :

***विकल्प 1*:** जमीन की सीधी खरीद

*** यह केवल उत्तर प्रदेश में चरण 1(बी) और चरण 2 के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए है।**

इस विकल्प के अंतर्गत निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाएगा :

- परियोजना को एसआईए के दौरान स्थानीय राजस्व अधिकारियों की परामर्श से खरीदे जाने वाले भूखंडों और मालिकों की पहचान करनी है।
- खरीद के आशय और खरीद के उद्देश्य से ऐसे भू स्वामियों की सूची जिला मजिस्ट्रैट को भेजी जाएगी। विद्यमान शासकीय आदेश (जीओ) संख्या 271/83 तिथि 2 सितंबर 2013 के अनुसार सीधी खरीद के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। (उत्तर प्रदेश में लागू होने योग्य)।
- जमीन का आधार मूल्य आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- दर का अंतिम निर्णय भूमि खरीद समिति द्वारा लिया जाएगा।

***विकल्प 2*: भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार और पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास अधिनियम 2013** के माध्यम से निजी भूमि का अधिग्रहण

विकल्प 2 के अनुसार सभी निजी अचल संपत्तियां नए आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अनुसार अधिग्रहीत की जाएंगी। प्रभावित क्षेत्र के भीतर विगत 3 वर्षों से रह रहे सभी पात्र पीएपी मुआवजे के ऊपर और अतिरिक्त आरऐंडआर सहायता के अधिकारी होंगे। ऐसे पीएपी जो अधिनियम के अनुसार मुआवजे के अधिकारी नहीं हैं (अतिक्रमणकारी और अवैध कब्जेधारी), उन्हें परियोजना केंद्रित आरऐंडआर नीति में दी गई उनकी पात्रता के अनुसार आरऐंडआर लाभ प्राप्त होंगे। मुआवजे और सहायता का अधिकार केवल उन्हीं पीएपी को दिया जाएगा जिनकी पहचान कट ऑफ या विभाजक तिथि तक या पहले कर ली गई होगी।

छूट का प्रयोग

भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार और पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 में 3 अप्रैल 2015 को एक संशोधन अध्यादेश लागू किया गया। अध्यादेश पांच श्रेणियों की परियोजनाओं को कुछ निश्चित आवश्यकताओं से छूट प्रदान करता है : (i) रक्षा; (ii) ग्रामीण आधारभूत ढांचा; (iii) सस्ते आवास; (iv) औद्योगिक गलियारे; (v) निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) सहित आधारभूत ढांचा परियोजनाएं जिनमें केंद्र सरकार जमीन की मालिक है। इन 5 श्रेणियों की परियोजनाओं को निजी परियोजनाओं के लिए 80% भू स्वामियों की सम्मति प्राप्त करने और पीपीपी परियोजनाओं के लिए 70% भू स्वामियों की सम्मति प्राप्त करने की आवश्यकता से और साथ ही अधिसूचना के जरिए सामाजिक प्रभाव

आकलन करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। इस संदर्भ में यह परियोजना श्रेणी (v) के अंतर्गत आना संभावित है। इसी के अनुसार, साहेबगंज की इस परियोजना के लिए आरएफटीसीएलएआरआर 2013 की धारा अध्याय 2 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता से आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2014 के संबंध में झारखंड राज्य नियमों के नियम 5 के अनुसार छूट दी गई थी (आदेश की एक प्रतिलिपि अनुलग्नक 1 में है)। तथापि श्रेष्ठतम प्रथाओं का अनुपालन करते हुए विश्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार एक एसआईए किया गया और प्रयोज्य राष्ट्रीय विधानों तथा नियमों का विचार करते हुए क्षेत्र के लिए एक पुनर्स्थापन कार्य योजना तैयार की गई जिसे जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया गया।

4.2. एलए (LA) और आरऐंडआर (R&R) के लिए प्रक्रिया प्रवाह

4.2.1. *आईडब्ल्यूएआई द्वारा भूमि की आवश्यकता*

किसी भी निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव आरएफटीसीएलएआरआर () अधिनियम 2013 के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाये और लागू किये गये नियमों द्वारा निर्धारित प्रारूपों में प्रस्तुत किया जाएगा। इन प्रारूपों में खतिया सूचियां, खसरा मानचित्र और उनके साथ अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का विस्तृत क्षेत्र शामिल होगा।

4.2.2. *आरऐंडआर (R&R) के लिए 'प्रशासक' की नियुक्ति :*

आरएफटीसीएलएआरआर (RFCTLARR) की धारा 2 के अनुसार, उपयुक्त सरकार (संबंधित राज्य सरकार) अन्य 'आवश्यकता वाले निकायों' की ओर से भूमि का अधिग्रहण करेगी। आरएफटीसीएलएआरआर की धारा 43 के अनुसार प्रशासक के रूप में नियुक्त एक अधिकारी पुनर्स्थापन और पुनर्वास के उद्देश्यों के लिए उत्तरदायी होगा। एक अधिकारी जो कलेक्टर, अपर समाहर्ता या डिप्टी कलेक्टर या किसी भी समतुल्य पद से नीचे का नहीं होगा 'प्रशासक' नियुक्त किया जाता है।

4.2.3. *अधिसूचना, घोषणा और अवार्ड की तैयारी :*

मांग का आवेदन प्राप्त होने के उपरांत संबंधित राज्य सरकार आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अध्याय 2 के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन करवायेगी, बशर्ते आरएफटीसीएलएआरआर 2013 के लिए राज्य के नियमों में स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसा करने से छूट न दी गई हो। यह आकलन पूरा होने के उपरांत संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त किया गया 'प्रशासक' अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन के लिए आरंभिक अधिसूचनाएं (धारा 11(1) के अनुसार) और घोषणाएं (धारा 19(1) के अनुसार) जारी करेगा। आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धाराओं 26, 27, 282, 29, 30 के अधीन संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा मांगपत्र तैयार किया जाता है। आरऐंडआर अवार्ड सूची और योजना जिला प्रशासन द्वारा करवायी गयी जनगणना और सर्वे के आधार पर तथा प्रभावित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का काम पूरा करने के बाद तैयार की जाती है। आरऐंडआर योजना और अवार्ड राज्य के लिए नियुक्त आरऐंडआर आयुक्त को अग्रेषित की जाती है। यदि राज्य सरकार योजना से संतुष्ट है, तो जिला प्रशासन धारा 19(1) के अनुसार घोषणा जारी कर सकता है। घोषणा किए जाने से पहले भूमि की आवश्यकता वाला निकाय धनराशि जमा (पूर्ण या आंशिक) करवाता है ताकि संबंधित राज्य सरकार घोषणा कर सके।

4.2.4. *परियोजना प्रभावित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की पद्धति*

भूमि अधिग्रहण के लिए मूल्यांकन की पद्धति और क्षतिपूर्ति का आधार आरएफसीटीएलआरआर अधिनियम 2013 की धाराओं 26, 27, 29, 30 और पहली अनुसूची के अनुसार होगा।

भूमि और संरचनाओं और वृक्षों की क्षतिपूर्ति के लिए मूल्यांकन की पद्धति

- **भूमि का मूल्यांकन**
  - o भूमि का मूल्यांकन आरएफटीसीएलएआरआर 2013 (धारा 26, 27, 28, 29, 30) के संबंध में राज्य नियमों के अनुसार किया जाता है। भूमि का क्षतिपूर्ति मूल्य सर्कल दर से दो गुना होता है और उसके ऊपर 100 प्रतिशत सांत्वना धनराशि दी जाती है। जिला प्रशासन द्वारा विचारित दरें अद्यतन सर्कल दरों के अनुसार होंगी।
- **संरचना का मूल्यांकन**
  - o संरचनाओं का मूल्यांकन दरों की आधारभूत अनुसूची या बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट्स (पीडब्ल्यूडी) (अंतिम अद्यतनीकृत) के अनुसार किया जाता है और संरचनाओं का मूल्यांकन मूल्य ह्रास के बगैर, 100 प्रतिशत सांत्वना राशि लेते हुए किया जाता है।
- **वृक्षों का मूल्यांकन**
  - o आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 29 में प्रयोज्य नियमों के अधीन एक मूल्यांकन समिति, जिसमें इमारती लकड़ी के वृक्षों के लिए वन विभाग का और फल/फूल देने वाले वृक्षों के लिए बागवानी विभाग (जिला प्रशासन) का प्रतिनिधित्व होता है, वृक्षों के मूल्यांकन और गणना के लिए उत्तरदायी है।

4.2.5 संवितरण प्रक्रिया

एक बार जब आरऐंडआर योजना उपयुक्त सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाती है, तब जिला प्रशासन भूमि, वृक्ष और संरचनाएं गंवाने वाले स्वामित्वधारियों को प्रभावित क्षेत्र में शिविर लगाने के माध्यम से नोटिस जारी करता है। आर्थिक सहायता और मुआवजे का वितरण शिविरों में या जिला प्रशासन के कार्यालय में हो सकता है, जहां पीएएफ के दस्तावेजों की जांच की जाती है और आर्थिक सहायताएं तथा मुआवजे की धनराशि चेक के रूप में जमा की जाती है या व्यक्ति के खाते में जमा की जाती है। एक बार जब सभी मौद्रिक वितरण पूर्णतः संपन्न हो जाते हैं तब कलेक्टर को जमीन का कब्जा लेना होगा और आरएफटीसीएलएआरआर की धारा 37 के अनुसार जनसंख्या का विस्थापन होने से पहले पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी होना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर उत्तरदायी होगा।

4.2.6 पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण

आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची में प्रदत्त आधारभूत सुविधाओं के साथ पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण और विकास सुनिश्चित करने के लिए भी कलेक्टर उत्तरदायी होगा। पुनर्वास स्थलों की पहचान करने में प्रभावित परिवारों के साथ आवश्यक सलाह-मशविरा करने के लिए जिला प्रशासन उत्तरदायी है। स्थल पर विकसित पुनर्वास कॉलोनी में ऐसे आवास होंगे जो आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किये गए होंगे। आवास की दी जाने वाली डिजाइन में एक शयन कक्ष, एक लिविंग रूम, रसोईघर और शौचालय सह स्नानघर (इंदिरा आवास योजना के विनिर्देश) शामिल होंगे। प्रत्येक आवास का कुल फर्श क्षेत्र 50 वर्ग मीटर के भीतर होगा। यह पीडब्ल्यूडी (भवन) द्वारा विकसित डिजाइन विनिर्देशों के अनुसार निर्मित किया जायेगा। जिला स्तर पर पीडब्ल्यूडी, भवन अनुभाग निर्माण योजना और कॉलोनी का खाका बनाता है। निर्माण जिला प्रशासन की सीधी देखरेख में खुली बोली की पद्धति के माध्यम से किया जाता है।

5. क्रियान्वयन प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं

आरएपी (RAP) का क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के लाइन (राजस्व) विभागों के साथ क्रियान्वयन एजेंसी (आईडब्ल्यूएआई IWAI) की जिम्मेदारी है। एसआईएमपी/आरएपी (SIMP/RAP) के समग्र समन्वय और क्रियान्वयन के लिए पीएमयू (PMU) में एक सामाजिक विकास विशेषज्ञ उत्तरदायी होगा। क्षेत्र स्तर की गतिविधियों का समन्यव क्षेत्रीय कार्यालय में परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों का सामाजिक अधिकारी करेगा।

आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार, साहेबगंज में अपर समाहर्ता को आरऐंडआर का 'प्रशासक' नामांकित किया गया है। जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ DLAO) नोडल अधिकारी होगा जो कार्यवाहियों को आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होगा। सभी एल तथा आरआर गतिविधियों के लिए जिला प्रशासन के साथ संपर्क और वार्ता करने के लिए एक प्रभारी अधिकारी सह पुनर्वास अधिकार प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

पुनर्स्थापन कार्य योजना और सामाजिक प्रभाव उपशमन योजना के क्रियान्वयन में मुख्य व्यक्तियों की भूमिका निम्नानुसार है :

5.1. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ DLAO)

- डीएलएओ अपर समाहर्ता की ओर से आरएफटीसीएलएआरआर की धाराओं 11 तथा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं और घोषणाओं का प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।
- अवार्ड तैयार करना
- प्रभावित संरचनाओं का मूल्य निर्धारण करना
- क्षतिपूर्ति धनराशियों का संवितरण
- पुनर्स्थापन के लिए भूमि की पहचान और पुनर्स्थापन कॉलोनी की निर्माण

5.2. सामाजिक विकास विशेषज्ञ

पीएमयू में सामाजिक विकास विशेषज्ञ की भूमिका में शामिल है :

- आएपी की तैयारी और समय से इसकी घोषणा सुनिश्चित करना
- आरएपी की तैयारी में परामर्श और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए और श्रम, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी उपायों के अंतर्गत नियोजित कार्यक्रमों के लिए आरएपी क्रियान्वयन एजेंसी का मार्गदर्शन और निगरानी करना
- क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करना तथा प्रत्यक्ष या सीधी जानकारी के लिए क्षेत्र के दौरे करना तथा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के साथ परामर्श करना
- पीआईयू और आरओ/ अधिकारियों से प्राप्त किए गए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास गतिविधियों संबंधी डाटा तथा आंकड़ों को संकलित करना
- मासिक और तिमाही प्रतिवेदनों की समीक्षा करना और विश्व बैंक तथा अन्य सरकारी हितधारकों को प्रगति के बारे में सूचित करना
- भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के संबंध में पुनर्वास अधिकारी और पीआईयू को आवश्यक सहायता प्रदान करना
- आवश्यक सूचना प्रदान करने में परियोजना अधिकारी को सहायता देना

5.3. प्रभारी अधिकारी सह पुनर्वास अधिकारी

क्षेत्रीय निदेशालय से आईडब्ल्यूएआई का एक अधिकारी भूमि अधिग्रहण और आरआर मुद्दों के लिए विभिन्न एजेंसियों, जैसे ठेकेदार, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय कार्यालय के अन्य विभागों के बीच स्वामित्व अधिकार के हस्तांतरण सहित एलए तथा आरआर मुद्दों पर, और पीएएफ के दस्तावेजों को एकत्र करने में सहायता प्रदान करने में समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगा। यही अधिकारी सार्वजनिक सभाओं में आईडब्ल्यूएआई का प्रतिनिधित्व करेगा।

5.4. पीआईयू (PIU) में सामाजिक अधिकारी

परियोजना क्रियान्वयन इकाई में सामाजिक अधिकारी की भूमिका में शामिल है :

- पीआईयू और आरएपी क्रियान्वयन टीम की मदद से क्रियान्वयन प्रक्रिया का समन्वय करना
- आरएपी की तैयारी और क्रियान्वयन के दौरान राज्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय और घनिष्ट अंतर्क्रिया करना
- क्रियान्वयन के दौरान राज्य के संबंधित प्राधिकारियों के साथ निरंतर संवाद और नियमित बैठकें आयोजित करना तथा प्रभारी सह पुनर्वास अधिकारी की सहायता करना
- प्रभावित व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों में भागीदारी करना
- विस्थापित समुदाय के साथ आएपी के क्रियान्वयन का समन्वय करना
- क्रियान्वयन प्रक्रिया की मासिक समीक्षा और निगरानी तथा आवश्यकता हो तो सुधारात्मक उपायों को समाहित करना
- हेल्पलाइन के माध्यम से पीएपी की शिकायतें दर्ज करवाने में उनकी मदद करना
- आरएपी का क्रियान्वयन पूरा होने तथा क्रियान्वित आरएपी की तैयारी और मूल्यांकन होने तक कार्य करना।

5.5. आरएपी (RAP) क्रियान्वयन टीम

सुरक्षा उपायों और अन्य सामाजिक मुद्दों के प्रबंधन में और सहायता के लिए एक आरएपी क्रियान्वयन टीम या दल को जोड़ा जाएगा। भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता, आजीविका विशेषज्ञ और एमआईएस विशेषज्ञ से मिलकर बनी यह टीम प्रभावित समुदाय के साथ परामर्श, प्रभावित परिवारों का सत्यापन और सूक्ष्य योजनाएं तैयार करेगी। यह टीम जीआईएस नक्शे पर जानकारियों की जिओ-टैगिंग करने तथा जिओ-टैग की गई जानकारियों को अद्यतन करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। इस टीम द्वारा की जाने वाली अन्य गतिविधियों में शामिल हैं प्रत्येक व्यक्तिगत पीएएफ के लिए पहचान पत्र अर्थात आइडेंटिटी कार्ड तैयार और वितरित करना, संयुक्त बैंक खाता खुलवाना, सहायता राशि का वितरण करना, सहायता धनराशियों के उत्पादक इस्तेमाल के बारे में परामर्श देना, सहायता राशियों के उपयोग की निगरानी करना, विस्थापित घरपरिवारों के स्थान परिवर्तन की योजना बनाना, आवासों का आवंटन करना और समूची स्थान परिवर्तन प्रक्रिया का समन्वय करना। प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन करने, जागरूकता उत्पन्न करने, क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय करने आदि के लिए आजीविका विशेषज्ञ उत्तरदायी होगा। पूरी परियोजना के लिए क्रियान्वयन टीम के कार्य निम्नानुसार होंगे :

- प्रभावित परिवारों के साथ तथा प्रभावित परिवारों और परियोजना कर्मचारियों के बीच मेलजोल विकसित करना
- प्रभावित परिवारों का सत्यापन करना और जानकारी को जिओ टैग करना और उसे एमआईएस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना
- आरएपी के क्रियान्वयन के दौरान स्थानीय समुदाय के साथ विचार-विमर्श करना
- सूक्ष्म योजनाएं तैयार करना और पुनर्वास सहायता प्राप्त करने में प्रभावित परिवारों की सहायता करना

- आईडी कार्ड तैयार और वितरित करना
- मुआवजा और सहायता धनराशियों का उत्पादक इस्तेमाल करने के लिए पीएपी को प्रेरित और मार्गदर्शित करना
- स्थानीय विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करना
- विस्थापित घर-परिवारों के पुनर्स्थापन और आवासों के आवंटन की योजना बनाने में आईडब्ल्यूएआई की सहायता करना और पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया का समन्वय करना
- प्रभावित व्यक्तियों का शिकायतों को फोन लाइन या वेबसाइट पर पंजीकरण के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणाली को भेजना
- कौशलों के स्तर का मूल्यांकन करना और प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
- सामाजिक अधिकारी तथा विस्थापित समुदाय के साथ मासिक समीक्षा बैठकों में भाग लेना
- आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करना।

5.6. ठेकेदार

ठेकेदार निम्नलिखित कार्यों और गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा :

1. सभी श्रम कानूनों का अनुपालन करना जिनमें बाल श्रम से संबंधित नियम, कार्य के समय का उचित निर्धारण ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
2. शिविर स्थलों पर एचआईवी/एड्स की जागरूकता में भाग लेना और सुगमता प्रदान करना
3. शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से उठाए गए प्रश्नों और मुद्दों का जवाब देना और प्रश्नों का जवाब देने में पीआईयू की सहायता करना।
4. क्षेत्रीय निदेशालय और पीआईयू के निर्देशों का पालन करना

5.7. तकनीकी परिवीक्षण सलाहकार

1. क्रियान्वयन के दौरान बाह्य निगरानी
2. क्रियान्वयन और सुरक्षा उपायों के अनुपालन में सहायता और मार्गदर्शन देना
3. आरएपी के क्रियान्वयन से जड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का दस्तावेज तैयार करना
4. आरएपी के प्रावधानों के क्रियान्वयन की दिशा में आईडब्ल्यूएआई के अधिकारियों को क्षमता निर्माण के प्रति संवेदनशील बनाना और मदद करना
5. पीआईयू के सामाजिक अधिकारियों को मासिक प्रगति और त्रैमासिक प्रक्रिया दस्तावेजीकरण रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

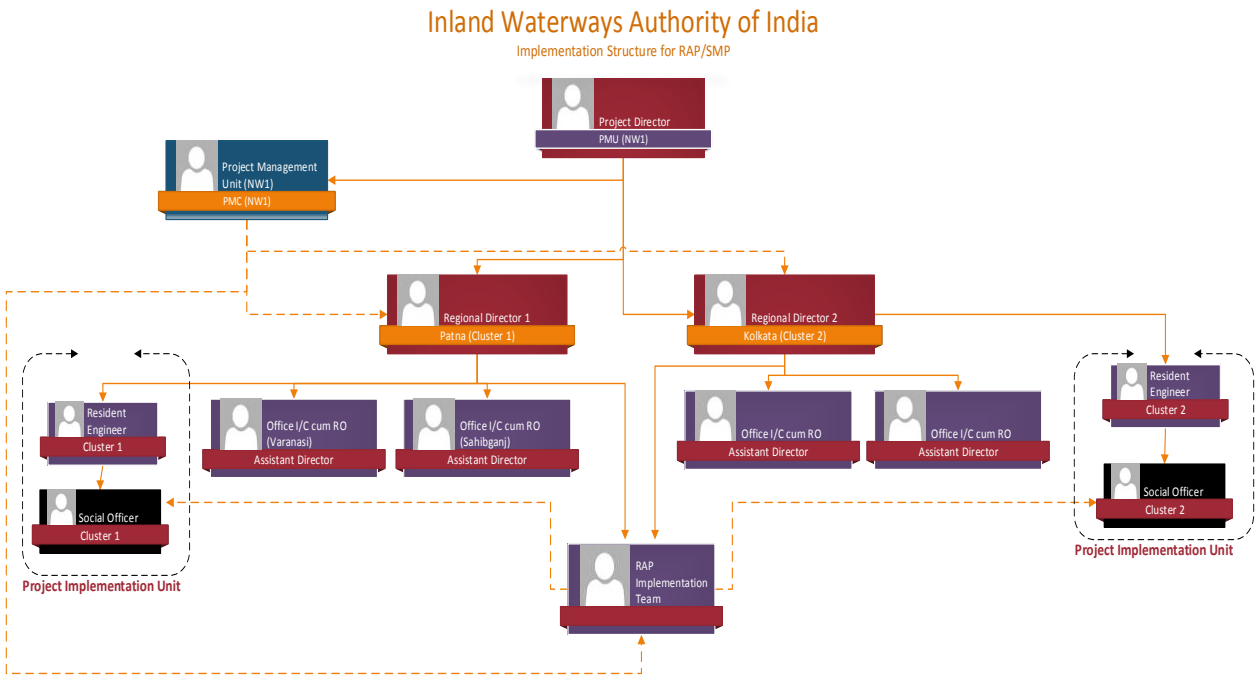

चित्र 5.1 : आरएपी के क्रियान्वयन के लिए संगठन चार्ट

6. शिकायत निवारण तंत्र

परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान मोट तौर पर परियोजना से जुड़े पुनर्स्थापन और पुनर्वास के मामलों से संबंधित शिकायतें, निर्माण की वजह से होने वाले प्रभावों से संबंधित शिकायतें, परियोजना स्थलों के आसपास पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित शिकायतें आदि अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 51-67 के अनुसार एक पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना करने और क्षतिपूर्ति तथा आरऐंडआर (R&R) सहायता के संवितरण के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों में कलेक्टर की जिम्मेदारी निर्धारित करने के संदर्भ में राज्य सरकार की जिम्मेदारी निरूपित करती है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 60 निरूपित करती है कि प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो सिविल संहिता प्रक्रिया 1908 के अंतर्गत सिविल कोर्ट को प्राप्त होते हैं। भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन से संबंधित किसी भी विवाद और शिकायत से निपटने के लिए आरऐंडआर प्राधिकरण निर्दिष्ट प्राधिकरण है। यह प्रावधान सभी उप परियोजनाओं के लिए लागू होता है जहां निजी भूमि अधिग्रहीत की जाती है।

एक केंद्रीयकृत शिकायत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, जो प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी DARPG), भारत सरकार द्वारा आयोजित साझा ऑनलाइन पोर्टल है, स्थापित किया गया है और आईडब्ल्यूएआई द्वारा अपनाये गये शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्यशील है। नागरिक और असंतुष्ट पक्ष आईएडब्ल्यूएआई (IWAI) और जेएमवीपी (JMVP) द्वारा निवारण किये जाने के लिए अपनी शिकायतें या व्यथा सीपीजीआरएएम (CPGRAM) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।

6.1. सीपीजीआरएएम (CPGRAM) पर शिकायत दर्ज करना :

सीपीजीआरएएम (CPGRAM) की वेबसाइट (इस पते पर पहुंचा जा सकता है : www.pgportal.gov.in) पर 'जन शिकायत' ('public grievance') विकल्प में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।. शिकायत दर्ज करवाने के बाद शिकायतकर्ता को एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है।

शिकायतकर्ताओं को एक अनुस्मारक प्रपत्र भरने का विकल्प भी प्रदान किया जाता है और वे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अपनी शिकायत की स्थिति खुद ही देख सकते हैं।

6.2. शिकायत पर कार्यवाही की प्रक्रिया :

एक बार जब शिकायत दर्ज करवा दी जाती है, तो डीएआरपीजी (DARPG) द्वारा शिकायत पर कार्यवाही आरंभ की जाती है और पोर्टल की अंतर्निर्मित विशेषताओं के माध्यम से संबंधित पितृ प्रशासनिक मंत्रालय (इस मामले में पोत परिवहन मंत्रालय) को सौंप दी जाती है। संबंधित मंत्रालय शिकायत को अधीनस्थ विभाग (इस मामले में आईडब्ल्यूएआई) को अग्रेषित करता है। संबंधित विभाग को समय सीमाओं के साथ ई-मेल सूचनाएं भी भेजी जाती हैं, जहां शिकायत को संबोधित करने के लिए एक नोडल अधिकारी होता है।

6.3. आईडब्ल्यूएआई (IWAI) में शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी :

एक बार जब प्रत्येक शिकायत आईडब्ल्यूएआई में प्राप्त हो जाती है, तो सचिव, आईडब्ल्यूएआई, नोडल अधिकारी, कोई भी परियोजना से संबंधित शिकायत 15 दिनों में उत्तर देने के लिए परियोजना निदेशक, जेएमवीपी को अंकित कर देते हैं। प्रत्येक शिकायत पर स्थापना विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है और शिकायत निवारण की निगरानी करने के लिए सचिव आईडब्ल्यूएआई संबंधित अधिकारी हैं।

6.4. परियोजना संबंधी शिकायतों का निपटारा :

परियोजना से संबंधित शिकायतों के मामले में सामाजिक विशेषज्ञ पीएमयू परियोजना निदेशक की ओर से शिकायतों को संबंधित क्षेत्रीय इकाई / पीआईयू को अग्रेषित करेगा। परियोजना स्थल पर निर्माण के कारण होने वाले प्रभाव से संबंधित शिकायतों का उत्तर स्थानीय या रेजीडेंट इंजीनियर, पीआईयू (पटना/कोलकाता) द्वारा दिया जाएगा और आर ऐंड आर मुद्दों से संबंधित शिकायतों को सामाजिक अधिकारी, पीआईयू (पटना/कोलकाता) द्वारा संबोधित किया जाएगा। आर ऐंड आर उपायों अथवा मुआवजे से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में सामाजिक अधिकारी आर ऐंड आर प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन के साथ विचार-विमर्श करके उत्तर तैयार करेंगे। एक बार जब उत्तर प्राप्त हो जाता है, तो परियोजना निदेशक शिकायत को सचिव, आईडब्ल्यूएआई को अंकित कर देंगे जो फिर उत्तर को पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। शिकायतकर्ता को सूचना ई-मेल/डाक द्वारा उसकी अपनी वरीयता के अनुसार भेजी जाएगी।

समाधान की गयी और लंबित शिकायतों के लिखित प्रमाण विशेषज्ञ, सामाजिक विकास, पीएमयू द्वारा रखे जायेंगे। प्रत्युत्तर समयों के लिए निर्धारित सेवा मानदंड के भीतर उत्तरित और सुलझायी गयी शिकायतों की संख्या (प्रतिशत) के संदर्भ में निगरानी संकेतक मासिक रिपोर्टों में प्रस्तुत किये जायेंगे।

6.5. अ-समाधान की स्थिति में :

शिकायत के लंबित रहने की स्थिति में पितृ प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुस्मारक या रिमाइंडर जारी किये जायेंगे। पितृ मंत्रालय के समन्वय अनुभाग द्वारा शिकायतों पर नजर और निगरानी रखी जाएगी।

6.6. समय सीमाएं :

एक शिकायत के प्राप्त के होने के 2 माह के भीतर उसका निवारण कर दिया जाना चाहिए (डीएआरपीजी DARPG के दिशानिर्देशों के अनुसार)। यदि शिकायत को संबोधित करने में 2 महीने से अधिक समय लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में एक अंतरिम उत्तर दिया जाना है।

6.7. वर्तमान प्रणाली का विस्तार और उसे शिकायतों के फोन आधारित रजिस्ट्रेशन से जोड़ना :

पोर्टल के मौजूदा प्रावधानों को शिकायतों के फोन आधारित अभिलेखन तथा पंजीकरण से जोड़ने तथा संवर्धित करने का कार्य आईडब्ल्यूएआई द्वारा आवश्यक अनुमतियों और स्वीकृतियों के अधीन राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी NIC) के साथ विचार-विमर्श करके किया जाएगा। तंत्र का कार्य प्रवाह नीचे और विस्तार से दिया गया है।

6.8. टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र का प्रक्रिया प्रवाह

एक समर्पित फोन लाइन स्थापित की जाएगी जो प्रति दिन 8 घंटे संचालित होगी। समर्पित फोन लाइन का संचालन पीएमयू स्तर पर जीआर कार्यालय करेगा और पीआईयू के सामाजिक अधिकारी प्रत्येक शिकायतों के निवारण के लिए नोडल अधिकारी होंगे। शिकायत निवारण तंत्र की योजना नीचे दिये गये प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार बनायी जायेगी।

चरण 1 : निवारण अधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्त की जाती है और अधिकारी नए कॉलर के रूप में शिकायत के विवरण प्रविष्ठ करेगा।

चरण 2 : स्वतः उत्पन्न एसएमएस के माध्यम से पुष्टि भेजी जाएगी, जिसमें शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति की संदर्भ संख्या होगी। अपनी शिकायत पर नजर रखने में मदद के लिए शिकायतकर्ता को एक टोकन नंबर देने का प्रावधान भी किया जा सकता है।

चरण 3 : प्रत्येक शिकायत के निपटारे के लिए दो नोडल अधिकारी पीआईयू अधिकारी (पटना और कोलकाता) होंगे। निम्नलिखित प्रतिनिधियों को सॉफ्टवेयर में पहुंच प्रदान की जाएगी और उन्हें निगरानी करने वाले डैशबोर्ड से जोड़ा जाएगा ताकि शिकायत के बढ़ने की स्थिति से निपटा जा सके।

क. सामाजिक विशेषज्ञ, पीएमयू।
ख. भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता - आरऐंडआर तथा मुआवजे से संबंधित
ग. रेजीडेंट इंजीनियर - (पटना, कोलकाता) - तकनीकी
घ. परियोजना प्रबंधक (शिकायत बढ़ने के मामले)
ङ. परियोजना निदेशक (शिकायत बढ़ने के मामले)

चरण 4 - एक बार जब शिकायत दर्ज हो जाती है, तो पीआईयू अधिकारी को शिकायत के समाधान के लिए 14 दिनों की समय सीमा के साथ एक एसएमएस सूचना प्राप्त होगी। पीआईयू अधिकारी के पास निम्नलिखित कार्रवाइयों में से चुनने का विकल्प होगा।

क) व्यू View (शिकायत देखी जाएगी)
ख) एक्शन Action (वे कार्य क्या हैं जो शिकायत के समाधान के लिए किए गए हैं)
ग) एसाइन / फॉरवर्ड Assign / forward (कार्य सौंपा या अग्रेषित किया जाएगा)
घ) एस्कैलैट Escalate (शिकायत ऊपर के अधिकारियों की ओर बढ़ा दी जाएगी)

चरण 5 – शिकायतों के प्रकार और उन्हें संभालने वाले व्यक्ति

एक बार जब पीआईयू अधिकार शिकायत के स्वरूप का निश्चित पता लगा लेता है, तो अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा :

आरऐंडआर (R&R): किसी भी पुनर्स्थापन और पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायत के मामले में भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए उत्तरदायी होगा। पीआईयू अधिकारी ऐसे प्रश्नों या जिज्ञासाओं को भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता को सौंपेगा और अग्रेषित करेगा।

जैसा कि एलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 51-67 में राज्य सरकार के मुआवजे और भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायत निवारण कार्यों का उल्लेख किया गया है, भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता प्रत्येक निवेदन की समीक्षा करेगा और आर ऐंड आर से संबंधित किसी भी कार्रवाई के लिए जिला अधिकारियों से परामर्श करके इनपुट प्रदान करेगा।

निर्माण के कारण होने वाले प्रभाव और पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा : निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं से संबंधित शिकायतों को रेजीडेंट इंजीनियर (पटना / कोलकाता) संबोधित करेंगे।

मुद्दे का समाधान करने और अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारी 14 दिनों की खिड़की प्रदान की जाएगी। उत्तर नहीं दिये जाने की स्थिति में अधिकारी को लंबित कार्रवाई की याद दिलाते हुए एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे।

चरण 6 – कार्रवाई करना : जिला प्रशासन के साथ विचार-विमर्श के आधार पर की गयी कार्रवाई को फिर पीआईयू सामाजिक अधिकारी / भूमि अधिग्रहण सुगमकर्ता द्वारा डैशबोर्ड के एक्शन अनुभाग में भरा जाएगा।

चरण 7 – शिकायत का समाधान करना : एक बार जब शिकायत को संबोधित किया जाता है और सॉफ्टवेयर में अद्यतन सूचना डाल दी जाती है, तो शिकायत का समाधान हुआ मान लिया जाता है। इसी के अनुसार शिकायतकर्ता को एक एसएमएस भेज दिया जाता है। यदि किसी शिकायत का समाधान 21 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो शिकायत का निपटारा कर रहे संबंधित अधिकार से ऊपर के अधिकारी को (नीचे दिया गया जीआईएम का पदानुक्रम देखें) एक एसएमएस अलर्ट जारी किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि पीआईयू अधिकारी 21 दिनों के भीतर उत्तर नहीं देता है, तो सामाजिक विशेषज्ञ, पीएमयू को एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। इससे आगे यदि सामाजिक विशेषज्ञ 21 दिनों तक उत्तर देने में असमर्थ रहता है, तो परियोजना प्रबंधक, पीएमयू को एसएमएस भेजा जाएगा और वह भी उत्तर नहीं देते हैं, तो उसे परियोजना निदेशक को अग्रेषित किया जाएगा।

चरण 8 – किसी भी स्तर पर शिकायत का अ-समाधान : संबंधित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर की समस्याओं के कारण शिकायत के अ-समाधान की स्थिति में उपर्युक्त अधिकारी निम्नलिखित पदानुक्रम में क्रम 6 और 7 तक मुद्दे का तीव्रीकरण कर सकता है।

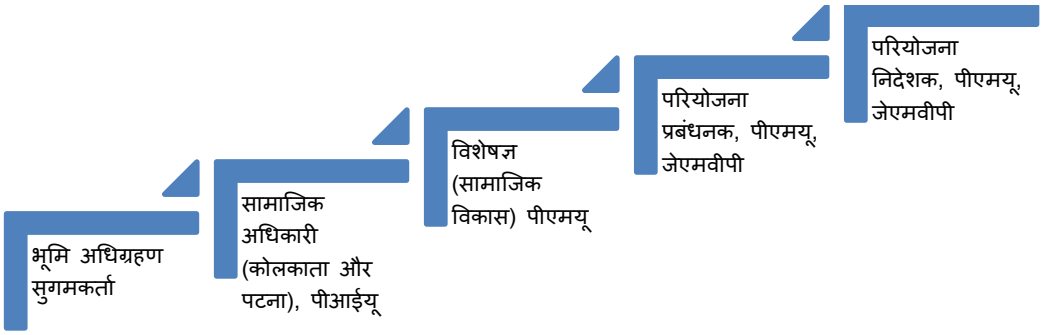

शिकायतों के तीव्रीकरण का पदानुक्रम

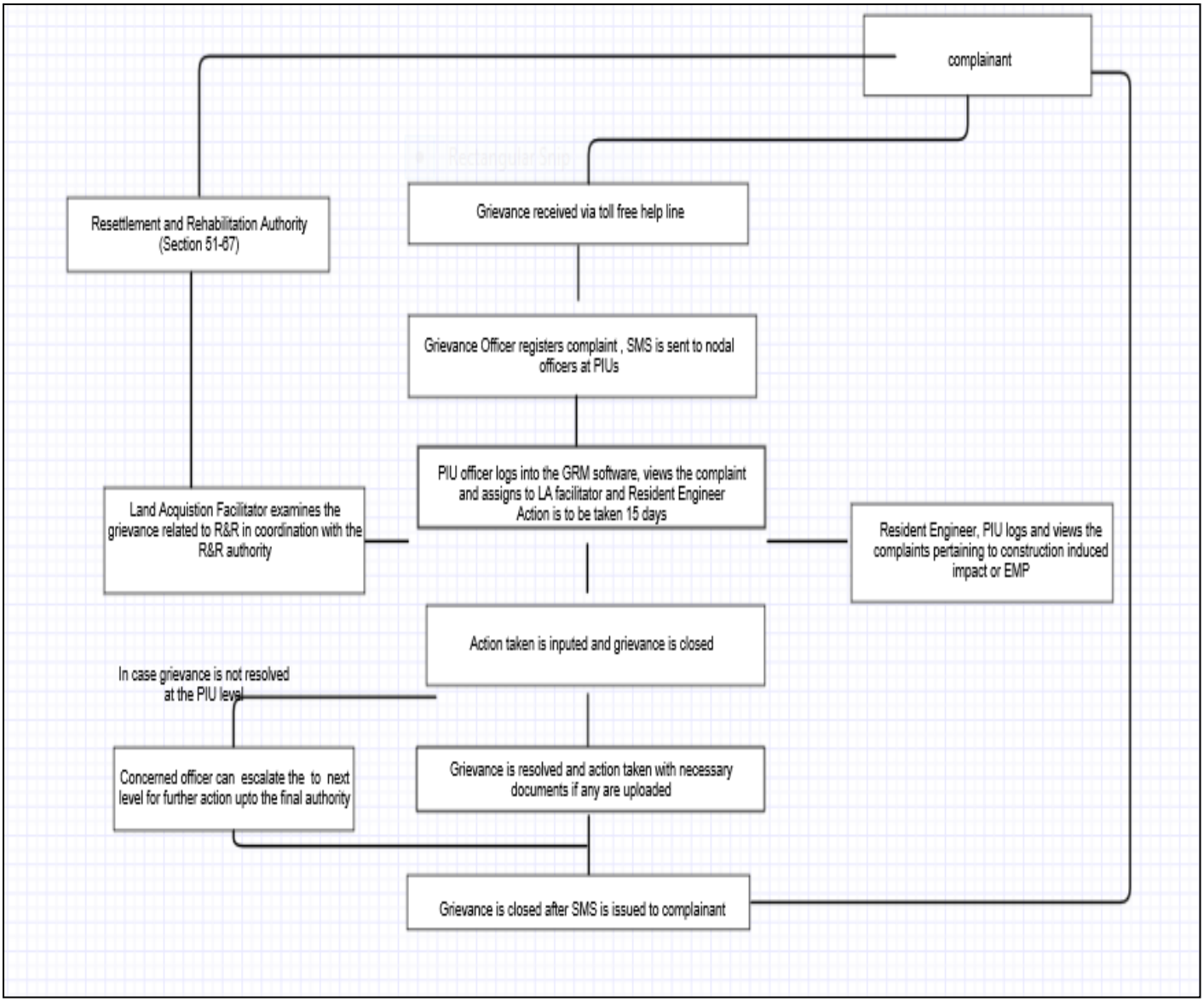

जीआरएम का प्रक्रिया प्रवाह

7. सिविल कार्यों को आरऐंडआर (R&R) के साथ मिलाना

आरएफटीसीएलएआरआर (RFTCLARR) अधिनियम 2013 के अनुपालन में किसी भी संरचना के साथ तब तक छेड़छाड़ नहीं की जायेगी जब तक कि परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ PAF) को उनकी पात्रताएं प्राप्त न हो गयी हों। तथापि सरकारी भूमि पर निर्माण गतिविधियां जिला कलेक्टर द्वारा आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात आरंभ की जा सकती हैं। पीएएफ को अपने आवास खाली करने के लिए तीन माह का नोटिस दिया जायेगा और पीएएफ को इसी के अनुरूप सूचित किया जायेगा। पुनर्स्थापन के महत्त्वपूर्ण पड़ावों के साथ एक क्रियान्वयन कार्यक्रम आरएपी (RAP) का हिस्सा होगा और जिला प्रशासन इस कार्यक्रम (नीचे दिया गया प्रारूप देखें) का घनिष्टता से अनुसरण करेगा ताकि पुनर्स्थापन गतिविधियों को निर्माण के कार्यक्रम के साथ मिलाया जा सके।

सारणी 7.1 पुनर्स्थापन योजना का नमूना कार्यक्रम

क्रम सं.	पुनर्स्थापन कार्य/गतिविधियां	समय कार्यक्रम
1	पुनर्स्थापन कॉलोनी की निर्माण की संभावित शुरुआत	
2	पीएपी को नोटिस और उनके पुनर्स्थापन के लिए परामर्श	
3	मकानों का निर्माण पूरा होना	
4	पीएपी का स्थान परिवर्तन	
5	पूर्ण कॉलोनी के निर्माण का पूरा होना और पीएपी का स्थान परिवर्तन	

8. निगरानी व्यवस्थाएं

प्रारंभ से अंत तक परियोजना चक्र की निगरानी और मूल्यांकन को निष्पादित करने के लिए आईए (IA) उत्तरदायी होगी। आंतरिक निगरानी, जिसमें प्रक्रिया निगरानी भी शामिल होगी, पीएमयू (PMU) स्तर के सामाजिक विशेषज्ञ द्वारा पीआईयू (PIU) स्तर के सामाजिक अधिकारी और आरएपी (RAP) क्रियान्वयन दल या टीम की सहायता से जाएगी और बाह्य निगरानी और मूल्यांकन तीसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा। परियोजना गतिविधियों की घनिष्ठ निगरानी करने में सहायता के उद्देश्य से निगरानी और मूल्यांकन को निष्पादित करने के लिए आईयू (IU) एक बाहरी एजेंसी (तीसरे पक्ष) की सेवाएं लेगी। नियमित निगरानी स्थल के दौरों के माध्यम से परियोजना के क्रियान्वयन में सामने आने वाली संभावित कठिनाइयों और समस्याओं को पहचानने में मदद करेगी और उसके उपरांत यदि आवश्यकता हो तो समय से सुधारात्मक उपाय करने में भी मदद करेगी।

आरएपी (RAP) के क्रियान्वयन के लिए स्थल पर आरएपी क्रियान्वयन टीम को जैसे ही गतिशील कर लिया जाता है, वैसे ही निगरानी प्रारंभ हो जाएगी। निगरानी के अवयवों में कार्य प्रदर्शन की निगरानी अर्थात कार्य की भौतिक प्रगति, जैसे पुनर्स्थापन स्थल पर आवासों का निर्माण, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था, विस्थापित घर-परिवारों का पुनर्स्थापन आदि, और प्रभाव निगरानी, प्रगति निगरानी जैसे शिकायत निवारण तंत्र शामिल होंगे। कार्य प्रदर्शन से संबंधित जिन संकेतकों की निगरानी की जाएगी, वे निम्नलिखित खंड़ों में दिए गए हैं। तथापि यदि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कोई अन्य संकेतक प्रासंगिक पाए जाते हैं, तो उन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा।

8.1. आंतरिक निगरानी

आंतरिक निगरानी के लिए आईए जिम्मेदार है जो वह नियमित आधार पर पीएमयू, पीआईयू के सामाजिक विशेषज्ञ की मदद से और परिवीक्षण सलाहकार के सुरक्षा उपाय विशेषज्ञ की सहायता से करेगा। क्रियान्वयन सलाहकारों (टीम या दल) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक रिपोर्टों के अतिरिक्त सामाजिक अधिकारी, पीआईयू के द्वारा आंतरिक निगरानी की एक त्रैमासिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। आईयू जिला अधिकारियों की संवितरण या अदायगी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अपने पुनर्स्थापन डाटा आधार में सभी लेन-देन पर घनिष्ठता से निगाह रखेगा, उसके पश्चात प्रभावित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित पात्रता प्राप्ति अभिलेखों का अनुसरण करेगा और पुनर्स्थापन प्रक्रिया की सर्वे आधारित निगरानी करेगा। आंतरिक निगरानी समुदाय की चिंताओं, शिकायतों और निवेदनों के बारे में फीडबैक भी प्रदान करेगी। आंतरिक निगरानी निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित और सुनिश्चित करेगी :

- सत्यापन करेगी कि जिला प्राधिकारियों द्वारा तैयार और संवितरित अवार्ड सूची के अनुसार संपत्ति के मूल्यांकन और आर्थिक पुनर्वास से जुड़े कोई लंबित या अनसुलझे मुद्दे तो नहीं हैं,
- प्रभावित व्यक्तियों के साथ सूचना अभियान, विचार-विमर्श और परामर्श,
- पुनर्स्थापन की स्थिति और आर ऐंड आर सहायता का समय से संवितरण,
- आवश्यक वास्तविक संरचना के मूल्य के बराबर अधिकार-प्राप्तियों का मूल्य,
- अधिकार-प्राप्तियों का उपयोग और उनके उपयोग की निगरानी,
- प्रभावित संरचनाओं तथा अन्य संपत्तियों के लिए मुआवजा,
- आय की हानि के लिए भुगतान,
- प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन तथा प्रदान की गई सहायताएं,

- पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार आर्थिक पुनर्वास और आय की बहाली के उपायों का क्रियान्वयन,
- शिकायत निवारण तंत्र का प्रभावी संचालन जिसमें प्राप्त शिकायतों की संख्या और निवारित शिकायतों की संख्या, निवारण में देरी के कारण, अनसुलझी शिकायतों की स्थिति के विवरण दिए गए हों,
- समयबद्ध तरीके से आर्थिक पुनर्वास के क्रियान्वयन के लिए निधियां और उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हों तथा योजना के अनुसार व्यय की गई हों।

नीचे दी गई सारणी 8.1 में आंतरिक निगरानी की रूपरेखा के विवरण दिए गए हैं और सारणी 8.2 में इन संकेतकों के विवरण हैं।

सारणी 8.1 : आंतरिक निगरानी के लिए रूपरेखा

प्रकार	संकेतक	मुद्दा	प्रक्रिया	समय	जिम्मेदारी
प्रक्रिया स्तर का निगरानी	आरएपी क्रियान्वयन	**शिकायतें** : प्रत्युत्तर समय के निर्धारित सेवा मानदंडों के भीतर प्राप्त और सुलझाई गई शिकायतों की संख्या (%) **नागरिकों को जोड़ना** परियोजना के सहकार्यों के प्रभावों पर प्रकाशित रिपोर्टें (हां/नहीं)	एमआईएस सॉफ्टवेयर द्वारा खोले और बंद मामलों और शिकायतों के प्रकार पर विश्लेषित मामलों के बारे में उत्पन्न रिपोर्टें	मासिक त्रैमासिक (नागरिकों का जुड़ाव)	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
		आर ऐंड आर सहायताओं के संवितरण की स्थिति (पीएपी का सत्यापन, पहचानपत्रों की तैयारी, सूक्ष्य योजनाओं की तैयारी, पुनर्स्थापित विस्थापित व्यक्तियों की संख्या, सामुदायिक जागरूकता, एचआईवी जागरूकता, परामर्श	जिला अभिलेखों का सत्यापन और परीक्षण और पीएपी के साथ विचार-विमर्श, संवितरण के संबंध में जिओ टैग की गई जानकारी साथ ही साथ जीआईएस मानचित्र पर अपलोड की जाएगी।	मासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार

		प्रक्रिया, सहायता का वितरण आदि का क्रियान्वयन, आय संवर्धन के लिए आयोजित प्रशिक्षणों का संख्या			
		स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का उपयोग, श्रम कानूनों का अनुपालन जिनमें शामिल हों (I) समान वेतन (ii) बाल श्रम से संबंधित कानूनों का उल्लंघन (iii) शिविर स्थल और निर्माण स्थल पर यौन उत्पीड़न (iv) महिलाओं के कार्य का यथोचित समय (v) दिन के देखभाल केंद्र का सुचारू कार्यकलाप (vi) स्थल पर प्रदान की गई स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता सुविधाएं	स्थल अवलोकन, रोस्टरों का परीक्षण, श्रमिकों, ठेकेदारों के साथ बातचीत	मासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
		परामर्श और विचार-विमर्श: आजीविका संवर्धन पर आयोजित परामर्शों की संख्या और सहायताओं के प्रभावी उपयोग के लिए सलाह-मशविरा और परामर्श की गुणवत्ता, उठाए गए मुद्दों का अनुसरण,	अभिलेख और सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिलिपियां	त्रैमासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार

		परामर्श में महिलाओं की बराबर भागीदारी।			
		प्रक्रिया दक्षता : नियुक्त कर्मचारियों की पर्याप्तता, जिला प्रशासन द्वारा मुआवजे की अदायगी में लगा समयांतराल, टकरावों या विवादों को संभालने की प्रक्रिया।	संवितरण प्रक्रिया और मुआवजे के वितरण से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन	मासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
		आजीविका के मानकों की बहाली	अवलोकन, सर्वे, फोटोग्राफ	त्रैमासिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
		आय सृजन या एचआईवी/एड्स इत्यादि पर संचालित प्रशिक्षणों की संख्या	स्थानीय लोगों के साथ प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कार्यकर्ता/स्वास्थ्य पोस्ट/केंद्र के अभिलेख और आजीविका संवर्धन पर प्रशिक्षण के कार्य में लगी प्रशिक्षण संस्थाओं के अभिलेखों की चर्चा और आकलन करें	वार्षिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
प्रभाव स्तर की निगरानी	घरेलू स्तर पर आय में बदलाव और आर्थिक गतिविधियों	पेशों में बदलाव,	पुनर्स्थापित पीएपी के साथ सर्वे और परामर्श	वार्षिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार
	सामाजिक सुरक्षा	पुनर्वास स्थलों पर सामाजिक सौहार्द और सामाजिक सुरक्षा की स्थिति	पुलिस अभिलेख, पुनर्स्थापित पीएपी के साथ परामर्श, एनजीओ की प्रगति रिपोर्ट, एमऐंडई सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट	वार्षिक	पीआईयू/बाहरी सलाहकार

9. आरऐंडआर (R&R) क्रियान्वयन की लागत और निधियन व्यवस्थाएं

9.1 निधियों के स्रोत और निधियों के प्रवाह

- पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदान मांगों के उपयुक्त बजट शीर्षों में प्रत्येक वर्ष पुनर्स्थापन और पुनर्वास क्रियान्वयन के लिए प्रावधान किये जायेंगे। इससे संबंधित प्रावधान जलमार्ग विकास परियोजना के लिए आवंटनों में आईएडब्ल्यूएआई (IWAI) द्वारा भी किये जायेंगे। वित्त विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिये जाने के उपरांत निधियां आईएडब्ल्यूएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण और आरऐंडआर (R&R) क्रियान्वयन की लागत को पूरा करने के लिए हस्तांतरित कर दी जायेंगी।
- आरएफटीसीएलएआरआर (RFTCLARR) अधिनियम 2013 की धारा 3 (जेडबी zb) के अनुसार आईडब्ल्यूएआई (IWAI) भूमि अधिग्रहण के लिए 'आवश्यकता वाला निकाय' है।
- आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, आरऐंडआर योजना की तैयारी तथा लागत अनुमान, संवितरण, निगरानी आदि के लिए 'प्रशासक' राज्य सरकार है।
- उपर्युक्त अधिनियम की धाराओं 26,27, 28,29, 30, 31,32 और पहली, दूसरी तथा तीसरी अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार संवितरण के लिए धन जमा करने का मांगपत्र आईडब्ल्यूएआई को भेजेगी।
- ऐसा एक मांगपत्र प्राप्त होने के उपरांत इस मांगपत्र की जांच और सत्यापन किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित राज्य सरकार से रूपांतरित करवाया जायेगा और राज्य सरकार को निर्दिष्ट खाते में भुगतान कर दिया जायेगा। उसके पश्चात यह 'प्रशासक' की जिम्मेदारी है कि वह धनराशियों को परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच संवितरित करे।
- परियोजना प्रबंधन इकाई समय से और उपयुक्त संवितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क बनाए रखेगी।
- यदि भूमि किसी अन्य शासकीय प्राधिकरण से क्रय की जाती है, तो भूमि का मूल्यांकन विद्यमान सर्कल दरों पर किया जाता है और भूमि स्वामित्व अधिकार परिवर्तन के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। लागत को आईडब्ल्यूएआई को किये गये निधि आवंटनों से पूरा किया जाता है।
- भूमि अधिग्रहण और आरऐंडआर (R&R) से संबंधित सभी लागतों को आईडब्ल्यूएआई द्वारा वहन किया जायेगा।

9.2 परियोजना के लिए क्रियान्वयन लागत अनुमान

आरएपी (RAP) के क्रियान्वयन के उद्देश्य से भूमि क्रय तथा अधिग्रहीत करने, सांस्थानिक व्यवस्थाओं को संवर्धित करने और आरएपी (RAP) में महिला विकास कार्य योजना तथा श्रम स्वास्थ्य और सुरक्षा अनुभाग में संकेत किये गये उपशमन उपायों को क्रियान्वित करने के लिए कतिपय लागतों का अनुमान किया गया है। एसएमपी (सामाजिक प्रबंधन योजना SMP) के लागत शीर्षों में महिला विकास कार्य योजना, एचआईवी जागरूकता और आईईसी (IEC) सामग्री में विनिर्दिष्ट अवयवों को क्रियान्वित करने के प्रावधान शामिल हैं।

घटक या अवयव वार लागत अनुमान नीचे संकेतित किये गये हैं। उन्हें परियोजना की लागतों में भी समाहित किया गया है :

क्रम संख्या	अवयव या घटक	अनुमानित लागत करोड़ रुपये में	टिप्पणी
I.	भूमि अधिग्रहण		
a.	वाराणसी में एमएमटी MMT (संबद्ध सुविधाएं शामिल)		

	एलए (LA) की लागत	10	
	आरऐंडआर (R&R) की लागत	0.02	
	महिला विकास कार्य योजना और एचआईवी जागरूकता की लागत	0.03	
b.	साहेबगंज में एमएमटी MMT (संबद्ध सुविधाएं शामिल)		
	एलए (LA) की लागत	187 (आरएफटीसीएलएआरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार आरऐंडआर R&R शामिल)	78.91 हेक्टेयर के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत और स्थायी वित्त समिति द्वारा स्वीकृत मांग की लागत पर आधारित
	आरऐंडआर (R&R) की लागत		
c.	हल्दिया में मल्टीमोडल टर्मिनल		
	एलए LA की लागत (हस्तांतर)	44.98	
	एसएमपी (SMP) की लागत	0.02	
	महिला विकास कार्य योजना और एचआईवी जागरूकता की लागत	0.03	
d.	फरक्का में नया नौवहन बांध या लॉक		
	एलए LA की लागत	2.35	
	एसएमपी (SMP) की लागत	0.02	
	महिला विकास कार्य योजना और एचआईवी जागरूकता की लागत	0.03	
e.	कालूघाट और गाजीपुर तथा कल्याणी में आईडब्ल्यूटी टर्मिनल		
		15.10	भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और राज्य सरकार के सामने मांग नहीं रखी गयी है
f.	5 रो-रो टर्मिनल जोड़े		
		15.10	स्थलों और भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और राज्य सरकार के सामने मांग नहीं रखी गयी है
	भूमि अधिग्रहण और एसएमपी (SMP) के लिए कुल लागत	274.68 करोड़	
II	आरएपी (RAP) क्रियान्वयन सहायता कंसल्टेंसियों / टीम	1.00	एमआईएस (MIS)/ बाह्य लेखा परीक्षण/ जीआरएम (GRM) का संवर्धन/ एलए (LA) सुगमकर्ता

			की सेवाएं, एमआईएस (MIS) विशेषज्ञ और आजीविका विशेषज्ञ तथा आईईसी (IEC) की छोटी-मोटी लागतें शामिल हैं
	I, II का योग	275.68	

10. नागरिक विनियाजन तंत्र

10.1. फीडबैक या प्रतिपुष्टि तंत्र

वर्तमान में फीडबैक या प्रतिपुष्टि एक मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट (जिस पर इस पते पर पहुंचा जा सकता है : http://iwai.nic.in/)। इस मॉड्यूल पर विकल्पों या ऑप्शंस के माध्यम से फीडबैक (उत्तर मांगना) और सुझाव देने के लिए विकल्प उपलब्ध हैं। प्राप्त फीडबैक को निगरानी वर्तमान में आईडब्ल्यूएआई के ईडीपी प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है और मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त प्रतिपुष्टि पर कार्यवाही के लिए सचिव, आईडब्ल्यूएआई नोडल अधिकारी हैं।

जेएमवीपी (JMVP) के लिए एक पृथक वेबसाइट की योजना बनायी जा रही है जिस पर विभिन्न रिपोर्ट, समाचार और अद्यतन जानकारी तथा विभिन्न उप परियोजनाओं की स्थिति सुलभ हो सकेगी। नागरिक निविदाओं, सहमति पत्रों, प्रयुक्त परामर्शदाता संस्थाओं आदि के बारे में महत्त्वपूर्ण सूचनाएं देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, हितधारकों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श के विवरण और मुख्य बातें इस वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। एक अलग फीडबैक मॉड्यूल भी वेबसाइट पर मौजूद होगा जिसमें प्रश्नों और टिप्पणियों के लिए विकल्प होंगे तथा इस प्रकार फीडबैक या प्रतिपुष्टि की निगरानी पीएमयू की संचार टीम करेगी।

इसके अतिरिक्त, यह परियोजना समूचे परियोजना चक्र के दौरान परामर्श और विचार-विमर्शों के माध्यम से व्यापकतर हितधारकों को साथ जोड़ने का प्रस्ताव करती है, जो निम्नानुसार है :

10.2. परामर्श के लिए योजना

जन परामर्श तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।

- परियोजना की तैयारी
- परियोजना का क्रियान्वयन
- क्रियान्वयन पश्चात

परियोजना विस्थापित और कमजोर तथा संवेदनशील लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के मजबूती देने के लिए निरंतर जुड़ाव और परामर्श के माध्यम से जिला प्रशासन तथा अन्य विकास एजेंसियों के साथ समन्वय कायम करेगी।

परियोजना के क्रियान्वय के दौरान हितधारकों के साथ प्रभाव संचार सुनिश्चित करने के लिए और परियोजना के परिणामों को बढ़ाने के लिए परियोजना निम्न रणनीतियां अपनाएगी।

- सकारात्मक जन व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रभावित परिवारों को अन्य विकास एजेंसियों के साथ जोड़ने के लिए संचार और परामर्श की सुगमता प्रदान की जाएगी, विशेष रूप से उन विकास एजेंसियों के साथ जो कौशल विकास और आजीविका उत्सर्जन से संबंधित हैं, ताकि प्रभावित परिवारों के साथ लगातार जुड़े रहकर उनकी कौशल की जरूरतों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
- निर्माण से प्रेरित प्रभावों से संबंधित जागरूकता अभियान परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान नियमित गतिविधियां होंगे।

परामर्शों को लिखा जाएगा और रिपोर्टें आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। परियोजना के सहकार्यों के प्रभावों पर प्रकाशित रिपोर्ट निगरानी संकेतक का काम करेंगी।

नागरिकों के साथ जुड़ाव के लिए परामर्श और विचार-विमर्श की विस्तृत कार्य योजना के विवरण नीचे दी गयी सारणी में प्रस्तुत हैं :

हितधारक का प्रकार	समय-सीमाएं	जोड़ने की पद्धतियां और थीम
परियोजना प्रभावित परिवार **महिलाएं, कमजोर समूह तथा जमीन और अन्य किसी आजीविका का स्रोत गंवाने वाले प्रभावित परिवार**	**आर ऐंड आर संवितरण के दौरान :** आजीविका के बारे में सलाह-मशविरे के लिए एफडीजी (प्रत्येक महीने में एक बार)	आजीविका विशेषज्ञ प्रभावित व्यक्तियों के एक समान समूहों के साथ मासिक सलाह-मशविरे के सत्र आयोजित करेंगे और उनके कौशल की जरूरतों की पहचान करेंगे तथा साथ ही उन्हें आजीविका के विकल्पों के बारे में सलाह देंगे। इस समूह चर्चाओं के दौरान निकटतम कौशल विकास केंद्र की जानकारी, इन केंद्रों में नाम लिखवाने के बारे में जानकारी आदि दी जा सकती है।
परियोजना प्रभावित परिवार	**स्थान परिवर्तन के दौरान** : 3 महीनों के भीतर 2 बार	स्थान परिवर्तन के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों को सुचारू ढंग से पुनर्स्थापन कॉलोनियों में बसाने की सुगमता के लिए एफजीडी आयोजित की जाएंगी। सलाह-मशविरे का उद्देश्य पीएएफ को कल्याण संघ बनाने और स्थान परिवर्तन के दौरान आने वाली विभिन्न चिंताओं तथा समस्याओं को समझने और उनके समाधान की रणनीतियां खोजने के बारे में सलाह देना होगा। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर शिविरों के आयोजन तथा लोगों को जुटाने में पंचायत प्रमुखों को शामिल किया जाएगा।
परियोजना स्थलों के आसपास मछुआरों के समुदाय	**क्रियान्वयन चरण के दौरान प्रभावों का आकलन :** 6 माह परिचालन चरण के दौरान : संवेदनशील स्थलों पर जलयान यातायात और प्रबंधन रणनीतियां	मछली पकड़ने पर हो सकने वाले प्रभावों को समझने और उनका आकलन करने तथा संभव उपशमन रणनीतियों पर चर्चा के लिए एफजीडी आयोजित की जाएंगी। परिचालन चरण के दौरान : नौकाओं के परिवहन की जानकारी प्रसारित करने और नौवहन जलवाहिकाओं के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए परामर्शों की योजना बनायी जाएगी।
नौका संचालन/जलयान मालिक/गाद निकालने वाले	प्रत्येक 6 माह	बाजार की बढ़ी हुई प्रतिक्रिया के लिए रणनीतियां बनाने और परियोजना तथा सुरक्षा प्रावधानों से परिचित करवाने के लिए जलयान माल प्रेषकों, नौका मालिकों और गाद निकालने वालों के साथ परामर्श और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें परिचालन में उनकी कठिनाइयों को समझा जाएगा तथा उन कठिनाइयों को संबोधित करने में सांस्थानिक क्षमता का आकलन भी किया जाएगा।
एनजीओ और नाको (NACO) के साथ सूचीबद्ध एनजीओ	प्रत्येक 6 माह	प्रभावित परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए प्रमुख एनजीओ के साथ विचार-विमर्श। सूचीबद्ध एनजीओ के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य

		और स्वच्छता के संवर्धित अवसर और एचआईवी के बारे में जागरूकता का प्रसार। निर्माण स्थलों पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए एनएसीओ के साथ सूचीबद्ध एनजीओ को आमंत्रित किया जाएगा।
नियोजित सुविधाओं के आसपास रहने वाले समुदाय	प्रत्येक 6 माह	स्थानीय जरूरतों के प्रति परियोजना की प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए और यह समझने के लिए कि सामुदायिक जरूरतों को सबसे अच्छे ढंग से कैसे पूरा किया जा सकता है, स्थानीय पंचायत कार्यालयों की सहायता से विचार-विमर्शों का आयोजन किया जाएगा।

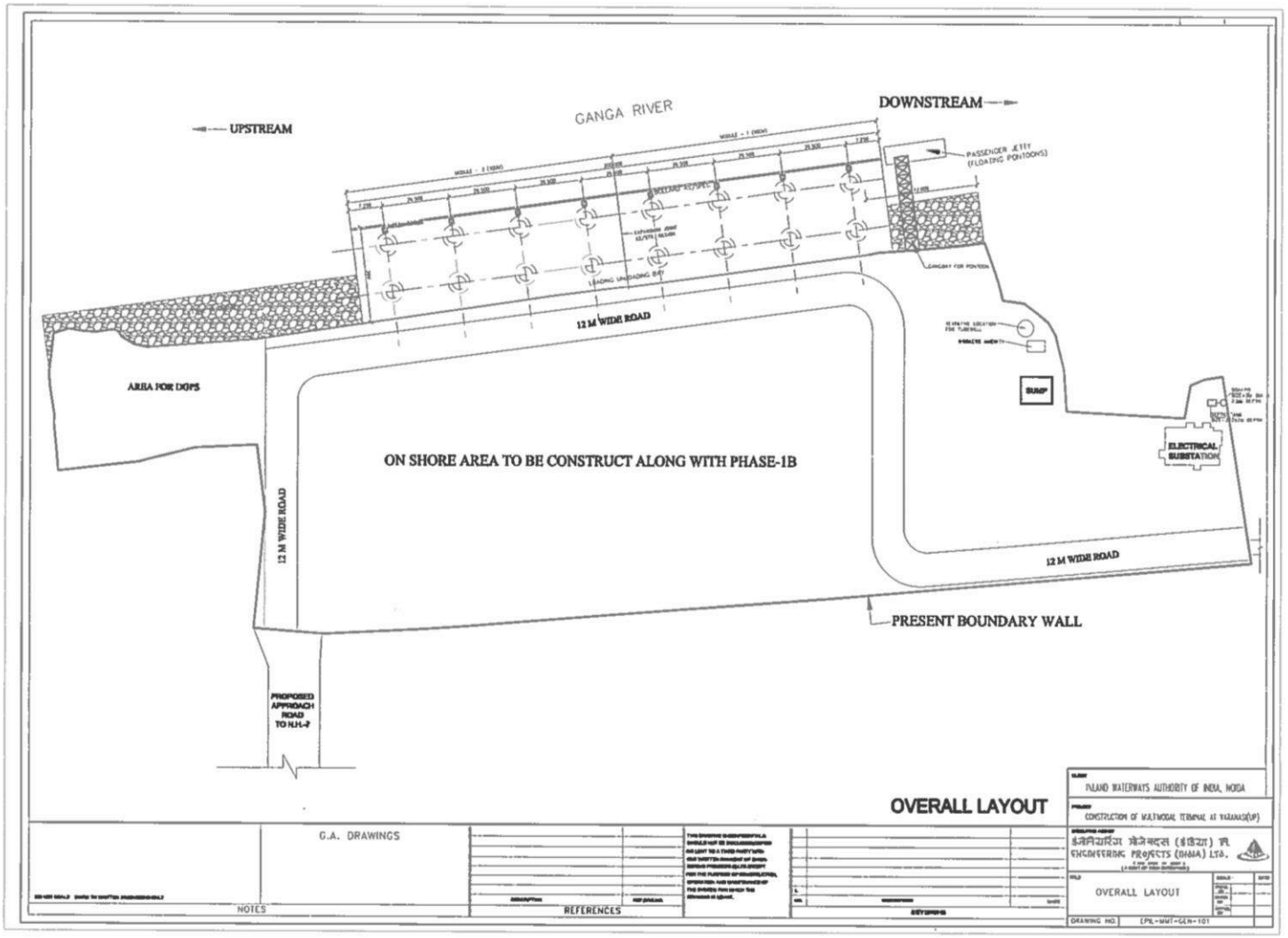
UPSTREAM
GANGA RIVER
DOWNSTREAM
PASSENGER JETTY (FLOATING PONTOONS)
12 M WIDE ROAD
AREA FOR DOPS
ON SHORE AREA TO BE CONSTRUCT ALONG WITH PHASE-1B
SUMP
ELECTRICAL SUBSTATION
12 M WIDE ROAD
12 M WIDE ROAD
PRESENT BOUNDARY WALL
PROPOSED APPROACH ROAD TO N.H.-7
OVERALL LAYOUT
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA, NOIDA
CONSTRUCTION OF MULTIMODAL TERMINAL AT VARANASI(UP)
ENGINEERING PROJECTS (INDIA) LTD.
OVERALL LAYOUT
DRAWING NO. EPIL-MMT-GEN-101
G.A. DRAWINGS
NOTES
REFERENCES
REVISIONS

अनुलग्नक - ए (A) : वाराणसी, साहेबगंज, हल्दिया और फरक्का के डिजाइन

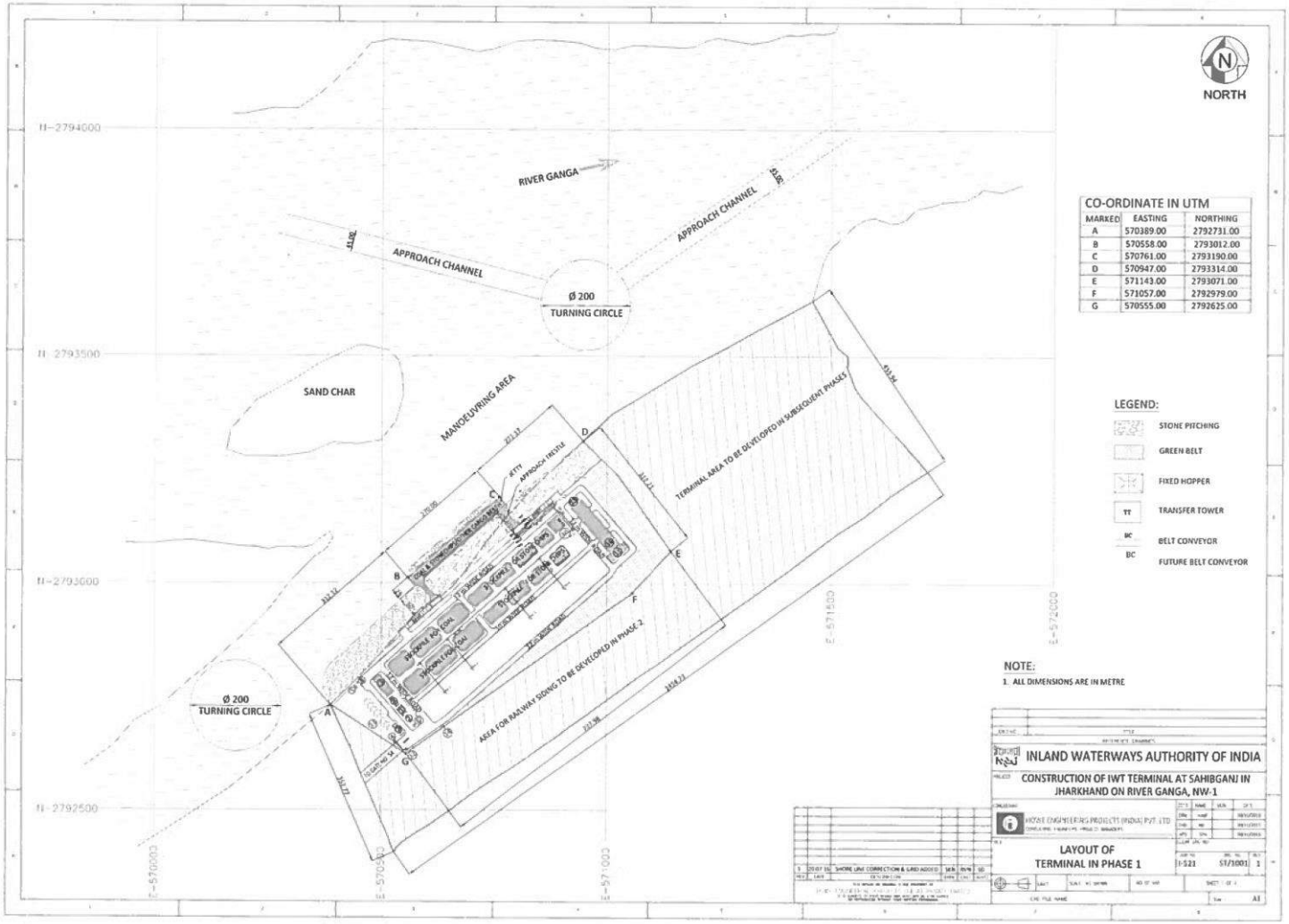
NORTH
RIVER GANGA
APPROACH CHANNEL
APPROACH CHANNEL
Ø 200
TURNING CIRCLE
SAND CHAR
MANOEUVRING AREA
TERMINAL AREA TO BE DEVELOPED IN SUBSEQUENT PHASES
AREA FOR RAILWAY SIDING TO BE DEVELOPED IN PHASE 2
Ø 200
TURNING CIRCLE
N-2794000
N-2793500
N-2793000
N-2792500
E-570000
E-570500
E-571000
E-571500
E-572000
CO-ORDINATE IN UTM
MARKED EASTING NORTHING
A 570389.00 2792731.00
B 570558.00 2793012.00
C 570761.00 2793190.00
D 570947.00 2793314.00
E 571143.00 2793071.00
F 571057.00 2792979.00
G 570555.00 2792625.00
LEGEND:
STONE PITCHING
GREEN BELT
FIXED HOPPER
TRANSFER TOWER
BELT CONVEYOR
FUTURE BELT CONVEYOR
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN METRE
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
CONSTRUCTION OF IWT TERMINAL AT SAHIBGANJ IN JHARKHAND ON RIVER GANGA, NW-1
LAYOUT OF
TERMINAL IN PHASE 1

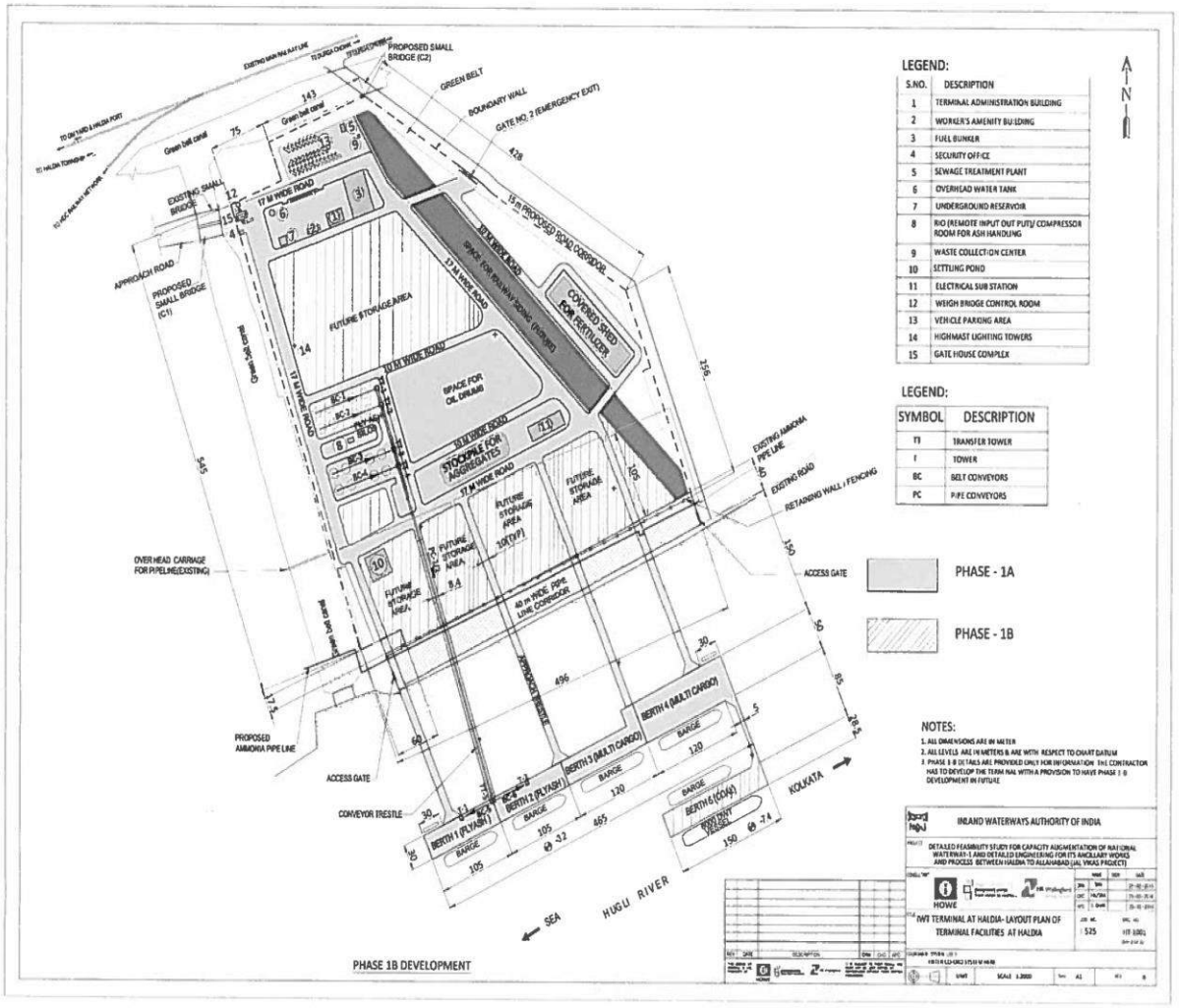
LEGEND:
S.NO. DESCRIPTION
1 TERMINAL ADMINISTRATION BUILDING
2 WORKER'S AMENITY BUILDING
3 FUEL BUNKER
4 SECURITY OFFICE
5 SEWAGE TREATMENT PLANT
6 OVERHEAD WATER TANK
7 UNDERGROUND RESERVOIR
8 RIO (REMOTE INPUT OUT PUT)/ COMPRESSOR ROOM FOR ASH HANDLING
9 WASTE COLLECTION CENTER
10 SETTLING POND
11 ELECTRICAL SUB STATION
12 WEIGH BRIDGE CONTROL ROOM
13 VEHICLE PARKING AREA
14 HIGHMAST LIGHTING TOWERS
15 GATE HOUSE COMPLEX
LEGEND:
SYMBOL DESCRIPTION
TT TRANSFER TOWER
T TOWER
BC BELT CONVEYORS
PC PIPE CONVEYORS
PHASE - 1A
PHASE - 1B
NOTES:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN METER
2. ALL LEVELS ARE IN METERS & ARE WITH RESPECT TO CHART DATUM
3. PHASE 1 B DETAILS ARE PROVIDED ONLY FOR INFORMATION. THE CONTRACTOR HAS TO DEVELOP THE TERMINAL WITH A PROVISION TO HAVE PHASE 1 B DEVELOPMENT IN FUTURE
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
DETAILED FEASIBILITY STUDY FOR CAPACITY AUGMENTATION OF NATIONAL WATERWAY-1 AND DETAILED ENGINEERING FOR ITS ANCILLARY WORKS AND PROCESS BETWEEN HALDIA TO ALLAHABAD (JAL VIKAS PROJECT)
HOWE
IWT TERMINAL AT HALDIA- LAYOUT PLAN OF TERMINAL FACILITIES AT HALDIA
PHASE 1B DEVELOPMENT
PROPOSED SMALL BRIDGE (C2)
GREEN BELT
BOUNDARY WALL
GATE NO. 2 (EMERGENCY EXIT)
15 m PROPOSED ROAD CORRIDOR
COVERED SHED FOR FERTILIZER
SPACE FOR RAILWAY SIDING (FUTURE)
FUTURE STORAGE AREA
SPACE FOR OIL DRUMS
STOCKPILE FOR AGGREGATES
17 M WIDE ROAD
10 M WIDE ROAD
APPROACH ROAD
PROPOSED SMALL BRIDGE (C1)
EXISTING SMALL BRIDGE
EXISTING AMMONIA PIPE LINE
EXISTING ROAD
RETAINING WALL / FENCING
OVER HEAD CARRIAGE FOR PIPELINE(EXISTING)
ACCESS GATE
PROPOSED AMMONIA PIPE LINE
CONVEYOR TRESTLE
BERTH 1 (PLYASH)
BERTH 2 (PLYASH)
BERTH 3 (MULTI CARGO)
BERTH 4 (MULTI CARGO)
BERTH 6 (COAL)
BARGE
KOLKATA
HUGLI RIVER
SEA
N

BH-2
BH-5
BH-6
BH-7
BH-8
BH-9
BH-10
BH-11
AREA
AREA
4470J.7051
139
265
67

अनुलग्नक बी (B) : आरएफसीटीएलएआरआर (RFCTLARR) अधिनियम 2013 की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची

THE FIRST SCHEDULE

[*See* section 30 (*2*)]

COMPENSATION FOR LAND OWNERS

The following components shall constitute the minimum compensation package to be given to those whose land is acquired and to tenants referred to in clause (*c*) of section 3 in a proportion to be decided by the appropriate Government.

Serial No.	Component of compensation package in respect of land acquired under the Act	Manner of determination of value	Date of determination of value
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Market value of land	To be determined as provided under section 26.	
2.	Factor by which the market value is to be multiplied in the case of rural areas	1.00 (One) to 2.00 (Two) based on the distance of project from urban area, as may be notified by the appropriate Government.	
3.	Factor by which the market value is to be multiplied in the case of urban areas	1 (One).	
4.	Value of assets attached to land or building	To be determined as provided under section 29.	
5.	Solatium	Equivalent to one hundred per cent. of the market value of land mentioned against serial number 1 multiplied by the factor specified against serial number 2 for rural areas or serial number 3 for urban areas plus value of assets attached to land or building against serial number 4 under column (2).	
6.	Final award in rural areas	Market value of land mentioned against serial number 1 multiplied by the factor specified against serial number 2 plus value of assets attached to land or building mentioned against serial number 4 under column (2) plus solatium mentioned against serial number 5 under column (2).	
7.	Final award in urban areas	Market value of land mentioned against serial number 1 multiplied by the factor specified against serial number 3 plus value of assets attached to land or building	

(1)	(2)	(3)	(4)
		mentioned against serial number 4 under column (2) plus solatium mentioned against serial number 5 under column (2).	
8.	Other component, if any, to be included		

NOTE.—The date on which values mentioned under column (2) are determined should be indicated under column (4) against each serial number.

THE SECOND SCHEDULE

[*See* sections 31 (*1*), 38 (*1*) and 105 (*3*)]

ELEMENTS OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT ENTITLEMENTS FOR ALL THE AFFECTED FAMILIES (BOTH LAND OWNERS AND THE FAMILIES WHOSE LIVELIHOOD IS PRIMARILY DEPENDENT ON LAND ACQUIRED) IN ADDITION TO THOSE PROVIDED IN THE FIRST SCHEDULE.

Serial No.	Elements of Rehabilitation and Resettlement Entitlements	Entitlement/provision	Whether provided or not (if provided, details to be given)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Provision of housing units in case of displacement	(1) If a house is lost in rural areas, a constructed house shall be provided as per the Indira Awas Yojana specifications. If a house is lost in urban areas, a constructed house shall be provided, which will be not less than 50 sq mts in plinth area. (2) The benefits listed above shall also be extended to any affected family which is without homestead land and which has been residing in the area continuously for a period of not less than three years preceding the date of notification of the affected area and which has been involuntarily displaced from such area: Provided that any such family in urban areas which opts not to take the house offered, shall get a one-time financial assistance for house construction, which shall not be less than one lakh fifty thousand rupees: Provided further that if any affected family in rural areas so prefers, the equivalent cost of the house may be offered in lieu of the constructed house: Provided also that no family affected by acquisition shall be given more than one house under the provisions of this Act.	

(1)	(2)	(3)	(4)
		Explanation.—The houses in urban areas may, if necessary, be provided in multi-storied building complexes.	
2.	Land for Land	In the case of irrigation project, as far as possible and in lieu of compensation to be paid for land acquired, each affected family owning agricultural land in the affected area and whose land has been acquired or lost, or who has, as a consequence of the acquisition or loss of land, been reduced to the status of a marginal farmer or landless, shall be allotted, in the name of each person included in the records of rights with regard to the affected family, a minimum of one acre of land in the command area of the project for which the land is acquired: Provided that in every project those persons losing land and belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes will be provided land equivalent to land acquired or two and a one-half acres, whichever is lower.	
3.	Offer for Developed Land	In case the land is acquired for urbanisation purposes, twenty per cent. of the developed land will be reserved and offered to land owning project affected families, in proportion to the area of their land acquired and at a price equal to the cost of acquisition and the cost of development: Provided that in case the land owning project affected family wishes to avail of this offer, an equivalent amount will be deducted from the land acquisition compensation package payable to it.	
4.	Choice of Annuity or Employment	The appropriate Government shall ensure that the affected families are provided with the following options:	

(1)	(2)	(3)	(4)
		(a) where jobs are created through the project, after providing suitable training and skill development in the required field, make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for the time being in force, to at least one member per affected family in the project or arrange for a job in such other project as may be required; or (b) one time payment of five lakhs rupees per affected family; or (c) annuity policies that shall pay not less than two thousand rupees per month per family for twenty years, with appropriate indexation to the Consumer Price Index for Agricultural Labourers.	
5.	Subsistence grant for displaced families for a period of one year	Each affected family which is displaced from the land acquired shall be given a monthly subsistence allowance equivalent to three thousand rupees per month for a period of one year from the date of award. In addition to this amount, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes displaced from Scheduled Areas shall receive an amount equivalent to fifty thousand rupees. In cases of displacement from the Scheduled Areas, as far as possible, the affected families shall be relocated in a similar ecological zone, so as to preserve the economic opportunities, language, culture and community life of the tribal communities.	
6.	Transportation cost for displaced families	Each affected family which is displaced shall get a one-time financial assistance of fifty thousand rupees as transportation cost for shifting of the family, building materials, belongings and cattle.	

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Cattle shed/petty shops cost	Each affected family having cattle or having a petty shop shall get one-time financial assistance of such amount as the appropriate Government may, by notification, specify subject to a minimum of twenty-five thousand rupees for construction of cattle shed or petty shop as the case may be.	
8.	One-time grant to artisan, small traders and certain others	Each affected family of an artisan, small trader or self-employed person or an affected family which owned non-agricultural land or commercial, industrial or institutional structure in the affected area, and which has been involuntarily displaced from the affected area due to land acquisition, shall get one-time financial assistance of such amount as the appropriate Government may, by notification. specify subject to a minimum of twenty-five thousand rupees.	
9.	Fishing rights	In cases of irrigation or hydel projects, the affected families may be allowed fishing rights in the reservoirs, in such manner as may be prescribed by the appropriate Government.	
10.	One-time Resettlement Allowance	Each affected family shall be given a one-time "Resettlement Allowance" of fifty thousand rupees only.	
11.	Stamp duty and registration fee	(1) The stamp duty and other fees payable for registration of the land or house allotted to the affected families shall be borne by the Requiring Body. (2) The land for house allotted to the affected families shall be free from all encumbrances. (3) The land or house allotted may be in the joint names of wife and husband of the affected family.	

THE THIRD SCHEDULE

[*See* sections 32, 38(*1*) and 105(*3*)]

PROVISION OF INFRASTRUCTURAL AMENITIES

For resettlement of populations, the following infrastructural facilities and basic minimum amenities are to be provided at the cost of the Requisitioning Authority to ensure that the resettled population in the new village or colony can secure for themselves a reasonable standard of community life and can attempt to minimise the trauma involved in displacement.

A reasonably habitable and planned settlement would have, as a minimum, the following facilities and resources, as appropriate:

Serial No.	Component of infrastructure amenities provided/proposed to be provided by the acquirer of land	Details of infrastructure amenities provided by the acquirer of land
(1)	(2)	(3)
1.	Roads within the resettled villages and an all-weather road link to the nearest pucca road, passages and easement rights for all the resettled families be adequately arranged.	
2.	Proper drainage as well as sanitation plans executed before physical resettlement.	
3.	One or more assured sources of safe drinking water for each family as per the norms prescribed by the Government of India.	
4.	Provision of drinking water for cattle.	
5.	Grazing land as per proportion acceptable in the State.	
6.	A reasonable number of Fair Price Shops.	
7.	Panchayat Ghars, as appropriate.	
8.	Village level Post Offices, as appropriate, with facilities for opening saving accounts.	
9.	Appropriate seed-cum-fertilizer storage facility if needed.	
10.	Efforts must be made to provide basic irrigation facilities to the agricultural land allocated to the resettled families if not from the irrigation project, then by developing a cooperative or under some Government scheme or special assistance.	
11.	All new villages established for resettlement of the displaced persons shall be provided with suitable transport facility which must include public transport facilities through local bus services with the nearby growth centres/urban localities.	
12.	Burial or cremation ground, depending on the caste-communities at the site and their practices.	
13.	Facilities for sanitation, including individual toilet points.	

(1)	(2)	(3)
14.	Individual single electric connections (or connection through non-conventional sources of energy like solar energy), for each household and for public lighting.	
15.	Anganwadi's providing child and mother supplemental nutritional services.	
16.	School as per the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009);	
17.	Sub-health centre within two kilometres range.	
18.	Primary Health Centre as prescribed by the Government of India.	
19.	Playground for children.	
20.	One community centre for every hundred families.	
21.	Places of worship and chowpal/tree platform for every fifty families for community assembly, of numbers and dimensions consonant with the affected area.	
22.	Separate land must be earmarked for traditional tribal institutions.	
23.	The forest dweller families must be provided, where possible, with their forest rights on non-timber forest produce and common property resources, if available close to the new place of settlement and, in case any such family can continue their access or entry to such forest or common property in the area close to the place of eviction, they must continue to enjoy their earlier rights to the aforesaid sources of livelihood.	
24.	Appropriate security arrangements must be provided for the settlement, if needed.	
25.	Veterinary service centre as per norms.	

NOTE.— Details of each component of infrastructural amenities mentioned under column (2) against serial numbers 1 to 25 should be indicated by the acquirer of land under column (3).

THE FOURTH SCHEDULE

(*See* section 105)

LIST OF ENACTMENTS REGULATING LAND ACQUISITION AND REHABILITATION AND RESETTLEMENT

1. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958).
2. The Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962).
3. The Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948).
4. The Indian Tramways Act, 1886 (11 of 1886).
5. The Land Acquisition (Mines) Act, 1885 (18 of 1885).
6. The Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978).
7. The National Highways Act, 1956 (48 of 1956).
8. The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962).
9. The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952).
10. The Resettlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Act, 1948 (60 of 1948).
11. The Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act, 1957 (20 of 1957).
12. The Electricity Act, 2003 (36 of 2003).
13. The Railways Act, 1989 (24 of 1989).

P.K. MALHOTRA,
Secretary to the Govt. of India.

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013.

GMGIPMRND—2896GI(S4)—27-09-2013.